(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्टम विधान सभा के तृतीय सत्र का 37 वां दिवस [संख्या 28

बुधवार

दिनांक 5 अप्रेल, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र वापसी-समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय ।

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि प्रश्न काल आरम्भ हो, मैं आपकी अनुमति से सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और राजकीय उपक्रम समिति का आज होने वाला चुनाव स्थगित रखा जाय और नामांकन पत्र वापस लेने का समय आज 2.00 बजे तक और बढ़ा दिया जाय ।

चुनाव, यदि आवश्यक हो तो कल दिनांक 6 अप्रेल, 1978 को करा लिया जाय ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रस्ताव के आने में कोई आपत्ति तो नहीं है...

व्यवधान)

यह बात सही है कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने में आपत्ति नहीं है लेकिन प्रश्नोत्तर काल से पूर्व आज दिन तक कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है । प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं है । समय तो एक दिन के बजाय दो दिन भी बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह परम्परा रही है कि प्रश्नोत्तर काल में कोई प्रस्ताव नहीं लिया जाय । यह मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : चुनाव का समय आज 11.00 बजे से है इसलिये ।

श्री केदार नाथ (यातायात मन्त्री) : अर्जेन्सी है इसलिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय द्वारा इस सदन के समक्ष रखे गये प्रस्ताव पर माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने आपत्ति प्रेषित की है । 11 बजे से प्रारम्भ होने वाले चुनावों को यदि स्थगित कराना है तो ऐसे प्रस्ताव का 11 बजे से पूर्व ही पारित होना आवश्यक है ।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव प्रेषित किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न। श्री बजरंग लाल शर्मा।

जयपुर शहर में अधिकारियों के मकान

725. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनी-पार्क, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कौन कौन आई. ए. एस., आई पी. एस., आर. ए. एस. व आर. पी. एस. के अधिकारी जयपुर शहर में निजी भवन होते हुये भी सरकारी आवास में रह रहे हैं ? सूची सम्पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त अधिकारियों में से किन किन ने अपने निजी मकान किराये पर उठा रखे हैं और कितना कितना किराया प्राप्त कर रहे हैं ?

(3) क्या निजी मकान के होते हुये राजकीय आवास में रहना नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या उपरोक्त अधिकारियों में से किन्हीं को निजी मकान होते हुये राजकीय आवास में रहने की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री महबूब अली) : (1) उपलब्ध सूचना के आधार पर सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वांछित जानकारी सूची में अंकित है।

(3) आरक्षित राजकीय भवनों में नियमों की बाध्यता के कारण रहने वाले अधिकारियों को छोड़कर अन्य अधिकारियों के लिये यह नियम विरुद्ध है कि वे अपना निजी मकान होते हुये राजकीय आवास में रहें। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उन्हें राजकीय आवास के आवंटन सम्बन्धी नियमों के नियम 11 के तहत ईयर मार्कड भवन में रहना अनिवार्य है।

(4) नियमानुसार अनुमति का प्रश्न नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट I देखें)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यहां जो भी सूचना दी जाती है, यदि वह गलत होती है तो उसके परिणाम गम्भीर होते हैं। अध्यक्ष महादय, आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस. व आर. पी. एस. के बारे में जानकारी चाही गई है। इसमें दूसरे अधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। क्या

Page No. 3

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

माननीय मन्त्री महोदय यह जानकारी देने की कृपा करेंगे वे कौन से अधिकारी हैं जिनके पास निजी भवन हैं और दूसरे भवनों में रह रहे हैं ?

श्री हरि सिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक जानकारी और चाहूंगा। जयपुर में आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस. व आर. पी. एस. के अलावा भी बड़े अफसर हैं, उदाहरण के लिये डॉक्टर्स हैं, इन्जीनियर्स हैं और भी महकमों में अफसर हैं। हालत यह हो रही है कि जिनके घर के मकान हैं और राजकीय आवास के लिये एनटाइटिल नहीं हैं वे राजकीय आवास में रह रहे हैं। उनकी भी जानकारी देने की कृपा करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कितने अधिकारियों ने जयपुर शहर में मकान बनाने के लिये सरकारी लोन लिया है और निजी मकान बनाये हैं ? निजी मकान बनाकर अप्रासंगिक रूप से जो किराया ले रहे हैं ऐसे कितने अधिकारी हैं ?

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं क्या सरकारी अधिकारियों के निजी मकानों में सरकारी कार्यालय चल रहे हैं ? एक तरफ ऐसे अधिकारी सरकार से भारी किराया प्राप्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी मकान की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। क्या राज्य सरकार इस नीति से सन्तुष्ट है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह सवाल नौकरशाही की मनमानी का है। इसमें पॉलिटिक्स मत डालिये।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न की सूचना का सम्बन्ध है उसमें आई. ए. एस., आई. पी. एस. तथा आर. ए. एस., आर. पी. एस. की सूचना दी गई है। उन सब सूचनाओं को संकलित करने के बाद जो तीन व्यक्ति सूची में दिये गये हैं उनके पास अपने मकान होते हुये भी दूसरे भवनों में, राजकीय आवास में रह रहे हैं। यह सूचना प्राप्त हुई है......

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : कौन कौन हैं ? नाम बता दें।

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : (1) श्री जी. के. भनोत, आई. ए. एस. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।

(2) श्री ए. एस. मेहता, आई. ए. एस., निजी सचिव, राज्यपाल महोदय।

(3) श्री गणेश सिंह, आई. पी. एस. महा निरीक्षक, आरक्षी विभाग।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना): इन तीन ऑफिसरों के अलावा और कौन हैं ?

श्री मंजूर अली (सवाई माधापुर): इनको मकान भत्ता कब से दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं. कई लोग व्यंग्य से यह आक्षेप करते हैं कि मिनिस्टरों के आचरण के अनुसार अधिकारियों द्वारा आचरण किया जा रहा है। क्या कुछ ऐसे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
मिनिस्टर्स या एम. एल. ए. हैं जिनके निजी घर हैं और राजकीय प्रवास में रह रहे हैं ? यदि नहीं हैं तो मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि ऐसा आचरण नहीं है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी का जो बंगला है वह बहुत बढ़िया है और महत्वपूर्ण रोड पर है। कुछ साल पहले पी. डब्ल्यू. डी. से मिलकर कीमत कम आंकी गई है और बहुत कम किराया उस कोठी का दे रहे हैं...

(व्यवधान)

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारी अपने निजी मकानों को सरकारी कार्यालयों के लिये दे देते हैं और सरकारी आवास का लाभ उठाते हैं। इन दोनों सुविधाओं का लाभ अधिकारी उठायें, क्या यह न्यायसंगत है ? क्या राज्य सरकार इसके पक्ष में है।

श्री शिवचरणसिंह : इन तीनों अधिकारियों के अलावा जिनके निजी मकान हैं और सरकार से किराया भी ले रहे हैं, ऐसे आफिसरों की सूचना मिले तो क्या आप उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हरिसिंह (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, आई. ए. एस., आई. पी. एस., आर. ए. एस., आर. पी. एस. के अलावा पी. डब्ल्यू. डी., मेडिकल एण्ड हैल्थ, बाकी और महकमों के कई अफिसर खुद के मकान होते हुये भी सरकारी मकान में रह रहे हैं। इसका सारा नक्शा तय होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय !

श्री महबूब अली: अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की चिन्ता का निराकरण करने के लिये मैं सारी स्थिति को स्पष्ट करना उचित समझता हूं। निवेदन यह है कि अलॉटमेन्ट रूल्स बने हुए हैं। गवर्नमेन्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को राजकीय आवास अलॉट करने के सम्बन्ध में रूल्स बने हुए हैं। उनमें रूल 11 के अन्दर यह प्रावधान है कि जिनके लिये राजकीय आवास ईयर मार्क्ड हैं, उनको राजकीय आवास में रहना आवश्यक है। निश्चित रूप से उनको उसमें रहना है चाहे उनका जयपुर में मकान हो। यह जो आपत्ति की गई है कि जिनके निजी मकान हैं उन्होंने उनको किराये पर दे रखा है। ये ईयर मार्क्ड हैं। नियम 11 में ही यह प्रावधान भी है कि जो ईयर मार्क्ड आवास हैं, उनमें अगर वह नहीं रहते हैं, वह खाली पड़े रहते हैं तो भी उनको उस बंगले का किराया देना पड़ेगा। जो कुछ आई.ए.एस. और आई. पी. एस. हैं, उनको ईयर मार्क्ड आवास के अन्दर रखा जाता है। इसी नियम 11 के तहत यह प्रोविजन है, इसी के तहत चीफ सेक्रेटरी आदि आई. ए. एस. और आई. पी. एस. आदि के लिए दिया गया है। इसके अन्दर यह जनरल प्राविजन है कि कोई भी अधिकारी, जिसका अपना बंगला है, गवर्नमेन्ट बंगले में नहीं रहेगा। माननीय सदस्य ने सम्भवतः इसी का सहारा लेकर इस प्रश्न को पूछा है। इसके आधार पर जिन सरकारी अधिकारियों के निजी मकान हैं, वह सरकारी आवास में नहीं रह सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो आवास उनके लिए रिजर्व हैं, ईयर मार्क्ड हैं, उन राजकीय आवासों में उनको उनके निजी

(श्री महबूब अली)

मकान होते हुए भी रहना पड़ेगा। रूल 11 के तहत जो राजकीय आवास में रहते हैं, जिनको यह सुविधा प्राप्त है उनके अपने मकान किराये पर देने में कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और स्पष्ट करूंगा। श्री जी. के. भनोत ने वर्तमान सरकार में चीफ सेक्रेटरी होने के समय से अपने बंगले को किराये पर दे दिया। इससे पहले से दो अधिकारी गवर्नर साहब के भवन में रहते हैं। आई. जी. साहब दूसरे बंगले में रहते हैं, जो उनको ईयर मार्क्ड है, उसमें रहते हैं। 30 साल से यही प्रथा चली आ रही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय की सूचना पूरी नहीं है प्रश्न यह है, ईयर मार्क्ड हाउसेज बनाये हैं उसमें यह भूल गये हैं कि कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज भी उसमें हैं। यह सही है कि ऐसे अधिकारियों को उसी में रहना पड़ता है। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या यह बात सही है ईयर मार्क्ड हाउसेज में जो रहते हैं उनके अलावा बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनके अपने मकान हैं, इसके अलावा भी वह सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं? मंशा यह है कि इन छः आदमियों को छोड़ दिया जाये, डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर, एस. पी. आदि, जिनके लिये ईयर मार्क्ड हैं, उनको छोड़ दिया जाये इसके अलावा भी आई.ए.एस., आई.पी.एस., आर. पी. एस., आर. ए. एस. बहुत से अधिकारी हैं जिन्होंने अपने मकान होते हुए भी सरकारी मकान अलॉट करा रखे हैं और अपने निजी मकान दूसरों को किराये पर दे रखे हैं। क्या सरकार इसको उचित समझती है? अगर आप उचित समझते हैं तो क्या ऐसे अधिकारियों से सरकारी आवास खाली करायेंगे? जो ऐसे अधिकारियों को आवास अलॉट कर रखे हैं, जिनके कि अपने निजी मकान हैं क्या उनसे खाली करायेंगे?

श्री हरचन्द सिंह (पीली बंगा) : इसके अलावा कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं, जिन्होंने सरकार से लोन लेकर मकान बनाये हैं। वह मकान किराये पर चढ़ाये हुए हैं। उनकी अगर लिस्ट दें तो क्या सरकार कार्यवाही करने को तैयार है?

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, ऐसे भी अधिकारी हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम से, अपने पुत्रों के नाम से बंगले बनवाये हुए हैं। जिन अधिकारियों को पत्नी और पुत्र के नाम से बंगले हैं वह सरकारी बंगले में रह रहे हैं क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हैं? यह सबसे बड़ा घपला है। बेनामी किराये पर उठे हुए हैं। इस प्रकार की सूचना यदि मंत्री महोदय ने एकत्र की है तो दे दें। नहीं की है तो एकत्र करके वह कार्यवाही करेंगे।

श्री मदन सिंह दांता (दांता रामगढ़): सवाल यह है कि पुत्र बालिग है या नाबालिग है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : पत्नी की कोई आय नहीं है फिर भी उसके नाम से मकान बना लिया है।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, यह रूल्स में बिल्कुल स्पष्ट है। रूल नं. 59 में पढ़ कर सुना देता हूं —

"Notwithstanding anything contained in sub-rules, no officer,

(श्री महबूब अली)
who owns a house at the place of his posting, whether in his own name or in the name of his wife or children, shall be allotted a residence under these rules unless —

(a) such house has been requisitioned or taken on lease by the Government or

(b) it is proved, to the satisfaction of the Chief Secretary to the Government in G. A. D. that (i) such house was given out on lease by the officer before being posted at that place and that he is unable for reasons beyond his control to obtain vacant possession of the house, or (ii) having regard to the status of the officer, the house is manifestly inadequate to his requirements, or

(c) it is not complete and worth occupying."

इस रूल को पढ़ने के बाद बात साफ हो जाती है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपने यह पढ़ा है....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अधिकारियों को सरकारी मकान में रहने की किस रूल के तहत में छूट दी है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अधिकारी लोगों ने अपने मकानों को बढ़े हुए किराये पर दे दिया है।

(व्यवधान)

जिस सरकारी मकान में वह रहते हैं, उसका क्षेत्रफल देख लीजिए। उसका वह 350 रुपया देते हैं जब कि अपना निजी मकान 1501 रु. पर चढ़ा रखा है। माननीय मन्त्री महोदय को समझने में दिक्कत हो सकती है। 1500 रु. महीने में किराये पर एक छोटा सा मकान चढ़ा रखा है और खुद जिस सरकारी मकान में रहते हैं उसका एरिया देख लिया जाये, उसका 350 रु. देते हैं। क्या यह जनता सरकार के लिए उचित है ? यदि ऐसा है तो जनता सरकार को अपनी घोषणाएं बदल देनी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी कल्पना में यह आया है। उनके खयाल में भी आया है। मेहरबानी करके वह उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री अध्यक्ष : श्री माणकचन्द सुराणा !

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के पास निजी मकान नहीं हैं और किराये पर रहते हैं...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ऑफिसरों की पैरवी मत करो।

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं

(श्री माणकचन्द सुराणा)
कि जो ईयर मार्क्ड हाउसेज हैं उनकी तादाद जयपुर में और जयपुर के बाहर कितनी है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, एक प्रश्न मैं भी आपकी इजाजत से पूछना चाहूंगा। क्या कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं कि जिनके मकान जयपुर में होने के उपरान्त भी नियमों के विपरीत सरकारी मकानों में रह रहे हैं ? सरकार को क्या इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी है ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई है उससे पता लगता है कि अभी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी यदि कोई इस प्रकार से रूल्स का वायोलेशन करता है और किसी अधिकारी के पास···

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : किन किन अधिकारियों को ······

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन !

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, बड़ा इम्पाटेंट क्वेश्चन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य प्रश्नकर्त्ता, सिर्फ एक प्रश्न ही करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछा था—

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी थी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप अनुशासित व्यक्ति होने का दावा करते हैं। बिराजिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : क्या इसकी सूची इनके पास है ?

श्री गुल मोहम्मद : इस प्रश्न का आधे घन्टे की चर्चा के लिए रख लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें। श्री बजरंगलाल शर्मा !

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था कि कुछ अधिकारियों ने क्लाज 'ए' का लाभ लेकर अपने मकान किराये पर उठा दिये हैं। इसमें लिखा है

"Whether requisitioned by the Government or taken by Government on lease."

इस क्लॉज का लाभ लेकर बड़े मकानों को किराये पर उठा दिया है। क्या सरकार ऐसे मकानों की सूची प्राप्त करेगी और उसको एग्जामिन करा कर उसके किराये का असेसमेन्ट करायेगी ? मुख्य सचिव 1,500 रुपये किराये पर मकान देकर 350 रुपये किराये पर सरकारी मकान में रह रहे हैं इस बारे में तीन बार ध्यानआकर्षित कर चुका हूं लेकिन सरकार आंख मूंद कर बैठी है, क्या कारण है? नही सुनने का ?

Page No. 8

(8)

श्री मूलचन्द डागा : आपने एक कैटेगरी बताई कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने ऐसे सर्टिफिकेट हासिल कर लिये हैं कि उनके मकान रहने काबिल नहीं हैं, उनको भी मकान दिये जायेंगे। आप मेहरबानी करके यह बतावें कि ऐसे कितने अधिकारी हैं, उन्होंने कब-कब सर्टिफिकेट लिये और क्या आपने उनकी जांच की कि वह सही हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आपने सदन की मंशा के माफिक प्रश्न पूछ लिया। इसके बावजूद मन्त्री महोदय को खींचना-तानना क्या ठीक है ?

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : उत्तर दिलवाइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री जयकृष्णजी!

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय आपने एक प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं आया। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर न आने के अभाव में इसे स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : जो प्रश्न किये गये हैं उनके जवाब लेकर आवें और सदन की मेज पर रखें।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसी सत्र में जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित प्रश्न की सूची में मैं कल ले लूंगा।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मंजूर अली !

गृह मन्त्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय आपकी व्यवस्था आने के बाद मैं कुछ कहना उचित तो नहीं समझता, लेकिन प्रश्न आया है, आप इजाजत दें तो...

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : फिर आप क्यों उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने भावनाएं व्यक्त की और अपने खयाल जाहिर किये वह खास तौर से इस सम्बन्ध में बने हुये रूल्स के सम्बन्ध में किये हैं। आप और यह सदन भली भांति परिचित है कि ये रूल्स काफी पुराने बने हुए हैं। जितने भी रूल्स बने हुये हैं उनके अन्दर कोई लेकुना हो सकता है। यदि वे ठीक नहीं हैं तो सरकार का कर्तव्य है...

श्री मूलचन्द डागा : Even these rules are not implemented.

श्री अध्यक्ष : Rules are implemented in a relaxed fashion.

श्री सम्पतराम : अगर कोई गलत इण्टरप्रिटेशन हुआ है और किसी ने नाजायज तरीके से लाभ लेने की कोशिश की है, तो उस पर सरकार विचार करेगी। कोई भी बात कायदे कानून के विपरीत होगी तो सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुख्य मन्त्री जी के सचिव एन्टाइटल्ड नहीं हैं गवर्नमेंट हाउस के लिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री मन्जूर अली!

(व्यवधान)

माननीय सदस्या आप बुद्धिमति हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से पांच सैकिन्ड में अर्ज करना चाहता हूं। कई ऑफिसर साहबान मन्त्री महोदय को गलत इत्तिला दे जाते हैं। इसकी व्यवस्था की जाय। सदन के माननीय सदस्यगण की एक कमेटी बनाई जावे जो जवाब गलत होने का आरोप आने पर उसकी सत्यता की तह में जाकर सदन में रिपोर्ट पेश करे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन!

राज्य के यूनानी कॉलेज तथा दवाखाने

726. **श्री मन्जूर अली** (सवाई माधोपुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में कितने यूनानी कॉलेज चल रहे हैं? उनको राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कितनी कितनी सहायता दी जा रही है?

(2) राज्य के कितने यूनानी दवाखानों पर हकीम और कम्पाउन्डर नहीं हैं? इसके क्या कारण हैं? राज्य सरकार सभी दवाखानों पर कब तक पूरा स्टाफ लगा देगी?

(3) राज्य के यूनानी कॉलेजों की किन किन डिग्री को राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त है तथा किनको नहीं है?

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य के तिब्बी कॉलेज, जयपुर की डिग्री को हकीम के पद के लिए राज्य सरकार द्वारा न माने जाने से कई हकीम बेकार बैठे हैं और दूसरी तरफ राज्य के यूनानी दवाखानों में हकीमों के 50% पद रिक्त पड़े हैं?

(5) क्या राज्य सरकार के पास किन्हीं कम्पाउण्डरों, जो हकीम के पद की योग्यता रखते हैं, को हकीम के पद पर पदोन्नत करने के लिए केस विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? और उन्हें पदोन्नत न करने के क्या कारण हैं?

आयुर्वेद मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) राज्य में एक सहायता प्राप्त यूनानी कॉलेज जयपुर में है। वर्षवार दी गई अनुदान की राशि का विवरण संलग्न है।

(2) 25 औषधालयों में हकीम तथा 6 औषधालयों में कम्पाउण्डर्स नहीं हैं। योग्यताधारी आशार्थी उपलब्ध नहीं होने से पद रिक्त हैं। आशार्थी उपलब्ध होते ही पद भर दिये जावेंगे।

(3) हकीम पद हेतु उम्दतुल हुकमा डिग्री को मान्यता दी हुई है लेकिन यह डिग्री वर्ष 1968 या उससे पूर्व प्राप्त की हुई होनी चाहिए। कम्पाउण्डर्स के लिए तबीब फाजिल डिग्री को मान्यता दी हुई है लेकिन यह डिग्री वर्ष 1970 या इससे पूर्व प्राप्त की हुई होनी चाहिए। उक्त के अलावा किसी अन्य डिग्री को मान्यता प्राप्त नहीं है।

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

(4) राज्य में 63 हकीम के पद स्वीकृत किये हुए हैं जब कि 26 पद रिक्त हैं इस प्रकार 40% पद ही हकीमों के रिक्त हैं।

(5) राजस्थान आयुर्वेद अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 के अनुसार हकीम पद हेतु कम्पाउन्डर पद से पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। अतः पदोन्नति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री मन्जूर अली : क्या यहां के एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज व राजस्थान के विभिन्न एम्पलॉयमेंट एक्सचेंजेज में बेरोजगार हकीमों के नाम दर्ज हैं? अगर हां, तो कितने हैं? अगर बेरोजगार हैं तो उनको दवाखानों में एम्पलॉय न करने के क्या कारण हैं?

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह जो चौथे सवाल का जवाब दिया गया, यह जवाब देते समय मंत्री महोदय ने कारीगरी दिखाई है। सवाल है कि कई हकीम बेकार बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ 40 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए हैं। आपने यह उत्तर नहीं दिया कि बेकार नहीं हैं, आपने कहा 40 प्रतिशत पद खाली हैं। आपने प्रश्न का सम्मिलित उत्तर दिया है। पुरानी जो परम्परा है, उसके अनुसार आप विभाग को बचाने की चेष्टा न करें।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : 40 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए हैं इसका मतलब है कि 63 हकीमों के पद स्वीकृत किए हुए हैं व 26 पद रिक्त हैं। इसलिए मैंने कहा कि 40 प्रतिशत पद ही रिक्त हैं।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल जी ने कहा कि स्थिति सामने नहीं आई कि कुल कितने हकीम बेरोजगार हैं। अगर बेरोजगार हैं और उनके पास क्वालिफिकेशन्स हैं तो उनको रोजगार देने की व्यवस्था है।

श्री नूरा (मसूदा) : नौकरी के लिए आपके पास आवेदन-पत्र पेंडिंग हैं तो पद भरने के लिए विचार क्यों नहीं किया गया? यदि विचार किया जायगा तो कब तक कर लेंगे।

श्री नवलराय बचनाणी (अजमेर पश्चिम) : मंत्री जी के उत्तर से मालूम हुआ कि 40 प्रतिशत पद रिक्त हैं तो या तो यूनानी कॉलेज खोला जावे या आयुर्वेद में 10, 20 यूनानी हकीमों की पढ़ाई की व्यवस्था की जावे।

श्री गुल मोहम्मद : 1977-78 में यूनानी तिब्बी कॉलेज को कितनी सहायता प्रदान की गई?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : राज्य सरकार यूनानी व आयुर्वेद के दवाखाने खोलने में क्या नीति निर्धारित करती है, इसका जवाब दें?

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या यह सही है कि अल्पसंख्यकों में बड़ा भयंकर असंतोष है क्योंकि उनकी चिकित्सा पद्धति को राज्य सरकार प्रोत्साहन नहीं देती और यह चिकित्सा पद्धति धीरे धीरे मर रही है?

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
इसलिए स्पष्ट रूप से जवाब दें कि यूनानी चिकित्सा के लिए मेडिकल व हैल्थ बजट में कितना परसेंट खर्चा किया जाता है ताकि दृष्टिकोण साफ हो जाए कि किस हद तक अल्पसंख्यकों की चिकित्सा पद्धति को दूसरे लोग भी अपनाते हैं।

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत (जालोर) : यूनानी केवल अल्पसंख्यकों की चिकित्सा पद्धति नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने निश्चित की है उस योग्यता की परीक्षायें देश में कहीं नहीं होती।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मंत्री महोदय ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि हमारे पास हकीम नहीं हैं इसलिए क्या करें। आज आपने दूसरी बात फर्माई है। मैंने प्रश्न भी किया था, आपने एडमिट किया था, सूची में था। कई जगह जहां मांग है, सरकार को वहां यूनानी दवाखाने खोलने चाहिए जैसे सीकर, झुंझुनू व मकराना। वहां बेरोजगार हकीमों को सरकार काम में लगाए।

दूसरे हकीमों व वैद्यों के अन्दर और चिकित्सा के अन्दर अपना दिमाग तंग न रखें, हर हकीम व वैद्य की अच्छाई से फायदा लेना है।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री पूछें।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : यूनानी पद्धति का किसी विशेष सम्प्रदाय से सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध यूनान से है, माननीय सदस्य ने इसको अल्पसंख्यकों से जोड़ रखा है, यह प्राचीन पद्धति है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यूनानी चिकित्सा पद्धति का दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज चलता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय के उत्तर की भी तो अपेक्षा करें। यह सप्लीमेंट्रीज की बौछार प्रश्न काल को सार्थक रूप से संचालित करने में सहायक नहीं हो सकती।

श्री दाऊदयाल जोशी : यूनानी चिकित्सा पद्धति का दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज है, उसकी परीक्षाओं को मान्यता थी लेकिन अब उस कॉलेज में डिग्री समाप्त कर दी। उसकी डिग्री के लिए बी. आई. एस. के बराबर की योग्यता रखी गई है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए हम कहते हैं कि व्यक्ति नहीं मिलते इस कारण से यूनानी औषधालय खाली पड़े हुए हैं। राजस्थान में यूनानी व आयुर्वेद के केवल दो कॉलेज चलते हैं। यूनानी के लिए अलग से कॉलेज के लिए इस बजट में हो सके तो आप निश्चित रूप से व्यवस्था करें जिससे यूनानी पद्धति की उपेक्षा समाप्त हो।

श्री गुल मोहम्मद : यह जो कॉलेज जयपुर में चल रहा है, इसको कितनी ग्रांट दी गई है?

श्री अध्यक्ष : अब सप्लीमेंट्री नहीं पूछा जाएगा। सप्लीमेंट्री हो जाए उसके बाद सरकारी पक्ष का जब उत्तर हो तो उसको पिन ड्राप साइलेंस में सुनना चाहिये। उसके बाद सप्लीमेंट्री पूछिए। इन्फार्मेशन सही ढंग से सीक करें। सप्लीमेंट्री पूछने की कुछ ट्रेनिंग माननीय सदस्यों का देनी चाहिए।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : यूनानी दवाखानों में हकीमों के पद भर दिए जायें, इसके लिये सरकार चिंतित है और हमेशा इस बात का प्रयत्न करती रही है। समय समय पर विज्ञापन निकलती रही है। अभी भी 30-4-78 तक जो क्वालिफाइड हकीम हैं उनसे प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किए गये हैं। शर्त यह है कि राज्य सरकार ने उम्दतुल हुक्मा जराहत डिग्री व कम्पाउन्डरों के लिए तबीब फाजिल जराहत डिग्री को 1977-78 तक मान्यता दी है। दिल्ली की डिग्री को भी मान्यता दे रखी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : ये परीक्षायें बंद हो गई।

श्री मदनसिंह दांता : अगर माननीय सदस्य को अंग्रेजी में पिन ड्राप साइलेंस का मतलब नहीं आवे तो मैं बता देता हूं कि सुई भी पड़े तो आवाज नहीं आवे।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, क्वालिफाइड हकीमों के बारे में पिछले सत्र में भी निवेदन किया था कि क्वालिफाइड हकीम नहीं मिल रहे हैं। जो भी माननीय सदस्य किसी क्वालिफाइड हकीम को जानते हों वे मुझे सूचना दें, उस पर राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। हमने 30-4-78 तक प्रार्थना-पत्र मांगे हैं। क्वालिफाइड हकीम की ऐज भी अगर बड़ी होगी तो उसको रिलेक्स करने के लिये राज्य सरकार आदेश करेगी।

दूसरे जयपुर में कॉलेज के बारे में माननीय सदस्या ने कहा उसके बारे में निवेदन है कि इसके लिये एक बार नहीं कई बार कमेटियां बैठी हैं और जांच भी की गई है। उसके बाद में सन् 1974-75 और 1975-76 में इस संस्था के लिये राज्य सरकार ने 12,340 रुपये स्वीकृत भी किये थे लेकिन उसमें राज्य सरकार ने एक शर्त रखी थी कि उस संस्था का भी अपनी तरफ से बीस हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। चूंकि उस संस्था ने बीस हजार रुपये अपनी तरफ से खर्च नहीं किये इसलिये राज्य ने जो 12,340 रुपये अनुदान देने की बात की थी, वह सन् 1974-75, 1975-76 में नहीं दिया जा सका।

(व्यवधान)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : अध्यक्ष महोदय, पूरे चालीस मिनट हो गये हैं लेकिन अभी तक सिर्फ दो प्रश्न ही पूछे जा सके हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मन्जूर अली : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। मैं आपके माध्यम से आयुर्वेद मन्त्री महोदय को यह पूछना चाहूंगा कि क्या आयुर्वेद और यूनानी दवाखाने का बजट एक ही है? यूनानी दवाखानों में हकीमों की कमी होने

(श्री मंजूर अली)
के कारण यूनानी दवाखानों के लिये जो बजट होता है वह सभी आयुर्वेद दवाखानों पर खर्च हो जाता है। इस प्रकार गलत तरीकों से यूनानी दवाखानों का दम घोटा जा रहा है। यूनानी दवाखानों का जो बजट है उसको क्या आप आयुर्वेद दवाखानों के बजट से सेपरेट करने का विचार रखते हैं? क्या आप दोनों के बजट सेपरेट करने का विचार रखते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि आयुर्वेद व यूनानी तरीके के इलाज का मुश्तरका बजट होने से हकीमों में बेरोजगारी बढ़ रही है और यूनानी तरीके का इलाज खतम हो रहा है, इस प्रकार एक बेशकीमती इल्म हमारे प्रान्त में खतम होता जा रहा है। क्या मुख्य मंत्री महोदय इस विषय पर कोई बयान देंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या कृपया शान्त रहें। यह क्या हो रहा है? थोड़ी आप आपस में सहयोग की भावना रखें। यह क्या × × × भावना है आप लोगों की। कृपया आप शान्त रहें, मुझे सहयोग दें। एक ही प्रश्न पर बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस सप्लीमेन्ट्रीज पूछ रहे हैं। यह कौनसा तरीका है आप का? अभी चालीस मिनट हो गये हैं इसमें। सिर्फ दो प्रश्न ही पूछे जा सके हैं। जब हम लोग विरोधी पक्ष में बैठते थे तब यह सोचते थे कि किस प्रकार अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा सकें। इसलिये थोड़े और महत्वपूर्ण सप्लीमेन्ट्री प्रश्न ही पूछा करते थे और ज्यादा से ज्यादा उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त करने की कोशिश करते थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष बहुत सद्‌भावनापूर्ण और सहयोग की भावना से काम किया करते थे। पर मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्यों में सहयोग की भावना की तो टोटल एबसेन्स है।

श्री मदनसिंह दांता : You are ××× elements.

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, मुझे सहयोग दें। यह कहां तक उचित है कि आप एक ही प्रश्न पर 20-25 सप्लीमेन्ट्री करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

नैक्स्ट प्रश्न। श्री विट्ठल प्रसाद!

ग्राम तारज के पास हुई ट्रक दुर्घटना

727. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 18-2-78 को ग्राम तारज के पास जिस ट्रक में 11 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे वे क्या इसलिये ट्रकों में यात्रा करने को मजबूर हो गये थे कि उस दिन अकलेरा से खानपुर जाने वाली रोडवेज की बसें बन्द थीं?

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किए गए।

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

(2) ट्रक दुर्घटना के पश्चात् पुलिस को कब सूचना मिली एवं जिले के कौन कौन से अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे ?

(3) क्या जिलाधीश अथवा एस. पी. घटना स्थल पर गये थे ?

(4) क्या जिलाधीश ने मृतकों के लिये अंशदान या अनुदान हेतु राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं ?

(5) इस प्रकार की होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये राज्य सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

(6) इस प्रकार की होने वाली दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवारों को अनुदान देने के राज्य सरकार के क्या नियम हैं ?

गृह मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी नहीं।

(2) दुर्घटना की सूचना दिनांक 18-2-78 को पुलिस चौकी तारज पर 1.30 बजे व थाना सारोल पर उसी रोज दिन के 2.30 बजे मिली। उसी समय उप अधीक्षक अकलेरा को थाना प्रबन्धक सारोल द्वारा सूचना दी गयी। उप-अधीक्षक, अकलेरा, एस. डी. एम., अकलेरा, प्रबन्धक, थाना सारोल व चौकी इन्चार्ज तारज मौके पर पहुंचे।

(3) जी हां। पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ दिनांक 19-2-78 को घटना स्थल पर गये थे।

(4) जी हां। 11 मृत व्यक्तियों के परिवारों को प्रति परिवार 1 हजार रुपये की सहायता मुख्य मन्त्री जी के कोष से दे दी गई है।

(5) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु समय समय पर पुलिस द्वारा विशेष चैकिंग की व्यवस्था की जाती है। भविष्य में और भी सक्रियता से इनकी चैकिंग करने के निर्देश दिये गये हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

(6) ऐसे कोई नियम नहीं हैं।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि उस दिन रोडवेज की बसें नहीं चली थीं और ट्रक में एक कान्सटेबल भी मजबूरी के कारण सफर कर रहा था ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र (चिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गयी जिसमें कि करीब 11 व्यक्ति मर गये फिर भी मौके पर न तो वहां के जिलाधीश पहुंचे और न ही एस. पी. साहब पहुंचे। मन्त्री महोदय ने यह घोषणा कर दी कि मुख्य मन्त्री जी के कोष से एक एक हजार रुपया प्रति परिवार को दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जब रेल एक्सीडेन्ट होता है उसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार को पचास हजार रुपये दिये जाते हैं और हवाई जहाज के एक्सीडेंट से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो करोड़ों रुपये दिये जाते हैं, फिर मेरी समझ में नहीं आता है क्या कारण है कि

(श्री ईश्वर चन्द्र)
उन गरीब मजदूरों को एक-एक हजार रुपया ही दिया? कम से कम दस-दस हजार रुपये प्रति परिवार देने चाहिये

(व्यवधान)

थे। आप कहते हैं कि एक हजार रुपया प्रति परिवार दे दिया गया। मैं कहना चाहूंगा कि एक भी पैसा किसी भी परिवार को नहीं पहुंचा है। आप चाहें तो पता लगा लें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अब रेलवे के कानून में परिवर्तन हो गया है। उसमें 15 हजार रुपया मृतक के परिवार को देने का प्रावधान किया गया है।

(व्यवधान)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य, मुझे पूछने दें। मेरा प्रश्न है बीच में व्यवधान न करें।

श्री निर्मलकुमार रुकलेचा (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, मैं भी मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैंने पिछली विधान सभा में भी इस सदन में कहा था कि झालावाड़ जिले में एक ट्रक एक्सीडेन्ट से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी लेकिन आज तक उन लोगों के परिवार वालों को एक भी पैसा राज्य सरकार से नहीं मिला।

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, वह गरीब लोग हैं। सरकार पैसा पूरा दे नहीं रही है। वह लोग ट्रक मालिकों से पैसा मांग नहीं सकते हैं। मजदूर लोग हैं इसलिये व्यवस्था तुरन्त की…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

गृह मन्त्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सप्लीमेन्ट्री सवाल पूछे हैं, शोरगुल में जितना भी मैं समझ सका हूं, उसके लिये मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने कहा कि एक भी पैसा आज तक नहीं मिला है। मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने इसकी जानकारी पुख्ता कर ली है। मृतकों के परिवार वालों को एक हजार रुपये प्रति परिवार मिल चुका है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा।

श्री सम्पतराम : पहले मुझे जवाब तो दे देने दीजिये।

दूसरा प्रश्न यह था कि उस दिन रोडवेज की बसें नहीं चलीं। लोग मजबूरी में ट्रक में बैठ कर यात्रा कर रहे थे। निवेदन है कि उस दिन रोडवेज की बस चली थीं जो रोडवेज की बस चलती है वहां से पहली बस 6 बज कर 45 मिनट पर रवाना होती है।

श्री ईश्वर चन्द्र : उस दिन रोडवेज की बस नहीं चली थी।

श्री सम्पतराम : उस दिन रोडवेज की बस चली थी। निश्चित चली थी।

श्री ईश्वर चन्द्र : उस दिन रोडवेज की बस नहीं चली थी, नहीं चली थी, नहीं चली थी।

(व्यवधान)

श्री भूरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यह जवाब दे रहे हैं कि उस दिन बस चली थी। यह क्या जवाब है ?

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय गृह मन्त्री जी माननीय सदस्य को उत्तर इस प्रकार देकर कि उस दिन रोडवेज की बस चली थी, चली थी दबा रहे हैं। इन शब्दों को सदन की कार्य-वाही से निकाल दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री भूरा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि चली थी, चली थी। दूसरे सदस्य कह रहे हैं कि नहीं चली, नहीं चली थी। यह क्या जवाब है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आसन पैरों पर है माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

स्थगित प्रश्न ! श्री मन्जूर अली !

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा प्रश्न रह गया है। आप कृपा कर उसको ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं विवश हूं।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आमेर में जब दुर्घटना घटी तो फौरन मुआवजा दिया गया। राजस्थान के उस कोने में यह दुर्घटना घटी है, समय पर उनको मुआवजा न दिया जाय यह कहां का न्याय है ? कब तक उनको पैसा दे रहे हैं ? अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया है।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारी स्थिति स्पष्ट कर रहा था। माननीय सदस्य सुनना ही नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

कुल 11 परिवारों को 1,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से मुख्य मंत्री जी कोष से सहायता दे दी गयी है। कुल 11 हजार का भुगतान किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मंजूर अली।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20-3-78)

अनस्किल्ड लेबर की नियुक्ति

381. **श्री मंजूरअली** (सवाई माधोपुर): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में 21-6-77 से 28-2-77 तक कुल कितनी अनस्किल्ड लेबर को अलग

Page No. 17

17

(श्री मंजूर अली)
अलग महकमों में राज्य सरकार द्वारा रोजगार पर लगाया गया है ?

(2) रोजगार पर इस प्रकार लगाये गये अनस्किल्ड लेबर में अनुसूचित जाति, जन जाति व अल्पसंख्यक वर्ग के अलग अलग कितने कितने व्यक्ति हैं ?

(3) कुल रोजगार पर लगाये गये व्यक्तियों में अनुसूचित जाति, जन जाति व अल्पसंख्यक वर्ग का अलग अलग क्या प्रतिशत है ?

श्रम एवं नियोजन मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) दिनांक 21-6-77 से 28-2-78 तक राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों के माध्यम से 2, 841 अनस्किल्ड लेबर को अलग अलग महकमों में रोजगार पर लगाया गया ।

(2) रोजगार पर लगाये गये अनस्किल्ड लेबर में अनुसूचित जाति के 625, अनुसूचित जनजाति के 291 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 109 व्यक्ति थे ।

(3) अनुसूचित जाति, जन जाति व अल्प संख्यक वर्ग का अलग अलग प्रतिशत क्रमानुसार 20.0, 10.2 व 3.8 है ।

श्री मंजूर अली : मैं आपके माध्यम से रोजगार मंत्री से गुजारिश करना चाहता हूं कि जब कि अल्पसंख्यकों के वास्ते कोई रिजर्वेशन नहीं है उनके रोजगार के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? मुख्य मंत्रीजी नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में क्या रोजगार मंत्री आश्वासन देंगे कि उनको रोजगार दिलायेंगे ?

श्री कौशल किशोर जैन : जब कि रिर्जेवशन नहीं है उनका प्रतिशत बताना क्या राष्ट्रीय भावना के खिलाफ नहीं है ?

श्री मंजूर अली : माननीय सदस्य ने मेरे प्रति नहीं सदन के प्रति व्यंग्य किया हैं। मैंने रिजर्वेशन करने की बात नहीं कही है। मैंने साफ कहा है कि चूंकि रिजर्वेशन नहीं है इसलिये मंत्री महोदय उनके लिये कोई व्यवस्था करेंगे ? उनकी व्यवस्था के लिये आगे क्या फिक्र है ?

श्री केदारनाथ : केन्द्र की ओर से माइनोरिटी कमीशन नियुक्त कर दिया गया है। वह इस ओर जागरुक है कि माइनोरिटी को किस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया जाय। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि केन्द्र के माइनोरिटी कमीशन की जो फाइन्डिंग्स होंगी और जो उनकी सिफारिशें होंगी उनके अनुसार राजस्थान में भी कार्यवाही की जावेगी।

श्री मंजूर अली : क्या यह उचित नहीं होगा कि अल्पसंख्यकों के हकों के लिये एक कमीशन यहां राजस्थान में भी कायम किया जाय जो उनके हकूक की देखभाल करे ?

श्री अध्यक्ष : यह कोई सप्लीमेन्ट्री प्रश्न नहीं है। सरकार के पास जो उत्तर था वह दे दिया। रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है।

श्री मंजूर अली : क्या राजस्थान में भी ऐसा करने के लिये सोचते हैं ?

श्री अब्दुल अजीज : सरकार की घोषणा भी है कि अल्प संख्यकों को प्रोटेक्शन

(श्री अब्दुल अजीज)
दिया जावेगा और मैनीफेस्टो जनता पार्टी का भी यही कहता है।

श्री गुल मोहम्मद : क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स की तरह इसके लिये भी रिजर्वेशन करेंगे······

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : माइनोरिटी कमीशन की नियुक्ति के बाद सारे ही देश में इस प्रश्न की पूरी देखभाल हो रही है। यह रिपोर्ट सारे हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आवेगी, माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री बंशीलाल सारस्वत।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-3-78)

बख्त सागर तालाब में गन्दे पानी के गिरने से उत्पन्न स्थिति

522. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि नागौर शहर के उत्तरी भाग का सारा गन्दा पानी, भिष्टा एवं मल मूत्र नालियों का बह कर पिछले चार मास से बख्त सागर तालाब में जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मलबे, मल-मूत्र से तालाब का पानी इतना गन्दा हो गया है कि आस पास के क्षेत्र में रहना ही दूभर हो गया है व उसमें बड़ी भयंकर गंध आती है ?

(3) यदि हां, तो स्थानीय अधिकारीगण एवं स्वायत्त शासन संस्था के प्रशासक इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य (श्री विज्ञान मोदी) : (1) शहर के उत्तरी पूर्वी हिस्से के कुछ भाग का गन्दा पानी बह कर तालाब में आता है।

(2) जी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है।

(3) नागौर शहर की इस समस्या के हल हेतु योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के सहयोग से बनाई जा चुकी है। वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे क्रियान्वित किया जा सकेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आप प्रश्नकर्त्ता को पूछने दीजिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत : क्या यह तालाब नागौर की जनता और समीपवर्ती गांवों के जानवर, मवेशी और लोगों के पीने के पानी के काम में आता है ? दूसरा प्रश्न, सितम्बर 77 से पहले क्या शहर का गंदा पानी इस तालाब में आता था या प्रशासक महोदय ने नयी योजना बनाकर सारा गन्दा पानी इस तालाब में डाल दिया है ?

श्री अध्यक्ष : और गत चार महीनों से यह गन्दा पानी तालाब में क्यों आ रहा है ? कर्मचारियों से जवाब तलब क्यों नहीं किया ?

(व्यवधान)

Page No. 19

(19)

(श्री अध्यक्ष)

क्या माननीय सदस्य उत्तर की अपेक्षा नहीं करेंगे ? आपकी इच्छा है तो पूछिये ।

श्री विज्ञान मोदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है····

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष ने भी प्रश्न पूछा है ।

(व्यवधान)

श्री विज्ञान मोदी : तथ्यों की जानकारी करवायी जावेगी और जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भीलवाड़ा के बारे में भी प्रश्न पूछा था "

(व्यवधान)

यह प्रश्न से सम्बन्धित है । राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले जिस तालाब में गन्दा पानी पड़ रहा है उसकी तो रुकावट करिये ।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय मन्त्री महोदय ने विश्वास दिलाया था कि राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स, भीलवाड़ा का गन्दा पानी भीलवाड़ा के तालाबों में आ रहा है वह नहीं आने दिया जावेगा लेकिन उसको रोका नहीं गया है । पांच साल से भीलवाड़ा के तालाबों में गन्दा पानी जा रहा है ।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मन्त्री महोदय ने यह फर्माया कि योजना बनायी जा रही है तो क्या उनके विचार में जो बीस सूत्री योजना बनायी गयी थी उससे यह सम्बन्धित है और उसी अनुसार उत्तर दिया है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : गन्दा पानी तालाब में न आवे इसके लिये वित्तीय स्थिति को नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि दूसरे विभागों में से रकम लेकर के इस काम को किया जाना चाहिये ।

श्री कौशलकिशोर जैन : भीलवाड़ा में भी बदबू फैल रही है -

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही महत्वपूर्ण भीलवाड़ा का नाम लेने से हो जाता है ।

श्री विज्ञान मोदी : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है यह सही है कि तालाब का पानी मवेशियों के पीने के काम में आता है । दूसरा मुद्दा उठाया, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के सामने बात लायी जावेगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा ।

कई माननीय सदस्य : क्या लायी जावेगी ? शिकायत ऑलरेडी की है ।

श्री नूरा : क्या शिकायत लायी जावेगी ?

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : क्या मंत्री महोदय इसका ही इन्तजार कर रहे थे कि कब शिकायत आये और कब कार्यवाही करें ?

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न अर्ज करना चाहता हूं ।

Page No. 20

(20)

(श्री बंशीलाल सारस्वत)
इसमें योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल तालाब में पानी डाला गया है उसको रोकने मात्र से काम चल सकता है। इसमें सिर्फ 500 रुपये ही लगेंगे। इसमें कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं, 500 रुपये से हो सकता है। दूसरी जगह पानी डाला जाये जैसे पूर्व में डाला जाता था।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि प्रशासक महोदय ने जहां पूर्व में पानी जाता था और जिन घरों के पास इकट्ठा होता था उन से मिलकर गलत जगह यह पानी डाला है ?

श्री विज्ञान मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैं यह बताना चाहूंगा कि नागौर कस्बे में पिछले कुछ अर्से से बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। उसकी वजह से इस तरह की समस्या उस कस्बे के अन्दर पाई जा रही है। फिर भी जो सूचना तालाब के बारे में माननीय सदस्य ने दी है उसके बारे में अलग से निवेदन कर चुका हूं। जहां तक इस समस्या के समाधान का सवाल है इसके निराकरण के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने लगभग 95 लाख रुपये की योजना बनाई है।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि तालाब में गन्दा पानी जाये ?

(व्यवधान)

क्या मंत्री महोदय चाहते है कि तालाब में गन्दा पानी जाये ?

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ तालाब है। इसमें कोई बरसात का पानी नहीं आता है। केवल नालियों का पानी डाइवर्ट करके डाला है। 95 लाख की योजना मंत्री महोदय बता रहे हैं यह दूसरी योजना है और इस से इसका कोई तारतम्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर ! अन्य सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तालाब में जो पानी इस समय डाला जा रहा है जो फ्लड को रोकने की योजना है वह इसमें शामिल नहीं है ? नम्बर 1 और नम्बर 2, अगर बख्तसागर में गन्दा पानी डाला जा रहा है और वह एन्टी फ्लड योजना के अन्दर नहीं है तो यह जो काम है इसके लिए क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ? यह जानना चाहता हूं।

श्री विज्ञान मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि तालाब, जिसका इस प्रश्न में उल्लेख किया गया है, फ्लड वाली योजना बनाई है उसमें सम्मिलित नहीं है। दूसरा जो उनका प्रश्न है कि पर्टीक्यूलर समस्या है गन्दा पानी वहां चला जाता है ...

श्री रघुनन्दन व्यास : चला नहीं जाता, डाला जाता है।

श्री विज्ञान मोदी : उसको रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क !

(व्यवधान)

एक प्रश्न और पूछ लेने दीजिये । 5 मिनट हो गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क !

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 28-3-78)

राज्य में खोले गये नये औषधालय

565. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1977-78 में कोई नये आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी औषधालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब-कब ? विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाइज सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इस वर्ष नये खोले गये औषधालयों से पूर्व उपरोक्त क्षेत्रों में कितने-कितने औषधालय कब कब से चालू थे ? निर्वाचन क्षेत्र वाइज सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) नये औषधालय खोलने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की हो तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) नये औषधालय खोलते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा गया ?

(5) इस समय कोई औषधालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां का कब कब से और उस पर अन्तिम निर्णय होकर कब तक औषधालय खोल दिये जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ;

आयुर्वेद मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) जी हां । वर्ष 1977-78 में 200 औषधालय खोलने की स्वीकृति दी गई है । विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाइज सूचना परिशिष्ट 1 सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) वांछित सूचना की सूची परिशिष्ट 2 पर सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला परिषद्, विधायक महोदयों तथा जनता से प्राप्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए औषधालय खोलने पर विचार किया जाता है ।

निर्धारित नीति निम्न प्रकार है :

1. ग्राम की जनसंख्या कम से कम एक हजार हो तथा प्रभावित जनसंख्या दो हजार हो ।

2. निःशुल्क भवन व्यवस्था हो ।

3. उस जगह व उसके आस पास के क्षेत्र में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो ।

4. भाग (3) के उत्तर में वर्णित बातों को ध्यान में रखा जाता है ।

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

5. जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, निःशुल्क भवन तो गांव में मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आप वहां कोई औषधालय नहीं खोलेंगे? इसके बारे में ढाबरिया जी ने वाक-आउट किया था। जहां भवन उपलब्ध होगा वहीं खोलेंगे तो मामला साफ हो गया।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : जो नीति है वह मैंने बता दी है आपको।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप चेन्ज करो इस नीति को।

श्री हरजीराम बुरडक : जो मंत्री महोदय ने सूची दी है उसको देखिये। जो आपने सिद्धांत बताये हैं वह उचित नहीं है। सांगानेर में पहले ही 13 औषधालय थे वहां आपने 6 और खोले हैं। जहां 4 या 5 थे वहां एक भी नहीं खोला। जैसे अजमेर में पुष्कर में 13 थे वहां आपने और खोले और दूसरी जगह नहीं खोले। नागौर में थे वहां नहीं खोले इसलिये आपकी नीति दोषपूर्ण है।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो आयुर्वेदिक औषधालय नगरपालिकाओं द्वारा संचालित है और जिनमें बजट के अभाव में दवाई के अभाव में पानी मिल रहा है उन औषधालयों को सरकार अपने हाथ में लेने का विचार रखती है या नहीं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सप्लीमेन्ट्री पूछा उसका जवाब तो दो।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस वर्ष औषधालय खोले गये हैं उनकी आधारभूत नीति यह रही है लेकिन कहीं परिवर्तित करके खोले गये हैं तो खोले गये होंगे। दूसरे आपने कहा है कि सरकार के पास विचाराधीन है तो ऐसी कोई नीति नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप चेन्ज नहीं करना चाहते हैं।

श्री हरजीराम बुडरक : एक सवाल है...

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

नैक्स्ट! श्री दाऊदयाल जोशी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 अप्रेल, 1978)

जयपुर में राष्ट्रीय संस्थान नाम की संस्था

704. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के नाम से एक संस्था केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से स्थापित की है? यदि हां, तो कब? इसकी रूपरेखा क्या है?

(2) इस संस्थान का बजट कितना है, इसकी विधि सम्मत स्थिति क्या है? इसमें कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें

(श्री दाऊदयाल जोशी)

क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं? क्या इसकी स्थापना संसद द्वारा स्वीकृत विधेयक द्वारा की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) इसकी वर्तमान व भावी योजनायें क्या हैं?

आयुर्वेद मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): (1) जी हां, जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का प्रारम्भ दिनांक 7 फरवरी, 19:6 को हुआ। संस्थान में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध औषधालय तथा क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान को सम्मिलित किया गया है। इसका पंजीकरण राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा किया गया है। संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थान का एक शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) है जिसमें 15 सदस्य हैं।

(2) संस्थान का वर्ष 197 -78 का संशोधित बजट रुपया 29.89 लाख रखा गया। जहां तक विधि सम्मत स्थिति का प्रश्न है संस्थान एक राजस्थान सोसाइटीज एक्ट के अधीन पंजीकृत संस्था है। यह राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। वर्तमान में संस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करना संस्थान का कार्य है। संस्थान की स्थापना संसद द्वारा स्वीकृत विधेयक द्वारा नहीं की गई है। संसद द्वारा संस्थान के लिए एक्ट और अध्यादेश पारित करवाकर अधिनियम आदि बनाने में अधिक समय लगने की वजह से संस्थान को शीघ्र प्रारम्भ कर देने के विचार से एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में केन्द्र और राज्य सरकार के मनोनीत सदस्यों के एक शासी निकाय का गठन कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

(3) वर्तमान योजनाएं निम्नलिखित हैं:—

1. राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार स्नातक स्तर की शिक्षा।

2. चिकित्सा विभाग में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा।

3. रोगियों के लिए उपचार सुविधायें।

4. अनुसंधान कार्य (आमवात ग्रहणियों आदि असाध्य एवं कठिन रोगों पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशन में शोध कार्य)

भावी योजनायें निम्न हैं:—

1. आगामी वर्ष में द्रव्यगुण एवं मौलिक सिद्धान्त विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का प्रारम्भ।

2 प्राचीन हस्तलिखित दुर्लभ आयुर्वेद ग्रन्थों की सुरक्षा तथा प्रकाशन व्यवस्था के लिए संग्रहालय एवं माइक्रो फिल्म प्रोजेक्ट स्थापित करना।

3. पुस्तकालय तथा वाचनालय का विस्तार।

4. प्रदर्शनालयों की व्यवस्था।

5. छात्र व छात्राओं के लिए पृथक छात्रावास।

6. वैद्य, कम्पाउण्डर एवं नर्सों के लिए रिफ्रेशर कोर्स चलाना।

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

7. संस्थान का भावी मास्टर प्लान।

8. सफल व योग्य अनुसंधानकर्त्ताओं को पुरस्कृत करना।

9. आगामी दशक में आयुर्वेद के अष्टांग में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करना।

10. आतुरालय में 500 शैयाओं की व्यवस्था करना (वर्तमान में 120 शैयायें ही हैं)।

11. औषध निर्माण हेतु वर्तमान रसायन शाला का समुचित विकास।

श्री दाऊदयाल जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से प्रश्न करना चाहता हूं। क्या यह सच है कि भूतपूर्व सरकार ने संस्थान की स्थापना जयपुर में कराने के लिए भारत सरकार को 10 लाख प्रदत्त करने का वचन दिया था? यदि हां तो वह वचन पूरा कर दिया गया?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि इस संस्थान को स्थापित हुए 2½ वर्ष से अधिक हो गया है और इस आयुर्वेद संस्थान के माननीय मन्त्री ही उपाध्यक्ष होते हैं? आज ढाई वर्ष के पश्चात् भी इसका एक्ट पास नहीं हुआ और एक्ट पास नहीं होने के कारण संस्थान का कार्य नियमित रूप से नही चल पा रहा है, और नहीं चलने के कारण इन ढाई वर्षों मे और इस वर्ष में कम से कम एक करोड़ रुपयों से अधिक की राशि लैप्स हुई है? ढाई वर्ष से आज तक आमबात जैसी महाव्याधि के लिए कोई कार्य नहीं हुआ, क्या यह बात सही है?

श्री त्रिलोकचन्द जैन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह विस्तृत रूप से नहीं कह सकता कि इस संस्थान के लिए कितनी राशि स्वीकार की गई है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यह जरूर है कि इस संस्थान के संचालन के वास्ते उसमें डाइरेक्टर नियुक्त नहीं होने के कारण कुछ कमियां हैं। इसको ठीक तरह से गठित करने की दृष्टि से एक चयन समिति बनाई गई है। श्री बोहरा, बड़ौदा राजकीय आयुर्वेद कालेज का चयन किया गया है लेकिन उन्होंने अभी जोइन नहीं किया। यदि वे आ जाते हैं तो ठीक है। इसके लिए गुजरात सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है। उनके आ जाने पर ही सारे संस्थान के ठीक तरह से संचालित होने की बात है। नहीं तो केन्द्रीय सरकार से भी इस पर बातचीत चल रही है। दूसरे व्यक्ति का चयन कर इस संस्थान को ठीक तरह से संचालित किया जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी: यह जो चिट्ठी लिखी है मैं समझता हूं कि छः महीने पहले चिट्ठी लिखी थी लेकिन आज तक ढाई साल होने के पश्चात् भी कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है। दुनिया भर में काम प्रारम्भ किया जा रहा है और हिन्दुस्तान में केवल यही एक आयुर्वेद संस्थान का गठन किया गया है। उसका ढाई वर्ष में डाइरेक्टर भी नियुक्त नहीं किया गया है। यह ऐसा पद नहीं है कि हिन्दुस्तान भर में ढूढ़ने की बात हो और डाइरेक्टर के पद के उपयुक्त व्यक्ति आपको नहीं मिल पाये। कब तक इस डाइरेक्टर की नियुक्ति हो जायगी? इसका निश्चित तिथि बतायें ढाई साल तो

(श्री दाऊदयाल जोशी)

निकल गये लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक निश्चित महीना बतायें कि दो महीने में, चार महीने में या छः महीने में डाइरेक्टर नियुक्त कर दिया जायगा। आप इस सम्बन्ध में आश्वासन दें।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि इस संस्थान में राज्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, तो मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या ढाई साल पहले आयुर्वेदिक कॉलेज, जयपुर और आयुर्वेदिक कॉलेज, उदयपुर के लिए आठ-आठ डिमान्स्ट्रेटर्स के पदों के लिए इन्टरव्यू होकर सलेक्शन हुआ था? आठ व्यक्ति जो उदयपुर आयुर्वेदिक कॉलेज के लिये सलेक्ट हुए थे, उनकी तो पूर्ति कर दी गई, लेकिन जिन 8 व्यक्तियों का सलेक्शन आयुर्वेदिक कॉलेज, जयपुर के लिए हुआ था उनको अपाइन्टमेंट नहीं दिया गया। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन 8 व्यक्तियों का सलेक्शन डिमान्स्ट्रेटर के पद के लिए हुआ था उनको संस्थान में लगाने की कृपा करेंगे?

श्री गंगासहाय (कठूमर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो राशि लेप्स हुई है क्या इसका कारण यह नहीं है कि आयुर्वेद के शोध के लिये जो विद्यार्थी संस्थान में आये थे उनको वह राशि नहीं दी गई और आज तक राजस्थान सरकार ने कुछ भी लिखा-पढ़ी नहीं की? इस वर्ष अधिक राशि लेप्स हुई है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार से अन्तिम पत्र-व्यवहार किया गया वह जनवरी, 78 में किया है। मैं जब दिल्ली गया था तो वहां पर विभाग के सचिव महोदय से कह कर आया था कि इसके बारे में जल्दी ही निर्णय हो। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार से सम्पर्क चालू है। इस वर्ष भारत सरकार को राशि मिली है। वह पूरी तरह से सचेत है कि जल्दी से जल्दी यहां पर जिन डाइरेक्टर का चयन हुआ है वह आ जाय नहीं तो उसके बारे में दूसरा नियमानुसार कदम उठा लिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, इस संस्थान में जिन प्राफेसर्स और लेक्चरर्स का चयन हुआ था, उनकी सेवाओं के बारे में कुछ निश्चित नहीं हो पाया इसलिये उनका स्थानान्तरण नहीं हो पाया। इसमें जल्दी की जा रही है। इस सम्बन्ध में जल्दी ही समाधान किया जायगा। राशि के लेप्स होने का कारण मालूम नहीं है कि किस कारण से लेप्स हुई है। इसकी जानकारी करके माननीय सदस्य को भेज दी जावेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्द सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं। उनके उत्तर नहीं मिल पाते हैं। गंगापुर-दौसा-जयपुर मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। दौसा से गंगापुर चलने वाली प्राइवेट बसों की अवधि समाप्त हो चुकी है और रोडवेज की एक बस चलती है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्द सहाय : दौसा से जो बसें चलती हैं उनकी अवधि आपने बढ़ाई है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कल भी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील शेरगढ़ के ग्रामों का विद्युतीकरण

491. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील शेरगढ़ के निम्नलिखित गांवों का बिजलीकरण इस वर्ष होना था : (1) चोरड़िया (2) खिमासरिया (3) देचू (4) जिठानिया (5) कलाऊ (6) चाचलवा (7) चामू ? अगर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक इन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ?

(2) क्या पंचायत समिति, शेरगढ़ तथा बालेसर की आर.ई.सी. स्कीम स्वीकृत हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। देचू पर 132/33 के. वी. सब-स्टेशन बनने में देरी के कारण प्रश्न में वर्णित ग्रामों को विद्युतीकरण नहीं हो सका।

(2) जी हां। शेरगढ़ पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना अभी हाल ही में स्वीकृत हो चुकी है। बालेसर पंचायत समिति के 4 नये ग्रामों का विद्युतीकरण व 6 पहले से विद्युतीकृत ग्रामों में 207 ट्यूब वैल्स/कुओं के कनेक्शन देने का प्रावधान "ड्रॉट-प्रोन-एरिया प्रोग्राम" योजना में किया गया है।

तहसील केशोरायपाटन के ग्रामों को सिंचाई सुविधा

492. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील केशोरायपाटन में झालीजी का बराना नहर भाखर से ग्राम बोरंदा चौतरा-का-खेड़ा माल में खेतों की सिंचाई होती है या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि विगत दिनों में तहसील केशोरायपाटन ग्राम अरडाना चरडाल में सिंचाई नहर टूटी है ? यदि हां तो कब ?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(3) उक्त नहर के टूटने से कितने किसानों की कितनी फसल का नुकसान हुआ और क्या इसका सर्वे करवाया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सिचाई होती है।

(2) जी हां। दिनांक 30-12-77 की चन संख्या 1368 के पास दाईं तरफ नहर टूटी थी।

(3) जी हां। फसल नुकसान का सर्वे कर क्षति की जांच प्रक्रिया जारी है जिसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही फसल नुकसान की सही जानकारी उपलब्ध की जा सकेगी।

पांचना बांध, करौली का निर्माण कार्य

493. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि करौली जिला सवाई माधोपुर में पांचना बांध योजना का सर्वे सन् 66 में हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि पांचना योजना के लिए इस वर्ष 28 लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक वहां पर कार्य शुरू नहीं किया है ? इसका क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति देने पर भी विभाग के द्वारा उपेक्षा बरती जा रही है ?

(5) क्या यह सही है कि इस योजना से उत्पादन में काफी वृद्धि होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। योजना का सर्वे वर्ष 1969-70 में किया गया था।

(2) जी नहीं। वर्ष 1977-78 में 30 लाख रुपये का प्रावधान था।

(3) जी नहीं। योजना पर कार्य चल रहा है। प्राथमिक स्तर के कार्य जैसे आवासीय भवन व एप्रोच रोड का कार्य चल रहा है व लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है।

बांध की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार वेस्ट वियर का जो स्थल प्रस्तावित था वह विस्तृत सर्वेक्षण करने पर उपयुक्त नहीं पाया गया। दो अन्य स्थलों हेतु प्रस्ताव बनाये गये है व विचाराधीन हैं। इन पर पूर्ण विचार कर जो स्थल तकनिकी आधार व आर्थिक दृष्टिकोण से मितव्ययी पाया जावेगा वहीं वेस्ट वियर का निर्माण किया जावेगा।

(4) विभाग द्वारा किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं की जा रही है।

(5) जी हां। इस योजना के पूर्ण हो जाने पर लगभग 27789 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी जिससे स्वाभाविक है कि उत्पादन बढ़ेगा।

तहसील गोगुन्दा के ग्रामों का विद्युतीकरण

494. श्री भूरा लाल (गोगुन्दा): क्या बिजली मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने माह नवम्बर में गोगुन्दा तहसील के 102

(श्री भूरालाल)
गांव में बिजली पहुंचाने व कुओं पर मोटर लगाने के लिए विद्युतीकरण की घोषणा की थी? यदि हां, तो बिजली लगाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है?

उत्तर

जी हां। अक्टूबर, 77 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने पंचायत समिति, गोगुन्दा क्षेत्र की एक योजना स्वीकृत की है जिसमें गोगुन्दा क्षेत्र के 110 (जिनमें 6 नॉन पोटेन्शियल हैं) ग्रामों का विद्युतीकरण सम्मिलित है। योजना पर कार्य चालू करने की प्रारम्भिक कार्यवाहियां पूरी की जा चुकी हैं और एस्टीमेट आदि भी बन चुके हैं। आवश्यक सामान एकत्रित किया जा रहा है। शीघ्र ही गांवों के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

तहसील सलूम्बर क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई योजना

495. श्री मावजी भाई (सलूम्बर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सलूम्बर क्षेत्र के विकास के लिए 5 लिफ्ट इरिगेशन योजना चालू की गई थी तथा कोई भी लिफ्ट योजना कामयाब नहीं हुई है, इस सम्बन्धी जांच का आवेदन-पत्र भी दिया गया, परन्तु काश्तकारों को सन्तोषप्रद जवाब नहीं मिला तथा गरीबों पर अतिरिक्त वसूली डाली जा रही है, उसकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों नहीं हुई?

उत्तर

सलूम्बर क्षेत्र के विकास के लिए सिंचाई विभाग द्वारा कोई लिफ्ट इरिगेशन योजना नहीं लगाई गई थी। अतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

टीडी नदी, उदयपुर पर पुल का निर्माण

496. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, जो एक केन्द्रीय औद्योगिक संस्थान है, के लिए टीडी नदी पर उदयपुर से 20 मील दूर बांध का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था? इसमें कितनी राशि का प्राक्कलन स्वीकृत हुआ तथा सिंचाई विभाग ने इस कार्य को कितनी राशि में पूर्ण किया या अधूरा छोड़ दिया?

(2) यह कार्य ठेकेदारों की मार्फत कराया गया या विभाग द्वारा स्वयं किया गया? क्या कार्य को विभागीय तौर पर कराने के लिये सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली गयी?

(3) क्या यह सही है कि यह कार्य विभाग द्वारा स्वयं कराया गया एवं अधिशासी अभियन्ता ने इसमें लगाये गये सामान का नियमित लेखा मेटीरियल एट साइट अकाउन्ट नहीं रखा? क्या इस कार्य की गड़बड़ियों की जांच करने के लिये मुख्य अभियन्ता को राज्य सरकार ने आदेश दिये थे लेकिन स्वयं मुख्य अभियन्ता ने जांच न करके एक लेखाधिकारी से जांच करवायी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जिसने झूठे लेखे तैयार करवाकर पत्थर सीमेन्ट गिट्टी आदि का उपयोग सही साबित करने की कोशिश की ?

(4) क्या यह सही है कि वास्तव में जितना सामान लगाना चाहिये उसका दुगुना सामान खरीदा गया व प्रचलित दरों से काफी ऊंची दर पर उसका भुगतान किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता ने यह सब कार्य एक ट्रक ड्राइवर बलवन्तसिंह के द्वारा मिल कर किया जो आज कई लाख रुपये की सम्पत्ति का मालिक है एवं सिंचाई विभाग का 'ए' क्लास ठेकेदार है ?

(6) क्या यह सही है कि चूंकि अधिशासी अभियन्ता मुख्य अभियन्ता के भाई थे इसलिये इस सारी जांच पर लीपा-पोती कर दी गई, इससे हिन्दुस्तान जिंक ने यह कार्य सिंचाई विभाग से वापस ले लिया तथा विभाग की बकाया राशि, जो एक लाख रुपये से ऊपर है, देने से इन्कार कर दिया ?

उत्तर

(1) जी हां। मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए सिंचाई विभाग द्वारा टिडी बांध का कार्य डिपोजिट वर्क के रूप में कराया गया था।

इस बांध का प्राक्कलन रु. 99.60 लाख का स्वीकृत हुआ था। सिंचाई विभाग द्वारा रु. 77.87 लाख का कार्य सितम्बर 1974 तक संपन्न कराया गया। शेष राशि का कार्य मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से आवश्यक धनराशि प्राप्त न होने के कारण नहीं कराया जा सका व बांध की उसी स्थिति में उक्त फर्म को सौंप दिया गया।

(2) यह कार्य मुख्यतः विभागीय प्रणाली पर कराया गया।

(3) योजना पर नियुक्त कर्मचारियों में से कुछ ने विधिवत् व नियमानुसार लेखे नहीं रखे जिसकी जांच वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, जयपुर द्वारा करवाई गई थी। जांच के परिणामों के अनुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यह सही है कि लेखाधिकारी ने झूठे लेखे तैयार करवाकर पत्थर, सीमेन्ट, गिट्टी आदि का उपयोग सही साबित करने का प्रयत्न किया। मुख्य अभियन्ता स्वयं द्वारा जांच करने हेतु कोई आदेश राज्य सरकार ने नहीं दिये थे।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

जांच के समय योजना पर नियुक्त अधिशासी अभियन्ता तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के भाई नहीं थे व न ही वर्तमान मुख्य अभियन्ता के भाई उस समय वहां इस पद पर नियुक्त थे। प्रारम्भिक जांच के निष्कर्ष के अनुसार दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। हिन्दुस्तान जिंक द्वारा कार्य वापस ले लेने का प्रश्न नहीं था अपितु विभाग द्वारा ही आवश्यक राशि न मिलने की स्थिति में कार्य जिंक लिमिटेड

Page No. 30

(30)

(श्री सिंचाई मंत्री)
को सौंप दिया गया। अभी इ फर्म से रु. 5.62 लाख की राशि मिलनी शेष है जिसके बारे में पत्र-व्यवहार चल रहा है।

नवलगढ़ विद्युत् मंडल

497. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नवलगढ़ विद्युत् मण्डल के अधीन कितने उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन दिया गया है? नामावली सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) इस वर्ष झुन्झुनूं जिले में कितने लोगों को अब तक बिजली कनेक्शन दिया गया है और कितना विभाग का लक्ष्य था? क्या यह सही है कि अभी तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो रही है?

(3) झुन्झुनूं जिले में कितनी अपीलें मुख्य अभियन्ता विद्युत् के अधीन विचारार्थ हैं और कब से है? इन अपीलों को सुनने में देर क्यों हुई?

(4) क्या यह बात सही है कि इन अपीलों के चालू रहने से विद्युत् मण्डल को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है? यदि हां, तो विद्युत् मण्डल इन अपीलों पर कब तक उचित कार्यवाही करवा सकेगा?

(5) राज्य में विद्युत् मण्डल का कितना राजस्व उपभोक्ताओं में बकाया है और इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) नवलगढ़ ओ. एण्ड एम. आर. ई. सी. उप-खण्डों में 28.2.78 तक के उपभोक्ताओं की संख्या 9890 है। इनमें से 2,224 कृषि और 7,665 अन्य कनेक्शन हैं।

(2) इस वर्ष झुन्झुनूं जिले में अप्रेल, 77 से फरवरी, 78 तक 917 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। मार्च, 78 में 300 से अधिक कनेक्शन होने की संभावना है। वृत स्तर पर झुन्झुनूं जिले के लिए 1,150 कृषि कनेक्शन देने का निश्चय किया गया था।

(3) झुन्झुनूं जिले से विभिन्न समयों व विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्राप्त कुल 379 अपीलें इस समय मुख्य अभियन्ता कार्यालय में विचाराधीन हैं। इन अपीलों को मई, 77 के बाद से मुख्य अभियन्ता कार्यालय में मगवाना प्रारम्भ किया गया। उपभोक्ताओं ने अपीलें सीधे मुख्य अभियन्ता कार्यालय में न देकर उप-खण्डों में अपील दे दी थी जो समय समय पर कर्मचारियों को भिजवाकर एक जगह एकत्रित करवाई गई। अपीलों को निपटाने से पहले प्रत्येक उपभोक्ता का रिकार्ड संकलित करना होता है जिसके कारण अपीलों की सुनवाई तथा निर्णय में कुछ विलम्ब होना स्वाभाविक है। झुन्झुनूं जिले की अपीलों से पहले श्री माधोपुर की अपीलें निपटाया जाना था। इसके अतिरिक्त 1977-78 के गांवों व कुओं के विद्युतीकरण के संशोधित लक्ष्यों की पूर्ति के कारण मुख्य अभियन्ता अत्यधिक व्यस्त रहे। इन कारणों से भी अपीलें निपटाने में भी कुछ विलम्ब हुआ।

(श्री विद्युत् मंत्री)

(4) जी नहीं। अपीलों को सुनने की उचित कार्यवाही शीघ्र ही प्रारम्भ की जा रही है।

(5) दिसम्बर, 1977 के अन्त तक विभिन्न उपभोक्ताओं में विद्युत् मण्डल की बकाया राशि 21, 95, 77, 693 है। बकाया राशि रहने के मुख्य कारण निम्न-लिखित है :—

1) नगरपालिकाओं/पंचायत समितियों द्वारा रोड लाइट संबंधी विद्युत् उपभोग की राशि जमा नहीं कराना।

2) कुछ बड़े उपभोक्ताओं (लार्ज एवं मीडियम इण्डस्ट्रीज) द्वारा राजस्व संबंधी मामलों में न्यायालयों से स्टे प्राप्त करना।

3) वाटर वर्क्स एवं अन्य सरकारी कार्यालयों द्वारा बिजली उपभोग की राशि जमा कराने में देरी।

4) इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के अधीन विभागों मुख्यत: रेलवे द्वारा टैरिफ सम्बन्धी पाइन्ट उठाकर समय पर बिल का भुगतान करने में देरी आदि आदि।

सहायक अभियन्ता (विद्युत्) के पद पर नियुक्ति

498. श्री हरीश शर्मा (रामगंज-मण्डी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि दिनांक 31-12-75 तक सहायक अभियन्ता के पद पर तत्कालीन अध्यक्ष विद्युत् मण्डल ने प्रतिबन्ध लगा दिया था ? यदि हां, तो फिर 29 जून, 75 एवं 16 अक्टूबर, 76 को सहायक अभियन्ता सीधी भर्ती से क्यों नियुक्त किये गये हैं ?

(2) क्या इस सीधी भर्ती में विभाग के उच्च अधिकारियों का कोई निजी स्वार्थ था ? यदि नहीं, तो फिर जिन्होंने सन् 76 में डिग्री की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें सीधी भर्ती द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति क्यों दी गई ?

(3) क्या यह सच है कि विज्ञापन के द्वारा 25 सहायक अभियन्ताओं के पद रिक्त बताये गये थे लेकिन क्या 45 सहायक अभियन्ता नियुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या विज्ञापन की यह भी शर्त थी कि सहायक अभियन्ताओं के आशार्थियों को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना था ? क्या उपरोक्त भर्तियों में यह प्रक्रिया मंडल द्वारा अपनाई गई थी ? यदि नहीं तो क्यों ?

(5) क्या विज्ञापन की यह भी शर्त थी कि सभी सहायक अभियन्ताओं को 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना था एवं इस प्रशिक्षण काल में 600/- प्रति माह भत्ता देना था किन्तु उन सहायक अभियन्ताओं को सीधा सहायक अभियन्ता का वेतन दिया गया और कोई प्रशिक्षण नहीं लिया ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(श्री हरीश शर्मा)

(6) क्या राज्य सरकार इस सीधी भर्ती को रोकेगी ?

(7) क्या राज्य सरकार उन कनिष्ठ अभियन्ताओं को पदोन्नत करेगी जो कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर वर्षों से राज्य सरकार की सेवा कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) विद्युत् मण्डल ने जून, 1975 में यह निर्णय लिया था कि 31-12-1975 तक सहायक अभियन्ताओं की सीधी भर्ती न की जाये एवं रिक्त स्थान डिग्री और डिप्लोमाधारियों, जो कनिष्ठ अभियन्ता एवं ओवरसियर के स्थान पर कार्य कर रहे थे, की 3:1 के अनुपात में पदोन्नति द्वारा भर लिये जाये। तदनुसार 1975 में सहायक अभियन्ता की कोई सीधी भर्ती नहीं हुई और न ही कोई भर्ती 29 जून 1975 को हुई। 16-10-76 को सीधी भर्ती इसलिए की गयी क्योंकि 31-12-75 के बाद सीधी भर्ती पर मण्डल द्वारा कोई रोक नहीं थी।

(2) जी नहीं। मण्डल ने दिनांक 6-8-76 को विज्ञापन जारी कर उन सभी उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये थे जिनका परीक्षाफल वर्ष 1976 में घोषित किया गया था तथा जो उक्त पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखते थे।

(3) जी हां। उस समय रिक्त स्थानों को ध्यान में रखते हुए 25 इलेक्ट्रिशियन एवं 2 इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेलिकम्युनिकेशन के लिए विज्ञापन निकाला गया था। परन्तु परीक्षा का परिणाम निकलने तक जब और स्थान रिक्त हो गये तो परीक्षा में उत्तीर्ण सभी 42 विद्युत एवं 2 इलेक्ट्रोनिक्स एवं टेलिकम्यूनिकेशन के व्यक्तियों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार की भर्ती में कोई अनियमितता नहीं थी।

(4) जी नहीं। विज्ञापन में यह उल्लेख था कि जो प्रार्थी लिखित परीक्षा में योग्य पाये जायेंगे उन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। वास्तव में ऐसा ही किया गया।

(5) जी हां। किन्तु राज्य सरकार के जनशक्ति विभाग द्वारा स्पष्टीकरण किये जाने पर कि रोजगार प्रवर्तन कार्यक्रम केवल 31-3-76 तक ही लागू था और इस तिथि के पश्चात् इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिये नियुक्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। इन सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण पर रखने के बजाय नियमित रूप में नियुक्त कर लिया गया। इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति समय समय पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुपात में नियमानुसार की जाती है तथा भविष्य में भी की जाती रहेगी।

मारगिया बांध का निर्माण कार्य

499. श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मारगिया बांध के निर्माण का कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया ?

(श्री अमृतलाल परमार)
क्या इसलिये कि वहां की जनता ने गत वर्षों मारगिया बांध में हुए तीन लाख के घोटाले की जांच की मांग की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सत्य है कि कमला आंवा प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य अव्यवस्थित एवं धीमी गति से चल रहा है ? जितना बुकिंग मार्च तक होना चाहिये था वह नहीं हो पा रहा है और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पैसे को अनावश्यक सामान खरीदने में खर्च कर बुकिंग दिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सत्य है कि अधिशासी अभियन्ता श्री आर. सी. अरोड़ा ने सोम कमला आंवा प्रोजेक्ट खण्ड में लम्बे समय से कार्यरत कुछ तकनीकी व्यक्तियों को सरप्लस कर दिया क्योंकि सई प्रोजेक्ट के सरप्लस स्टाफ को वे समावेश देना चाहते थे ? क्या नये स्टाफ को रखने के लिये पुराने स्टाफ को सरप्लस करने की कोई निर्धारित नीति है या श्री अरोड़ा ने अपने स्वार्थवश ऐसा किया है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस भ्रष्टाचार को रोकने के क्या प्रभावशाली कदम उठाये ?

उत्तर

(1) मारगिया बांध के निर्माण का कार्य योजना की प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति न होने के कारण प्रारम्भ नहीं कराया गया है। यह कहना सही नहीं है कि कथित घोटालों की जांच हेतु जनता द्वारा मांग किए जाने के कारण कार्य शुरू नहीं किया गया।

प्रशासनिक स्वीकृति होने पर वर्ष 1978-79 में कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

(2) जी नहीं। सोम कमला आंवा परियोजना का कार्य निश्चित गति से चल रहा है व योजना हेतु आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) जी नहीं। सोम कमला आंवा परियोजना खण्ड नव सृजित खण्ड है। सई परियोजना खण्ड कार्य की समाप्ति पर दिनांक 31-1-1978 को समाप्त किया गया। वहां कार्यरत कर्मचारियों का सिंचाई निर्माण वृत्त में अन्यत्र समायोजन करना आवश्यक था। सई परियोजना खण्ड से कई अनुभवी व कार्य में दक्ष 34 अभियन्ता उपलब्ध हुए जिन्हें सोम कमला आंवा योजना जहां कुछ उप अभियन्ता नये एवं अनुभवहीन थे, पर कार्यहित व जनहित को दृष्टिगत करते हुए लगाया गया। फलस्वरूप 17 उप अभियन्ता में से केवल 5 को अन्यत्र भेजा गया। इस कार्यवाही में श्री अरोड़ा अधिशासी अभियन्ता का कोई स्वार्थ निहित नहीं था। कथित भ्रष्टाचार हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

मेड़ता के कृषकों के विद्युत कनेक्शन हेतु विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

500. श्री रामदेव चोधरी (मूण्डवा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मेड़ता आर. एस. सी. व ओ. एन. एम. के पास 1977-78 में कितने

(श्री रामदेव चौधरी)
कनेक्शन के प्रार्थना-पत्र आये जिनमें से कितनों को कनेक्शन 28-2-78 तक दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि काश्तकारों को कई माह बाद सिक्योरिटी भरने के बाद माह जनवरी व फरवरी, 78 में कनेक्शन दिये गये ? यदि हां, तो विलम्ब से कनेक्शन दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सामान की वजह से कनेक्शन लेट हुए ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि मेड़ता विद्युत् मण्डल में केपेसिटर के रुपये काश्तकारों से सिक्योरिटी के साथ जमा कराये गये? अगर हां, तो कितने काश्तकारों के केपेसिटर के रुपये जमा हुए ? कितने केपेसिटर लगे ?

(5) क्या यह सही है कि काश्तकारों से केपेसिटर के रुपये जमा कराने के बाद आज तक केपेसिटर नहीं दिये गये ? यदि हां तो ऐसे कितने काश्तकार हैं व उनके नाम क्या हैं ? क्या अब राज्य सरकार जिनके केपेसिटर नहीं लगे हैं उनके रुपये लौटाये जाने की कार्यवाही कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1977-78 में मेड़ता ओ. एण्ड एम. एवं आर. ई. सी. उपखण्डों में विद्युत कनेक्शनों के लिये 1560 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। दिनांक 28-2-78 तक इसी अवधि में 577 आवेदकों को कनेक्शन दे दिये गये है।

(2) जी नहीं। सिक्योरिटी तथा सर्विस लाइन आदि की रकम जमा कराने के पश्चात् काश्तकारों द्वारा अन्य औपचारिकताएं जैसे 'एल' फार्म देना व अपने कुए पर मोटर पम्प की फिटिंग आदि पूरी कराने के पश्चात् ही कनेक्शन दिये जा सकते हैं। कनेक्शन में देरी का मुख्य कारण 'एल' फार्म जमा कराना और फिटिंग आदि का कार्य पूरा होने में देरी होना है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नही उठता।

(4) जी हां। 103 उपभोक्ताओं द्वारा केपेसिटर के रुपये जमा कराये गये। इनमें से 32 के केपेसिटर लगाये जा चुके हैं और शेष के केपेसिटर लगाने का कार्य चालू है।

(5) केवल 71 काश्तकारों के कनेक्शनों पर केपेसिटर लगाने का कार्य अब किया जा रहा है। वांछित सूचना 'ए' संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

तहसील शेरगढ़ का विद्युतीकरण

501. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में आज भी कितने तहसील मुख्यालय हैं जहां विद्युत् नहीं पहुंची है ?

(2) शेरगढ़ में विद्युत् लगाने की क्या योजना है ? कब तक साकार हो सकेगी ?

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(3) तहसील शेरगढ़ के कितने गांवों में मार्च, 79 तक बिजली पहुंचा दी जायगी ?

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 31-3-78 तक 8 तहसील मुख्यालय अविद्युतीकृत हैं।

(2) शेरगढ़ पंचायत समिति के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना अभी हाल ही में स्वीकृत हुई है। जिसमें शेरगढ़ तहसील मुख्यालय का विद्युतीकरण सम्मिलित है। इस योजना पर कार्य वर्ष 78-79 में आरम्भ हो जायेगा।

(3) शेरगढ़ तहसील में मार्च, 79 तक 8 नये ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित हैं।

राज्य में पीने के पानी की व्यवस्था

502. श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अगले पांच वर्षों में राज्य सरकार राज्य में जहां पीने के पानी की कमी है वहां क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

(2) क्या भारत सरकार ने पीने की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार को बजट आवण्टित किया है ? यदि हां, तो कितना व किस आधार पर ?

(3) राज्य में कितने गांवों में पीने के पानी का अभाव है और उनमें से कितने प्रतिशत गांवों में व्यवस्था हो चुकी है और आने वाले पांच सालों में क्या शेष गांवों में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जा सकेगी ?

(4) गांवों में नल योजना के जरिये पानी की जो व्यवस्था होज व टंकियां बना कर की जा रही है क्या उसमें जनसंख्या के अलावा मवेशियों, भेड़ बकरियों व ऊंट इत्यादि की संख्या भी सम्मिलित की जाती है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) पीने के पानी की व्यवस्था हेतु जो होज अथवा टंकी बनाई जाती हैं वह मौजूदा जनसंख्या व मवेशियों की संख्या के आधार पर बनाई जाती हैं अथवा आगामी कितने वर्षों की जनसंख्या व मवेशियों की वृद्धि की संख्या के आधार पर बनाई जाती हैं ?

(6) जोधपुर जिले में ऐसी कितनी योजनाओं के अन्तर्गत गांव आये हुए हैं जहां पर पिछली गर्मियों में दो-दो माह तक पीने के पानी की सप्लाई नहीं की जा सकी ? उन ग्रामों की सूची जहां पर पानी नहीं पहुंचाया जा सका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या यह सही है कि बिजली बन्द हो जाने से वोल्टेज कम आने अथवा पम्प खराब या जल जाने के कारण कई दिनों तक ट्यूब वैल बन्द रहते हैं और गांवों में पानी नहीं पहुंच पाता है ? इसमें सुधार के लिए विभाग ने क्या योजनाएं बनाई हैं ?

(8) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी की लापरवाही व मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने व अधिकारियों द्वारा समय पर पूर्ण देखरेख व निगरानी नहीं करने के कारण गांवों की नल योजनाएं अक्सर बन्द रहती हैं ? यदि हां, तो क्या विभाग ने आज दिन तक उन

(श्री रामसिंह विश्नोई)
अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार पेयजल समस्या से ग्रस्त ग्रामों में जिला आयोजना समिति से प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर धन की उपलब्धि के अनुसार समस्या के समाधान हेतु कटिबद्ध है।

(2) जी हां। भारत सरकार ने त्वरित कार्यक्रम एवं सूखा संभावित कार्यक्रम के तहत राजस्थान में अत्यधिक पेयजल समस्या से ग्रस्त ग्रामों के लिए वर्ष 77-78 में 3.60 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी।

(3) वर्ष 1973-74 में राजस्थान के समस्त ग्रामों के भू-जल का सर्वेक्षण किया गया जिसके अनुसार कुल 3',281 ग्रामों में से 24,037 ग्रामों में किसी न किसी प्रकार की पेयजल समस्या पाई गई। सन् 1978 के अन्त तक स्वीकृत की गई विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं के तहत 4146 ग्राम सम्मिलित किए जा चुके हैं। लगभग 16.6% समस्या ग्रस्त ग्रामों के लिये योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। धन की उपलब्धि के अनुसार राज्य सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों के समाधान के लिए कटिबद्ध है।

(4) जी नहीं। उपलब्ध सीमित धनराशि को देखते हुए 1971 की जनगणना को आधार बनाकर मनुष्यों की जनसंख्या के आधार पर योजना बनाई जाती है। अगले 30 वर्षों की सम्भावित जनसंख्या के लिए 10 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से योजना बनाई जा रही है।

(5) पानी की व्यवस्था हेतु प्रत्येक होज अथवा टंकी मनुष्यों की 1971 की जनसंख्या के आधार पर अगले 30 वर्ष की डिजाइन जल क्षमता निकालकर के बनायी जाती है। मवेशियों की संख्या का योजना में कोई प्रावधान नहीं रहता है।

(6) इस जिले के अधीन एक ग्रामीण जल प्रदाय योजना लाम्बावाला मालकोसनी के अन्तर्गत कुछ तकनीकी कमियों के कारण ग्राम रामपुरा, भाटिया, रामासनी ओलवी एवं ग्राम सितारी में पिछली गर्मियों में पानी नहीं जा सका। अब इन गांवों में 1 जून, 1977 से सुचारु रूप से जल वितरित किया जा रहा है।

(7) बिजली बन्द होने एवं वोल्टेज कम प्राप्त होने पर नलकूप कुछ समय के लिए बन्द करने पड़ते हैं। एवं पम्प खराब हो जाने पर जल वितरण में बाधा उत्पन्न होती है। पम्प खराब हो जाने पर शीघ्र ही दूसरा पम्प लगाकर योजना चालू की जाती है। वोल्टेज सही उपलब्ध कराने के लिए विद्युत् विभाग से सम्पर्क किया जाता है।

(8) जी नहीं।

ग्राम भंवर पंचायत समिति लूणी की नल योजना

503. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर के गांव भंवर की नल योजना के

(श्री रामसिंह विश्नोई)
सम्बन्ध में भारत सरकार से कब व कितनी रकम अनुदान के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त हुई ?

(2) क्या यह सही है कि रकम जमा होने के कुछ दिनों बाद राज्य सरकार ने डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत जोधपुर जिला आ जाने से अनुदान की राशि अंशदान के रूप में विभाग से लेना बन्द कर दिया ? अगर हां, तो जमा शुदा रकम कब तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत को लौटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम भंवर की जल योजना हेतु मार्च, 1968 में रु. 7835.00 की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई।

(2) उक्त योजना के लिए अनुदान की राशि माह मार्च, 1968 में प्राप्त हुई जब कि अनुदान की राशि लेना सन् 1974 में बन्द किया था। योजना सन् 1971 में स्वीकृत हो गई थी इसलिए अनुदान की राशि लौटाने का प्रश्न नहीं उठता है।

डीजल व ब्लास्टर ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति

504. श्री रामनारायण (बिलाड़ा) : क्या मुख्य कार्मिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भू-जल विभाग में डीजल ब्लास्टर की ट्रेनिंग किये हुए कितने बेरोजगार हैं ?

(2) राज्य सरकार इनको कब तक सर्विस में लगा देगी ? क्या उन ट्रेनिंग प्राप्त बेरोजगारों की उम्र अधिक होने पर उनकी सर्विस में बाधा नहीं आयेगी ?

उत्तर

(1) ब्लास्टर का कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नहीं है। ड्रिलिंग के प्रशिक्षण की कोई संस्था राज्य में नहीं अतः प्रशिक्षण प्राप्त ड्रिलर के बेरोजगार होने का प्रश्न नहीं उठता। असिस्टेन्ट ड्रिलर के प्रशिक्षण प्राप्त 66 व्यक्ति बेरोजगार हैं।

(2) रिक्त पद उपलब्ध होने पर सहायक बेच के प्रशिक्षणार्थियों का रोजगार होना सम्भव होगा।

दांतारामगढ़ जल प्रदाय योजना

550. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दांता रामगढ़ जल प्रदाय योजना में कनिष्ठ अभियन्ता का मुख्यालय है ? अगर हां, तो कब से तथा कौन कौन कनिष्ठ अभियन्ता वहां पर हैं ?

(2) क्या यह सही है कि दांता में हरिजन (खटीकान) बस्ती मे पाइप लाइन डालने हेतु तीन माह से पाइप रखे हुए हैं ? अगर हां, तो कनिष्ठ अभियन्ता ने आज तक पाइप लाइन क्यों नहीं डलवाई, क्या कारण हैं ?

(3) कनिष्ठ अभियन्ता, सीकर कब, क्यों किस कारण से गये ? पूर्ण विवरण मय तारीख माह सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री परसराम मोरदिया)

(4) क्या यह भी सही है कि कनिष्ठ अभियन्ता ने बिना योजना कई पाइप कनेक्शन दिये हैं ? अगर हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार अन्य योजना में भी ऐसा प्रावधान करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह भी सही है कि कनिष्ठ अभियन्ता सीकर शहर के रहने वाले हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 25-8-77 से। इसी दिनांक से श्री विमल कुमार जैन कनिष्ठ अभियन्ता वहां पर कार्यरत हैं।

(2) जी हां, पाइप लाइन डालने के आदेश दिनांक 3-2-78 को दिये जा चुके है, एवं दिनांक 22-3-78 को लाइन्स डालने हेतु पूर्ण सामान भी उपलब्ध करवा दिया गया है। ठेकेदार को कार्य शीघ्र करने के लिये नोटिस भी दिया जा चुका है। आशा है शीघ्र ही कार्य पूर्ण हो जायेगा।

(3) कनिष्ठ अभियन्ता ने टी. ए. बिल तथा डेली डायरी प्रस्तुत नहीं की है अतः पूर्ण विवरण डेली डायरी देने पर ही संभव हो सकेगा। कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता निर्देशानुसार आवश्यक सरकारी कार्य के लिए सीकर आते रहते हैं।

(4) जी हां, कनिष्ठ अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता के परिपत्र क्रमांक 4904-64 दिनांक 28-1-76 के अनुसार अधिशासी अभियन्ता द्वारा दी नई अनुमति के बाद ही नई जल योजना बुलि-खाचरियावास पर जल सम्बन्ध दिये गये हैं।

(5) जी हां।

कस्बा लोसल, जिला सीकर में बरसात का पानी निकालने हेतु योजना

506. श्री रामदेवसिंह (धोद) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कस्बा लोसल, जिला सीकर में अत्यधिक बरसात के कारण हर साल कई बस्तियों व खास तौर से रैगरों के मोहल्ले में पानी इकट्ठा होने से काफी नुकसान होता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस पानी को निकालने की योजना कब व कितनी लागत की बनाई थी ? इस योजना को लागू करने में देरी का क्या कारण है ?

उत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग को इस बारे में कोई सूचना नहीं है। इस विभाग ने इस कस्बे के पानी को निकालने की योजना नहीं बनाई है।

सिविल मिस्त्रियों की सेवा मुक्ति

507. श्री शिवनारायण (थानागाजी): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भू-मापन एवं जल निस्सारण खण्ड, जयपुर (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग) से दिनांक 31 अक्टूबर, 1977 को नोटिस द्वारा करीबन दस कार्यरत सिविल मिस्त्रियों को हटाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि हटाये गये मिस्त्रियों को कार्य करते हुये राजस्थान

Page No. 39

(39)

(श्री शिवनारायण)
सेवा नियमों के अनुसार 240 दिवस लगातार सेवा करने से भी अधिक समय व्यतीत हो गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन सिविल मिस्त्रियों को विभागीय आन्तरिक गुटबन्दी के कारण हटाया गया ? क्या सरकार बेरोजगारी हटाने के उद्देश्य से इन हटाये गये मिस्त्रियों को वापस सेवा में लेने का इरादा रखती है ? हटाये गये मिस्त्रियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। भू-मापन एवं जल निस्सारण खण्ड, जयपुर से दिनांक 31-10-77 को 8 सिविल मिस्त्रियों को जो मस्टररोल पर कार्य कर रहे थे, एक माह का नोटिस जारी कर दिनांक 30-11-77 को हटा दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। इन सिविल मिस्त्रियों को सृजित पदों को दिनांक 30-11-77 के पश्चात् समाप्त कर देने पर हटाया गया था। हटाये गये मिस्त्रियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थी

508. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में पुलिस एकेडमी, जयपुर में कितने आर. पी. एस. अधिकारी, जिनका चयन राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा किया गया, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

(2) इन प्रशिक्षणार्थियों में कितने जनजाति एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थी हैं ? इनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या जनजाति एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या रिजर्व कोटा से कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 16 आर. पी. एस. अधिकारी राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(2) इन प्रशिक्षणार्थियों में 2 अधिकारी जनजाति एवं 4 अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं।

(3) जी नहीं।

अधिशासी अभियन्ता (जलदाय) नागौर द्वारा वर्क चार्ज कर्मचारियों की नियुक्तियां

509. श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, जलदाय विभाग नागौर ने माह मई, जून 1876 में वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्तियां की थीं ? यदि हां,

Page No. 40

(40)

(श्री रामदेव चौधरी)
तो कुल कर्मचारियों की संख्या मय माम व पद एवं योजनावार सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न जलदाय योजनाओं पर स्टोर मुन्शियों की नियुक्तियां की गई हैं? क्या इनकी स्वीकृति प्रथम सक्षम अधिकारी से ली गई है? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की सही प्रति प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिन योजनाओं की मासिक आय नगण्य मात्र है और उन योजनाओं पर स्टोर मुन्शियों के कोई पद स्वीकृत नहीं हैं फिर भी नियमों के विपरीत नियुक्तियां दी गई हैं? नियुक्तियों के साथ साथ योजना की जल शुल्क की आय का मासिक विवरण भी प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण जल योजना जायल, श्री बालाजी डेह, अलाय पर एक ही कर्मचारी राजस्व वसूली का सम्पूर्ण कार्य करता आ रहा था? यदि हां, तो कार्यभार की दृष्टि से अलग अलग योजनाओं पर अलग अलग स्टोर मुन्शी की नियुक्ति करने की क्या आवश्यकता पड़ी? विस्तृत विवरण पेश करने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त नियुक्तियों में जो विभाग में पहले से कर्मचारी कार्यरत थे उन्हें नियुक्तियां दी गई और वेतन मस्टर रोल के बराबर ही दिया गया है जब कि अन्य नई नियुक्तियां पाने वाले कर्मचारियों को वर्कचार्ज वेतन श्रृंखलाओं पर नियुक्त किया गया और समान कार्य होते हुये भी वेतन में भिन्नता रखी गई है, यदि हां, तो ऐसा क्यों?

उत्तर

(1) मई-जून, 1976 में कोई नियुक्ति नहीं की।

(2) जी हां, स्टोर मुन्शी को अस्थाई रूप से वर्कचार्ज में रखने का सक्षम अधिकारी अधिशासी अभियन्ता है। सम्बन्धित राजकीय आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। योजना के जल शुल्क आय मासिक विवरण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। तीनों योजनाओं पर अलग अलग कर्मचारी कार्यभार को देखते हुए कार्यरत हैं। कार्यभार, जिसके लिए नियुक्ति की जाती है, का विवरण संलग्न है।

(5) कर्मचारियों का वेतन नियमों के अन्तर्गत ही निर्धारित किया जाता है।

(राज्यादेश व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट संख्या 6 देखें)

पाली व जोधपुर के भूमिगत जल स्रोत

510. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में भू-जल के अभाव

(श्री माधवसिंह दीवान)

में कृषक अपनी खातेदारी की भूमि की सम्पूर्ण क्षमता की पैदावार नहीं ले सकते ?

(2) क्या यह सही है कि भूमिगत जल राष्ट्रीय सम्पत्ति है जिसका उपयोग राष्ट्रहित में किया जाना चाहिये ?

(3) क्या यह भी सही है कि पाली व जोधपुर जिले में कहीं कहीं भूमिगत जल के अथाह भन्डार हैं ? यदि हां, तो उन क्षेत्र के गांवों के क्या क्या नाम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सच है कि उक्त भूमिगत जल, जो राष्ट्रीय सम्पति है का उपभोग चन्द व्यक्ति कर उक्त क्षेत्र के गरीब कृषकों का शोषण करते हैं व केवल राष्ट्रीय सम्पंति (भूमिगत जल) को देकर उनकी खरी मेहनत का अधिक भाग ले लेते हैं।

(5) राज्य सरकार ऐसे भूमिगत जल के स्रोतों का राष्ट्रहित में उपभोग हो व गरीब किसानों को ऐसे स्रोतों का लाभ मिल सके इसके लिए क्या कानून बनायेगी व शोषण को रोकेगी ?

उत्तर

(1) राज्य के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित गंगानगर, झुन्झुनूं, सीकर, चूरू व बीकानेर आदि जिलों के भू-जल सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि वहां के कुछ हिस्सों तथा गंगानगर जिले के नहर के पास वाले क्षेत्रों को छोड़कर भू-जल की मात्रा आम तौर पर कम व अपर्याप्त है। इस भू-भाग में भू-जल का स्तर जमीन के नीचे लगभग 30-60 मीटर तथा कुएं के जल देने की औसत क्षमता करीब 35,000-75,000 लीटर प्रतिदिन आंकी जा सकती है। भू-जल के नमूनों के रसायनिक विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया है कि उक्त क्षेत्र के अधिकांश भाग में तथा जमीन के ज्यादा नीचे भू-जल खारा एवं पीने व कृषि के अयोग्य है। अतएव उस क्षेत्र के कृषक अपनी खातेदारी की भूमि की सम्पूर्ण क्षमता की पैदावार के लिए स्थानीय भू-जल पर निर्भर नहीं रह सकते।

(2) यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है अतः राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) इस सम्बन्ध में इतना कहा जा सकता है कि जोधपुर जिले के कुछ ग्रामों यथा बौरुंदा, रनसी गांव तथा हरियादाना वगैरह में भू-जल कैविटी वाले चूने पत्थर में पाया जाता है। एक छोटे से सीमित क्षेत्र को देखते हुये यहां पर भू-जल की मात्रा प्रचुर है, लेकिन अगर क्षेत्रीय स्तर पर विचार किया जाय तो इसे अथाह

(भू-जल मंत्री)

नहीं कहा जा सकता है। इस इलाके में भू-जल स्तर लगभग 30-50 मीटर जमीन के नीचे है तथा यहां के कुओं की जल देने की औसत क्षमता 40,000-60,000 लीटर प्रति घंटा रही है।

(4) जी नहीं।

(5) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सांचौर क्षेत्र में मलेरिया व खुजली

512. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर में एवं सांचौर क्षेत्र में मलेरिया एवं खुजली की बीमारी से हजारों लोग पीड़ित हैं? अगर हां, तो इसके क्या क्या कारण हैं? इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कब कब क्या क्या कदम उठाये हैं?

(2) सांचौर क्षेत्र में खुजली रोग ज्यादा होने के क्या क्या कारण हैं? इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या किया गया है? एवं भविष्य में राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये जायेंगे?

उत्तर

(1) वर्ष 1977 के अन्तर्गत सांचौर क्षेत्र में बुखार से पीड़ित व्यक्ति के खून की जांच करने पर 907 व्यक्तियों को मलेरिया से पीड़ित पाया गया।

मलेरिया फैलने का मुख्य कारण 'मेड एरिया' में स्थित पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग बहुत होती है जो मलेरिया फैलाने में सहायक होते हैं।

मलेरिया रोग से लोगों को बचाने हेतु डी. डी. टी. का छिड़काव प्रथम चरण में दिनांक 15-5-77 से 31-7-77 तक व द्वितीय चरण में छिड़काव दिनांक अगस्त, 77 से 15-10-77 तक सम्पन्न कराया गया जिसके अन्तर्गत 16,569 कमरों, 1,579 पशु बाड़ों में, 2,263 किं. ग्रा. डी. डी. टी. 75% छिड़काव कराया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मलेरिया टैक्निशियन की नियुक्ति की गई है व स्कूल व पचायतों के माध्यम से मलेरिया निरोध गोलियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

सांचौर क्षेत्र में वर्ष 1977 में 1,454 खुजली के रोगियों का उपचार किया गया तथा इस छत की बीमारी से बचने के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है।

खुजली एक छुआछूत की बीमारी है जो सफाई नहीं होने के कारण एक दूसरे को लग कर फैलती है। विशेष तौर से अशिक्षित व गरीब लोगों में व बच्चों में यह रोग ज्यादा फैलता है।

(2) प्रश्न के भाग 1 में अंकित कर दिया गया है। खुजली से बचने के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और डिस्पेन्सरियों तथा एडपोस्ट व उप-केन्द्रों पर खुजली के रोगियों के उपचार हेतु सल्फर आइन्टमेन्ट 10% उपलब्ध कराया जाता है। व्यक्तियों को साबुन से नियमित स्नान करना व कपड़ों को साफ सुथरा रखना व धूप में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
विस्तर को रखना आदि उपाय बताये जाते है। अध्यापकों व छात्रों को स्वस्थ रहने की सलाह दी जाती है जिससे खुजली से बचने का अच्छा उपाय है।

शिव विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

513. श्री कानसिंह (शिव): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शिव विधान सभा क्षेत्र में कितने नयें प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जा रहे हैं ?

(2) गत वर्ष शिव क्षेत्र के लिए किन किन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के लिए कितना कितना रुपया मंजूर हुआ है और कितना खर्च हुआ है व कितना फंड लैप्स हुआ ? लैप्स हुआ तो क्यों हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर में सारी दवाइयां उपलब्ध होते हुए भी गरीबों को नहीं दी जाती हैं ? सिर्फ सेठ साहूकारों को दी जाती हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(4) गरीबों को समय पर जितनी सरकार से दाल, रोटी, अण्डे वगैरह खाने की सामग्री हेतु जो रकम निर्धारित की गई है क्या पूर्ण रूप से खर्च होती है? अगर हां, तो एक साल के व्यय का पूरा हिसाब सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त राशि व राशन, दाल, अण्डे, खिचड़ी, दुग्ध, फल व फल की सब्जी का इन्द्राज रजिस्टरों के अन्दर सही ढंग से नहीं किया हुआ है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि बाड़मेर अस्पताल में करीब 4 माह पूर्व एक रेप का केस हुआ था ? अगर हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

(1) नये प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने का 1977-78 तक कोई प्रावधान नहीं है।

(2) शिव क्षेत्र के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, मुंगा व इसके उपकेन्द्रों के लिये निम्न बजट आवटित किया गया था:—

	मद	राशि	खर्च	लैप्स
प्रा. स्व. के.	दवाइयां	18,000	18,000	—
उप-केन्द्र	दवाइयां	14,000	14,000	—

इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकतानुसार अन्य सामग्री जिला के मुख्यालय से दी जाती है

(3) जी नहीं। सामान्यत: अस्पताल में उपलब्ध दवाइयां अमीर-गरीब के भेद-भाव बिना सभी वर्गों के मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

(4) वर्ष 1977-78 में बाड़मेर चिकित्सालय में भोजन के मद में रुपये 98,000 की राशि स्वीकृत थी और इसमें से रुपये 35,000 की राशि खर्च हुई है। निर्धारित रकम का व्यय होना वहां भर्ती होने वाले व अस्पताल से खुराक लेने वाले रोगियों पर निर्भर करता है।

(5) जी नहीं।

Page No. 44

(44)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

इस सबका इन्द्राज रजिस्टर में बराबर किया जाता है।

(6) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

राजस्थान रेड क्रास सोसायटी

514. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या रेड क्रास कर्मचारी यूनियन द्वारा लगभग आठ माह पूर्व दिये गये मांग-पत्र पर वर्तमान प्रशासनिक समिति ने कोई निर्णय लेकर कर्मचारियों की समस्याओं का कोई समाधान किया है ?

(2) राजस्थान रेड क्रास सोसाइटी स्टेट ब्रांच के प्रशासन से असंतुष्ट होकर कितने कर्मचारी, अधिकारी व डॉक्टर अपनी वर्षों की नौकरी छोड़ कर गये हैं तथा कितनों को तंग करके नौकरी से निकाल दिया गया है ? कितने नये व्यक्तियों को सोसायटी में नियुक्ति दी गई है तथा इनकी नियुक्ति का आधार, वेतन व वेतनमान क्या निर्धारित किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि नवगठित प्रशासनिक समिति राजस्थान रेडक्रॉस सोसायटी वर्तमान में लागू संविधान में मनमाने ढंग से संशोधन लाना चाहती है जिसके तहत सोसायटी व कर्मचारी के हित में न होकर कुछ व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नियत है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रशासनिक समिति सिर्फ एक अधिकारी व चार सहायकों के पद ही स्थायी रूप से रखने तथा अन्य करीब 70 कर्मचारी, अधिकारी व डॉक्टर जो करीब 10-15 वर्षों से इस सोसायटी में सेवारत हैं उनको नौकरी से निकाल कर उन्हें नये रूप से स्थानापन्न, कान्ट्रेक्ट पर रखने के लिये वर्तमान संविधान (सोसायटी का) में संशोधन लाना चाहती है ? क्या यह उचित है ?

(5) राजस्थान रेड क्रास सोसायटी में कितने कर्मचारी, अधिकारी व डाक्टर कार्य कर रहे हैं ? प्रत्येक की नियुक्ति तारीख, वेतन व वेतनमान सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या राजस्थान रेड क्रास सोसायटी की सेवाओं में विस्तार की कोई योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोई नहीं। परिवार नियोजन कल्याण केन्द्रों पर रिक्त स्थानों में तीन अस्थाई महिला चिकित्सक एवं दो ऐसे कर्मचारी, जो अकारण सेवा मुक्त कर दिये गए थे, को वापस लिया गया। नए रक्खे गए महिला चिकित्सकों को वही वेतन दिया गया जो निर्धारित है। इनके प्रार्थना-पत्र रिकार्ड में थे।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) पूर्ण विवरण प्रस्तुत है।

(6) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

आयुर्वेद विभाग के कालेज व औषधालय

515. श्री नूरा (मसूदा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में आयुर्वेद विभाग स्वतंत्र रूप में कब स्थापित किया गया ? इस समय राज्य में कितने आयुर्वेद व यूनानी अस्पताल व कालेज थे व अब 77 तक कितने आयुर्वेद व यूनानी अस्पतालों व कॉलेजों की संख्या हो गई है ?

(2) आयुर्वेद कॉलेजों व यूनानी कॉलेजों में कितने कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं व उन्हें कितनी कितनी अनुदान की राशि दी जाती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) आयुर्वेद विभाग में कम्पाउण्डरों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ? क्या प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या यूनानी कम्पाउण्डरों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) वर्तमान में राज्य में यूनानी-चिकित्सालयों में हकीमों व कम्पाउण्डरों के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को भरने के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) आयुर्वेद विभाग के निदेशक, उप-निदेशक, क्षेत्रीय उपनिदेशक, जिला अधिकारियों के कितने पदों पर यूनानी के हकीम कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(6) राजपूताना आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी कॉलेज की उम्दतुल हुक्मा डिग्री को विभागीय उपाधि भिषगाचार्य के समकक्ष राज्य सरकार ने कब से और कब तक मान्यता दी है ? क्या राज्य सरकार उम्दतुल हुक्मा की डिग्री को भिषगाचार्य के समकक्ष स्थाई तौर पर मान्यता देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभाग स्वतन्त्र रूप में वृहत राजस्थान बनने की तिथि से स्थापित है। उस समय राज्य में 314 आयुर्वेदिक व 7 यूनानी राजकीय औषधालय थे। वर्तमान में 2216 आयुर्वेदिक व 58 यूनानी राजकीय औषधालय हैं। विभाग की स्थापना के समय 4 आयुर्वेदिक व एक यूनानी (राजकीय व सहायता प्राप्त, दोनों मिलाकर) महाविद्यालय थे, वर्तमान में 3 आयुर्वेदिक व एक यूनानी (सहायता प्राप्त व राजकीय दोनों मिलाकर) महाविद्यालय है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न प्रस्तुत है।

(3) सेवा नियमों में यूनानी कम्पाउन्डरों के लिये तबीत फाजिल (जयपुर यूनानी) या यूनानी में इसके समकक्ष योग्यता निर्धारित है, जिसका प्रशिक्षण यूनानी राजपूताना व यूनानी तीब्बिया कॉलेज जयपुर में होता है।

(4) राज्य के यूनानी औषधालयों में 26 पद हकीमों के तथा 8 पद कम्पाउंडरों

(आयुर्वेद मंत्री)
(धात्री-कल्पद) के रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने के लिये विज्ञापन द्वारा आवेदन-पत्र मांगे गये हैं। आशार्थी उपलब्ध होते ही पद भर दिये जावेंगे।

(5) केवल सहायक निदेशक (यूनानी) के पद पर यूनानी हकीम कार्यरत है। उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के नियमों का उदाहरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(6) राज्यादेश क्रमांक एफ. 13(1)(36)एम.पी.एच/आयु./56/ग्र.प-1, दिनांक 4-9-1951 के द्वारा यूनानी तिब्बी कॉलेज, दिल्ली की 'कमिल उल-तिब्बल जराहत'' उपाधि को भिषगाचार्य के समकक्ष माना गया है तथा राजपूताना आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बी कालेज, जयपुर द्वारा सन् 1968 तक प्रदान की गयी ''उम्दतुल-हुक्मा'' उपाधि को ''कमिल-उल-तिब्बल जराहत'' उपाधि के समकक्ष मान्यता दी गयी है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राज्य के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा

516. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार राज्य के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा देने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो इस योजना का क्या प्रारूप है और राज्य सरकार यह योजना कब तक लागू किये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों पर चिकित्सा सुविधा देने हेतु कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है। जो योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चालू है उसका विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट संख्या 9 देखें)

माल से भरे ट्रकों का फरार होने का मामला

517. श्री करतारसिंह (किशनगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य में वर्ष 1975-76 एवं 77 में ट्रकों द्वारा माल भर कर गायब हो जाने की कितनी कितनी वारदातें हुई ? इन वारदातों में अनुमानतः कितनी धन राशि का माल गायब हुआ तथा कितनी घटनाओं की पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज हुई ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन वारदातों में से कितना माल पुलिस द्वारा आज तक पकड़ा गया तथा कितने केसों में मामला न्यायालय में ले जाया गया है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि पुलिस प्रशासन इन वारदातों को रोकने में असफल रहा है ? यदि हां, तो वो कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिनके फलस्वरूप ये ट्रक

(श्री करतार सिंह) :
चालक माल भर कर गायब हो जाने में सफल होते रहे हैं ?

(4) क्या ट्रक मालिकों द्वारा फर्जी कागजात एवं फर्जी नम्बर प्लेट रखना एवं पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता ऐसी वारदात होते रहने का मुख्य कारण रहा है ? यदि हां, तो भविष्य में राज्य सरकार इन वारदातों को रोकने के लिए कौन कौन से कारगर कदम उठाने का विचार रखती है जिससे कि इन वारदातों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके ?

उत्तर

(1) वर्ष 1975, 76 एवं 1977 में ट्रकों द्वारा माल भर कर गायब हो जाने की 29 वारदातें पुलिस में दर्ज हुई, जिनमें अनुमानतः 18,08 869.00 रुपये का माल गायब होना पाया गया। वर्ष वार दर्ज किये गये अभियोगों की सूची संलग्न है।

(2) इन वारदातों में कुल 18,08,869.00 का माल गायब हुआ जिसमें से 15 31 920.20 का माल पुलिस द्वारा पकड़ा गया। कुल 12 अभियोगों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सूची सलग्न है।

(3) जी नहीं। धोखाधड़ी व सामान की अमानत में खयानत करने की नीयत से इन चालकों द्वारा माल भरकर गायब होना पाया गया।

(4) यह सही है कि अधिकतर मुकदमों में ट्रकों के फर्जी कागजात व फर्जी नम्बर प्लेट पाई गई, परन्तु इसमें पुलिस ने सक्रियता से कार्यवाही की है। ट्रकों का समय समय पर चैकिंग किया जाता है ताकि फर्जी कागजातों व नम्बर प्लेटों का पता लगा सके।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट संख्या 10 देखें)।

थाना अकलेरा के एस. एच. ओ. एवं अध्यापक का मामला

518. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि दिसम्बर सन् 77 में थाना अकलेरा के एस. एच. ओ. श्री रामकल्याण ने श्री लक्ष्मीनारायण यादव अध्यापक को हथकड़ी लगाकर बाजार में घुमाया था ?

(2) क्या यह सही है कि अध्यापक के 250) रुपये न दिये जाने के कारण उसे उक्त प्रकार से अपमानित एवं लांछित किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक ने इस बाबत संबंधित उच्चाधिकारियों को शिकायतें की हैं एवं उसकी जांच हुई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गई।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(गृहमंत्री)

(3) माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने एक शिकायत इस बारे में माननीय गृह मंत्री जी को दिनांक 12-12-77 को दी थी जिस पर पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोटा खण्ड को इसकी जांच के आदेश दिये गये हैं जहां से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(4) अभी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है, अतः प्रश्न पैदा नहीं होता।

गंगानगर के थाना चुनावढ़ के सब-इन्सपेक्टर के निलम्बन का मामला

519. श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री हुकमसिंह, सब-इन्सपेक्टर, पुलिस थाना चुनावढ़, जिला गंगानगर को कब व क्यों निलंबित किया गया व अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार किसी को 6 माह से अधिक समय सस्पेन्ड नहीं रखा जाना चाहिये?

उत्तर

(1) श्री हुकमसिंह को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11-1-68 द्वारा निलम्बित किया गया था। उन्हें निलम्बन करने का कारण यह था कि जब वे थानेदार थाना सरदारशहर जिला चूरू के पद पर नियुक्त थे तब उन्होंने मुसम्मात उमराव धर्मपत्नी श्री भीवराज निवासी सरदारशहर की इत्तफाकिया मृत्यु की कार्यवाही हस्ब दफा 174 जा. फो. उचित प्रकार से नहीं की व अन्वेषण में बहुत सी खामियां रख दीं। श्री हुकमसिंह व डॉक्टर महेन्द्र सिन्हा, जिन पर इस प्रकरण में पोस्ट मार्टम-ढंग से न करने, गलत रिपोर्ट तैयार करने व विसरा सुरक्षित न रखने का आरोप था, के विरुद्ध संयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई इनमें श्री हुकमसिंह के बारे में निर्णय दिनांक 4-4-78 को हो गया है व श्री हुकमसिंह को दोषी मानते हुए यह दण्ड दिया गया है कि वे जिस वेतन शृंखला में काम कर रहे हैं उसमें तीन स्टेजेज की कमी की जावे। निलम्बन काल में जो निर्वाह भत्ता दिया गया है इसके अतिरिक्त कोई राशि नहीं दी जावेगी।

(2) जी नहीं।

II व III ग्रेड के अध्यापकों के क्रमोन्नत का मामला

520. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उप-निदेशक उदयपुर ने अपने आदेश 30 सितम्बर 1973 में तृतीय वेतन शृंखला से द्वितीय वेतन शृंखला में कितने वरिष्ठता क्रमांक तक के अध्यापकों को क्रमोन्नत किया?

(2) उपरोक्त सूची के बाद दूसरी सूची द्वितीय वेतन शृंखला में क्रमोन्नत करने के लिए कितने क्रमांक तक की निकाली?

(3) उपरोक्त सूचियों में बीच बीच में किन किन क्रमांक को वरिष्ठता से वंचित रखा गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि 535, 635, 735 और 835 को वंचित रखा गया? यदि हां, तो क्यों?

(श्री रामकरण सिंह)

(5) उन्होंने अनुरोध-पत्र निदेशक व उपनिदेशक को कब कब व कितने कितने दिये ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(1 उप-निदेशक, शिक्षा विभाग, उदयपुर द्वारा 30 सितम्बर, 73 को कोई आदेश तृतीय वेतन श्रृंखला से द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति के नहीं निकाले गये थे । 21-9-73 को उनके द्वारा पदोन्नति आदेश निकाले गए जिसमें निम्न जिलों के उनके नाम के सामने अंकित वरिष्ठता क्रमांक तक के पात्र अध्यापकों के पदोन्नति आदेश निकाले गये । यह पदोन्नतियां जिलेवार प्राप्त पात्रता सूची सम्बन्धित पात्रता सूची 73-74 के आधार पर दी गई थी । पात्रता की सूची बी. एड. परीक्षा पास करने के आधार पर हर वर्ष बदलती रहती है:-

1 उदयपुर	वरिष्ठता क्रमांक	1525
2. भीलवाड़ा	,, ,,	629
3. चित्तौड़	,, ,,	562
4. डूंगरपुर	,, ,,	284
5. बांसवाड़ा	,, ,,	289
6. कोटा	,, ,,	1449
7. बूंदी	,, ,,	300
8. झालावाड़	,, ,,	334

(2) इसके पश्चात् विभिन्न तिथियों को पदोन्नति आदेश प्रसारित किये गये जिसके अनुसार दिनांक 19-2-74 तक निम्न वरिष्ठता क्रमांक तक प्रत्येक जिले में पदोन्नति दी गई:—

1. भीलवाड़ा	849
2. चित्तौड़	698
3. डूंगरपुर	498
4. कोटा	1618
5. बूंदी	410
(. झालावाड़	630

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) विशिष्ठ जिले के नाम के अभाव में सूचना उपलब्ध करना संभव नहीं है ।

(5) प्रश्न संख्या (4) के उत्तर के अनुसार इस का प्रश्न ही नहीं उठता । (सूची के लिये कृपया परिशिष्ठ 11 देखें)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दांता (सीकर) के सहायक अध्यापक का मामला

521. श्री **परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यही है कि राजकीय उच्च-माध्यमिक विद्यालय दांता (सीकर) में इन्द्रमणी शर्मा सहायक अध्यापक हैं ? अगर हां, तो कब से तथा उनका कब स्थानान्तरण हुआ और कब कब वापस निरस्त हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री इन्द्रमणि शर्मा ने दिनांक 7-12-77 को

(52)

(श्री परसराम मोरदिया)

अवकाश लिया था ? अगर हां, तो क्या श्री शर्मा 7-12-77 को अजमेर एक शादी में गये थे ?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर में शिक्षक संघ का अधिवेशन 8-12-77 से 10-12-77 तक हुआ था ? अगर हां, तो क्या श्री शर्मा ने उसमें भाग लिया ? अगर हां, तो कब किस तारीख से कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि 7-12-77 की उपस्थिति रजिस्टर में उनकी उपस्थिति दर्ज की गई है ? अगर हां, तो कैसे ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री इन्द्रमणि शर्मा रा. उ. मा. वि. दांता में द्वितीय श्रेणी स. अ हैं। श्री इन्द्रमणि राज्य सेवा में दिनांक 21-7-51 से कार्य कर रहे हैं तथा अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में अब तक दो बार उनका दांता से अन्यत्र स्थानान्तरण इस प्रकार हुआ है:—

1) रा. उ. मा. वि. दांता से मा. वि. बाय 22-12-72

2) पुनः रा. मा. वि. बाय से रा. उ. मा. वि. दांता 30-12-74

3) रा. उ. मा. वि., दांता से पुनः रा. मा. वि. खाटूश्यामजी दि. 9-3-76

4) पुनः रा. मा. वि. खाटूश्यामजी से रा. उ. मा. वि., दांता दि. 18-12-76 से लगातार।

(2) श्री शर्मा ने 6-12-77 को मुख्यालय छोड़ने तथा 7 से 10 तक का शैक्षिक अवकाश हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था जिस पर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक ने यह लिखा था कि यह अवकाश उपस्थिति प्रमाण-पत्र लाने पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा। श्री शर्मा ने इसके पश्चात् 4 दिन का उपार्जित अवकाश और लिया था। इस समय में उनके अजमेर में रहने की सूचना है।

(3) जी हां। प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर श्री शर्मा का शिक्षक संघ के अधिवेशन में भाग लेने का पता लगता है।

(4) यह सही है कि श्री इन्द्रमणि स. अ. ने 7 तारीख के हस्ताक्षर कर रखे हैं। वह हस्ताक्षर उन्होंने कब किये और क्यों किये इसकी जांच की जावेगी।

राज्य में प्रौढ़ शिक्षा हेतु बजट प्रावधान

522. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता दूर करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो इसके लिए राज्य सरकार ने क्या बजट प्रावधान किया है ?

(2) राज्य सरकार प्रौढ़ शिक्षा प्रसार के लिए क्या नई नीति का निर्माण करना उचित समझेगी ? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति किस प्रकार की जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि जिला जालौर प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में सबसे पिछड़ा रह गया है ? अगर हां, तो भविष्य में प्रौढ़ शिक्षा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
प्रसार हेतु राज्य सरकार कहां कहां पर क्या क्या कदम कब तक उठा सकेगी? विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(2) जी हां। अगले वर्ष प्रौढ़ शिक्षा के लिए बजट में 15,00,000 लाख रुपये का प्रावधान है।

(2) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षण योजना के अन्तर्गत ही राज्य सरकार भी अपनी नीति तय करेगी। इसकी राज्य सरकार सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्विति करेगी।

(3) जी हां। समस्त राजस्थान के लिए प्रौढ़ शिक्षा की एक योजना शीघ्र ही तैयार की जा रही है जिसमें जालौर जिले का ध्यान रखा जायगा।

मण्डावा (झुन्झुनूं) से डूंडलोद-मुकुन्दगढ़ रेल्वे स्टेशन के बीच बस उलटने से यात्री की मृत्यु

523. श्री करतार सिंह (किशनगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बस नं. आर. जे. पी. 2009 का परमिट किस रूट का है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बस दिनांक 29 जनवरी, 1978 को मण्डावा जिला झुन्झुनूं से डूंडलोद-मुकुन्दगढ़ रेल्वे स्टेशन जाते समय रास्ते में उलट गई थी? यदि हां, तो उक्त बस में कितने यात्री सवार थे और उनमें से कितने यात्रियों को चोटें आई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस-दुर्घटना में एक यात्री की मृत्यु भी हो गई? यदि हां, तो राज्य सरकार ने बस मालिक के खिलाफ कोई मामला दर्ज कर क्या कार्यवाही की है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बस-मालिक के खिलाफ कोई मामला दर्ज न होने की स्थिति में दुर्घटना में चोटग्रस्त यात्री के परिवार को किसी तरह की सहायता नहीं पहुंचाई गई जिससे जनता में आक्रोश फैला हुआ है?

(5) क्या राज्य सरकार उन्हें हर्जाना दिलाने एवं बस मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बस नं. आर. जे. पी. 2009 का परमिट डूंडलोद रेल्वे स्टेशन से चूरू वाया मंडावा-बिसाऊ का है।

(2) जी हां। उस बस में 50 यात्री यात्रा कर रहे थे। व्यक्तियों को उक्त बस दुर्घटना में चोटें आई।

(3-5) बस दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की 25 दिन बाद मृत्यु हुई। उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में मुकदमा नं. 9 दिनांक 29-1-78 को जेर दफा 279/337 आई. पी. सी. पुलिस स्टेशन, मण्डावा पर दर्ज हुआ। किशनलाल की मृत्यु की सूचना मिलने पर उपर्युक्त अभियोग में दफा 304

(यातायात मंत्री)

हा. हिं. और जोड़ी गई। श्री ओंकार पुत्र रूगराम खाती ड्राइवर सा. मुकन्दगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। और शीघ्र ही केस का चालान अदालत में पेश कर दिया जावेगा। बस के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

हाशम एन्टरप्राइज फालना, जिला पाली के श्रमिक की सेवा मुक्ति का मामला

524. श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि हाशम एन्टरप्राइजेज, फालना जिला पाली के एक श्रमिक श्री निहालचन्द जैन ने अपनी अवैधानिक सेवा मुक्ति के विषय में एक शिकायत श्रम निरीक्षक, पाली बाड़मेर के समक्ष लगभग ढाई वर्ष पूर्व की थी ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त शिकायत पर समझौता वार्ता भंग हो गई और वह उप-श्रम आयुक्त जोधपुर को भेज दी गई ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त शिकायत पर गत ढाई वर्ष से कोई कार्यवाही आगे नहीं हुई ? एवं शिकायत उप श्रम आयुक्त कार्यालय जोधपुर में पड़ी हुई है ?

(4) क्या यह सच है कि श्री निहालचन्द भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध यूनियन का सदस्य था ? अतः अधिकारी जानबूझ कर मामला टाल रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। यह शिकायत अब तक उप श्रम आयुक्त, जोधपुर व श्रम निरीक्षक, पाली के बीच झूलती रही लेकिन अब यह असफलता प्रतिवेदन दिनांक 31-3-78 को जोधपुर से श्रम आयुक्त एवं सचिव श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर के पास अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दी गयी है।

(4) श्रमिक निहाल चन्द का भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध होने की जानकारी नहीं है अतः यह कहना कि मामले को जानबूझ कर टाला जा रहा है सही प्रतीत नहीं होता।

जयपुर-देहली वाया कोटपूतली चलने वाली रोडवेज की बसें

526. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जून, 1977 से आज तक जयपुर देहली वाया कोटपूतली और अलवर से पास होने वाली रोडवेज की कितनी बसें रास्ते में खराब हुईं ?

(2) ये बसें किन कारणों से खराब हुई हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि बहुत मामूली खराबी से बसें समय पर नहीं पहुंच पाती और रास्ते में खड़ी हो जाती हैं ?

(4) क्या यह खराबी बसों के साथ टूल-बॉक्स या मामूली सामान न होना ही है ? यदि हां, तो इस बारे में राज्य

(श्री रामकरण सिंह)
सरकार क्या सोचती है और आगे क्या सुधार करना चाहेगी ?

उत्तर

(1) माह जून, 1977 से मार्च, 1978 तक की अवधि में कुल 66 वाहने ब्रेकडाउन हुई।

(2) जो 66 वाहनें ब्रेकडाउन हुई उनके कारण निम्नानुसार रहे:—

1.	एयरलोक के कारण	5
2.	बैरिंग्स की खराबी के कारण	12
3.	टायर पंचर	3
4.	व्हील जाम होने के कारण	5
5.	इंजन में आवाज के कारण	13
6.	फ्यूल इन्जेक्शन पम्प	5
7.	क्लच प्रेशर प्लेट	6
8	कमाणी में खराबी के कारण	4
9.	रेडीयटर में खराबी के कारण	3
10.	ब्रेक्स के कारण	2
11.	झूले का रबर टूटने के कारण	1
12.	ग्रायल पाइप टूटने के कारण	1
13.	डायनामा	1
14.	स्टेरिंग में खराबी	1
15.	हेडगैसकिट खराबी	1
16.	क्राउन व्हील फ्री के खराबी के कारण	1
17.	स्पेडल	1
18.	चेम्बर के नट खुलने के कारण	1
	कुल:	66

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। यांत्रिक खराबी को ड्राइवर ठीक नहीं कर पाता न उसे अधिकृत किया हुआ है। स्थिति में सुधार के लिए बसों की मेन्टेनेन्स व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। और अब नई योजना के अनुसार ड्राइवरों को मामूली यांत्रिक खराबियों को ठीक करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे खराबी को दूर कर सकें।

जन सम्पर्क कार्यालय अजमेर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ओपरेटर का प्रक्षिशण

527. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जन सम्पर्क विभाग ने अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री भंवरसिंह, जन सम्पर्क कार्यालय, अजमेर को 1972 में ऑपरेटर पद का प्रशिक्षण दिल्ली सूचना केन्द्र से न दिलवाकर जयपुर बुलाकर रंगमंच जयपुर पर दिलाया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री नाथूसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सूचना केन्द्र जयपुर को सन् 1973 में अप्रशिक्षित होते हुये भी प्रशिक्षित कर्मचारी श्री भंवरसिंह को छोडकर पदोन्नति दी गई थी ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(3) क्या जन सम्पर्क विभाग के ऑपरेटर सम्बन्धी पदोन्नति के 1972 से नियम बने हुये थे ? यदि हां, तो नियमों

(श्री हरजीराम बुरड़क)

की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। नियम 1975 में बने हैं।

समाज कल्याण विभाग में कार्यरत श्री त्रिवेदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला

528. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री सोहन लाल त्रिवेदी, जो समाज कल्याण विभाग में कार्यरत हैं, के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग उदयपुर में जांच संख्या 1/74 दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग उदयपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री त्रिवेदी के विरुद्ध फर्जी बिल बनाने का मामला सिद्ध हो चुका है ? यदि हां, तो त्रिवेदी को अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री त्रिवेदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध हो चुका है और फिर भी इसके पश्चात इनको पदोन्नति दी गई है और विभाग इनको एक पदोन्नति और देना चाहता है ? यदि हां, तो क्या विभाग में योग्य और ईमानदार व्यक्ति नहीं हैं ? क्या राज्य सरकार की नीति ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों को पदोन्नति देने की है ?

(4) क्या यह सही है कि उदयपुर जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी का पद 1 वर्ष से रिक्त पड़ा है और इस पर श्री त्रिवेदी को लगा रखा है ? यदि हां, तो क्या विभाग में इस भ्रष्ट व्यक्ति के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है ? उदयपुर में कार्यरत इसी ग्रेड के अधिकारी को उक्त पद पर क्यों नहीं लगाया गया ?

(5) क्या यह सही है कि श्री त्रिवेदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये एवं प्रतिलिपि मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, समाज कल्याण सचिव को दी गई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि श्री त्रिवेदी मेडीकल विभाग से स्थानान्तरित होकर समाज कल्याण विभाग में आये हैं और वहां पर भी इनके विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप थे ? फिर भी इनको किस आधार पर समाज कल्याण विभाग में लिया गया जब कि यह उस समय निर्धारित योग्यता भी नहीं रखते थे एवं निर्धारित उम्र से भी अधिक थे ? क्या विभाग में उस समय योग्य व्यक्ति नहीं थे ?

(7) क्या यह सही है कि श्री त्रिवेदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध होने के पश्चात् भी पदोन्नतियां दी गई ? उस समय विभाग में कितने व्यक्ति

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
उन पदों के योग्य थे ? उनको पदोन्नति क्यों नहीं दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(8) क्या यह सही है कि श्री त्रिवेदी का चयन विभागीय समिति द्वारा पोषाहार निरीक्षक के पद पर हुआ है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने किस आधार पर उनको कारागृह अधिकारी के पद पर लगा कर समाज कल्याण अधिकारी का चार्ज दिला रखा है ? क्या राज्य सरकार श्री त्रिवेदी को पोषाहार निरीक्षक के पद पर रिवर्ट करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं तो किस कारण से ?

(9) क्या राज्य सरकार ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को निलम्बित कर पुनः इनको मेडिकल विभाग में भेजने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री सोहन लाल त्रिवेदी व अन्य दो के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच संख्या 1/74 दर्ज की थी । भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने केवल एक कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की है जो विचाराधीन है ।

(2) जी हां । भ्रष्टाचार निरोधक विभाग उदयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री सोहन लाल त्रिवेदी के अलावा श्री विष्णु दत्त शर्मा एवं श्री मदन मोहन शर्मा के विरुद्ध संयुक्त रूप से फर्जी बिल बनाने का मामला सिद्ध हुआ है । भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जयपुर ने उक्त जांच में श्री त्रिवेदी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं किया है, अतः उन्हें ऐसी स्थिति में निलम्बित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(3) जी हां । भ्रष्टाचार निरोधक विभाग उदयपुर ने श्री सोहन लाल त्रिवेदी को अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया था । पर यह सही नहीं कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा दोषी पाये जाने के पश्चात श्री त्रिवेदी को दो पदोन्नतियां दी गई हैं । यह भी सही नहीं है कि विभाग श्री त्रिवेदी को एक और पदोन्नति देना चाहता है ।

(4) जी नहीं । जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, उदयपुर का पद दिनांक 8-4-77 से 4-3-78 तक रिक्त रहा है । इस पद का अतिरिक्त चार्ज श्री सोहन लाल त्रिवेदी के पास दिनांक 9-5-77 से 4-4-78 तक रहा है । दिनांक 4-3-78 को जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्त अधिकारी को पद स्थापित किया जा चुका है । श्री सोहन लाल त्रिवेदी परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी थे । अतः यह चार्ज प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके पास रहा । शेष समान ग्रेड के 2 अधिकारी थे जिन्हें अन्य संस्थाओं में कार्यरत होने के कारण चार्ज देना उचित नहीं था ।

(5) जी हां । श्री त्रिवेदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें माननीय मुख्य मन्त्री जी एव मुख्य सचिव, तथा सचिव, समाज कल्याण को दी गई एव जिलाधीश उदयपुर को भी माननीय सदस्य श्री कटारिया जी द्वारा की गई जिनकी जांच कर उप-निदेशक, समाज कल्याण विभाग,

(समाज कल्याण मन्त्री)
उदयपुर ने आरोप सिद्ध होना नहीं पाया गया है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'क')

(6) जी हां। श्री त्रिवेदी मेडिकल विभाग से स्थानान्तरण द्वारा समाज कल्याण विभाग में पोषाहार निरीक्षक के पद पर नियुक्त किए गए थे। मेडिकल विभाग में इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप के सम्बन्ध में जानकारी इस विभाग को नहीं है। श्री त्रिवेदी को पोषाहार निरीक्षक के पद पर निर्धारित योग्यता एवं निर्धारित आयु सीमा में होने के कारण ही पद स्थापित किया गया था।

(7) जी हां। भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध होने के पश्चात् श्री त्रिवेदी को कोई पदोन्नतियां नहीं दी गई हैं। अतः प्रश्नानुसार अन्य व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(8) जी हां। श्री त्रिवेदी की पोषाहार निरीक्षक के पद पद नियुक्ति स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा नियमित की गई है। कार्यवाहक रूप में आवश्यक अस्थाई व्यवस्था के प्रावधान के अनुसार श्री त्रिवेदी को परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रशासनिक दृष्टि से जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, उदयपुर का पद रिक्त होने के कारण चार्ज इनके स्वयं के पद के अतिरिक्त इनके पास रहा। श्री त्रिवेदी को रिवर्ट करने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कोई कार्यवाही करने की सिफारिश नहीं की है।

(9) जी नहीं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने श्री त्रिवेदी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की सिफारिश नहीं की है।

(प्रतिवेदन की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-78)

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सेवा नियम

162. श्री ताराचन्द (रूपवास) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कितने सेवा नियम बनाये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजकीय विभागों के अतिरिक्त कितने बोर्ड्स, कार्पोरेशन, कौंसिल्स तथा कमीशन्स हैं जिनमें नियुक्ति हेतु सेवा नियम बनाए गए हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य विभागों में अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के लोगों की नियुक्ति 28% तक नहीं है? यदि हां, तो विभागवार आंकड़े पेश किए जायें कि कितने स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने अनुसूचित जाति

Page No. 57

(श्री तारा चन्द)
तथा अनुसूचित जन-जाति के अलग अलग व्यक्ति हैं ?

(4) विभिन्न विभागीय सेवाओं में लिपिक वर्गीय सेवा, अधीनस्थ सेवा तथा राजपत्रित अधिकारियों की 28% नियुक्ति कब तक पूरी हो जायेगी ? क्या इस कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल रिक्रूटमेन्ट किया जायेगा ?

(5) विभिन्न बोर्डों, यूनिवर्सिटियों, कार्पोरेशन, कौंसिलों तथा कमीशनों में अन्य सवर्ण जाति के तथा अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के कितने लोग कार्यरत हैं तथा इन लोगों की 28% तक नियुक्ति की कमी पूरी करने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट कराने के लिए राज्य-सरकार आदेश प्रसारित करेगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जहां तक सूचना प्राप्त है 8 बोर्ड्स निगमों के सेवा नियम बनाए गए हैं। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह पूर्णतया सत्य नहीं है।

(4)(क) 28 प्रतिशत आरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। ज्यों ज्यों उपयुक्त व्यक्ति मिलते रहेंगे त्यों त्यों इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता रहेगा।

(ख) जी नहीं।

(5) स्वायत्तशासी संस्थानों को राज्य सरकार कानूनन बाध्य तो नहीं कर सकती परन्तु फिर भी सरकार यह प्रयत्न अवश्य कर रही है कि इन स्वायत्तशासी संस्थाओं में 28 प्रतिशत आरक्षण की प्रणाली यथा समय लागू की जाए।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-78)

डूंगरपुर जिले में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के स्वीकृत पद

183. श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में शिक्षा प्रसार अधिकारियों के स्वीकृत पद कितने हैं तथा जुलाई, 77 के पूर्व कितने पद रिक्त थे ?

(2) क्या जुलाई, 77 के बाद शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पद रिक्त थे ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्या नये पदों की कोई स्वीकृति प्राप्त हुई ?

(3) जिले में स्वीकृत पदों पर कार्यरत शिक्षा प्रसार अधिकारियों में से अनुसूचित जाति जनजाति के किस अनुपात से व कितने कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

(4) क्या रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां, पदोन्नतियां की गई ? यदि हां, तो कब व कैसे ? जिनमें अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने कर्मचारियों को किस अनु-

(श्री अमृतलाल परमार)
पात से लाभान्वित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में शिक्षा विभाग एवं जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारी के 14 पद स्वीकृत हैं। जुलाई, 77 में इनमें से एक भी पद रिक्त नहीं था।

(2) जुलाई, 77 के कार्यरत शिक्षा प्रसार अधिकारियों में से एक भी पद रिक्त नहीं हुआ। जुलाई, 77 के पश्चात् तीन नये पद निम्नानुसार सृजित हुए:—

1. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी-एक
2. पंचायत समिति बिछीवाड़ा-एक
3. पंचायत समिति, डूंगरपुर-एक

(3) शिक्षा प्रसार अधिकारियों की नियुक्ति चयन समिति के द्वारा की जाती है। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षण का कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि यह नई नियुक्तियां न होकर द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों में से ही बनाये जाते हैं। आरक्षण का प्रश्न द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की नियुक्तियों के समय उत्पन्न होता है।

(4) शिक्षा प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं होती हैं। चयन समिति द्वारा चयनित अध्यापकों को ही पदस्थापित किया गया है। जुलाई, 77 में शिक्षा प्रसार अधिकारी के पदों के लिए विभागीय आदेशानुसार आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे। जिन अध्यापकों द्वारा आवेदन-पत्र भरे गये उन्हें चयन समिति के सामने साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। विभागीय नियमों के अनुसार आदेशों को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा जिनका चयन किया गया उन्हें शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया। चयनोपरान्त पद स्थापित शिक्षा प्रसार अधिकारियों में से एक भी शिक्षा प्रसार अधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति का नहीं है।

व्यवस्था

ग्राम पंचायत झूंठा के चुनाव से सम्बंधित मामले पर आधे घंटे की चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री हनवन्तसिंह, सदस्य विधान सभा ने ग्राम पंचायत झूंठा के चुनाव से संबंधित मामले पर आधे घंटे की चर्चा उठाने की सूचना दी थी जिसको दिनांक 4 अप्रेल, 1978 की कार्य सूची में आधा घन्टे की चर्चा के लिए समाविष्ट कर लिया गया था। इस सदन को ज्ञात होगा कि जिस समय इस आइटम को लिया जाने वाला था एक माननीय सदस्य द्वारा यह आपत्ति की गई कि चूंकि प्रस्तुत मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः इस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। इस आपत्ति पर मैंने कल माननीय सदस्यों के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। इसके अतिरिक्त मैंने इस मामले से संबंधित चुनाव याचिका को भी देखा है जो न्यायालय मुन्सिफ, जैतारण में विचाराधीन है। जो मुद्दे चुनाव याचिका में उठाये गये हैं और

(श्री अध्यक्ष)

वे बिन्दु जो श्री हनवन्तसिंह सदन में आधा घन्टे की चर्चा के रूप में उठाना चाहते थे लगभग समान हैं।

इस सन्दर्भ में विपक्ष के माननीय नेता ने प्रक्रिया के नियम 37 के उप-नियम (20) का हवाला भी दिया था। जांच करने पर मैंने पाया कि प्रस्तुत सूचना में जांच की प्रकिया या विषय या प्रक्रिया से सम्बन्धित विषयों की ओर निर्देश नहीं किया गया है। अतः मेरी राय में यह मामला इस उप-नियम की परिधि में नहीं आता।

माननीय सदस्यों के विचार सुनने, चुनाव याचिका का अध्ययन करने तथा नियमों में की गई व्यवस्थाओं को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि इस मामले पर सदन में चर्चा उठाई गई तो न्यायालय द्वारा इस विषय पर विचार किये जाने पर अवश्य ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। अतः इस पर सदन में चर्चा उठाना ठीक नहीं होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य होटल निगम के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर देने के विषय में।

सर्व श्री राम रघुनाथ चौधरी, जेठमल बरबड़, मांगीलाल भुरिया, रामदेव चोधरी, अब्दुल अजीज व नूरा, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम कालवी में विद्युत मण्डल द्वारा बिना किसी योजना के बिजली देने की स्वीकृति के विषय में।

श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर नगर में गम्भीर जल संकट उत्पन्न हो गया है इस विषय में।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय व श्री कुंजीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 3 अप्रेल को बाली तहसील जिला सवाई माधोपुर में मलाना सब-तहसील में हुई ओला वृष्टि के विषय में।

सर्व श्री रामसिंह विश्नोई, राम नारायण डूंडी, माधवसिंह दीवान, वृद्धिचन्द जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील बिलाड़ा के ग्राम बरना में गत 26 मार्च को एक हरिजन के साथ किये गये दुर्व्यवहार के विषय में।

श्री जयकृष्ण शर्मा व श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से स्टेशन रोड, अलवर पर गत 31 मार्च को हुई तोड़फोड़ के विषय में।

सर्व श्री शंकरलाल, शिवचरणसिंह, रामकरणसिंह, रणजीतसिंह व अब्दुल हादी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में पिछड़ी हुई जातियों व अल्प संख्यकों को नौकरियों में आरक्षण देने के विषय में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित वक्ष अस्पताल में शल्य चिकित्सा के अभाव के विषय में।

श्री मदनसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 2 अप्रेल को ग्राम पुनियाणा तहसील दांतारामगढ़ में एक ट्रक द्वारा 7 वर्षीय बच्चे को कुचल दिये जाने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामकृष्ण दास, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विभिन्न प्रकार के सामान की खरीद में हुए घोटालों के विषय मे।

सर्व श्री रामेश्वरलाल चौधरी, गंगाराम चौधरी व खेतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम नालोह में कार्यरत पशु औषधालय को राज्य सरकार द्वारा हटा लिये जाने के विषय में।

श्री मोहम्मद जहूर, सदस्य विधान सभा की ओर से कामां पुलिस द्वारा एक जांच के दौरान ग्रामीणों को धमकी दिये जाने के विषय में।

ये सब प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। फिर भी इन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार के पास भेजा जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अब्दुल अजीज : ऑन ए पॉइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री मूलचन्द सामरिया : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, आप बहुत ही उदार हैं और उदारता से भरपूर आपका व्यवहार है लेकिन अभी क्वेश्चन आवर में जो आपने कमेन्ट किया ××× इस पर आप पुनर्विचार करें तो अति कृपा होगी। आपके द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो तो यह पेपर्स में सुर्खियों के साथ छपेगा। इस तरह से सारे देश में लोगों को भान होगा कि राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार, सदस्य, ××× सोशल हैं। आप स्वयं जानते हैं कि हम लोग जब भी बोलते हैं इधर से कभी उधर से तो भावावेश में कुछ कह देते हैं। यह ठीक है कि शासन के साथ सहयोग होता है, कभी नहीं होता है लेकिन आपके द्वारा यह कमेन्ट करना हम लोगों के लिये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होगा। ××× हम हैं नहीं लेकिन अखबारों में लिखा जायेगा, वास्तव में राजस्थान जनता पार्टी के सभी लोग ××× हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपने यह नहीं कहा, आपके कहने का तात्पर्य यह नहीं...

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष की कोई बात पर पाईन्ट आफ आर्डर नहीं उठा सकते। I object to it. जो यह पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया गया है।

दूसरी बात अगर ऐसी बात सुनी है तो आपके चेम्बर में निवेदन करते। अगर ××× कमेन्ट किया है तो आपको दबा कर वापस नहीं करा सकते If they are also ××× they are.

श्री शंकरलाल (जैतारण) : इसमें हमारे भी विचार...

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई वह पाईन्ट आफ ऑर्डर तो नहीं हैं लेकिन मैंने जो ×××* शब्द का प्रयोग किया, वह, मैं समझता हूं, अनावश्यक है। मैं इस आशा के साथ कि भविष्य में मुझे ऐसा मौका नहीं दिया जायेगा कि मजबूर होकर ऐसे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग मैं करूं, आदेश देता हूं कि उस शब्द को हटा दिया जाय।

श्री मदनसिंह दांता : इसका मतलब ××× तो है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में चर्चा अनावश्यक है।

(व्यवधान)

विशेषाधिकार भंग प्रश्न

'सच्ची कलम' के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग प्रश्न

श्री मोहम्मद जहूर : अध्यक्ष महोदय, 'सच्ची कलम' के सम्पादक के विरुद्ध मैंने प्रस्ताव दिया था...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, माननीय सदस्य जानकारी के लिये रेफर कर दिया गया है। सभी प्रस्ताव मैं सरकार को रेफर करता हूं। सदन में लाने के लिये अब समय भी नहीं है। मेरा अजेन्डा पूरा हो चुका है। माननीय सदस्य जहूर साहब का जो प्रिविलेज मोशन था उसके सम्बन्ध में चर्चा मेरे चेम्बर में की, वह मैंने प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया है।

*×××शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री कल्याण सिंह कालवी द्वारा श्री अब्दुल अजीज को धमकी

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं बा-इज्जत तरीके से निवेदन करते हुए इस सदन को एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। जिस बात से सदस्यों को भी आपत्ति हो सकती है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। रूल्स ऑफ प्रोसिजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस की जो यह किताब बनी हुई है इसके रूल 57 और 58 की तरफ तवज्जुह दिलाकर अर्ज करना चाहता हूं कि इस सरकार के शार्टेस्ट पीरियड में कल श्री कल्याण सिंह जी ने गृह मंत्री के कक्ष में मुझे ले जाकर यह कहा है कि मैं इनको देख लूंगा...

(व्यवधान)

यह कहना उनका बिलकुल अनुचित है। इस पर आपकी व्यवस्था चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप नोटिस दे दें।

श्री अब्दुल अजीज : नोटिस दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : अभी दिया है। इस सम्बन्ध में मैं कल व्यवस्था दे दूंगा। आपके नोटिस को देखकर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। आपके होते हुये, जब आपका राज्य है...

श्री अध्यक्ष : सुरक्षा देने से आसन कभी इन्कार नहीं हुआ है।

श्री किशन सिंह भाटी : डागा जी, आप संरक्षण चाहते हैं या अध्यक्ष महोदय की सुरक्षा चाहते हैं?

(72)

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी है उसमें अस्वीकार किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कहीं सरकार आपके उत्तर की आड़ लेकर कोई कार्यवाही नहीं करेगी तो बहुत बड़ी गलती हो जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हनवन्त सिंह जी, आप ध्यान आकर्षण के रूप में, स्थगन प्रस्ताव के रूप में, आधे घन्टे की चर्चा के बजाय दूसरे ढंग से यह प्रस्ताव लाते तो मैं अस्वीकार नहीं करता।

श्री हनवन्तसिंह : अध्यक्ष महोदय, 30-3-78 को ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। एक एक शब्द जो मुझे लिखकर दिया, उसका मैंने अध्ययन किया है। अब इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें ...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें....

(व्यवधान)

आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं आदेश देता हूं कि जो कुछ आप कहेंगे, वह अंकित नहीं होगा। अंकित न हो।

श्री हनवन्तसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह दल को निर्णय लेना है कि यह कन्टेम्प्ट आफ दी आसन है या नहीं। आप स्वयं देख लें। मुझे क्या करना है? यह अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है या नहीं?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पहले दिया था स्थगन प्रस्ताव, इसलिए पहले मेरा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय डागा जी!

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन वित्त मन्त्री जी ने अपना भाषण दिया था उसमें यह घोषणा की थी कि इस वर्ष की तरह अगले वर्ष का विकास व्यय भी रोजगार मूलक है। आशा है कि विकास की विभिन्न मदों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के फलस्वरूप 3 लाख 40 हजार व्यक्तियों को नये रोजगार के अवसर दिये जायेंगे। श्रीमन्, जब उन्होंने बजट स्पीच दी थी, उसमें यह आश्वासन दिया है कि 3 लाख 40 हजार लोगों को रोजगार के अवसर दिये जायेंगे। परिवर्तित बजट के समय जो भाषण दिया उसमें कहा है कि 2 लाख 96 हजार लोगों को रोजगार दिया जायगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान होटल निगम की बाबत मैंने इसी सत्र में असेम्बली में सवाल किया था। मुझे जवाब मिला है कि राज्य सरकार ने राजस्थान होटल निगम को भंग करने का निर्णय लिया है। भंग करने का निर्णय 6-1-78 को लिया है। आगे यह उत्तर

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मूलचन्द डागा)

है अभी होटल निगम के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी सभी कर्मचारी यथावत् कार्य कर रहे हैं। 6-1-78 को कैबीनेट का डिसीजन हुआ। होटल निगम में 150 कर्मचारी काम करते हैं वह ओवर ऐज हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी उम्र सेवायें दी हैं। दूसरी जगह अब नौकरी पा नहीं सकते हैं, उन 150 कर्मचारी को अब आप सड़क पर खड़ा करना चाहते हो। यह आपका 6-1-78 का जो निर्णय है उसने होटल कर्मचारियों के पेट पर लात मारी है। बेरोजगारों को रोजगार देना तो अलग रहा, उनको रोजगार से निकाला जा रहा है। वे ओवर ऐज हो चुके हैं और बराबर अब तक काम करते आये हैं। आपने घोषणा की है, श्रीमन्, उसमें आपने कहा है कि 2 लाख 96 हजार को रोजगार देंगे। इधर 150 आदमियों को हटाना चाहते हैं। दूसरी तरफ कहा है कि पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होटल ··

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

रहेंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमन्, श्रम और रोजगार मन्त्री ने बुलाकर 150 व्यक्तियों से बात की है। मैं मन्त्री महोदय का आभार मानता हूं लेकिन क्या वे सदन में आश्वासन देंगे कि 150 व्यक्तियों को नौकरी से अलग नहीं किया जायेगा।

श्री मदनसिंह डांगा : They have taken cabinet decision for it.

श्री मूलचन्द डागा : सरकार ने यह घोषणा की है कि तीन लाख को रोजगार दिया जायगा। क्या सरकार इसी प्रकार का रोजगार देगी ? जिन्होंने काम किया है उनमें से यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है जिनकी रिपोर्ट मोजूद है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। अभी मैं इस प्रश्न में नहीं जाऊंगा। सारे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आपकी सारी ऑडिट रिपोर्ट माजूद है। मुझे समय नहीं है, मैं बताना चाहता था छोटे-छोटे कर्मचारी जो फोर्थ-क्लास कर्मचारी हैं, क्लर्क्स हैं हैड क्लर्क्स हैं उनको हटाया जा रहा है। यह कानून की मन्शा नहीं है, नियम की मन्शा नहीं है। आप होटल कार्पोरेशन के नियमों को पढ़ लीजिये। कल श्रीमान माथुर साहब ने भाषण दिया था होटल के अन्दर एक आदमी ज्यादा कमाता है। भगवान जानता है यह सही है या नहीं। इन 150 आदमियों के लिए आश्वासन मिलना चाहिये। मैं आभार मानता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है लेकिन सरकार यह आश्वासन दे कि इन 150 आदमियों को निकाला नहीं जायगा और ये दूसरी जगह लगा दिये जायेंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय इस होटल निगम में जो कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है, इसका मूल कारण ट्रेड यूनियन में उन कर्मचारियों का भाग लेना है। बहुत ही निम्न स्तर का विक्टीमाइजेशन किया जा रहा है। इसके पीछे मुन्नालाल गोयल का हाथ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह श्रमिक विरोधी नीति लागू की गई है। अगर ट्रेड यूनियन को क्रश किया गया और उधर जो पर्यटन विभाग है उसमें अपने आदमियों को या अपने परिवारों को प्रश्रय दिया जायगा तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

इसलिए मैं चाहूंगा सरकार समय रहते हुए उन समस्याओं को हल करें। उन

(श्री ईश्वरचन्द्र)
कर्मचारियों ने ट्रेड यूनियन बनाई है। वह विधान सभा कैन्टीन में भी सेवा कर रहे हैं। उनकी नौकरियां समाप्त नहीं की जायें, अगर कार्पोरेशन को समाप्त कर रहे हैं तो उनको एम्पलॉयमेण्ट दिया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : अगर उनको री-एम्पलॉयमेण्ट देंगे तो जो सर्विस उन्होंने की है वह खतम हो जायगी।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करूंगा। क्या यह सही है कि होटल कार्पोरेशन को खतम करने का फैसला कर लिया गया है और राजस्थान टूरिस्ट डवलपमेण्ट कार्पोरेशन बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर कार्पोरेशन नहीं बना रहे हैं तो क्या लिक्वीडेट करने का फैसला कर लिया है? अगर लिक्वीडेशन में ला रहे हैं, तो क्या उसके लिए पूरी कार्यवाही कर ली गई? फिर कौन से डिपार्टमेंट में उनको लिया जाएगा। आप होटल कोर्पोरेशन को खतम कर रहे हैं तो जो एम्प्लायमेन्ट में है उनको क्या सरकार कोई दूसरा एम्प्लायमेंट देगी? क्या सरकार उनको नोटिस देकर सड़क पर लाकर डाल देगी? 12-12 साल से जो लोग सर्विस में हैं क्या सरकार उनको एन्टी सोशल एलीमेन्ट बनाना चाहती है? अन्त में मैं यह कहूंगा कि सरकार की जो नीति है सरप्लस गवर्नमेन्ट एम्प्लाईज के लिए, जो नीति बरती जानी चाहिये बरती जायगी या नहीं? क्या उनको घर बैठे तनख्वाह दी जाएगी? इस तरह से सरकार अगर कार्पोरेशन को खतम कर रही है तो उनके एम्प्लाइज को नौकरी देने के बारे में क्या कदम उठा रही है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं निवेदन करूं ...

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री): मैं जवाब दे दूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, होटल कार्पोरेशन समाप्त किया जा रहा है। जैसा कि पहले हाउस में कहा गया था कि इसमें काफी नुकसान है और काफी अव्यवस्था है। यह खतम करने के लिए कदम उठाया गया है और इसके एम्प्लाइज को टूरिस्ट डिपार्टमेंट में एडजस्ट करना है। तो क्या होटल कैन्टीन की व्यवस्था सरकार कायम रखेगी? आगे जो संस्था खोलने जा रहे हैं, उनमें उनको लेना चाहिये। जहां तक मुझे मालूम पड़ा है, डायरेक्टर टूरिज्म नयी संस्था को रन करने के लिए इन कर्मचारियों को बाहर निकालना आवश्यक समझते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी होटल कार्पोरेशन में नुकसान है, उसके लिए डायरेक्टर जिम्मेदार है। क्या उसको सरकारी नौकरी से निकाला जाएगा? यही टूरिज्म के डायरेक्टर मुन्नालाल गोयल जब बीकानेर में जिलाधीश थे तो वहां पर संजय गांधी के आने पर 18 लाख रुपया बिना मतलब के खर्च किया गया था। एक तरफ सरकारी अधिकारी का यह रूप है और दूसरी तरफ मजदूरों की रोटी-रोजी को समाप्त करना चाहते हैं। यह अधिकारी वर्ग की तानाशाही है। जनता पार्टी की घोषणा थी कि जनता पार्टी की सरकार होगी तो 30% सरकारी अधिकारियों को सेवा से मुक्त किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों को तो निकाला नहीं गया है लेकिन गरीब कर्मचारियों को छुट्टी दी जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइण्ट ऑफ आर्डर, सर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हाउस में यह व्यवस्था हुई थी कि हाउस में अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार के आरोप या एलीगेशन्स लगाये जायें, तो पहले आपको लिख कर दे दें। आपने यह व्यवस्था दी थी। रूल 273 है—

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि कारक या अपराधरोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह पाइन्ट ऑफ आर्डर फिजिवल नहीं है। मैंने किसी कारण से अधिकारी की बात कही है। अगर ऐसा है तो कोई अधिकारियों के बारे में नहीं कह सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कह कर समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जो बड़े अधिकारी नुकसान करते हैं, उनको हटायें। बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनके कारण इण्डस्ट्रीज नुकसान में जा रही हैं। उस सम्बन्ध में ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, पी. ए. सी. की रिपोर्ट्स हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसे अधिकारियों को बाहर निकालें, इसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं निगम में दे दी जानी चाहिए। आई. ए. एस. अधिकारियों ने होटल कार्पोरेशन में नुकसान किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, कल मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी। फिलहाल होटल कार्पोरेशन के मामले में स्टे कर दिया गया है। जो रेलेवेन्ट पाइन्ट रेज किये गये हैं कि जो डिपार्टमेन्ट में कन्फर्म्ड हैं या जो दो-दो तीन-तीन साल से काम करते आ रहे हैं फिर भी टेम्प्रेरी हैं तो इन सारी बातों को एग्जामिन करने के बाद ही कार्यवाही होगी।

श्री मदन सिंह दांता : क्या यह सही नहीं है कि होटल कार्पोरेशन को खतम करने का केबिनेट ने निर्णय ले लिया है ?

श्री केदारनाथ : ले लिया है।

श्री मदनसिंह दांता : जब केबिनेट ने निर्णय ले लिया है तो फिर क्या हो सकता है।

श्री केदार नाथ : मेरा निवेदन यह है कि लिक्वीडेशन की बात की है। जो एलाइड एक्जामिनेशन्स हैं, उन पर विचार किया जाएगा। लिक्वीडेशन में क्या होगा, यह विचार किया जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा : क्या 6-1-78 को निर्णय ले लिया गया है ?

श्री केदारनाथ : सारे एक्जामिनेशन्स किये जा रहे हैं। जो पहले से काम करते आ रहे हैं, उनको सेफगार्ड दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में बिजली लाने के बारे में राज्य सरकार जनता के धन का दुरुपयोग कर रही है। मण्डल में अव्यवस्था है। नाजायज तरीके से किसी प्रकार से लाइन खींचते हैं उसमें जनता के धन का दुरुपयोग होता है। वास्तव में जिन लोगों को बिजली मिलनी चाहिये उनको बिजली से महरूम रखा जा रहा है। मैं यह विश्वास रखता हूं और मंत्री महोदय से विश्वास चाहता हूं कि सभी गांवों मे बिजली लगेगी। लेकिन मेरा निवेदन है कि पहले उन गांवों में बिजली दी जावे, जहां सिंचाई के लिए कुए हैं। जहां पर किसान इन्तजार कर रहे हैं कि बिजली मिले वहां बिजली दी जाये। जहां फायदा हो सकता है वहां बिजली दी जाय। हमारे योजना आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में गैलोटी, बाबेला, कालवी, इन गांवों के नाम दिये हैं जिन गांवों में पीने का पानी नहीं है या जहां का पानी जहरीला है। इसलिए यह जो गांव हैं, उनमें पानी पहुंचाया जाये।

यह एक अलग से प्रश्न है लेकिन इससे सम्बन्धित है। एक जल योजना शुरू कर दी गई है यह तो समझ में आता है लेकिन उसके आस-पास में जो गांव पड़ते हैं, उनके अन्दर पानी नहीं है, लोग खाली घड़े लेकर दूर दूर जाते हैं। अगर आप उन गांवों के कुओं को बिजली देने की व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर वहां पर बिजली किस लिये दी गई? गांव की जनसंख्या 100 है या 20, कौन व्यक्ति असरदार हैं, किसके प्रभाव से ऐसा हुआ इसमें तो मैं नहीं जाना चाहता। कुचेरा गांव से बिजली की लाइन खींची गई, बीच में जो गांव आते हैं, बाबेला, गैलोटी, कालवी इनमें पानी नहीं है। इनका सर्वे भी हो चुका, सर्वे करने के बाद मैंने एक्स.ई.एन. से बातचीत की, और बिजली विभाग के अधिकारियों से भी मिला। उनको मैंने यह जानकारी दी तथा उनको निवेदन किया कि क्या आप इन गांवों को भी विद्युतीकृत करेंगे? तो उन्होंने बताया कि यह जस्टिफाइड नहीं है इसलिए इस पर गौर नहीं किया गया और इसको हम नहीं कर रहे हैं। जब मुझे यह सूचना मिली तो इतना सन्तोष तो जरूर हुआ कि कुछ काम तो हो रहा है। जनता पार्टी की सरकार ने विश्वास जनता को दिलाया था कि जनता के धन का दुरुपयोग नहीं किया जायगा और सबके साथ न्याय किया जायगा। मान्यवर, यह एक ज्वलन्त उदाहरण है कि किस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो सकता है। कुचेरा से कालवी तक लाइन खींची गई जो 15 किलोमीटर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इससे एक पैसे की आमदनी नहीं होने वाली है। यह लाइन रातों रात खींच दी गई। होली के अवसर पर खींची गई। कल्याणसिंह कालवी केवल एक आदमी के प्रार्थना-पत्र देने पर, एक पैसा भी किसी ने जमा नहीं कराया और लाइन खींच दी गई। इससे एक पैसे की भी आमदनी होने वाली नहीं है। बीच के गांव छोड़ दिये गये। वहां पर कोई उद्योग लगाने की गुन्जाइश नहीं है। वहां कुए भी नहीं हैं। जल विभाग ने अधिकृत रूप से घोषणा कर दी है कि वहां पर पानी नहीं है। केवल एक घर में बिजली लगाने के लिए 11 के.वी. की लाइन खींची जाती है। कई गांवों के

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
बीच में से होकर लाइन खींची जा चुकी है लेकिन उनको बिजली नहीं दी गई। कुडी, गिला, बारना, मावला, माल्यास, संकड़ों गांव मैं ऐसे ऐसे बता सकता हूं जिनके आस पास से 11 के. वी. की लाइन निकाली गई है लेकिन बिजली नहीं दी गई। इससे ज्यादा, माननीय, दुर्भाग्य क्या हो सकता है ? इससे ज्यादा शर्मनाक घटना जनता सरकार के लिए क्या हो सकती है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, इसकी जांच कराई जाय और उन अधिकारियों का, जो इसके लिए दोषी हैं, सजा दी जाय। बार-बार विद्युत मण्डल टैक्स लगा देता है, मिनिमम चार्ज कर लेता है वह इसलिए वसूल नहीं किया जाता कि उस धन का अपव्यय किया जाय। इस तरह से जिन लोगों ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

को वास्तविक लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराई जाय और मन्त्री महोदय इसके बारे में स्टेटमेन्ट दें और दोषी अधिकारियों को सख्त सजा देने की व्यवस्था करें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम तो नहीं है।

श्री शंकरलाल : इसमें तो नहीं है लेकिन अलग से प्रस्ताव था।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि माननीय सदस्य एडजोर्नमेन्ट मोशन रिजेक्ट होने के बाद सरकार के सामने कुछ बात रखते हैं। वैसे तो सभी जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी रखते हैं लेकिन एक विभाग के मन्त्री भी नहीं रहते। ऐसा लगता है जैसे हम हवा में फायर कर रहे हों। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं, यह एक कर्टसी है, प्रिविलेज है कि वे यहां पर बैठें, किस विभाग के बारे में क्या कहा जा रहा है, उसको सुनें। अभी माननीय सदस्य ने बिजली मन्त्री को कोई बात कही, किन्तु बिजली मन्त्री गैर हाजिर हैं फिर यह बात उन तक कैसे पहुंचेगी, कौन इसका जवाब देगा, क्या एक्शन होगा या नहीं होगा ? यह तो इस तरह से है जैसे माथा पकड़े तो धोती खुले और धोती पकड़े तो साफा खुले। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस हाल में क्या होगा ? उनको मौजूद रहना चाहिए। They are paid to remain in this House.

श्री अध्यक्ष : Here I agree.

श्री शिवचरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : कितने ही माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। कल आप बोल चुके हैं, माननीय सदस्य। आप बोलना चाहें तो बोलें।

(श्री अध्यक्ष)

श्री अब्दुल अजीज !

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : आपको इजाजत नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, जहां पर बिजली देने की व्यवस्था की गई, वह इस आधार पर की गई कि किस आदमी का कितना असर है, किस अधिकारी का प्रभाव है। यह क्या कानूनी व्यवस्था है ? जो बिजली देने का तरीका है वह प्रभाव के आधार पर सबको एक तरफ रख करके, चाहे किसी का गांव हो, चाहे किसी का ससुराल हो, आप बिजली दें। मैं तो यह कहता हूं कि जो जाने वाली सरकार की आलोचना करने वाली सरकार है और जनता पार्टी के विधायक साथी हैं वह आज अपनी पार्टी की जड़ों में जाकर देखें तो मालूम पड़ेगा कि आपकी पार्टी के कार्यकर्त्ता किस प्रकार से कानून-कायदों को ताक में रख कर अधिकारियों पर प्रभाव डाल कर यह कोशिश कर रहें हैं कि अपने गांव में और सुसराल में बिजली पहुंचाने का काम पहले होना चाहिए। शायद ऐसा टाइम फिर आये या नहीं। आप भी नकल करने में पीछे नहीं रहे हैं। किस के सुसराल में बिजली पहुंचाना जरूरी समझा जाता है, मैं यह नहीं कहता कि सारे साथी और कार्यकर्त्ता ही ऐसे होंगे। अगर आपके कोई कार्यकर्त्ता ऐसा काम करते हैं तो उनका पक्ष न लें। अगर विधिवत् तरीके से बिजली ली गई है तव तो ठीक है लेकिन उसके जो तरीके बने हुये हैं, उसको तोड़कर अगर कोई कार्यकर्त्ता बेजा फायदा उठाता है तो कहता हूं कि जब विधान सभा में यह सवाल उठाया जाय तो पार्टी के लोगों को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। यहां पर इल्जाम लगाया गया है तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि उचित कार्यवाही की जानी चाहिए चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। इससे अधिकारियों के दिल में जो डर पैदा होता है कि काम नहीं करेंगे तो बदली हो जायगी, सस्पेण्ड कर देंगे, वे इस भावना से मुक्त हो जायेंगे। आपने भय मुक्त शासन की बात कही है

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तो अधिकारियों को आप भय मुक्त कीजिये। मेरा निवेदन करना है कि ऐसे गलत तरीके इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। आप इसको गम्भीरता से लें। विधायक साथी जो प्रस्ताव लाये हैं, उस पर मैं कल बोलूंगा लेकिन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कोई बात उठाना भी खतरे से खाली है या नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : जब तक अध्यक्ष बैठे हैं, हमें संरक्षण मिलेगा।

श्री मोंगीलाल (जायल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कालवी गांव है। ठीक है किसी की मदद से काम हो सकता है, क्योंकि मदद न हो तो बिजली कैसे लगे। जहां एक ढाणी जैसा गांव है उसकी 100 की आबादी नहीं है, फिर भी वहां डाइरेक्ट बिजली लगा दी है। मेरे क्षेत्र में गांव जायल में 9 हजार की आबादी है, उस जगह पंचायत समिति है, तहसील है, हाई

(श्री मांगीलाल)

स्कूल है, लेकिन वहां बिजली का कोई पता नहीं....

श्री नरेन्द्रपालसिंह : इतना बड़ा गांव कैसे बन गया ?

श्री मदनसिंह दांता : आपके पक्षपात के कारण।

श्री मूलचन्द डागा : You are giving wrong protection. मुख्य सचेतक होकर....

(व्यवधान)

श्री मांगीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र मे कालवी गांव में कोई कुआं सिचाई का नहीं है सिवा ठाकुर साहब के। बिजली कर्मचारी यह नहीं देखेंगे कि किसको बिजली देनी है आबादी है या नहीं, जरूरत है या नहीं क्योंकि प्रभावशाली व्यक्तियों का पट्टा बन् गया है। दिन मे रात और रात में इनको दिन दिखता है। मेरे क्षेत्र में एक गांव है जिसमें 8 हजार की आबादी है, अभी तक उसमें बिजली नहीं लगाई, दूसरे में 6 हजार की आबादी है, उसमें भी बिजली नहीं लगी, तीसरे में 4 हजार की आबादी है, उसमें बिजली नहीं लगी लेकिन एक ढाणी में डाइरेक्ट बिजली दे दी। कितना सरकार का इससे नुकसान हुआ है। यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। खुला भ्रष्टाचार है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज !

विशेषाधिकार भंग प्रश्न
श्री कल्याणसिंह कालवी द्वारा
श्री अब्दुल अजीज को धमकी

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, विषय बड़ा गंभीर है। जनता पार्टी व उसकी सरकार ने दुनिया को अपनी कामयाबी के सब्ज बाग दिखाकर वायदे किये, जनता और गरीब लोगों का विश्वास लिया, उसके बाद में उसके कार्यकर्त्ता ने कानून व इन्सानियत से परे रह कर राज को अपने हाथों में लेकर कदम उठाया। यह अराजकता, भ्रष्टाचार और प्रभाव हमारे लोकतंत्र की आधारशिला को हिला देने वाली है। हम कानून बनाते हैं उनके अनुसार चलने के लिए नियम बनाते हैं। हर आदमी उम्मीद करता है कि हम उसूल से चलें। हर इन्सान और हर वर्ग का बराबर का दर्जा दें। इसी तरह से राजनीति में राजनैतिक आधार पर हम बराबर का दर्जा दें। अपने उसूल व इन्सानियत को आगे बढ़ायें, लोगों की मदद करें। इस इलाके की बदकिस्मती हो या खुशकिस्मती, जहां इतने प्रभावशाली आदमी हैं, जिसका मुझे अनुभव है, कल्याणसिंह कालवी के नाम से कई मंत्री भी टैरेराइज्ड हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर...

श्री नवनीत पालीवाल : आपको कैसे पता कि मन्त्री उनसे टैरेराइज्ड हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने माननीय सदस्य को धमकी दी है। इन्होंने प्रिविलेज मोशन दिया है।

श्री अब्दुल अजीज : गैर कानूनी तरीके से आपके दल के सदस्य मन्त्रियों पर हावी हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी मुझसे पूछने लगे हैं कि कालवी साहब नाराज तो नहीं हो जायेंगे। इससे आप उनके प्रभाव का अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं साथियों से

(श्री अब्दुल अजीज)

कहता हूं, हमारा यहां बैठना किस काम का है, अगर एक आदमी जो राज्य में कोई सरपंच नहीं है, वार्ड पंच नहीं है सदस्य नहीं है, इलेक्टेड नहीं ···

(व्यवधान)

यदि व्यवधान पैदा करेंगे तो उचित नहीं होगा।

किसी भी पार्टी के सदस्य को गैर कानूनी तरीके से सत्ता ···

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह विशेषाधिकार की बात नहीं है ? इनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है, आपको मालूम है ?

श्री अब्दुल अजीज : मैं धमकियों से नहीं डरता लेकिन इनके व्यवहार से मुझे ठेस पहुंची है। मुझे डर नहीं है। एक आदमी इस तरह से सीमा पार कर जाये, इन्सानियत और तमाम संविधान व कानून को तोड़ कर कौने में धर दे और आप व हम देखते जायं, यह उचित नहीं है। समय बदला है और बदलेगा, दिन बदलते हैं, कुरान शरीफ में आया है दिन पलटते हैं, लेकिन इन्सानियत को नहीं भूलना चाहिये। हर इन्सान को चाहिये कि वह इन्सान की मदद करे। मुकाबला किया जाय लोगों को राहत पहुंचाने में। मुकाबला पक्षपात में नहीं, भ्रष्टाचार में नहीं, दबाने में नहीं करें बल्कि तरक्की दिलाने में करें। इससे आप लोगों के दिलों को जीतेंगे। यह कोई जोधपुर व नागौर जिले के लोगों की बात नहीं है। कौनसा विभाग है जिसमें उन्होंने दस्तदाजी नहीं की ? पुलिस में आप जायं, बिजली विभाग में आप जायं, एजूकेशन में आप जायं, कौन से विभाग को उस आदमी ने छोड़ा है ? बी. डी. ओ., एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स से न जाने कितना भ्रष्टाचार करवाया है। आप वैधानिक तरीके से आयें लेकिन एक आदमी किसी मुख्य मन्त्री के मुंह लग जाए···

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : आप चार्ज दोहरा रहे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक व्यक्ति आकर धमकी दे।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह एक सदस्य को दबाया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, कोई दबाव नहीं डाला जा रहा था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह बिलकुल गलत है। मैंने कल्याणसिंह जी और अब्दुल अजीज की बातें सुनी थीं। अध्यक्ष महोदय ····

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले बीस साल तक कांग्रेस के राज्य में जो अन्याय होता था उसका मुकाबला किया। अब यह अगर अन्याय करेंगे तो हम इनका भी मुकाबला करेंगे।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, कहां पर अन्याय की बात आ गई है।

(श्री नवनीत पालीवाल)
यहां पर मन्त्री बोलते हैं इस तरह बोल रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय इन्होंने बार बार यह कहा कि दबाव डाल रहे थे। कौनसा दबाव अब्दुल अजीज पर कल्याणसिंह कालवी डाल रहे थे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, कल्याण सिंह जी कालवी तो अब्दुल अजीज को अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह बड़े प्यार से समझा रहे थे। उसमें दबाव डालने की बात ही नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि जब सदन के एक सदस्य का अपमान होता है तो वह अपमान सिर्फ एक सदस्य का नहीं होता है बल्कि पूरे सदस्यों का अपमान होता है। हम तो आपके प्रति पूरी आदर भावना रखते हैं आपके संरक्षण के कारण, हमें चूंकि आप पर विश्वास है इसलिए सदन में सही तथ्य रख कर आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कल्याणसिंह जी कालवी तो अब्दुल अजीज को अपने बच्चे की तरह प्यार से समझा रहे थे। उसमें कोई डराने-धमकाने की बात नहीं थी।

श्री मदनसिंह दांता : Who asked you this question ?

श्री मूलचन्द डागा : आप बैठिये। हर बात में बीच में बोलने लग जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, अगर कल्याणसिंह जी कालवी ने अब्दुल अजीज जी को डराया-धमकाया हो तो अब्दुल अजीज जी इस सदन में कुरान की कसम खाकर कहें।

श्री मदनसिंह दांता : इसमें कुरान की कसम खाने की क्या बात है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : वह तो पिता जिस तरह पुत्र को समझाते हैं उस तरह बड़े प्यार से समझा रहे थे। कल्याणसिंह जी वहां पर इनको डरा-धमका नहीं रहे थे।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मैं आपको कहना चाहता हूं, दाऊदयाल जी आप गीता की कसम खाकर कहें कि कल्याणसिंह कालवी भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मन्त्री जी के निजी आदमी नहीं है। आप यह कह दें गीता की कसम खा कर।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

Page No. 72

(72)

श्रीमती सुमित्रासिंह : पहले मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो यहां पर चुनाव जीत कर इस सदन में आते हैं वह हमारे भारतीय संविधान की शपथ इस सदन में ग्रहण करते हैं और उसी के अनुरूप वे सदन में बोलते हैं। माननीय सदस्य अपनी जानकारी से जो भी इस सदन में कहते हैं वह सही कहते हैं। इसमें गीता और कुरान को बीच में लाने की क्यों आवश्यकता पड गई। अतः इस सदन में गीता और कुरान की शपथ के आधार पर कुछ कहना निरर्थक है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह बांता : क्या आपके मिनिस्टर सभी बातें सच बोलते हैं ? यह क्या मतलब हुआ ? अब्दुल अजीज जी पर दबाव कल्याणसिंह कालवी ने क्यों डाला ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस प्रकार की घटनायें धमकियां देने की बहुत चालू हो गई हैं। यह कहां तक उचित है कि माननीय सदस्य ने सदन में कोई तथ्य आपके सामने रखे उसके लिए कुरान की कसम खाने के लिए माननीय सदस्य पर अनुचित दबाव डाला जाये ? कुरान की कसम खाने की बात जो कही गई है इसको एक्सपन्ज किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें। श्री अब्दुल अजीज जी अपना भाषण मुख्तसर में फर्मा दें।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण मुख्तसर में मुद्दे की मुख्य मुख्य बातें रख कर समाप्त कर दूंगा। इसके साथ साथ मैं यह भी गुजारिश करना चाहूंगा कि जो कुछ भी इस सदन में अब्दुल अजीज बात कहेगा वह सच कहेगा और सच्चाई की बात को सदन में रखने में अब्दुल अजीज कभी भी पीछे नहीं हटेगा। यह मैं इन माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं जिन्होंने कुरान की कसम खाने की बात कही । जो दबाव डालने की बात है उसके लिए मेरा निवेदन है कि हमारे यहां कल्याणसिंह जी कालवी सरकारी मशीनरी, जो हमारे जिले की है, पर अनुचित दबाव डालते हैं । मैंने यह कहा कि इस तरह सरकारी मशीनरी पर असंवैधानिक तरीकों से अनुचित दबाव डालना करप्शन की फहरिस्त में आता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय हमारे यहां बिजली विभाग से कई लोगों को गलत तरीके से नोटिसेज दिए गये । सैकड़ों की तादाद में लोगों पर परबतसर के कोर्ट में केसेज चल रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, लोगों को गलत तरीके से दो-ढाई हजार के नोटिसेज इश्यू कर दिये। कई लोगों को नोटिसेज मिले। श्री कल्याण सिंह जी कालवी ने सरकारी मशीनरी पर दबाव डाल कर कई शिड्यूल्ड कास्ट्स और दूसरे अपने लोगों के नोटिसेज कैन्सल करवाये हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : कल्याण सिंह कालवी वहां क्या हैं ? उनकी क्या चलती है ?

श्री मूलचन्द डागा : उनकी चलती है तभी तो कालवी गांव तक बिजली पहुंच गयी है।

श्री मदनसिंह दांता : You cannot stop us from giving details.

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : अगर आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे।

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, यह द्वेष भावना की बात तो सदन के बाहर होनी चाहिये। सदन के अन्दर क्यों आ रही है ?

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर भी लोग इज्जत हतक कर देते हैं माननीय सदस्यों की तो मेरा फर्ज है कि अन्दर आकर कहूं। पर यहां तो...

(व्यवधान)

अन्दर भी ऐसे लोग आ गये हैं। यह बात सही है और सभी जानते हैं कि कल्याण सिंह जी कालवी मुख्य मन्त्री जी के कितने नजदीक हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : अगर नजदीक है मुख्य मन्त्री जी के तो आप क्या अलग कर दोगे ?

श्री अब्दुल अजीज : आप थूक से चिपका दो उनको मुख्य मंत्रीजी के।

श्री भंवरलाल ऐरन : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें। पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री भंवरलाल ऐरन : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मकराना से आये माननीय सदस्य ने यह कहा कि आप कल्याणसिंह जी कालवी को थूक से चिपका लो, इसको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री गुल मोहम्मद : मुंह में आये वह ही कह देते हैं आप।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने भी खूब चिपकाये रखा था।

श्री गुल मोहम्मद : थूक से चिपकते हमने नहीं देखा किसी को कि किस ढंग से चिपकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : कम से कम आपके जीभ के तो चिपके हुए हैं।

(व्यवधान)

म्युनिसिपैलिटी में धोखा दिया, राजमाता को धोखा दिया और अब भैरोंसिंह जी को धोखा दे रहे हैं। भैरोंसिहजी का गला पकड़ कर दबोचे हुए हैं कालवी।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : आपका नाम लिस्ट में नहीं है।

इस सम्बन्ध में चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामेश्वर दयाल चौधरी (चौमूं) : मेरा स्थगन प्रस्ताव है ग्राम नालोह में कार्यरत पशु औषधालय को राज्य सरकार द्वारा हटा लिये जाने के विषय में।

श्री अध्यक्ष : बाद में आवेगा माननीय सदस्य।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस आशय का पेश किया था कि सीकर नगर में पेयजल का गंभीर कष्ट है। दो दो दिन पानी ही नहीं मिल पाता है। एक पाइप लाइन है वह 2 इंची पाइप लाइन है और पांच कनेक्शन है। दो-दो दिन तक लोगों को पानी नहीं मिलता है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कहां की बात है ?

श्री परसराम मोरदिया : सीकर नगर की बात है। एक्स.ई.एन. से भी कह चुके है लेकिन इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। गर्मी का टाइम आ रहा है। पानी की बड़ी भारी समस्या है। पाइप लाइनें भी बहुत कम मात्रा में लगी हुई हैं और पानी बहुत कम आ पाता हैं।

(व्यवधान)

रेगरों का मोहल्ला, बलाइयों, फकीरों और हरिजनों के मोहल्लों में तो बड़ी भयंकर समस्या है। लोग गड्ढे खोद-खोद कर पानी निकाल लेते हैं। जहां पानी आता है वहां बहुत कम पानी आता है। पानी का प्रेशर तो है ही नहीं इसलिये पानी की भयंकर किल्लत हो रही है। एक-एक मील दूर से पानी लाना पड़ता है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि स्वयं इसका इन्तजाम करें और दो इंची पाइप लाइन की जगह मोटी पाइप लाइन डाली जाय जिससे पानी मिल सके और प्रेशर भी बढ़ जाय। मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि गर्मी का मासम आने वाला है। आज जब कि गर्मी शुरू हुई है तब यह हालत है तो यदि इसकी ओर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो आगे भयंकर गर्मी में लोगों की हालत बड़ी खराब हो जावेगी। पानी के बिना लोगों का काम नहीं चल सकेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह पत्र मुझे अभी मिला है। पुरुषोतम जी मंत्री के क्षेत्र में भयंकर ओला वृष्टि हुई है। फसलें खराब हो गयी हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ओला वृष्टि के कारण क्षति हुई है इसलिये, श्रीमान, अकाल राहत मंत्रीजी इसकी समुचित व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह पत्र आया है।

श्री रणमलसिंह : सीकर में जल संकट केसम्बन्ध में दिये गये प्रस्ताव में मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है। एक मात्र श्री परसराम मोरदिया का नाम है।

श्री मदनसिंह दांता : दस्तखत तो किये हैं ?

श्री रणमलसिंह : मेरा नाम होना चाहिये। सीकर में पानी नहीं पहुंचता है। वहां पानी की बड़ी किल्लत है।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट आप बोल लीजिये।

श्री रणमलसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि दिये तले अन्धेरा है। सीकर नगर एक लाख से ऊपर की आबादी का नगर है। आज की तारीख में जब कि गर्मी शुरू ही नहीं हुई वहां पर पानी की बड़ी भारी किल्लत है। पानी पहुंचता ही नहीं है। पहले तो कुओं की भी व्यवस्था थी जिससे लोग पानी तो पी सकते थे लेकिन आज उस व्यवस्था के समाप्त हो जाने के बाद और नल से पानी मिलने लगने के बाद लोग बड़े पराधीन हो गये। ऊपरी जगहों पर यह पानी पहुंचता ही नहीं है। रैगरों का मोहल्ला, बलाइयों का मोहल्ला, नायकों का मोहल्ला, मेहतरों का मोहल्ला और फकीरों का मोहल्ला है वहां तो लोगों को पानी कतई नहीं मिलता है। कुओं से पानी निकाला नहीं जा सकता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि इन जगहों के लिये पानी की फौरन व्यवस्था करे। पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो प्यासे मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पड़ोस में भी कुए नहीं हैं। खारे कुए थे वे भी बरबाद हो गये।

श्री मदनसिंह दांता : आप बुला लेना, नाम दे देंगे।

श्री परसराम मोरदिया : हरिजन आदि कॉलोनियों में आज तक पानी नहीं पहुंचा है।

श्री महबूब अली : मैं निवेदन करूंगा कि मुझे इस विषय में डिटेल्स लिख कर दें। मैं व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को लिख कर भेज दें।

श्री मदनसिंह दांता : जोशीजी फिर उठ रहे हैं। जोशीजी हाथ जोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अभी अभी पत्र मिला है लाड़पुरा तहसील में ओलावृष्टि हुई है...

श्री अध्यक्ष : इसकी पहले व्यवस्था हो जाय। फिर दो मिनट आपको दे दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : धन्यवाद।

श्री मांगीलाल : रिकार्ड में लिख दिया भंगी कॉलोनी। पानी पीने कहां जावेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : अब हरिजन ही रह गये हैं...

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आधे घन्टे की चर्चा का नोटिस दिया था...

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। 31 मार्च को अलवर की स्टेशन रोड पर...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम है। मैं उसको ले लूंगा।

श्री गुल मोहम्मद : एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय। परसों के अखबार में एक ऐसा लेख आया है जिसमें लिखा है कि सदन के अन्दर इस तरह से एक माननीय सदस्या को कहा गया कि मधुबन का उदाहरण देते हुए

(श्री गुल मोहम्मद)
मधुबाला का सा अभिनय कर रही हैं आप इस तरह से माननीय सदस्या को मधुबाला कहा गया है। यह परसों के अखबार में छापा गया है कि माननीय सदस्या को मधुबाला कहा गया। क्या माननीय सदस्या को इस तरह से कह सकते हैं? मधुबन का उदाहरण देते हुये मधुबाला का नाम लिया। क्या ऐसा कह सकते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शंकरलाल : अगर किसी अखबार में गलत खबर छपी है तो विशेषाधिकार का प्रश्न तो आ सकता है। लेकिन यह पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा तब ही तो कह सकता हूं।

श्री शिवचरणसिंह : मधुबाला नाम की कोई सदस्या इस सदन में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में नोटिस देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मधुबाला तो किताब भी लिखी हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सहाय !

(अनुपस्थित)

श्री कुंजीलाल !

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई !

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण डूडी !

(अनुपस्थित)

श्री माधवसिंह दीवान !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

श्री जयकृष्ण शर्मा !

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी सदन में अलवर में छात्र आन्दोलन को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। इस सदन में मैंने एक बात भी कही थी, उस समय यह विवाद का विषय बना था कि अलवर बन्द है। वह बात मेरी इस बात से सच हुई कि जनता पार्टी के दो विधायक श्री नत्थीसिंह और श्री हरिसिंह जी दोनों वहां पधारे थे। विद्यार्थी वर्ग के साथ बातचीत की गई और उनकी जो उचित मांगें थीं उनको सुना। विद्यार्थियों का एक शिष्ट मण्डल जयपुर के अन्दर आया। माननीय मुख्य मंत्री जी से उनका शिष्ट मण्डल मिला। माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने उन्होंने अपनी मांगें रखीं। उन मांगों के अन्दर यह मांग भी थी जिसमें पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही गई थी। साथ ही साथ में जो वहां के लेक्चरार्स बहुत बड़ी मात्रा में ट्यूशन करते हैं उनके खिलाफ भी मांग थी। हमारे यहां के, जिनकी प्रोग्रेसिव विचारधारा है

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

उनके बीच में पड़ने के कारण वह मांगें पास हो गई । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उनकी मांगों को सुना । उन मांगों में कुछ मांगें पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी थीं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं और राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थी यहां मांगों को लेकर बातचीत जयपुर में कर रहे थे और 31 मार्च की रात्रि के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक अलवर के स्टेशन रोड पर खुले आम लूटपाट की गई । यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इससे एक बात और भी इंगित होती है जो कि सरकार के लिए, अध्यक्ष महोदय, कलंक का विषय है । उस लूटपाट के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, इस बात से राजनैतिक बदबू आती है कि इसी सदन के माननीय सदस्य, जो कि 15 साल तक इस सदन के सदस्य रहे हैं और एक पार्टी के नेता हैं, श्री रामानन्द जी अग्रवाल उनके पैट्रोल पम्प को तहस-नहस किया गया । उनके पैट्रोल पम्प को लूटा गया । उसके सामने ही एक शो रूम बना हुआ था जिसके अन्दर स्कूटर बिकते थे उसको भी तहस-नहस कर दिया । वहां की जो पुलिस थी वह निष्क्रिय रही और 4 घन्टे तक अलवर के अन्दर लूटपाट चलती रही । दोपहर के अन्दर 4 बजे और 5 बजे के करीब जब अलवर के पत्रकार वहां के एस. पी. से मिले तो एस. पी. ने कहा कि यदि आज कोई भी अलवर के अन्दर घटना हो गई तो मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि जैसे रोम जलता रहा और नीरो बन्सी बजाता रहा उसी तरह अलवर के अन्दर होगा । कुछ भी हो पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी । यदि पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत कर दी तो पुलिस कुछ नहीं करेगी । आज पुलिस के खिलाफ विद्यार्थी मांग कर दें तो पुलिस के अधिकारी इस प्रकार का रवैया अख्तियार करते हैं वहां के जन जीवन को अस्त व्यस्त करने में योगदान देते हैं और कलंक उन छात्रों पर मढना चाहते हैं जो छात्र यहां बात कर रहे थे । वहां के

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ बदमाश लोग और असामाजिक तत्व लूटपाट कर रहे थे और पुलिस निष्क्रिय थी । रात्रि को 12 बजे बाद पेट्रोल पम्प पर एस. पी. साहब पधारे । उन्होंने कहा कि आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है । एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता की हैसियत से उन्होंने जवाब दिया वह भी राजनैतिक दल के मेम्बर हैं उन्होंने कहा कि किस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते ? क्या झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते ? यह 4 घंटे तक होता रहा और पुलिस में कोई टेलीफोन किया तो किसी ने कहा कि एस. पी. साहब नहीं हैं । 4 घंटे तक यह सब कुछ होता रहा इससे साफ दृष्टिगोचर होता है कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है और असुरक्षा की भावना लोगों के अन्दर दिनों दिन पैदा होती जा रही है, लोग अशांत हैं । लोगों के अन्दर शान्ति और व्यवस्था नहीं बन पा रही है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या विद्यार्थी जो मांगें रखते हैं उनका सरकार की ओर से एक यही इलाज है ? जो विद्यार्थी यहां बात कर रहे थे और जिन्होंने यह वायदा किया था कि इतने बजे तक यदि आप हमारी बातों को मानेंगे

Page No. 78

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

तो हम किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे। उनके ऊपर एक प्रकार का लांछन माढ़ने के लिए यह षड़यंत्र रचा गया है।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम इस हाउस में कोई बात कहते हैं तो हम वहां के वातावरण को बिगाड़ना नही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहां शांति और व्यवस्था रहे, और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो, लोगों का जन-जीवन सामान्यतया चले लोग खुशहाल रहें इसलिए हम आपके सामने बातें रखना चाहते हैं। इसलिए बात नहीं रखना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार में पनपते रहें, भ्रष्टाचारी लोग अपने आप बातों को बढ़ाते रहें। हमने आपके सामने पहले भी यह विचार रखा था और आज भी रखना चाहते हैं कि जो कुछ हम यहां कहते हैं हम उसको समझते हैं......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

हमने पिछली बार भी कहा था। उस समय भी गृह मंत्री जी से निवेदन किया था गृह मंत्री जी आप अलवर के हैं, अलवर की स्थिति को आप अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है, आपका जोधपुर का जवाब टेलीफोन से देना पड़े, आपको जैसलमेर का जवाब टेलीफोन से देना पड़े क्योंकि वहां की वस्तुस्थिति आपको शायद कम मालूम है लेकिन अलवर की वस्तुस्थिति की आपको पूर्णतया जानकारी है। आप जानते हैं सब बातों को इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि समय रहते हुए आपको चेतना चाहिए। इस प्रकार की आज कार्यवाही करने के लिए उनके खिलाफ आपको कदम उठाना चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपका इस ओर ध्यान दिलाया है।

श्री अध्यक्ष : शंकरलाल

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने और चार अन्य माननीय सदस्य ने राजस्थान के अन्दर पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों को नौकरियों में संरक्षण देने के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, वैसे जनता पार्टी सत्ता में आई उससे पहले चुनावी घोषणा पत्र में उसने यह वायदा किया कि 25 से 30 प्रतिशत नौकरियों के अन्दर बैकवर्ड क्लासेज को संरक्षण दिया जायेगा। राजस्थान के अन्दर एक तिहाई संख्या जिन बैकवर्ड क्लासेज की है उन पिछड़ी जातियों ने शायद इस वायदे के कारण सरकार को सत्तारूढ़ किया। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न इस सदन में किया था कि बैकवर्ड क्लासेज कौनसी हैं जो उस श्रेणी में आती हैं। उसके उत्तर के अन्दर, हालांकि प्रश्न तो सदन में नहीं आया, जो बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट मुझे दी, मैं निवेदन करूं इसमें कुछ ऐसी कास्ट्स हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट्स हैं। बावड़ी, धाबी, ढोली आदि भी बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट में दी गई। उसके अलावा जो लिस्ट दी गई है, उसमें बंजारा, बाडेरा, बागरिया, भाट, चीता, भोई, चमटा डाकोट, दामानी, दारोगा, ढांढी, धानका, गाडेरिया, गाड़िया लुहार, धानाचा, धानाची हजूरी, हला, जोगी, जलाहा, कहार,

(श्री शंकरलाल)

कलाल, कांगी कानवी, खात, खारोली, कुम्हार, लाबाना, लाखेरा, लोहार, मीरासी, मोगिया नाई, नायक, नेरिया, पिंजारा आदि 56 हैं......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई बाकी भी रखेंगे आप ?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन कर रहा था कि जो लिस्ट दी है उसमें अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिये अलग लिस्ट दी है। जिस समय लिस्ट बनाई गई थी उस वक्त आर्थिक दृष्टिकोण सामने रखा गया था। अजमेर डिस्ट्रक्ट में जाट और गूजर को भी बैकवर्ड क्लासेज में माना है। आज भी लिस्ट के अन्दर यह संशोधन करना चाहिये कि राजस्थान में कौन कौन बेकवर्ड क्लासेज में आनी चाहिये। कौनसी बैकवर्ड क्लासेज कम्युनिटी हैं, इस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिये। यह जनता पार्टी वायदों के अनुसार है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा हमारे संविधान के अन्दर जो अनुच्छेद 16 (4) हैं उसमें राज्य सरकार को अधिकार है कि बैकवर्ड कम्युनिटी के ऊपर ध्यान दे, उनको नौकरियों में संरक्षण दे। जनता पार्टी के वायदे के अनुसार ही बिहार के अन्दर इनको आरक्षण दिया। कुछ सवर्णों ने विरोध किया उसके सम्बन्ध में जे. पी और चन्द्रशेखर में बात चल रही है। इस बात की घोषणा की गई है कि 1,000 से कम आय वाली बैकवर्ड क्लासेज को आरक्षण दिया जायगा। लेकिन जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और पहले भी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाड, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में इन बैकवर्ड क्लासेज का आरक्षण दिया गया है। राजस्थान की सरकार ने जवाब दिया कि कौनसी बैकवर्ड क्लासेज हैं इसके बारे में अभी कोई विचार नहीं किया गया है, जब विचार नहीं किया गया है तभी हमने प्रश्न उठाया है, जब पूरे देश में विचार किया जा रहा है, बड़े बड़े नेता विचार कर रहे हैं तो राजस्थान के अन्दर एक तिहाई पिछड़ी जातियों के लिये विचार करने के लिये आप क्यों तैयार नहीं हैं ? आप आवश्यक समझें तो आयोग गठन करें और अगर आवश्यक नही समझते हैं तो आप लिस्ट में संशोधन करके उन लोगों को नौकरियों में आरक्षण दें, अन्यथा जो वायदा आपने किया है उसको पूरा न करके आप वायदा खिलाफी कर रहे हैं। राजस्थान की एक तिहाई जनता के साथ किया गया वायदा आप पूरा नहीं कर रहे हैं यह आपके हक में अच्छा नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि बैकवर्ड क्लासेज को संरक्षण नहीं देना चाहते हैं। अगर विचार करना चाहते हैं। तो मुख्य मन्त्री जी नहीं है लेकिन दूसरे जो वरिष्ठ सदस्य मन्त्रिमण्डल के बैठे हैं, वे इसके बारे में हमको स्पष्ट बतायेंगे कि इस पर विचार करने जा रहे हैं या नहीं।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना): माननीय अध्यक्षजी, इसी स्थगन प्रस्ताव पर मेरे पूर्व वक्ता ने सारी बात कही हैं। अनुच्छेद 16 (4) के तहत बैकवर्ड क्लासेज को संरक्षण दिया जायेगा। प्रान्त में जो ऐसा तबका है, यह स्केटर्ड है। आबादी का 35 पर्सेन्ट बैकवर्ड क्लासेज हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स को अलग कर दिया, बैकवर्ड क्लासेज का नहीं किया। लोकसभा के जब

(श्री शिवचरणसिंह)

चुनाव हुए, तब घोषणा-पत्र में सब से ज्यादा इस पर जोर दिया कि इनके लिये कमीशन अपाइंट करेंगे सर्विसेज में आरक्षण देने के मामले में जो हठधर्मी की जा रही है, उसके लिये आयोग बैठेगा, बैकवर्ड क्लासेज के हितों का संरक्षण करेंगे । यही कारण था कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रांतों में मजबूर होकर दबाव के बावजूद भी उनके लिये आरक्षण करना पड़ा । उत्तर प्रदेश में आपको जानकारी है । जनता पार्टी का यह एक 'कमिटमेंट था, यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि जो कुछ आपने लोगों को कहा है उसको पूरा करें लेकिन आपने पूरा नहीं किया । मेरा एक प्रश्न था जिसके उत्तर में कह दिया कि इस बारे में विचार नहीं रखते । इसलिये मजबूर होकर यह स्थगन प्रस्ताव रखना पड़ा है । यह स्पष्ट होना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, अगर यह घोषणा नहीं करते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि बैकवर्ड क्लासेज के खिलाफ हैं । दूसरी बात यह है कि राजस्थान के अन्दर आप देखेंगे, कितनी भारी डिस्पेरिटी है । काफी आदमी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, हमारे राजस्थान के अन्दर गूजर को देखिये, धाकड़ का देखिये, मेव को देखिये, कुछ ऐसी कौमें हैं जो गरीब स्थिति में हैं । पिछले साल कांग्रेस की सरकार जहां तक मालूम है, उसमें एक कौम धाकड़ को इन्क्लूड किया । इसलिये मेरा निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है उसको रिवाइज करें समाज कल्याण विभाग की तरफ से । एक हजार से कम माहवारी आमदनी वालों को उसमें···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लें, यह क्राइटेरिया फिक्स करें । अगर यह राज्य सरकार नहीं करना चाहती है तो आपकी घोषणा रह जायेगी । आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि राजपक्ष से इस का स्पष्ट उत्तर आना चाहिये कि हम बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को संरक्षण देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं । इसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिये । अगर इसका उत्तर नहीं आने की बात हो तो मैं इसके बारे यही निवेदन करूंगा कि जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, उनमें सब जातियों के लोग हैं । बड़ी बड़ी जाति के लोग हैं । उनके इस विधान सभा के माध्यम से राइट और रांग सारे काम करवाते हैं । जो पिछड़ी हुई जाति के लोग हैं, नाई धोबी, ये कम्युनिटी पिछड़ी हैं ···

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय एक सूचना जानना चाहूंगी । माननीय सदस्य ने यहां शिड्यूल्ड कास्ट्स की बात पर धाकड़ शब्द का प्रयोग किया है···

श्री शिवचरण सिंह : धाकड़ किसान होता है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में वादविवाद न करें ।

श्री शिवचरणसिंह : धाकड़ आदमी से मेरा मतलब नहीं था, धाकड़ व्यक्ति लम्बा चौड़ा व्यक्ति होता है ···

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण समाप्त करें ।

श्री शिवचरणसिंह : 33 पर्सेंट लोगों का प्रश्न है उनको संरक्षण मिलना चाहिये । संविधान में संरक्षण प्राप्त है ।

Page No. 81

(81)

(श्री शिवचरणसिंह)
आप इसका उत्तर दिलायें। अगर स्वीकार नहीं है तो स्पष्ट कह दें। इसके प्रोटेस्ट में मैं सदन से जाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी इस प्रस्ताव पर बोलने वाले अन्य सदस्य हैं उनको बोलने दीजिए और उत्तर की प्रतीक्षा कीजिये कि उत्तर क्या होता है।

श्री रणजीतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल हादी।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल अजीज : अब्दुल अजीज होगा।

श्री मदनसिंह दांता : अब्दुल हादी हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब्दुल हादी हैं।

श्री अब्दुल अजीज : अब्दुल अजीज भी हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका तो माननीय सदस्य हो गया। आप बोल चुके हैं।

श्री अब्दुल अजीज : इस पर नहीं बोला हूं।

श्री अध्यक्ष : इस पर आपका नाम नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह !

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस स्थगन प्रस्ताव के जरिये...

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, बैंक वर्क क्लासेज वाले स्थगन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 7-8 माननीय सदस्यों के थे।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : मेरा नाम भी था।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम था ?

श्री माधोसिंह : मेरा नाम था।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रासिंह को बोलने दें।

श्री माधोसिंह : यह दूसरा विषय उठा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको बाद में ले लूंगा। उनका नाम मैंने बोल दिया है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान निर्माण के बाद पहली बार इस समय जयपुर चेस्ट हॉस्पिटल में न कोई सर्जन प्रोफेसर के रूप में नियुक्त है और न रीडर के रूप में नियुक्त है। इसलिए मैंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा था। आज जयपुर राजस्थान का हैडक्वार्टर है, राजस्थान की कैपिटल है वहां के चेस्ट हॉस्पिटल की उत्तर भारत में अपनी एक प्रतिष्ठा रही है। वहां पर बड़े बड़े सर्जन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि टी. बी. एक ऐसी बीमारी है कि थर्ड स्टेज पर पहुंचने के बाद में जिसका मेडिशन से उपचार नहीं किया जा सकता है और शल्य क्रिया से ही वह बीमारी ठीक

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हो सकती है। आज जयपुर के हास्पिटल में दो दो प्रोफेसर मेडिशन्स के नियुक्त हैं, उनको लाकर जयपुर में रखा है आपने। एक तरफ ता राजस्थान के उन टी. बी. पेशेन्ट्स की जिन्दगी का सवाल है जिनका शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन के बिना उपचार नहीं किया जा सकता है और दूसरी तरफ माननीय चिकित्सा मन्त्री जी इस बात से सन्तुष्ट हैं कि अपने दो व्यक्तियों को कहीं से लाकर जयपुर में स्थापित किया। जयपुर में रखे मेडिशन वालों को तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से रखें। यह नहीं कि अपने परिचितों को, अपने निकट के लोगों को, अपने चहेतों को जयपुर में लाकर रखें और दो-दो मेडिशन्स के प्रोफेसर्स को यहां पर नियुक्त कर दें और सर्जरी का कोई जानने वाला नहीं हो, सर्जरी की कोई व्यवस्था न हो। आज आम जनमानस टी. बी. सेनिटोरियम का ऐसा बन गया है कि यहां पर शल्य चिकित्सा नहीं हो सकती, इलाज नहीं हो सकता। रोगी व्यक्तियों के परिवारों के अन्दर भय व्याप्त है क्योंकि आप जानते हैं कि टी. बी. का प्रवेश जिस परिवार में एक बार हो जाता है तो उस परिवार में से यह बीमारी निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं मंत्री महोदय से कि आप सर्वोदयी हैं और पहली बार आपके शासन में पैसा लेप्स हुआ है जब कि टी. बी. सेनिटोरियम के अन्दर कोई भी प्रोफेसर या रीडर सर्जरी का नियुक्त नहीं होकर दोनों के दोनों प्रोफेसर मेडिशन के नियुक्त हैं। ऐसा क्यों है? क्यों आप टी. बी. पेशेन्ट्स की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों नहीं आप उनके परिवार वालों के दिमाग में जिन्दगी की सुरक्षा, सिक्योरिटी की भावना पैदा नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी आपसे कि अविलम्ब मेडिशन्स के दो प्रोफेसरों में से एक को हटाकर सर्जरी का प्रोफेसर, प्रोफेसर नहीं तो कम से कम रीडर तो नियुक्त कर दें ताकि ऑपरेशन उपचार की व्यवस्था हो सके।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, चिकित्सा मंत्री जी तैयार हो रहे हैं। वे उठना चाहते हैं। वह जवाब देना चाहते हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मुझे दिखने में तो काफी लम्बे नजर आते हैं। वह नीचे हो जाते है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा मंत्री): माननीय सदस्या ने जो सूचना दी है कि टी. बी. हॉस्पिटल में चेस्ट डॉक्टर नहीं हैं मैं इस बात की जांच करूंगा। मुझे मालूम नहीं है कि कब से नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे करम फूट गये कि चिकित्सा मंत्री जी को यह पता नहीं है कि न वहां पर सर्जरी का प्रोफेसर है और न रीडर।

श्री मदनसिंह दांता : He is a new man. आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हम सब के करम फूट गये आपके नहीं फूटे?

श्री कौशल किशोर जैन : यह बहुत आपत्तिजनक है।

श्री अध्यक्ष : यह भी कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री कौशलकिशोर जैन : यह शब्द आपत्तिजनक हैं यह निकाले जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : किसी के करम नहीं फूटे।

श्री मदनसिंह दांता : करम फूटे रोगियों के क्योंकि वहां पर डॉक्टर नहीं है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय सदस्या ने यह कहा कि मेरे अपने प्रियजन या दरिजन या मित्र हैं तो मैं आपको बताऊं कि मेरा कोई डॉक्टर रिश्तेदार नहीं है न कोई प्रिय है, न किसी डॉक्टर से मेरा परिचय है और न किसी डाक्टर से इलाज आज तक करवाया है। आपने जो सूचना दी है वह जिस भावना से दी है उसकी इज्जत करते हुए उसकी व्यवस्था करने का बन्दोबस्त करूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह प्रमाणित हो गया है कि राजयक्ष्मा अब संक्रामक बीमारी नहीं रही है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। उसके बाद आप क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : आज की तारीख में राजयक्ष्मा रोग भयंकर व्याधि नहीं रही है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहती हूं कि बाबा बलवन्त सिंह जी आपके नजदीक ही रहते हैं। आप कृपया उनसे पूछ लें टेलीफोन से। आपको पता चल जायेगा कि वहां न कोई प्रोफेसर है और न कोई रीडर है।

श्री सुरेशकुमार : माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनका किसी डॉक्टर से सम्पर्क नहीं है तो फिर यह किस विभाग के मंत्री हैं ?

श्री अध्यक्ष : पूछ लें इन से।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : चिकित्सा विभाग के नाते सब डॉक्टरों से मेरा सम्बन्ध है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान उन जातियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनको इस लिस्ट के क्रम में शुमार नहीं किया गया है जो कि पिछड़ी हुई जातियों की श्रेणी में हैं। स्वतन्त्र भारत में उन्हें भी जीने का और दूसरों के बराबर सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। इस तरह का जो अधिकार है वह उनको नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधियों के तरीके से, नौकरियों के अपने हिस्से के तरीके से या रोजगार उपलब्ध कराने के तरीके से, किसी भी तरीके से उनके अधिकारों पर आज दूसरे सबल वर्ग कुठाराघात करते आ रहे हैं। आज भी वह लोग पिछड़े हुए हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी जातियों को आज तक किसी तरह का रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिला है। उन जातियों के रिप्रेजेन्टेशन के मामले हैं वह इस तरह के हैं, माननीय सदस्य, जो इतने यहां पर बैठे हुए हैं से पूछना चाहूंगा कि अपने अन्दर ऐसे कितने लोग हैं जो गाड़िया लुहार हैं, रेबारी हैं या खाती

(श्री माधोसिंह)

हैं या जुलाहा हैं या दरोगा हैं या इस तरीके के लोग हैं जो छोटे छोटे समूहों में बंटे हुए हैं। वह अपना रिप्रेजेन्टेशन आज तक नहीं ले सके हैं। वे दूसरी जातियों में खप नहीं सके हैं। इन लोगों को दूसरी उन्नतशील जातियों का सहयोग नहीं मिला है जिसके कारण वे आज तक पिछड़े हुए है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को 30 साल से रिजर्वेशन के अधिकार दिये गये हैं। वे तो आगे बढ़ रहे हैं। मेरा, अध्यक्ष महोदय, अनुरोध है कि ऐसी बात नहीं है कि उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, उसको जरूर देना जारी रखना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को भी देना चाहिए जो कि अभी भी पिछड़े हुए हैं। उन जातियों के अन्दर कई लोग आगे बढ़ गये हैं। उन परिवारों को रिजर्वेशन नहीं देकर जो पीछे बचे हुए हैं उनको इन सुविधाओं के अन्दर लेना चाहिए, शामिल करना चाहिये इसीलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा इन लोगों के रिजर्वेशन के बारे में सरकार विचार करे, रिजर्वेशन होना चाहिये। नौकरी के लिये 26 प्रतिशत उनकी जनसंख्या के अनुपात से रिजर्वेशन उनको चाहिये जिससे वे भी उत्थान कर सकें। आगे आ सकें, देश के विकास की गति के साथ मिलकर सामान्य जीवन बिता सकें और अपना हक प्राप्त कर सकें। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा आज 30 साल बाद आप यह कहते हैं कि पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया लेकिन आपने भी इन 10 महीनों में पिछड़ी जातियों के लिये कोई विचार नहीं किया है। अगली बार जब इस सदन की बैठक हो, उससे पहले पहले कुछ न कुछ सरकार इन जातियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करे जिससे इन लोगों को सन्तोष हो।

श्री केदार नाथ (यातायात मंत्री): राज्य सरकार इस संदर्भ में विचार कर रही है।

श्री माधोसिंह (रेवदर): सुना नहीं आपने क्या कहा।

श्री केदार नाथ: राज्य सरकार इस सन्दर्भ में विचार कर रही है। यह बहुत बड़ा डेलीकेट इश्यू है। बिहार के बैकवर्ड मूवमेंट को इस सन्दर्भ में कैसे जोड़ा जाय, इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। यह बहुत डेलीकेट इश्यू है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मदनसिंह जी।

श्री मदनसिंह दांता: माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां गृह मंत्री जी नहीं हैं। उनसे ही यह स्थगन प्रस्ताव सम्बधित था। तारीख दो को एक बच्चे के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था। एक ट्रक वाले का पता नहीं। उस बच्चे से पहले या आखिरी में कुछ झगड़ा हो गया। उस ट्रक वाले ने गांव में सड़क के नीचे उतार कर, कच्चे में ट्रक को ले जाकर 7 वर्ष के बच्चे को कुचल दिया और ट्रक को रोका नहीं। दांता से रेनवाल के थाने में इत्तला दी। उस ट्रक में गुड़ भरा हुआ था, जिस व्यापारी का गुड़ था उस व्यापारी ने ट्रक को भगा दिया। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, उसके सारे घर के लोग आये हुए हैं। उनको खाना-दाना भी खिलाया क्योंकि उनके बच्चे तो हमारे भी बच्चे हैं। मुझे पूर्ण आशा है उस ट्रक वाले को पकड़ा जायगा। इसमें किसी थानेदार

(श्री मदनसिंह दांता)

की गलती नहीं है और न किसी और की गलती है। जनता पार्टी के जो बहुत बड़े सदस्य हैं, उन्होंने ट्रक को भगा दिया। आज न मालूम इस देश में से इंसानियत कहां चली गई है? इस देश में जहां छोटे छोटे जानवर भी मर जाते थे तो भगवान राम उनको गोदी में लेकर धर्म श्रवण कराते थे। आज तो सड़क पर चलना और किसी से बात करना भी पाप हो गया है। मैंने पहले भी कहा है कि ड्राइवर को लाइसेन्स देते हैं तो देखें कि वह शराब पीता है या नहीं। क्या मालूम वह दिन के अन्दर भी शराब पिये हुए था। रात होती तो कोई बात नहीं होती। मेरा निवेदन है कि उस व्यापारी के साथ सख्ती की जाय जिससे ट्रक का नम्बर पता लग सके और ट्रक पकड़ा जा सके।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत चर्चा हो गई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारा नाम पुकारा था। हम लॉबी में टाइप करा रहे थे।

श्री अध्यक्ष : कितने माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री रामसिंह विश्नोई : दो।

श्री अध्यक्ष : पहले आप तय कर लें।

श्री रामसिंह विश्नोई : दो।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये से बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रख रहा हूं। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में लाखों करोड़ों का घोटाला हो रहा है। राजस्थान सरकार ने रूल्स फ्रेम किये हुये हैं- स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज व मीडियम स्केल इन्डस्ट्रीज से सामान पर्चेज के लिये उनको कुछ प्राइस प्रिफरेन्स दिये हुये हैं जिनको राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मानना पड़ता है। उस प्राइस प्रिफरेन्स के नाम पर जिस प्रकार मेनीपुलेशन किया राजस्थान के स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और मीडियम स्केल इन्डस्ट्रीज के अधिकारियों से मिलकर उस पर मैं यह कहूं कि राजस्थान की जनता सरकार के ध्यान में लाने के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। इससे साफ है कि उन लोगों से मिली हुई है। अब जो कम प्राइस प्रिफरेन्स देते हैं वह 5 पर्सेन्ट से 15 पर्सेन्ट तक का है। मीडियम स्केल इन्डस्ट्रीज से सामान लेने पर 5 पर्सेन्ट और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज से सामान लेने पर 15 पर्सेन्ट का कन्सेशन मिलता है। इसके साथ उन इन्डस्ट्रियलिस्ट को एक हलफनामा देना पड़ता है कि वह जिस प्राइस पर सामान दे रहा है उससे कम पर अन्य जगह पर माल नहीं मिलेगा। मैं श्रीमान् के समक्ष उस हलफनामे की भाषा पढ़ कर सुनाता हूं:

"Rates in the tender in para one have not increased the rates than the rates above which these are sold in open market."

यह हलफनामा देने के बाद भी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ध्यान में दसियों, बीसियों, सीसियों और सैकड़ों घटनाओं को

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता) .

लाया गया है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और अन्य बोर्ड्स को इससे कम रेट पर सामान दिया गया है। एक के. के. शर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो पिछले 8 महीने से लगातार इस ओर प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, चेयरमैन को चिट्ठी लिखी राजस्व मण्डल के मेम्बर साहबान को चिट्ठी लिखी और इस सदन में 30-7-77 को माननीय शंकरलाल जी द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। जिस प्रकार प्राइस प्रिफरेन्स देकर इस बोर्ड को चीट किया जा रहा है वह बड़े बड़े अधिकारियों की नॉलेज में है। स्टेट इण्डस्ट्रीज सेक्रेटरी हैं, उनकी नॉलेज में है। इस प्रकार धान्धली की जा रही है परन्तु राजस्थान के इण्डस्ट्री सेक्रेटरी के किसी प्रकार के आदेश उन इण्डस्ट्रीज के अधिकारियों की साजिश से नहीं निकले। इस सदन के ध्यान में लाने के बाद भी और विद्युत मन्त्री के आश्वासन के बाद भी इसकी पुनरावृत्ति बहुत जोरों से हुई है।

30-7-77 को इस हाउस में मसला लाया गया था उस समय जांच का आश्वासन दिया गया था। उसके बाद अक्टूबर 1977 से 31 मार्च, 1978 तक ढाई करोड़ रुपये का सामान लिया गया जिस पर 40 लाख का प्राइस प्रिफरेन्स दिया गया। इस कम्पनी ने अन्य स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इससे कम पर माल बेचा है। श्रीमन्, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो माल 26 रु. क्विन्टल पर बेचा गया है उसी प्रकार का माल राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 59 और 52 रु. क्विन्टल पर बेचा गया है। एक एक क्विंटल पर 26 और 29 रुपये का फर्क है। सेन्ट्रल स्टोर के जो रूल्स हैं उन रूल्स में लिखा हुआ है कि हर इन्डस्ट्री वाला हलफनामा देकर औय लेगा कि जो माल वह बेचेगा, उससे कम पर वह दूसरों को नहीं देगा। इस प्रकार राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक करोड़ रुपये का सामान एक साथ पर्चेज करता है उसके लिए आवश्यक है कि राजस्थान स्टेट में स्थित स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज व अन्य इन्डस्ट्रीज से ही माल ले तो जहां एक करोड़ की पर्चेज होती है...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

(2.07 म. प.)

(श्री मंजूर अली, सभापति, पदासीन)

यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

माननीय सदस्यों को याद होगा, 50 रुपये की ट्रोली....

श्री सभापति : आप विराजिये, माननीय सदस्य, अब।

स्थगन प्रस्तावों पर इस सदन में मुख्तसिर बोलने की इजाजत आसन की तरफ से होती है। आपको बहुत शार्ट में स्थगन प्रस्ताव के फैक्ट से अवगत कराना है। उसमें आप दो मिनट लें, चार मिनट ले लें, पांच मिनट ले लें लेकिन यह तो नहीं है कि आप बोलते ही चले जायें।

(व्यवधान)

एक मिनट और बोल लें आप।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति महोदय, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आसन के प्रति मेरे मन में आदर भाव है। परन्तु 30-7-77 को यह मामला सदन में लाने के बाद भी कोई जांच नहीं की गई है और यह घोटाला जारी है। मैं यह कहता हूं कि मैंने जो आरोप लगाये हैं, वह अगर गलत हों तो I will resign.

इन्डस्ट्रियल बोर्ड और इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री से मिल कर यह किया गया है। यह सवाल मेरा नहीं है इस सदन का है। एक एक पैसे के खर्चे के लिए यहां पर हां कराते है परन्तु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट यहां हाउस में नहीं आता है। माननीय माथुर साहब ने यह क्वेश्चन पुट किया है कि 140 करोड़ रुपये का खर्चा होता है और वह हाउस में पेश नहीं होता है। क्या जनता का धन इतना सस्ता है? इस बहरी-लंगड़ी-लली सरकार को बताया जाएगा कि भ्रष्टाचार आपकी नाक के नीचे हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इश्यू का वह कुछ जवाब दें; इसकी जांच करवायें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, मैंने भी······

(व्यवस्था-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : कृपया आसानी से सुनिये। कृपया विराजिये।

इस स्थगन प्रस्ताव पर इस स्टेज पर मैं यह जरूरी नहीं समझता हूं कि मैं सरकार को मजबूर करूं कि वह स्टेटमेन्ट दे। वह देना चाहे तो दे दें। जो चर्चा माननीय सदस्य कर चुके हैं, वह काफी है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आसन के प्रति आदर करता हुआ निवेदन करना चाहूंगा कि यह आसन को कहने का अधिकार है। करोड़ों रुपयों का घोटाला हो रहा है फिर भी मुख्य मन्त्री ने कोई कार्यवाही नहीं की है। यहां आश्वासन दिया था कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो घोटाला हुआ है, उसकी जांच करायेंगे। यह हमारा भी अधिकार है।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने इसकी जांच नहीं कराई है।

श्री सभापति : आप आसन का आदर नहीं कर रहे हैं। आप विराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गरीब जनता के पैसे के घोटाले से दर्द नहीं होता है। आपने जांच नहीं कराई है इसलिए मैं इस आसन की अवहेलना करता हूं। जनता का खून पसीने से कमाया पैसा है उस पैसे को खर्च करने में इस प्रकार की धांधली हो···

(व्यवधान)

श्री सभापति . माननीय सदस्य ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ऐसे मामले सदन में आये हैं। हम आपको जानते है।

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
आपकी आदत है। आप हमेशा सरकारी पक्ष का साथ देते हैं। मैं हाउस से वाक आउट करता हूं। यह हाउस है···

श्री सभापति : माननीय रामकृष्णदास गुप्ता। मैं आपका नाम लेने को मजबूर होऊंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय, आसन का और सदन का अपमान किया गया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं करूंगा। करूंगा। जान बूझकर किया है। और करूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल जी, कृपया बिराजिए।

(बहिर्गमन)

श्री दाऊदयाल जोशी : आसन का अपमान किया गया है। क्या यह अपमान नहीं था ?

श्री सभापति : आप कृपया बिराजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, मैं बोलना चाहता हूं। ये खड़े हो जाते हैं हमेशा ही, इनकी यह आदत है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने किया है···

श्री सभापति : माननीय सदस्य से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप बिराजिये। मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करूंगा, जब कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो बीच में चर्चा नहीं करें। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य चेयर का रिगार्ड करेंगे।

श्री कौशलकिशोर जैन : सभापति महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में जो अभी आसन के बारे में कहा गया है, उसको कार्यवाही से निकाला जाये। कोई भी माननीय सदस्य सभापति महोदय का इस प्रकार से अपमान करें, यह परम्परा अच्छी नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अगर किसी ने सदन का अनादर किया है, तो सदन को अधिकार है। उसे सदन की कार्यवाही से निकाला जा सकता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो कुछ माननीय सदस्य रामकृष्णदास गुप्ता ने कहा है, वह किन अलफाज के साथ दर्ज हुआ है उसको एक्जामिन करने के बाद ही कहा जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, बिजली बोर्ड के बारे में मैंने एक मुद्दा उठाया था।

श्री सभापति : आपका स्थगन प्रस्तावों में नाम नहीं है। इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। जो विधायी कार्य हैं उसमें काफी रुकावट आई है। अगर यह इसी तरह बढ़ती गई तो बहुत वक्त हो जाएगा। इसको आगे चलने दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं कि करोड़ों की खरीद की बात है।

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी !

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (मायां) : सभापति महोदय, नागौर जिले को ध्यान में रखते हुए पशु चिकित्सालयों के लिये पहले जो निर्णय लिये गये थे एवं पशु चिकित्सालय खोले गये थे उसके बाद में राज बदल गया। जनता पार्टी का राज आ गया उसके बाद भी आर्डर उसी गांव नागोद के लिये हो गया था। जो होना चाहिए था। उस समय माननीय सम्पतराम जी मंत्री थे। उन्होंने आवश्यक स्टाफ 10 दिसम्बर को वहां भेज दिया। लोगों को तसल्ली हुई, पशुपालन एरिया है, उसके लिए अच्छा होगा। उन किसानों को राहत मिल सके गी। 25 फरवरी को पुन: राज्य सरकार का वापस आदेश हो गया। 10 मार्च को वहां से स्टाफ उठा लिया गया। मैं मंत्रीजी से मिला। उन्होंने यह फर्माया कि यह मामला मुख्य मन्त्री जी की इच्छा पर है। आगे के लिए आश्वासन दें। इस सदन के अन्दर पूर्व और पश्चिम का सवाल आया, या क्षेत्रीय भावना का सवाल आया, असमानता का सवाल आया तो सदन के नेता महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने बार-बार यही आश्वासन दिया कि विकास कार्यों में कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जायेगा। माननीय सभापतिजी, आज उसके ऊपर मैं सीधा आरोप लगाऊं यह बात तो नहीं है। उन्होंने कहा था कि भेदभाव नहीं बरता जायगा। हमारे यहां नया औषधालय खोलते तो अलग बात थी, अहसान होता लेकिन जो कार्यरत औषधालय था उसको भी दूसरे गांव में ले गये। श्री कल्याणसिंह कालवी को ऐसी पावर दे रखी हैं जैसे वे ही चीफ मिनिस्टर हों, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों। साजू गांव के गोपालसिंह ने कहा कि हमारे गांव में एनीमल हस्वेण्डरी की डिस्पेन्सरी हो तो ठीक होगा। वहां पर आर्डर हो गये। लेकिन मेरे यहां जो छोटी सी डिस्पेन्सरी चल रही थी वह भी हटा ली गई। एक तरफ मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि भेदभाव नहीं बरतेंगे। वहां पर ढाई लाख पशु हैं, ऐसी स्थिति में उस औषधालय को ट्रान्सफर करना कोई न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भेदभाव नहीं बरतेंगे और समानता का व्यवहार किया जायगा। इसलिए यह मैं सीधा आक्षेप लगाता हूं। कल्याणसिंह कालवी जो कहते हैं वही किया जाता है। आखिर वह कौनसी हस्ती है ? चुनाव में उनको हरा कर वापस घर तो हमने भेजा था। मालूम नहीं अब यह क्या है समझ में नहीं आ रहा है हाउस में कहते हैं कि भेदभाव नहीं बरता जायगा लेकिन कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। यह मैं जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहता हूं कि यह पक्षपात का नमूना है।

श्री रघुनाथ [illegible] : उनका पद तो जनता पार्टी के सेक्रेटरी का [illegible]।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : [illegible] गांव के पड़ौस में दो भैरोंसिंह जी शेखावत का गांव है। सभी आस पास के गांव के लिए वह डिस्पेन्सरी काम आती थी। आखिर वे लोग भी किसान हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि डिस्पेन्सरी की अहमियत को समझते हुए उस डिस्पेन्सरी को वापस उसी जगह लगाया जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय श्री गंगाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

माननीय श्री खेतसिंह ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मोहम्मद जहूर ।

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति जी गांव बरना तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में एक हरिजन के साथ मार-पीट के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। हरिजनों के साथ मारपीट का यह पहला अवसर नहीं है। जब से जनता पार्टी शासन में आई है तब से एक तरफ लगातार इस तरह की वारदातें गांवों के अन्दर, प्रत्येक क्षेत्र में शुरू हुई हैं और दूसरी तरफ जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा यह कहा जाता है कि हम पिछड़े वर्गों के साथ हैं। इस तरह की घटनाओं से यह साफ जाहिर होता है कि इनकी मन्शा कहने की ओर है, प्रचार की ओर है और करने की ओर है। मान्यवर, यह घटना हुई, यह होली के दूसरे दिन रामा-श्यामा के दिन की बात है। एक हरिजन अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए अपने साथियों के साथ गया था। वहां पर उसको फूलमाला पहनाई गई, रंग लगाया। शाम को वह अपने घर वापस लौट रहा था। जब वह घर वापस जा रहा था तो मेन रोड पर जो चौकी है वहां पांच-सात असामाजिक तत्व बैठे हुए थे। उनको सुहाया नहीं। वह चाहते थे कि हमारे पास भी आवे और रामा-श्यामा करे लेकिन वह नहीं चाहता था। जिनसे उसकी पटती नहीं उनसे रामा-श्यामा क्यों करे। इसलिए वह घर चला गया। उसके घर पर पांच-सात आदमी गये। उसको आवाज देकर बाहर निकाला। उसके साथ मारपीट की। उसकी गुलाल को रेत में मिला दिया, उसकी माला तोड़ दी और जो बच्चे उसको छुड़वाने के लिए गये उनके साथ भी मार-पीट की गई। मान्यवर, यही बात नहीं, दूसरे दिन जब वह थाने में रिपोर्ट लिखाने गया तो इससे बड़ी घिनौनी बात क्या होगी कि थानेदार ने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की और केवल रपट की कि हम कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, इससे बड़ा गम्भीर और अत्याचार का मामला और क्या हो सकता है। उसको डराया-धमकाया गया। उसके साथियों को भी डर है कि उनके साथ मार-पीट न कर दें। उसको थाने में एफ. आई. आर. नहीं लिखी और किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, थानेदार उन असामाजिक तत्वों की वजह से कार्यवाही नहीं कर रहा है। उन मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाय और जो आदमी डरते हैं उनको संरक्षण दिया जाय, उनको इमदाद दी जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहम्मद जहूर।

श्री राम नारायण डूंडी : सभापति महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री सभापति : मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके स्थगन प्रस्ताव की कोई चर्चा इस में नहीं है।

श्री रामनारायण डूंडी : है।

श्री सभापति : माननीय श्री राम नारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गंगाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण डूडी : पहले मेरा नाम था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इतना बिजनेस होने के बाद भी आपका नाम पहले काल किया गया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चर्चा नहीं करें।

श्री बाकदयाल जोशी : माननीय सभापति जी ने मुझे दो मिनट का समय दिया था। मैं सदन का ध्यान...

श्री सभापति : कृपया विराजिये।

अच्छा आप एक मिनट में कह दीजिये।

श्री रामनारायण डूडी : सभापति महोदय, मैं गृह मन्त्री जी का ध्यान विलाड़ा क्षेत्र के बरना गांव की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां पर हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके बारे में तार भी मिला है—

"Nine Rajputs and Jats of Barna beaten Harijan Bansilal his borthers wife inside his house on 26th March. Police has not taken any action against them."

मान्यवर, गृह मंत्रीजी कहते हैं कि आप लोग सदन में हरिजनों का नाम लेकर हवा फैलाते हो। अत्याचार होते हैं लेकिन हरिजनों की कोई सुनवाई नहीं। थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो उनको डरा धमका कर बाहर निकाला जाता है और असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया जाता है। यही हाल बिलाला थाने पर वंशीलाल का हुआ। वह पहली बार थाने पर गया। उसकी अर्जी ले ली, लेकिन दर्ज नहीं की गई। दूसरी बार गया तो वहां के थानेदार ने असामाजिक तत्वों के दबाव में आकर उस हरिजन की बात नहीं सुनी और उसको धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इतने बड़े अत्याचार इस समय हो रहे हैं जब कि गृह मंत्री एक हरिजन हैं। लोग धमका रहे हैं और यदि समय रहते कार्य नहीं किया गया तो ज्यादा अराजकता फैलने का डर है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा हो गई, सरकार का ध्यान आपने अट्रैक्ट कर लिया।

श्री रामनारायण डूडी : मंत्री जी जवाब दें।

श्री सभापति : कृपया विराजिये। चर्चा हो गई, सरकारी पक्ष का ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री रामनारायण डूडी : कुछ कार्यवाही होनी चाहिए वरना लोग कहते हैं...

श्री सभापति: परम्परा यह है कि आपने जिन बातों पर ध्यान आकर्षित किया, उनका सरकारी पक्ष जवाब देना चाहेगा तो देगा। आसन मजबूर नहीं कर सकता। मैंने सत्ता पक्ष का सेन्स देखा, वे जवाब नहीं देना चाहते हैं।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : सभापति महोदय सारे हालात का मुझे ज्ञान नहीं लेकिन माननीय सदस्य ने जिन तथ्यों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है वास्तव में यदि वह सत्य है तो यह गलत बात है । मैं अधिकारियों से मिलकर फैक्टस देखूंगा और जो विभाग को कार्यवाही करनी होगी वह करेगा । जो असामाजिक तत्व बीच में आते हैं, यकीन रखिए, चाहे स्थानीय पुलिस हो, चाहे जिला पुलिस हो हम सबकी ठीक तरह से व्यवस्था करेंगे ।

श्री मदनसिंह दाता : दाता रामगढ़ में एक ट्रक वाला एक बच्चे को मार कर चला गया ढाणी में ।

श्री सभापति : आज की लिस्ट में यह था क्या ?

श्री मदनसिंह दाता : वह ट्रक वहां से रवाना हो गया, थानेदार ने महाजन को इत्तला की । महाजन ने ट्रक को भगा दिया, महाजन को पकड़ कर पूछा जाए कि ट्रक का नम्बर क्या है ? सड़क पर यह हुआ । बच्चे के मां-बाप यहां हैं उनको मैंने खाना खिलाया है । मैंने उनसे कहा है कि गृह मंत्री से कहूंगा कि 36 घंटे में वह ट्रक पकड़ा जाना चाहिए अन्यथा उसका खानदान और मैं आपके घर पर भूख हड़ताल करेंगे ।

श्री सम्पतराम : आप मेरे घर पर आयेंगे तो जो भी खाना होगा, मैं प्रेम से खिलाऊंगा ।

श्री मदनसिंह दाता : 36 घंटे में ।

श्री सम्पतराम : जब माननीय सदस्य बोल रहे थे सदन में, मैं बिल्कुल सुन रहा था हालांकि सदन में मौजूद नहीं था, सचिव महोदय के कमरे में मैं सुन रहा था, मैंने सारी बातें सुनी हैं । एस. पी. सी. आई. डी. यहां बैठे हैं, निश्चित रूप से व्यवस्था की जाएगी । जितनी तत्परता हो सकेगी, बरती जाएगी ।

श्री बाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, परसों 3॥ बजे राजस्व मंत्री श्री पुरुषोतम मंत्री के क्षेत्र में और मेरे क्षेत्र में प्रकृति का प्रकोप हुआ है । वहां फसल खेतों में खड़ी थी अचानक ओलावृष्टि हुई•••

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौनसे नियम के अन्तर्गत बोल रहे हो ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : मुझे सेक्रेटेरियट से सूचना दी गई है कि माननीय सदस्य को उनके किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दो मिनट की विशेष परमीशन अध्यक्ष महोदय ने दी है ।

श्री बाऊदयाल जोशी: मैं एक ही मिनट में खतम करूंगा ।

फसल बिल्कुल तैयार खड़ी थी । उस दिन तेज गति से ओलावृष्टि हुई जिससे कैथून, गालियामेरी व दूसरे गांवों में लगभग 59 लाख रुपये की फसल बरबाद हो गई है, उसके कारण किसान एकदम परेशान हैं । मैं अकाल राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। कृपा करके इस सारे क्षेत्र का सर्वे करायें और जो गरीब किसानों की फसल बरबाद हुई है, उसके मुआवजे के स्वरूप

(श्री दाऊदयाल जोशी)
कुछ अनुदान प्रदान करने की कृपा करें। आज ही तार से इस प्रकार की सूचना अकाल राहत मंत्री मंगा कर गरीबों को राहत दें।

श्री शिवचरण सिंह : पूरा मुआवजा मांगें, किसानों को नुकसान हुआ है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जो मिल जाए सो ठीक है।

श्री रतनलाल वर्मा : मैंने दो मिनट का समय देने को अध्यक्ष महोदय से कहा था।

श्री सभापति : मुझे सेक्रेटेरियट से कोई सूचना नहीं है कि अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है। मैं अपने को असमर्थ पाता हूं।

श्री रतनलाल वर्मा : उन्होंने बाद में बोलने के लिए कहा था।

श्री सभापति : मुझे कोई सूचना नहीं है।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के लोकायुक्त का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (राज्य मन्त्री) : इससे पहले मैं एक घोषणा करना चाहूंगा। आबादी भूमि का जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है जैसा मैंने सदस्यों से निवेदन किया था कि मैं इसी सत्र में इस बात की घोषणा करूंगा।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सूची में जो विषय नहीं हो सके सम्बन्ध में सदन में घोषणा

श्री मूलचन्द डागा : न तो अजेंडा में है कि मन्त्री महोदय स्टेटमेंट देंगे। I am not aware of the statment of the Minister.

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आपने अभी सदन की मेज पर पत्र रखे जाने का आदेश दिया। मुख्य मन्त्री की तरफ से कोई मन्त्री सदन की मेज पर रिपोर्ट रखने जा रहे हैं। बीच में ये मन्त्री कहां से आ गए?

श्री मूलचन्द डागा : That is not on the agenda.

श्री परसराम मदेरणा : चेयर का आदेश था, दूसरा बिजनेस ले लिया है, उसके बाद निवेदन करते आप अनुमति देते तो समझ में आता। बीच में ही ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे घोषणा करनी है। दो मिनट का सवाल है।

श्री परसराम मदेरणा : हमने सुना ही नहीं, आपने क्या घोषणा की।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय ने सदन से इजाजत चाही थी। अगर सदन की मन्शा इस घोषणा को सुनने की न हो तो मैं इस बात पर विचार करूंगा कि अनुमति दी जाए या नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : बात यह है कि अगर कोई घोषणा मन्त्री जी करें तो आज के अजेंडा में आनी चाहिये ताकि तैयार होकर आएं। किस विषय पर घोषणा करेंगे ? On what subject he is making the statement. ?

श्री रतनलाल वर्मा : यह ऐसी घोषणा है जिस पर आपको तैयारी नहीं करनी पड़ेगी।

श्री मूलचन्द डागा : हमको जो अजेंडा दिया हुआ है उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। 24 घन्टे पहले अजेंडा में विचारणीय विषय आते हैं।

श्री भंवरलाल ऐरन : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय घोषणा करना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : No, no.

श्री सभापति : माननीय सदस्यों को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके ऊपर मैं विचार कर रहा हूं। बाद में हाउस को व्यवस्था से सूचित कर दिया जायेगा।

श्री मदनसिंह दांता : आप नहीं बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो बहुत ही बढ़िया बात कह रहा था।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र प्रतिवेदन

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र। श्री महबूब अली।

श्री महबूब अली (राज्य मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान के लोकायुक्त का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखा गया।

प्रतिवेदन का उपस्थापन। मेजर श्री फतहसिंह।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

मेजर श्री फतहसिंह : सभापति महोदय मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, वर्ष 1977-78 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

आधे घन्टे की चर्चा

तीन स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं को आरम्भ न करना

(ता. प्र. संख्या 442)

श्री सभापति : आधे की घन्टे की चर्चा

मैं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि श्री राम रघुनाथ चौधरी, सदस्य विधान सभा तीन स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं को प्रारम्भ न करने के विषयक प्रश्न 442 (163 मु. मं.) के उत्तर, जो दिनाक 22 मार्च, 1978

(श्री सभापति)
को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायेंगे । श्री राम रघुनाथ चौधरी ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न संख्या 442, का जो उत्तर दिनांक 22-3-78 को इस सदन में दिया गया था उससे उत्पन्न मुद्दों पर आधे घण्टे की चर्चा मैंने इस सदन में उठाई है । सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो विभिन्न तीन चार जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत शुदा थीं और जिनको स्वीकृत हुये काफी अर्सा हो गया पर यह निरन्तर देखा जा रहा है कि उन योजनाओं को शुरू नहीं किया जा रहा है । उन योजनाओं के चालू हो जाने से जिन गांवों को और उनके आसपास की ढाणियों को पीने का पानी मिलना चाहिये था वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है । इससे उन गांवों के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है । इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से जल प्रदाय योजना मन्त्री जी का ध्यान मेरे प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा पहली बात तो यह है, सभापति महोदय, एक जल प्रदाय योजना क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना उनास थी जो कि वर्ष 1975-76 में स्वीकृत हुई थी । उसमें 8.77 लाख रुपये की लागत लगेगी । उसमें सात गांवों का नाम ही दिया है । यह तो मुझे समझ में नहीं आया कि उसमें सात गांवों के नाम ही क्यों दिए ? मैं उन कारणों में नहीं पड़ते हुए, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जल प्रदाय योजना सन् 1975-76 में ही स्वीकृत हो गई थी । उसमें सात गांव नहीं थे बल्कि सत्रह गांव थे । वह योजना 17 लाख रुपये की स्वीकृत हुई थी । उसमें जहां तक मेरी जानकारी है सात गांव नहीं थे बल्कि 17 गांव थे । जब यहां प्रश्न के जवाब में मुझे यह जानकारी मिली कि सिर्फ सात गांव ही उस योजना के अन्तर्गत हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वह योजना पूर्व में स्वीकृत हो चुकी थी । हमारे यहां की जिला आयोजना समिति ने उसको रिकमन्ड किया था । हो सकता है कि वह इतने स्टेजेज पार करने में कहीं पर रुकी । यह बात सही है कि जिला आयोजना समिति नागौर ने जो सिफारिश की थी उसमें 17 गांवों के लिये वह जल प्रदाय योजना बनायी गयी थी । उसकी स्वीकृति भी हो गयी पर पता नहीं क्या बात है 17 की जगह 7 गांव ही रह गये ? सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उन गांवों में पानी बिल्कुल नहीं है । लोगों को बहुत दूर दूर मीलों जाकर पानी लाना पड़ता है । इससे उन गांवों की जनता को बहुत दिक्कत हो रही है । मैं आपको उन गांवों के नाम पढ़ कर सुना देता हूं । उसके अन्दर यह गांव थे : पूनास, करोसोड़ा, डूडियों की ढाणी, रोजोद, चकढाणी व बाड की ढाणी, जयासनी, खारिया कलां, खारिया खुर्द, खारिया की ढाणी, बछवास, पौलास, बिसबोड़ा, चोलियास, खियास, बाजिलयां की ढाणी, सावलियास, बिचपुड़ी, नेनास, हरदान की ढाणी, आकेलीवी भाटियों की ढाणी, बछवारो, देवड़ास, हरदान की ढाणी, सुडोग्राम । यह जो मैंने गांव बताये

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

हैं इनके साथ में ढाणियां थीं जो इन गांवों के पास राजस्व क्षेत्र में आती हैं। सभापति महोदय, वह ढाणियां कहने को ढाणियां हैं लेकिन वह ढाणियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 500 से कम नहीं होगी। एक तरह से एक छोटे गांव की तरह हैं।

इसके साथ साथ में जो निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि दूसरी जल प्रदाय योजना, डेगाना के क्षेत्र में आती थी, पिंतलसर चारणावास जल प्रदाय योजना के सम्बन्ध में मुझे यह सूचना दी गयी कि वह योजना स्वीकृत ही नहीं हुई थी क्योंकि जिला आयोजना समिति द्वारा उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वह योजना जिला आयोजना समिति द्वारा 1975 में स्वीकृत हुई थी और उसका प्रस्ताव भी सन् 1975 में ही राजस्थान सरकार को भेज दिया गया था। मुझे पता नहीं क्या बात हुई और किस तरह से राज्य सरकार के ध्यान में जिला आयोजना समिति द्वारा भेजा गया प्रस्ताव नहीं आया। मैं उन कारणों में भी नहीं जाना चाहता हूं पर इतना जरूर आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे नागौर जिले के जो एक्स. ई. एन. साहब थे उन्होंने इसके लिए चीफ इन्जीनियर को और सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर साहब को पत्र लिखा था। उन्होंने उसमें यह भी बात बतायी थी कि जिला परिषद् में यह बात मान ली गयी है और जिलाधीश ने भी मान ली पर यह योजना शुरू नहीं हो पा रही है।

एक्स. ई. एन. साहब ने जो पत्र लिखा है उस पत्र की मैं दो चार लाइनें पढ़ कर सुना रहा हूं।

"As desired in the Zila Parishad meeting held on 2-12-75, a copy of the estimates sent to the Superintending Engineer, PHED is enclosed for necessary action."

जिलाधीश नागौर को उसकी कापी भी दी है। उसके साथ 1 लाख 11 हजार रुपये का टोटल एस्टीमेट भी भेजा है। उसका रेफरेन्स जो है वह भी सुना देता हूं।

"Copy to Shri Ram Raghunath, M. L. A., Degana for information. Copy of the estimates is enclosed. The estimate sent to S. E., PHED, Circle, Ajmer, vide this office letter dated 25-11-75 is enclosed."

श्रीमान्, यह 25-11-75 को एक्स. ई. एन. ने भेजी। उसके बाद में 2-12-75 को कलेक्टर साहब नागौर ने भी इसका जिक्र किया। जिला आयोजना समिति की बैठक में जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ उसी के आधार पर एक्स.ई.एन. ने अपने एस.ई. को और चीफ इन्जीनियर को चिट्ठी लिखी थी। इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपके जल प्रदाय योजना के इन्जीनियर हैं उन्होंने खुद ने माना है कि उन गांवों में पानी की बहुत भारी किल्लत है, उन गांवों में कोई पानी नहीं है। इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 22-7-75 को इस सदन में घोषणा की गयी कि नागौर जिले में 13 गांवों में पानी जहरीला हो गया है

(97)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

उन 13 गांवों में और उनके आसपास के गांवों को भी पानी उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी। उसके लिए यह भी कहा गया कि जिन गांवों के लिए नागौर जिले से आयोजना समिति द्वारा जल प्रदाय योजनायें भेजी गयी हैं उनको प्राथमिकता दी जायेगी ताकि वहां के लोगों को पीने का पानी मिल सके। सभापति महोदय, मैं ज्यादा कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हुए आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गांव चारणावास और उसके आसपास के गांवों में पानी कतई पीने योग्य नहीं है। इसके अलावा एक कुआ जो चारणावास में था वह सन् 75-76 में बाढ़ आ जाने से खतम हो गया है। वहां पर पीने के पानी का एक सोर्स था कुए का वह भी समाप्त हो गया है। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, उन गांवों को जल प्रदाय योजना का जल्दी से जल्दी एस्टीमेट बनाकर पीने का पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे। सभापति महोदय, पीतलसर योजना में जो गांव आते हैं उनमें ज्यादातर करीब 50 से 60 प्रतिशत जनता शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की है उनमें पानी की भारी समस्या है। लोगों के पास एक ही काम है, दूर गांवों से ऊंटों पर, बैलगाड़ियों पर पानी भर के लाना। अगर, सभापति महोदय, गरीब लोग पानी ही लाते रहेंगे तो वह बेचारे अपनी मजदूरी कब करेंगे ? यह तो [illegible] हो गयी कि अपने गांवों में पास या दूर कहीं भी उनको पानी मिल जाये वहां से पानी लायें। तो इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर वहां की जल समस्या को हल किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है तीसरी [illegible] योजना, बारही जल प्रदाय योजना [illegible] स्वीकृति हो चुकी थी पर बोरवेल [illegible] 800 या हजार फीट की दूरी पर [illegible] है वहां पर यह योजना [illegible] है। मुझे जो प्रश्न का [illegible] या उसमें यह कहा गया कि इस योजना के बारे में जिला आयोजना समिति ने [illegible] जा है। इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि [illegible] के लिये सन् 76 [illegible] में जिला आयोजना समिति, नागौर [illegible] ताव भेजे जा चुके थे [illegible] हो सकता है कि पुराने प्रस्ताव भेजे गये हैं वह राज्य सरकार की नजर में नहीं आये हों। सभापति महोदय, यह योजना स्वीकृतिशुदा है इसमें सिर्फ एक ही बात है। कि गांव जो पास पास हैं उन्हें इस योजना में जोड़ना है। उन गांवों की बाउन्ड्री अलग अलग राजस्व अधिकारियों के अन्तर्गत आती है मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा. मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ राजस्व बाउन्ड्री का ही फर्क है। मैंने इसके लिये एक्स. ई. एन से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मामूली से खर्च से यह गांव इस योजना के अन्दर जोड़े जा सकते हैं। चूंकि थोड़ा तकनीकी फर्क हो गया इसमें यह हुआ। इसके लिये भी [illegible] जो पत्र से स्वीकृति भेजी गयी उसमें बीस हजार रुपये की स्वीकृति हुई। सभापति महोदय, इस गांव में

98

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। अब जो रिवाइज्ड योजना बनाई गयी उसमें 45 हजार का खर्चा आता है क्योंकि जो पानी की टंकी है वह उस गांव से एक मील की दूरी पर है। अगर इसको राजस्व बाउन्ड्री वाले इलाके से जोड़ा जावे तो यह पास पड़ेगा, 800-1000 फीट से ज्यादा दूर नहीं होगा और खर्च में भी कमी आयेगी। मानवीय दृष्टिकोण से भी अगर आप लें तो उन इलाकों को पानी उपलब्ध हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि उन गांवों को जल्दी से जल्दी पानी उपलब्ध कराया जावे। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला है। अन्त में जल प्रदाय विभाग के मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह उन गांवों को कब तक पानी उपलब्ध करा सकेंगे? मंत्री महोदय सदन में आश्वासन दें कि जल्दी ही इस योजना को चालू किया जा सकेगा।

इसके साथ ही मुझे जो उत्तर मिला था सरकार की ओर से और जो मुझे जानकारी है उस आधार पर निवेदन करना चाहूंगा कि जो क्षेत्रीय योजना है वह छः गांवों की योजना है। उन गांवों में गांव जगड़वास लगोड और डेगाना है। उनमें से जगड़वास और लगोड योजना के लिये स्वीकृत हो गये थे। एक गांव तो दो किलोमीटर दूरी पर है और दूसरा जगड़वास है जिसकी कुछ बस्ती रेलवे स्टेशन पर रहती है। उन गांवों के लोगों को पानी नहीं मिलता है। इस अवसर पर यह भी याद दिलाना चाहता हूं और दोहराना चाहता हूं कि सन 1970 में यह योजना स्वीकृत हो चुकी थी यह जवाब मुझे मिला है। आपकी योजना में भी यह है, यह स्वीकृत हो चुकी है इसलिए इन दोनों गांवों को जोड़ कर वहां पर पानी दिलाने की व्यवस्था करें।

अब डेगाना गांव का प्रश्न और रहता है। जो जानकारी मुझे है उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेगाना गांव में सन् 1970 में जल योजना स्वीकृत की गयी थी। उसे ठोस मान कर छः गांवों को पानी देने की बात थी। जब यहां पर ट्यूब वैल खोदे गये तो इस नतीजे पर पहुंचे कि ट्यूब वैल से तो छः गांवों को पानी नहीं दे सकते। इसलिये बिसलसर में दूसरा ट्यूब वैल खोदा उसमें डेगाना एक्सक्लूड हो गया। वहां पर चौकीदार, चपरासी आदि के रहने के मकान बने हुए हैं। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि 3½ लाख रुपया वहां पर खर्च किया जा चुका था। यदि बिसलसर से उसको जोड़ कर के डेगाना को पानी देते हैं तो काफी महंगा पड़ता है। मैंने इस सम्बन्ध में आगे लिखा पढ़ी की तो जो इससे सम्बन्धित मंत्री थे, उन्होंने मुझे पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि जैसे ही बिजली वहां पर आ जावेगी पानी भी उपलब्ध करा दिया जावेगा। उस वक्त बिजली मिली नहीं थी। उस वक्त अकाल था इसलिए पानी लाकर दिया जाता था। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर ट्यूब वैल बने हुए हैं पास में, पानी देने की योजना भी बनी हुई है, मकान भी बने हुए हैं इसलिए मंत्री महोदय आश्वासन दें कि जल्दी से जल्दी उस गांव को बिजली देकर

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
उसको पास वाले गांव से जोड़ कर पानी दिया जावेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और कहनी है । आधे घन्टे की चर्चा है ।

श्री सभापति : इसका मतलब यह नहीं है कि आधा घंटा पूरा लिया ही जाय ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी जलप्रदाय योजनाएं चलती हैं, वे जब बनती हैं और आयोजना में आ जाती हैं तो प्रायोरिटी के हिसाब से किन गांवों को आवश्यकता है और किन को पानी मिलना चाहिये, यह राज्य सरकार को ध्यान में रखना चाहिये । एक एग्जाम्पल के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं । जैसे एक योजना है, तीन गांवों में पानी देने की । दो गांवों का तो जोड़ दिया जाता है और एक गांव को पानी देने से छोड़ दिया जाता है । इसलिये जो गांव छोड़ दिये जाते हैं उनके पास में जहां पर पानी उपलब्ध होता है उससे उनको स्वतः ही जोड़ दिया जाना चाहिये । यदि एक गांव की योजना आयी, उसके पास ही गांव है उसको भी पानी की आवश्यकता है तो उसको भी जोड़ दिया जाना चाहिये । मान लीजिये कि आयोजना में वे गांव नहीं आये हैं लेकिन जब उनको पानी की आवश्यकता है और पास में ही पानी उपलब्ध है तो राज्य सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि आयोजना में न होते हुए जहां भी पास में पानी उपलब्ध है उससे उनको जोड़ दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह विश्वास करूंगा कि जो जल समस्यायें मैंने अभी सदन के सम्मुख रखी हैं माननीय मंत्रीजी उनके लिये आश्वासन देंगे और उनको जल्दी से जल्दी करेंगे ।

श्री सभापति : जल प्रदाय मंत्रीजी !

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, जल प्रदाय विभाग): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिन जिन क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया मैं एक एक का जवाब देना चाहता हूं । यह बात सही है पूनास योजना के अन्तर्गत इन गांवों को रखा था और आयोजना में स्वीकृति की आपको सूचना भी दी गयी थी । लेकिन यह जो सूचना दी गयी थी वह फर्स्ट फेज के लिये ही थी । सैकिन्ड फेज तो इसका 1977-78 में स्वीकृत होकर आया है और उसकी स्वीकृति अभी अन्डर कन्सीडरेशन है । इसलिये यह कहना कि केवल सात ही गांवों को लिया जा रहा है, सही नहीं है । 7 गांव तो पहले ही स्वीकृत हो चुके थे । उस योजना को छोड़ा नहीं गया है यह मैं कहना चाहता हूं । इसलिये मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि अन्य फिजेबिलिटी को देख कर उस पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

आपने गारड़ीचान्दरन के बारे में कहा । यह बात सही है कि जहां आखरी पॉइन्ट है उससे बहुत कम पाइप लाइन की जरूरत पड़ती है । मैं विभाग का आवश्यक आदेश दे रहा हूं कि इसको वहां से जोड़ दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : Don't interrupt.

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं तो निवेदन कर रहा था•••

श्री सभापति : आप पहले उन्हें सुनिये। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे।

श्री महबूब अली : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ... के बारे में बात कही। जल योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि ... में यह काम किया गया और ... ट्यूब ... ट्यूब ... की बात कह रहे हैं ... पास है। आपने ... उसके आधार पर भू-जल ... करके और मेरे अधिकारियों से ... के अगर ट्यूब वैल वर्किंग आर्डर ... पानी निकालने की योजना शुरू ... सकता है तो राज्य सरकार की यह ... कि पानी योजना ... दिया जाय। ट्यूब वैल बिलकुल वर्किंग आर्डर में है और भू-जल ... देने के लिये तैयार है तो जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा इसको शुरू कर देंगे।

तीसरा प्रश्न ... और ... गांव का है। यह बात सही है कि वहां का पानी ... वाला है। उस पानी में एस रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। इसलिये 77-78 में इसको प्रोवाइड किया है। ... जिला समिति से प्राथमिकता ... नहीं है। उसने आर्डर ऑफ प्रायोरिटी नहीं भेजा है। विभाग ने लिखा है कि आप प्राथमिकता निर्धारित करके भेजें। फिर भी माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि गांव बानसोर में पेयजल की बात है जहां तक सम्भव होगा, किसी न किसी प्रकार से बहुत शीघ्र ही इसका समाधान करने का प्रयास किया जावेगा। मैं निश्चित आश्वासन तो नहीं दे सकता लेकिन यह बात मैं मानता हूं कि दोनों गांवों में पानी पीने योग्य नहीं है। इसलिये निश्चित रूप से इसका समाधान करने का प्रयत्न किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न ... थे वह समस्त इसमें पूरे हो जाते हैं। इसके बाद भी माननीय सदस्य को कोई शंका हो तो वह पूछ सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यदि आप अपने सुझावों को सदन के लिए फायदेमन्द समझते हैं तो बहुत मुख्तसर में फर्माइये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं तो यह निवेदन करना चाहता था कि बोरड़ी ... में ... पानी है। बोरड़ी करणा के ... इसलिए वह करेक्शन की बात है।

श्री महबूब अली : बोरड़ी करणा की ही बात कही है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : दूसरे आपने ... के लिए कहा कि आयोजना समिति से नाम तो आ गया है पुनः लेकिन प्रायोरिटी फिक्स नहीं हुई है। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी भी आयोजना समिति आपके पास सिफारिश भेजती है उसमें प्रायोरिटी फिक्स नहीं करते हैं और उन्होंने जो कुछ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी भेजी उसके आधार पर योजना बनाते

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

हैं ? आपके पास लिस्ट आ जाती है तो आपका डिपार्टमेन्ट उसको एग्जामिन करता है। डिपार्टमेन्ट अपनी तरफ से भी देखता है और फिर राजनैतिक दृष्टिकोण से भी आप लोग देखते हैं। हम इसलिए चुप रहते हैं किसी न किसी गांव को पानी मिल ही रहा है। लेकिन इन दो गांवों की जो स्थिति है, आप भी महसूस करते हैं और सदन के सभी माननीय सदस्य महसूस करते होंगे कि उनकी वास्तविक रूप से कितनी गम्भीर समस्या है और पानी की कितनी आवश्यकता है। इसलिए जो आपने कहा कि उसकी प्राथमिकता को देख कर डिपार्टमेन्ट से बात करेंगे, इसकी मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास आयोजना समिति ने नाम पुनः भेज दिया है। मैंने आपको पढ़ कर भी सुनाया था। मेरा निवेदन है कि इन गांवों के अन्दर पानी की बहुत भयंकर समस्या है। आप गांव में जायें तो आपको मालूम हो जायेगा इसलिए आप यही आश्वासन दें कि इनको पानी दिया जायेगा।

अन्त में मैं एक बात और कह रहा था। उसका आपको पता नहीं होगा। वह यह बात थी कि 1969 और 1970 में जो योजना डेगाना जल प्रदाय की थी उसमें लंगोट गांव था। उसके लिए पहले भी प्रावधान था लेकिन किसी वजह से उसको पानी नहीं दिया जा सका। अब उसको पानी दें और जल प्रदाय योजना से जोड़ने के लिए कुछ कहें।

श्री महबूब अली : सभापति महोदय, जहां तक चारणावास और जावा गांव के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है मैं उनकी चिन्ता को बहुत समझता हूं। इसमें किसी प्रकार का राजनीति का प्रश्न नहीं है लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं टेक्निकल फिजेबिलिटी के बारे में जो अण्डर कन्सीडरेशन हैं। इसके बारे में कोई राजनीति का प्रश्न नहीं है। यह मैं आपको आश्वासन देता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इसकी अर्जेन्सी को देख कर कार्यवाही की जायेगी। इसको टालना नहीं चाहता हूं और न ऐसी मेरी नीयत है। जहां तक लगोड़ा और जगरावास की बात है यह मेरे ध्यान से चूक गये हैं। मैं जानकारी प्राप्त करके आपको बता दूंगा। माननीय सदस्य मुझसे मिल लें।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सूची में जो प्रश्न नहीं हो उसके सम्बन्ध में सदन में घोषणा

श्री सभापति : अब इस पर बहस नहीं होगी, यह मैं रिक्वेस्ट करूंगा।

विरोधी दल के नेता महोदय ने जो एतराज किया था उसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रूल 28 (2) की ओर दिलाना चाहता हूं। वह है :

"Save as otherwise provided in these rules, no business not included in the list of business for the day shall be transacted at any sitting without the permission of the Speaker."

मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे यह सूचना दी गयी है सेक्रेटेरियट

(102)

(श्री सभापति)
से कि स्पीकर महोदय ने अनुमति दे दी है और माननीय पंचायत मन्त्री महोदय घोषणा कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं रूल 22 को कोट कर रहा हूं। आप मेहरबानी करके इस रूल पर गौर फर्मायें :—

"On days allotted for the transaction of Government business shall have precedence and the Secretary shall arrange that business in such order as the speaker may, after consultation with the Leader of the House, determine;"

रूल 22 के अन्दर एजेण्डा में अमेन्डमेन्ट करने की पावर, और घोषणा करने की पावर कहीं नहीं है। इसमें लिखा है :

"Provided that such order of business shall not be varied on the day that business is set down for disposal unless the Speaker is satisfied that there is sufficient ground for such variation."

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं आपकी मंशा समझ गया हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं। आपने कहा कि एक घोषणा करना चाहते है तो दो प्राविजन्स हैं इसके लिए, आइदर 123 में घोषणा कर सकते हैं या अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर रिजाइन कर रहे हैं तो कह दीजिए कि आप मिनिस्ट्री से रिजाइन कर रहे हैं then I have no objection दूसरा अगर कोई स्टेटमेन्ट देते हैं then I am surprised because he will make a policy statement and I can not take part in the debate because I have not come prepared for that.

मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कानून को ज्यादा जानने वाले हैं, न लीडर ऑफ दी हाउस यहां हैं जो यह बता सकते कि किस प्रकार स्पीकर को कन्सल्ट किया, किस ने किया और न डिप्टी लीडर मौजूद है। जब लीडर ऑफ दी हाउस नहीं हैं इसलिए उनके व्यूज नहीं लिए जा सकते। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें।

श्री सभापति : मैं सदन को अपनी व्यवस्था से सूचित करता हूं कि रूल 22 है।

"and the Secretary shall arrange that business in such order as the Speaker may, after consultation with the Leader of the House, determine;"

रूल 22 जिस चेप्टर में है उसी में रूल 22 के बाद रूल 28 है जिसका सब रूल मैंने अभी पढ़कर सुनाया। सब-रूल (2) आखिरी प्राविजो यह है.—

"Save as otherwise provided in these rules, no business not included in the list of business for the day shall be transacted at any sitting without the permission of the Speaker."

श्री परसराम मदेरणा : "without the permission of the Speaker."

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को सन्तोष कराने के लिए यह बताना चाहता हूं कि यह रूल 28 है it is an exception over the rules mentioned in Rule 22, and when the Speaker has allowed a particular extra business, it is sufficient, and there is no question of challenging the order of the Speaker at this stage.

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह अर्ज कर रहा हूं...

श्री सभापति : You cannot challenge the order of the Speaker.

श्री मूलचन्द डागा : I am not challenging, but when the Speaker was in the Chair and he continued for three hours, the Minister was also here. He should have raised the point at that time.

श्री सभापति : मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इस रूल 28 (1) में यह कहीं भी दर्ज नहीं है कि यह परमिशन स्पीकर साहब से उसी समय ली जाये जब कि स्पीकर हाउस में प्रिसाइड कर रहे हों. Speaker is always speaker whether he is presiding or he is in the Chamber.

चेयर को सूचित किया गया कि Speaker has given the consent.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, यह जो अनुमति अध्यक्ष महोदय ने दी है यह अध्यक्ष महोदय ने अनुमति इस चेयर से जब अध्यक्ष महोदय अन्दर गए है और आप जब इस आसन पर विराजमान हुए हैं इससे पूर्व दी है या अभी चम्बर से आई है ? अगर अभी चैम्बर से आई है तो सदन की जब मीटिंग हो रही हैं तो You are the Speaker in the house. स्पीकर तो आप हैं All the powers of the Speaker are vested in the Chair. किसी मुद्दे पर आप व्यवस्था नहीं देना चाहते हैं तो वह बात अलग है। पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज होने के बाद अध्यक्ष महोदय की कन्सेन्ट ली है या पहले ? आप बैठे उसके बाद आपके पास अनुमति की सूचना आई है वरना आपको यह रूलिंग रिजर्व करने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि अनुमति अगर माननीय मंत्रीजी ने मांगी है उसके बाद बातचीत हुई है तो बार बार चैम्बर में गये हैं और चैम्बर से सीधे अनुमति ले आये हैं और उसको आप पढ़ रहे हैं। आप तो खुद ही स्पीकर हैं। मैं सोच रहा था कि आप रूलिंग रिजर्व कर रहे हैं तो आप स्वयं ही व्यवस्था देंगे। आप तो दे ही नहीं रहे हैं, स्पीकर साहब ने दी है उसको पढ़ रहे हैं। यह सदन को जानकारी दें कि स्थिति क्या है ?

श्री सभापति : मुझे सुनिये। बेशक, यह सूचना मुझे अभी मिली है कि स्पीकर महोदय ने अनुमति दी है लेकिन इसमें यह स्पष्टीकरण नहीं है कि यह अनुमति मेरे यहां बैठने से पहले दी थी या बाद में दी। यही क्यों समझा जाय कि मेरे बैठने के बाद में दी। Now I allow the Minister to give his statement.

शासकीय वक्तव्य

पंचायत में निहित आबादी भूमि के व्ययन की समस्त शक्तियों वापस पंचायतों को देने का निर्णय

श्री कैलाश मेघवाल (पंचायत मंत्री): राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के ग्राम चुनाव, जो 13 वर्ष से नहीं हुए थे, कराने का निर्णय माह अक्टूबर, 77 में लिया और इसके अनुसार ही चुनाव कराने की घोषणा की, तब से प्रदेश के कोने कोने से शिकायतें आने लगी कि तत्कालीन सरपंच आबादी भूमि को मनमाने तौर पर खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से पंचायतों से यह अधिकार राजस्थान पचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 269 के उप-नियम 5 के अन्तर्गत जनहित की दृष्टि में वापस लेना और जिलाधीशों को प्रदत्त करना आवश्यक समझा व इन प्रावधानों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार की ओर से दिनांक 31-12-77 का अधिसूचना जारी कर पंचायतों में निहित आबादी भूमि के व्ययन की समस्त शक्तियां तुरन्त प्रभाव से वापस लेकर सम्बन्धित जिलों के जिलाधीशों को प्रदान करने के आदेश जारी कर दिये।

अब पिछले दिनों ग्राम पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं और उन्होंने सामान्य रूप से काम काज करना प्रारम्भ कर दिया है अतः राज्य सरकार ने ऐसी स्थिति में पंचायतों में निहित आबादी भूमि के व्ययन की समस्त शक्तियां वापस पंचायतों को देने का निर्णय लिया है जिसके अनुसार आदेश प्रसारित करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : एक बात पूछना चाहता हूं। जिन सरपंचों ने आपका हुकम निकला, उससे पहले बेच दी उसको आप रेगुलेराइज करेंगे या इल्लीगल मानेंगे ?

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य के विभिन्न कारागृहों में बन्दियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई हड़ताल

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री नवरंगसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली): सभापति महोदय मैंने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 31 के अन्तर्गत विभिन्न कारागृहों में बन्दियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने से उत्पन्न स्थिति की ओर कारागृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है।

मुझे दुःख है कि कारागृह मंत्री नहीं हैं। यह सदन का अपमान है। मैं कारागृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं सदन में कई दिनों के बाद किन्तु आज कारागृह मंत्री नहीं हैं उनको ताड़ना दीजिये।

एक माननीय सदस्य : आ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आने दीजिये। श्रीमान, आज राजस्थान के अन्दर बन्दियों की जो हालत है····

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी का स्टेटमेंट···

श्री मूलचन्द डागा : मैं बोल देता हूं पहले।

श्री सभापति : आपके स्टेटमेंट से पहले आप सुनना चाहेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनट के लिये।

श्री मूलचन्द डागा : How do you come in the picture ? आपका नाम नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा नाम है, आपको जानकारी नहीं है।

श्री सभापति : तमाम माननीय सदस्यगण जिन्होंने इस मामले में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था, को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। अगर आप उचित समझें तो मंत्री महोदय से स्टेटमेंट ले लें और आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : बोलना है।

श्री सभापति : माननीय मूलचन्द जी डागा।

श्री मूलचन्द डागा : आज जेलों की हालत क्या है। आज भी भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर 5 कैदी बैठे हुए हैं। दो महीने से वे हड़ताल कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : 11

श्री मूलचन्द डागा : 11 मेम्बर बढ़ गये, और बढ़ते जा रहे हैं। 749 कैदियों के दस्तखत किये हुए कागज मैं सदन की मेज पर रखूंगा।

एक बात कहना चाहता हूं कि 19 महीने आप जेल में रहे, कुछ ऐसा मौका मिला कि जेल में रहना पड़ा। श्री कैलाश जी भी जेल में रहे…

श्री कैलाश मेघवाल : 19 महीने।

श्री मूलचन्द डागा : तब आपको मन्त्री बनने का मौका मिला। एक जमाने में आपने देश को खतरा पैदा कर दिया था, इसलिए जेलों में रखा गया। उसके बाद आप इतने अच्छे बन गए कि आपको मन्त्री बना दिया। जेलों में 19 महीने रहने के बाद आपकी हालत सुधर गई। आपके जेल का जो एक्ट है, 1951 के रूल्स बने हुये हैं…

(व्यवधान)

श्री सभापति : No interruption please.

श्री मूलचन्द डागा : आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

बन्दियों को आज सड़ा गला अनाज मिलता है, यह उन्होंने शिकायत की है। जो आपका अधीक्षक आफिसर है अन्सारी यह बन्दियों से पैसा लेता है नहीं तो काल कोठरी में रखता है। उन्होंने लिख कर शिकायत की है। शक्कर चोरी से घर ले जाता था, उसको पकड़ लिया। वह ठेकेदार से मिला हुआ है। ठेकेदार उसके घर का खर्चा चलाता है। बार बार कहने पर भी रूल्स के खिलाफ बन्दियों से बेगार लेता है, आई. जी. लेता है, उसके छोटे अधिकारी लेते हैं, सब के घरों पर कैदियों से बेगार ली जाती है, उनसे धोबी का काम

(श्री मूलचन्द डागा)

करवाते हैं बर्तन मंजवाने का काम करवाते हैं, बच्चों की गन्दगी धोने का काम करवाते हैं। कैदियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है। इन्होंने यहां तक किया कि तोलने वाला जो कांटा है वह भी फर्जी लगा देते है ताकि ठेकेदार कम तोले। इस तरह की कैदियों ने शिकायत की है, पकड़वाया है फिर भी ठेकेदार वही है। यहां तक किया कि उन लोगों को काल कोठरी में बन्द कर दिया। जो पैसा नहीं देते हैं, उनको काल कोठरी में बन्द कर देते हैं, हथकड़ियां डाल देते हैं, पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। इस प्रकार के जुल्म बराबर तीन महीने से कन्टीनुग्रस हो रहे हैं। बालचन्द जी जेल में गये। अन्सारी का बर्ताव उन्होंने देखा। नवरगसिंह, श्योपतसिंह जी गए: उन्होंने सारी बातें देखीं।

सभापति महोदय, मैं सारे यह एलीगेशन्स लगा रहा हूं इनकी मैंने आपकी सेवा में कॉपी पेश की है। मुझे मालूम था 1973 में किसी के खिलाफ चार्जेज लगाते हैं, तो नोटिस देना पड़ता है। आप ईमानदारी से नियमों का पालन ठीक ढंग से करवाते हैं। मुझे विश्वास हो जाता है कि आप ही एक सभापति हैं जो नियमों का पालन करवाते हैं।

मैंने देखा है कि बन्दियों की तलाशी करवाकर नगा कर जेल में घुमाते हैं। जो काम करते हैं उन्होंने काम रोको हड़ताल जारी कर दी है। दो महीने से वहां कोई काम नहीं कराता। इस कारण उत्पादन घट गया है। आज आप कहते हैं इनको जेल में इसलिए रखा था कि इनमें सुधार हो। श्री मथुरादास जी माथुर जब जेल मन्त्री थे, तब अन्डर ट्रायल प्रिजनर्स को सात दिन में मिलने का समय देते थे। इस भ्रष्ट अधिकारी ने दो महीने से मिलने का समय नहीं दिया। क्या कानून है अन्डर ट्रायल प्रिजनर्स का, वह बताना चाहता हूं। अण्डर ट्रायल कानून में परिवर्तन की बात जनता पार्टी ने कही थी। आप 19 महीने जेल में रहे हैं। अब यह भूल गए हैं कुर्सियां मिलने के बाद कि कानून में परिवर्तन करना है। अण्डर ट्रायल कैदियों को 'ए' और 'बी' क्लासेज हैं। जो पढ़े-लिखे हैं वह अच्छी क्लास में हैं और दूसरे लोग उसमें आते हैं। इन 'ए' और 'बी' क्लासेज के जो 1979 के रूल्स हैं उसके अनुसार डिवाइड किया है। इसके अन्दर है:—

"Under trial prisoners shall be divided into two classes.

(i) Special Class, and

(ii) Ordinary Class."

अब, श्रीमान्, आपके होते हुये इस प्रकार की रेमिशन और पेन्शन की बात करना चाहते हैं तो जेलों में रेमिशन और पेन्शन के मामलों की किताब है मेरे पास। ऐसी बात हुई कि वापस लोकतन्त्र स्थापित हुआ था तो एक-एक साल का रेमिशन दे दिया गया था। एक एक-साल का किया था। रेमिशन दिया गया श्रीमान्, मैं कारागार मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि रेमिशन का आधार आपने निकाला था तो किन का रेमिशन दिया गया? यह जो नियम है, कारागार मन्त्री बतायें…

श्री सभापति : आप रेफर कर दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं, श्रीमान् आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ।

जो पर्सनल लिबर्टी फार कन्सीडरेशन आफ दी एडवाइजरी बोर्ड का प्रश्न है मेहरबानी करके आप इसका जवाब दें। आप, कारागार मन्त्री, जेल में कभी भी नहीं रहे इसलिए आपको पता नहीं है। इन लोगों को पता है किन्तु यह भूल गए हैं क्योंकि मोटे-ताजे बन कर आए हैं । उस एडवाइजरी बोर्ड ने रेमिशन या पेन्शन के बारे में क्या विचार किया ? जिनको रेमिशन देना चाहिये उनमें से किन आदमियों को दिया ? इस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की है यह सदन की मेज पर 800 कैदियों के हस्ताक्षर सहित आपकी सेवा में इन्साफ के लिए रखता हूं। क्या कैदियों को मार दिया जाय ? वे भी समाज के नागरिक हैं, कैदी हुये तो क्या हुआ । 800 कैदी आज हड़ताल पर हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसकी अगर अनुमति चाहें तो ले लें ।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी अनुमति है ।

श्री सभापति : रेफर कर दें आप चाहें तो ।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी पूरी सहानुभूति मेरे साथ है ।

श्री सभापति : सदन की मेज पर शिकायत आ गई है । कृपया समाप्त करें ।

एक माननीय सदस्य : कहते कहते भूल जाते हैं । ध्यान नहीं रहता है समय का ।

श्री मूलचन्द डागा : टाइम कम है, यह आपत्ति का मौका चला गया ।

समग्र क्रान्ति की बात आप कहते हैं । उस क्रान्ति मे इमर्जेन्सी के वक्त जो आदमी बन्दी थे उनको छोड़ा जायेगा, यह आपने कहा था। क्या हुआ उनका ? आज भी कई लोग जेलों में हैं । उनसे बेगार ली जाती है, उनसे काम लिया जाता है, उनके साथ में बुरा व्यवहार होता है । आपको मालूम है कि 17 जनवरी की रात को आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों को जब जेल में रखा तो उन पर लाठी चार्ज किया गया था । कई विद्यार्थी घायल हो गये । वह हॉस्पिटल में भर्ती किये गये । जेल में लाठी चार्ज और लोगों पर अत्याचार की बात हो रही है । मैं बराबर कह रहा हूं कि अन्सारी के खिलाफ कार्यवाही हो । उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? कैलाश जो जेल में थे यह सच कहेंगे । यह जेल में रहे थे । इन्होंने अन्सारी साहब के खिलाफ शिकायत की थी । शिकायत की, इनकी मैं गवाही दूंगा । किन्तु जिनकी शिकायत की थी उनको डी. आई. जी. बना दिया......

श्री सभापति : अब काफी भाषण हो गया, माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी आज्ञा मानता हूं ।

सारे कैदी भूख हड़ताल पर हैं और डॉ. चन्द्रप्रकाश की हालत बहुत खतरनाक है । खून गिर रहा है । लोगों का वजन कम हो रहा है । आपका वजन तो 7-7, 8-8 किलो जेलों में रह कर बढ़ गया था । इन्दिरा ने आपका कल्याण कर दिया ।

श्री कौशलकिशोर जैन : सभापति महोदय, एक मिनट मैं लेना चाहता हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करिये। कृपया स्थान ग्रहण करिये।

अगर माननीय सदस्यगण सभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं तो मैं उनको जबरन मना नहीं कर सकता। माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे वह बोलेंगे। काफी ध्यानाकर्षण हो गया है। फिर भी आप साहबान चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : मेरा नाम नहीं है लेकिन मैं भुक्तभोगी हूं। इन अन्सारी साहब का भुक्तभोगी हूं। मैं जयपुर की जेल में रहा हूं।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। मैंने सुन लिया है। मैं आपको टाइम दूंगा लेकिन नाम पुकारूं तब बोलें।

श्री कौशलकिशोर जैन : धन्यवाद।

श्री मथुरादास माथुर : यदि किसी भी माननीय सदस्य की पर्सनल नॉलेज है तो उनका नाम नहीं भी हो और वह सदन को इत्तिला देना चाहें तो उनको प्रायोरिटी हमेशा देते रहे हैं। इसलिए यह माननीय सदस्य पर्सनल नॉलेज से कह रहे हैं, इनको सुन लिया जाय तो ध्यानाकर्षण में मदद मिलेगी।

श्री सभापति : श्री शीशराम ओला !

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : सभापतिजी, जयपुर के केन्द्रीय कारागार में लम्बे अर्से से कैदियों की सामान्य तौर से हड़ताल चल रही है। जुलाई, 1977 में हड़ताल की तब इस सदन के माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल जी भार्गव, श्रीमती उजला अरोड़ा और श्री आर.के. दास गुप्ता कैदियों के पास गये। उनके आश्वासन पर हड़ताल और सत्याग्रह खतम किया। उसके बाद 19 जनवरी, 1978 की रात को 9-30 बजे सामूहिक तौर पर कैदियों की तलाशी ली गई और उन पर लाठी चार्ज किया गया। उन्होंने हड़ताल कुछ वजूद और कुछ बातों को लेकर की थी। आज जयपुर के केन्द्रीय कारागार में सन् 1857 के वक्त कैदियों के लिए जो कानून था उसी के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है। सारा जमाना बदल गया, सारे कानून बदल गये, सारी व्यवस्था बदल गई उसके बावजूद उन कैदियों पर जैसे 1857 में अत्याचार होते थे वैसे ही अत्याचार आज हो रहे हैं। यह सरकार के लिए शर्म की बात है।

आज उन कैदियों की शिकायत क्या है? जब कभी भी उनको पैरोल पर छोड़ा जाय, रेमिशन दिया जाय, कहीं स्थानान्तरण किया जाय तो जेलों के अधिकारी रुपया लेते हैं, और रुपये के बगैर काम नहीं होता है। हमारे होम मिनिस्टर और होम कमिश्नर जेलों के बारे में नहीं जानते हैं। जब तक पैसा नहीं देते हैं तब तक उनको रेमिशन नहीं दिया जाता है। यही नहीं उनको काल कोठरी में रख दिया जाता है। घरों पर उनसे काम लिया जाता है। जेल के अधिकारी उनसे अपने घरों पर अपनी बीवियों के कपड़े धुलवाते हैं। यही नहीं उनको जो चाय और राशन मिलता है वह जेल के अधिकारी अपने घरों पर ले जाते हैं। एक बार सामूहिक रूप से जेल अधिकारियों की तलाशी ली गई थी तो चाय

(श्री शीशराम श्रोला)

और चीनी पकड़ी गई थी, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि शिकायत वापस उन अधिकारियों के पास भेज दी। वह कैदियों का राशन खा रहे हैं। उनको यातनाएं दी जा रही हैं। वह लोग लम्बे समय से भूख हड़ताल पर हैं। 11-12 लोग रोज भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि सारे कैदी भूख हड़ताल पर बैठ जायं। अगर यही दशा रही तो....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

तो निश्चित रूप से कैदी विद्रोही हो जायेंगे।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद।

बिगड़ती हुई स्थिति को निश्चित रूप से सरकार को सम्भालना चाहिये। मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि वे अपना वक्तव्य दें वह वक्तव्य सन्तोषजनक हो और कैदियों ने जो भूख हड़ताल की है, उनकी ठीक से व्यवस्था हो।

श्री सभापति : श्री रामदेव सिंह चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री राम रघुनाथ !

(अनुपस्थित)

नैक्स्ट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं बोल रहा हूं।

माननीय सभापति जी, कैदियों की जो भूख हड़ताल 20 दिनों से चल रही है उसके बारे में फैक्ट्स आपके सामने रखे गये हैं। मैं ज्यादा कहना उचित नहीं समझूंगा। चन्द्रभान जी की हालत खराब हो रही है। केन्द्रीय कारागार, जयपुर की राजधानी में है, इसमें काफी संख्या में कैदी हैं। इसका दूसरे जिलों में भी असर पड़ेगा। सभापति जी, भ्रष्टाचार के मामले सामने लाये गये हैं। शक्कर नहीं देने का, पूरी डाइट नहीं देने का मामला रखा गया है। जो यहां का अधीक्षक है उसके प्रति पूरे कैदियों ने असन्तोष जाहिर किया है। यहां काफी संख्या में जेल में बन्दी हैं और वाजिब मांगें हैं उनकी। विधायकों ने जाकर बीच-बचाव कराया है लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। उन पर लाठी चार्ज हुआ, सामूहिक तलाशी ली गई। सरकार इसको रोक नहीं रही है, इस कारण दिनों दिन भूख हड़तालियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां निरीक्षक महोदय बैठते हैं, मन्त्रीगण विराजते हैं, वे उसको देख नहीं रहे हैं। यहां कल मामला उठाया था, जन जाति एवं अनुसूचित जाति संघ का तब जाकर मन्त्री जी ने बात की तो हड़ताल छूट गई। कैदियों के बारे में मामला उठाया है, वे भी इन्सान हैं उनसे बात करें। जेलों में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह केन्द्रीय कारागृह का मामला है इसीलिये शीघ्र हल करें।

माननीय मुख्य मन्त्री जी बने थे तब यह घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार को खतम करूंगा, यह सरकार भ्रष्टाचार खतम करने के लिये पूर्ण कटिबद्ध है। यह एक इन्क्वायरी का मामला है. अधीक्षक महोदय हैं उनको हटाने की बात है। उन पर चार्ज लगाये हैं। आपने हजारों

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

व्यक्तियों का कर्मचारियों का ट्रान्सफर किया है। यह मामला आपके सामने आया है. सरकार पूर्ण मेजोरिटी में है फिर क्यों इसको प्रश्रय दिया जा रहा है। उनकी वाजिब मांगें हैं। उनमें से कोई भाग नहीं सकता है, क्योंकि कैदी हैं। जो मांग उनका है उनको साइक्लोस्टाइल करके फैक्ट्स हमारे सामने रखे हैं, उनको आप देख लीजिये। यह सरकार जनता सरकार है, फिर भी अगर आप कुछ न करें तो कमेटी का गठन करके उसको यह मामला भेज दीजिये ताकि यह निपटाया जा सके। दिनों दिन मामले को काम्प्लीकेटेड क्यों कर रहे हैं? माननीय मुख्य मन्त्री के क्वार्टर के सामने आन्दोलन होता है। जो उनका क्वार्टर है उसके सामने मेरा क्वार्टर है। वहां पर रातों रात टैन्ट लगाकर खड़ा कर देते हैं। मुख्य मन्त्री यहां आ जाते हैं तो यहां आ जाते हैं, वहां जाते हैं तो वहां चले जाते हैं। इस तरह 15 दिन आन्दोलन नहीं हो तो सुनवाई नहीं होती है।

पहले तो राज्य मन्त्री जी थे वे तो अब गये, वे तो कन्ट्रोल नहीं कर पाये अब तो आप गृह मन्त्री जी हैं और पूरे पावरफुल हैं। कैदियों का दमनचक्र चल रहा है। जो वाजिब मांगें हैं उनकी, उनके सामने बैठ कर उन पर विचार करके मामले को निपटा दें और बाकी के जो उनके अन्य मुद्दे हैं उनके लिये एक कमेटी बिठा दें। जो अधीक्षक के विरुद्ध स्पेसिफिक चार्जेज हैं उनको तो आप खुद देख लें! उस अधीक्षक को हटाकर आप इमीजियेट रिलीफ दे सकते हैं। वे कहते हैं पूरा राशन नहीं मिलता है। मगर नहीं मिलती है अगर कैदी उनको जेल अधीक्षक के पास ले जाते हुए पकड़ें तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करें आपकी जनता सरकार होते हुये, इसका बड़ा दुःख और भारी अफसोस है। इस आन्दोलन को आप लोग खतम नहीं कर सके और उन पर बराबर दमनचक्र चल रहा है। दिनों दिन अधिक कैदी भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या तमाशा है? यह ऑपरेशन करने काबिल हैं। मेहरबानी करके मंत्री महोदय, इस झगड़े को समाप्त कर दीजिये। यह सदन खतम हो उसके पहले इस झगड़े को समाप्त कर दीजिये। सात तारीख तक सदन की कार्यवाही चलेगी उसके बाद खतम हो जायेगी। अभी तक यह भी मसला हल नहीं कर सके हैं। आपके विधायकों ने जाकर आश्वासन दिया है, उजला अरोड़ा और भार्गव साहब ने जाकर आश्वासन दिया है। अब पता नहीं या तो यह हो सकता है कि उनकी चलती नहीं या कैदियों को और भड़काने के लिये कहा है। यह मामला हल क्यों नहीं हुआ...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह आरोप नहीं लगा सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मामला हल नहीं हुआ इसीलिये लगा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हम उनकी कठिनाई को जानते हैं...

श्री रघुनाथ विश्नोई : जानते हुये भी कुछ नहीं कर सके...

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना तो हर विधायक का कर्तव्य है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमारा सहयोग लेने की आवश्यकता हो तो लें। मंत्री महोदय को साथ लें और जैसे अनुसूचित जाति और जन जाति के आन्दोलन को खतम करवाया वैसे ही इस आन्दोलन को भी समाप्त करायें....

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हम सबसे सम्पर्क करके आये हैं...

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस आन्दोलन को समाप्त कर देना चाहिये वरना हमें दुबारा मामले को सदन में लाना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। हमारा राइट है और हम आपको मजबूर करेंगे। तो गुड सेन्स प्रिवेल करके मामले को निपटा दें। घर की मुर्गी दाल बराबर है आप लोगों के पास ऐसा कौनसा मामला है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब हो गया। बहुत हो गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर आप गुड सेन्स को उपयोग में नहीं लाये तो नतीजा अच्छा नहीं निकलने वाला है। आपको अनुभव भी है, इसका हमें एतराज नहीं है लेकिन इस मामले को खतम कर दीजिये। सारे राजस्थान में, उनकी जिन मांगों को आप पूरा कर सकते हैं, कर दें बाकी के लिये कमेटी बिठा दें। परन्तु इस आन्दोलन को शीघ्र खतम करादें।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जैन।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति जी, एक कैदी सामाजिक जीवन को छोड़कर एक ऐसे जीवन में चला जाता है...

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा, काफी चर्चा हो चुकी है। जो जरूरी है, वही कहें।

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो जितनी की जाय, उतनी ही कम है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : श्रीमान, इन अन्सारी के कारनामों का मैं भुक्त भोगी हूं। उदयपुर की जेल में मैंने इनके व्यवहार को देखा है। श्रीमान् वहां राशन दिया जाता था, वह कम दिया जाता था, ताल में कम देते थे। पेट भर खाने के लिये कभी नहीं दिया। सभापति महोदय, जहां बड़े बड़े लोग थे, उनके साथ ही जब इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता था तो जो कैदी है जो अनपढ़ है ना समझ है और जिसको मृत्यु दण्ड मिला हुआ है, जो यह सोचता है कि मुझे तो 20-25 साल इनके साथ गुजारने हैं, उसकी किसी प्रकार की हिम्मत नहीं होती थी उनके खिलाफ आवाज उठाने की।

श्रीमान, कैदियों को पूरी रोटी नहीं दी जाती है पूरा राशन नहीं दिया जाता है, पूरा आटा नहीं दिया जाता है। श्रीमान, भूख से पीड़ित कैदी को पूरा भोजन नहीं दिया जाता है। बीमार होता है,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

श्रीमन्, तो उसको कोई दवा नहीं दी जाती है और जब तक मरने जैसी स्थिति नहीं हो जाती है उसको उदयपुर के हास्पिटल में नहीं भेजते हैं। श्रीमान्, ऐसी स्थिति है। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं किन्तु वह उन आंसुओं की भी कोई परवाह नहीं करता है। ऐसी स्थिति में, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वह मनुष्य नहीं हैवान है उस हैवान को आपने पुरस्कार दिया है। उस आदमी को वापस भेजें लेकिन आपने वापस भेजने के बजाय पदोन्नति दी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी आप उसके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं। आदमी को आप सही, ढंग से परखते नहीं हैं।

हम जेल में सजा भुगत कर आये हैं। हमें मालूम है जिस प्रकार के सड़े हुए भूंगड़े हमको मिलते थे, और जिस प्रकार का हमारे साथ बर्ताव होता था, वह निन्दनीय ही नहीं घोर निन्दनीय है। श्रीमान्, इस व्यक्ति को तुरन्त हटाया जाय और उदयपुर जेल के सारे घोटालों की जांच की जाय। 5-5, 6-6 लोगों को बड़े बड़े लोगों के घरों में कपड़े धोने के लिये, बर्तन साफ करने के लिये, उनकी गाय भैंसों को सम्भालने के लिये लगाये रहता है। ये सारी बातें होने के पश्चात् भी सरकार ने उसे पुरस्कार दिया है। मैं मन्त्री महोदय से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, जो कैदी हैं जिनको सजा मिल चुकी है, उनको पेट भर खाना नहीं मिले, दवाई नहीं मिले यह बहुत बड़ा पाप है। उनको निश्चित रूप से दण्ड मिलना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : फाइन !

श्री सभापति : श्री राम रघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बन्दी गृह में आते हैं, उससे पहले वह मानव हैं। जो मानव को मानवता के आधार पर नहीं देखे तो उसे मानव कहलाने का अधिकार नहीं है। माननीय सभापति महोदय, बन्दियों के साथ में इस प्रकार का घिनौना, अभद्र व्यवहार किया गया है। अगर वह इन्सान हैं, तो उनको भी तकलीफ होती है। हमारा यह परम कर्तव्य है कि उनकी जो तकलीफें हैं, उनका हम निवारण करने का प्रयत्न करें। काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह बन्दियों की समस्याओं का निवारण करने के बारे में कार्यवाही करें।

एक बात बार बार दुहराई गई है उसको न दोहराने के बारे में मैं सोचता था। लेकिन अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके बारे में दोनों पक्ष एक ही विचार रखते हों, जिस आदमी का इस तरह का व्यवहार रहा हो उस आदमी को पदोन्नत किया जाये और उसको टेक्निकल शिक्षा के लिये बाहर भेजा जाय, यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जितने बन्दी बन्दीगृह में जायें, उनको अच्छे वातावरण में रख कर सुधारने का प्रयत्न किया जाय ताकि जब बन्दीगृह से निकलें तो एक अच्छे इन्सान हों। नहीं तो जो निकलेगा उसको फिर वहीं वापस आना पड़ेगा। लेकिन बन्दी की स्थिति में उनका जिन अधिकारियों के द्वारा मारा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जाये, पीटा जाये, सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को हटाया जाये। साथ ही किन कारणों से वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन कारणों पर विचार किया जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्या उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति जी, यह सच है जो यहां चर्चा उठाई गई है। मैंने वहां जाकर देखा है मैंने उनको आश्वासन दिया है। जैसे ही सूचना मिली मैंने इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रीजी और राज्य मन्त्री जी को सूचना दी। जब हमने वहां के अधिकारियों का यह हाल देखा तो मैंने कहा, यह बहुत घातक होगा कि लाठी चार्ज किया जाये। हम उनके साथ रहे हैं। हमारे साथ में भाई गिरधारी लाल भार्गव, रामकृष्ण दास गुप्ता भी थे। उन्होंने बातचीत की। उस समय प्रशासन के लोग डर रहे थे। कहीं हम जायें और कैदी हमला नहीं कर दे। सी. ओ. दामोदर, जिन्दगी भर जिसने रोटियां बनाई एक दिन फूटी रोटी लेकर आया। प्याला उसने फेंक दिया। वह गिरा और गिरते ही टूट गया। सभापति महोदय, उनका यह इण्टेंशन नहीं होता है। मैं उन बन्धुओं की बात कहूंगी जो हमारे ही समाज के प्राणी हैं। उनके साथ व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिये कि जो सजा उनको मिल रही है, वह हृदय से ग्लानि महसूस करें।

यह आमरण अनशन का 32 सूत्री मांग-पत्र जो कैदियों की तरफ से दिया गया था उसमें पहली मांग यह थी कि 56 किलो चीनी रंगे हाथों पकड़ी गई, लेकिन कोई जांच नहीं बैठाई गई। उस समय भी उनको सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाये रखा गया। जब हम बीच में पड़े तो उनको बड़े दफ्तर में भेज दिया गया। कैदियों को लोहे की दीवार से लगाकर मारते थे। जिस समय मैं पहुंची उन्होंने लोहे की जाली की दीवार लगा दी। वहां महिलायें भी होती हैं, पुरुष भी होते है। मैंने कहा, इस दीवार को हटा दीजिए। राज्य सरकार ने कहा हम हटा लेंगे। यदि ऐसा आदमी है कि भोजन की बात हो तो भी पैसा खाये, और किसी प्रकार की बात हो तो पैसा खाये फिर भी किसी प्रकार की जांच क्यों नहीं बैठाई गई। मैं मांग करूंगी कि अविलम्ब जांच की जाय। अभी 31 मार्च को उसे पदोन्नत किया गया है। उसको डी. आई. जी बना दिया गया। माननीय डागा जी ने कहा है, वह सच है। इसी तरह से लोग असन्तुष्ट हुए हैं। यह अनशन जनवरी से चल रहा है। 15-15 आदमी बैठे हैं। यह मन्त्री जी को कहा गया है कि उनका सुधार करें। उन पर जांच बैठाई जाये। इसीलिए आमरण अनशन का स्टेप उन्होंने लिया है 11 व्यक्ति अस्पताल में हैं। मैं उन से मिल कर आई हूं। उनकी हालत खराब है। जेल में 9 बन्दी आमरण अनशन पर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को उनके पदों से हटाया जाये। वह पदों पर रहते हैं तो निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो पायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी कुछ और भी बातें हैं।

श्री सभापति : आपका ही समय है। जहां तक हो सके जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती उजाला अरोड़ा : पिछले साल यह आदेश हुये थे कि दो महीने में बन्दी अपने परिवार से मुलाकात करें। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दो महीने के बाद बन्दी अपने परिवार से मिल सकेंगे। सभापति महोदय, मैं जेल में रही हूं। दो महीने में नहीं मिलने दिया जाता था। हम लोग वेदना से व्यथित होते थे। उनको एक सजा तो है ही लेकिन यह उनको एक और सजा है कि वह अपने परिवार के आदमियों से नहीं मिल सकें।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, मेरी मांग यह है कि पूर्वत: मिलने की जिस तरह की परम्परा चली आ रही थी उसी तरह से मिलने दिया जाय तो कैदियों में असन्तोष घटेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय इस सवाल को छुआ नहीं गया है। महिला कैदियों की इससे भी ज्यादा दुर्दशा है। वहां एक बर्बर महिला बैठा रखी है जो आए दिन महिला कैदियों को तंग किया करती है, उनसे बेगार छुड़ाती है। मैंने इसकी ओर राज्यपाल महोदय का भी ध्यान दिलाया था। वहां पर एक डॉ. एस पी. की पोस्ट होनी चाहिये, वह नहीं है। वहां जो महिला है वह महिला कैदियों की बर्बर पिटाई करती है, इसलिए वहां पर एक पोस्ट क्रिएट करनी चाहिये। तथा जेल मैन्यूअल में···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सुधार किया जाना चाहिये।

उनकी जो 32 सूत्री मांगें हैं, उनके अन्दर उन्होंने यह भी मांग की है कि जो उनको रेमिशन मिलता है वह भी इसमें जोड़ा जाय लेकिन वह नहीं जोड़ा जाता है, हालांकि इसकी दो-तीन बार घोषणा भी हो चुकी है महावीर स्वामी वर्ष में और गांधी जयन्ती के अवसर पर इसकी घोषणा हो चुकी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो छूट उनको मिलनी चाहिये वह केवल घोषणा मात्र से ही नहीं मिल जाएगी।

श्री सभापति : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं।

श्रीमती उजाला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से बन्दियों में असन्तोष है उसी प्रकार से वहां के जो प्रहरी हैं उनमें भी असन्तोष है। दो-तीन बार उनके द्वारा हड़ताल भी की जा चुकी है। उनसे ज्यादा काम लिया जाता है और उनको मेस अलाउन्स नहीं दिया जाता। वहां के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि उनसे घरेलू काम लिया जाता है। इस सम्बन्ध में मैंने मन्त्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित किया था उनको फेमिली क्वार्टर नहीं दिए जाते। उनको सभी प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहिये। इतनी बात कहते हुये मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री गिरधारी-लाल जी भार्गव, आप बोलना चाहेंगे।

श्री गिरधारी भार्गव : जरूर।

श्री सभापति : काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री मूलचन्द डागा : इनके बाद तो ये जरूर बोलेंगे, साहब ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसलिए नहीं, मैं अपनी भावना से बोलना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे बोलने के तीन स्वरूप हैं, एक तो मैं बंदी रहा हूं, मैंने वहां के कैदियों को...

श्री सभापति : एक स्वरूप यह है कि आप तीन मिनट बोलें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सौभाग्य से मैं जहां वन्दी था, वहां मैं सी. ओ. का भी काम करता था और मैं जेल एडवाइजरी कमेटी का मैम्बर भी हूं । सभापति महोदय, रेमिशन देने का निर्णय मेरे कहने के बावजूद भी अधिकारी लोग नहीं देते हैं । जेल मन्त्री जी को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कैदी कैदी नहीं आखिर वे भी मानव हैं । दुर्भाग्यवश वे वहां चले गए हैं, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार देखने में आया वह, माननीय सभापति जी, साधारण दुनियां में कहीं देखने को नहीं मिला । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि परिस्थितियां ही मनुष्य को कैदी बनाता हैं । न मैं दावा कर सकता हूं और न आप ही यह दावा कर सकते हैं, किसी को भी आजीवन कारावास की सजा हो सकती है । हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है । तब हम भी कहेंगे कि कम से कम ऐसा व्यवहार तो नहीं होना चाहिये । मैं जयपुर जेल के कदियों को अच्छी तरह से जानता हूं । जेल मे जितने उत्सव होते हैं, ऐसे अवसर पर उनको रेमिशन दिया जाता रहना चाहिए । आज परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं कल नहीं भी हो सकती हैं । कल किसी भी रूप में नहीं रहें पालिटिकल रूप में नहीं रहें लेकिन जेल की हालत दुरुस्त होनी चाहिये। 74 दिन से डाक्टर अन्सारी के नाम पर स्ट्राइक चल रही है । वह एस. पी. रहा हमारे वक्त में । जेल में मेरे साथ और कैदी भी थे । बहन जी, श्री, आर. के. दास गुप्ता थे और भी कई लोग वहां गए तो कैदियों ने कहा कि आप लोग बड़ी बढ़ा-चढ़ा कर बात किया करते थे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्रिमण्डल के भी 70 प्रतिशत लोग जेल में थे । जयपुर जेल में मैं दो वर्षों तक रहा, कैदियों की समस्याओं को मैंने निकट से देखा है । डॉक्टर अन्सारी के कारण वहां स्ट्राइक चल रही है, उसको आपने डी. आई. जी. बना दिया । अन्सारी ने कैदियों के रेमिशन काट दिए, उसका आपने उसको यह पारितोषिक दिया । सौभाग्य से पासे ने पलटा खाया, वहां जो डी. आई. जी. काम कर रहे थे, जिनके साथ भी अन्याय हो रहा था उनका आपने आई. जी. बना दिया । उसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं । लेकिन साथ ही राज्य सरकार ने यह भूल भी की है कि अन्सारी को पदोन्नत कर दिया । उसकी आलोचना मेरी सरकार होते हुये भी करने से नहीं चूक सकता, यह कोई भली प्रकार का काम नहीं है ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो फैक्ट्रीज हैं उनमें पुराने किस्म के मशीनें लगी हुई हैं राजा महाराजाओं के समय की । आज भी वहां पर हाथ से काम करते हैं और कई प्रकार के वे काम करते हैं । उनके अन्दर उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
मशीनों और यन्त्रों को लगाना आवश्यक है। आज भी वहां पर कैदी हाथ और पांव से मशीन चलाकर काम करते हैं।

मुलाकात के बारे में मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि दो महीने के स्थान पर 15 दिन का समय कर दिया, इसके लिए जनता सरकार धन्यवाद की पात्र है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दैनिक मुलाकात की व्यवस्था हो तो तब यह मुलाकात की परम्परा अच्छी होगी। हमको भी मालूम है हमारे पर क्या बीतती थी, दो-दो महीने में कोई मिल सकता था, सेन्टर का सी आई. डी. पास रहता था। मेरी श्रीमती जी मिलने आती तो कोई बात खुलकर नहीं कर सकते थे। एक घन्टे में वह चली जाती थी, उसके बाद चिट्ठी भी भेजने की व्यवस्था नहीं थी। चिट्ठियां हमारी आई. जी. और ए. जी. के पास भेज दी गई। आई. जी. के पास तो ठीक है लेकिन ए. जी. ने लौटा दी कि यह कोई बही-खाता थोड़े ही है जो वह देखें। मेरा निवेदन है कि 15 दिन का समय कम है, दिन प्रतिदिन मुलाकात होनी चाहिये।

जेलों में रोटियां ऐसी मिलती हैं कि उनको कुत्ते भी खाना पसन्द नहीं करते। ठेक-ठेक के बनाकर रख दी जाती हैं। सभापति महोदय, आप मेरे साथ चलें और मौका देखें, जेल की व्यवस्था किस प्रकार की है। मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि सुबह की बनाई हुई रोटियां शाम को पांच बजे दी जाती हैं। वे बैरकों में पड़ी रहती हैं, सांयकाल उनको दी जाती हैं। कोई नमक मिर्च का ठिकाना नहीं, दाल भी अच्छी नहीं, उनको वस्त्र भी ऐसे नहीं मिलते जो ठीक प्रकार के हों; दवाइयों की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। किसी के सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो तो बैरक में सड़ता रहे। कोई अधिकारी देखता नहीं, डॉक्टर आता है तो कहता है मशीन नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं ले सकता, गैस का सिलेन्डर नहीं है। इस तरह से कैदी लोग जेलों में ही मर जाते हैं कोई पूछने वाला नहीं है, यह दशा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो आदमी बिना दवा के मर गए।

श्री सभापति : काफी चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य। अब आप स्थान ग्रहण करें। आप तो रूल्स का पालन करने वाले हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूं। आप कहें तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलूं।

जेलों में रहने की सुविधा नहीं है। बैरक्स में पंखे नहीं हैं, 6 बजे उनको बैरक्स में बन्द किया जाता है, प्रातःकाल 6 बजे उनको खोला जाता है। वे मल मूत्र वहीं करें। चारों तरफ मच्छर भिनभिनाते हैं। कम्बल में खटमल होते हैं। आज भी जनता पार्टी के शासन में उनकी वही दशा है। कैदियों के पांवों में चप्पल नहीं हैं...

(4-00 म. प.)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
जूतों की सप्लाई जेल विभाग द्वारा नहीं की जाती, नंगे पांव वे घूमते हैं। यह सब व्यवस्था इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम जेल में रहे हैं हमने कैदियों का विश्वास दिलाया है। जब हम जेल में जाते है तो कैदी जनता पार्टी को गाली देते हैं। इसलिए वायदों का पूरा करना हमारे लिए आवश्यक है।

जो महिलाओं के जेल हैं उनमें उनके साथ दुर्व्यहार होता है, वे बोल नहीं सकतीं।

वृद्ध लोग जेल में हैं। रेमिशन कमेटी ने निर्णय लिया है कि वृद्ध लोगों को छोड़ दिया जाए। 70-70, 95-95 वर्ष के वृद्ध जेल में पड़े हुये हैं।

कैदियों को उपयुक्त काम सिखाया जाना चाहिये जिससे बाहर आकर वे काम कर सकें। गांधी शताब्दी, महावीर शताब्दी में कैदियों को रेमिशन दिया गया था। जब जयपुर नगर परिषद के कर्मचारियों की हड़ताल हो गई थी तो कैदियों को सड़क पर लाया गया और उनसे काम लिया गया। वह भी रेमिशन में जोड़ा जाना चाहिये।

कैदियों के लिए अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिये। यदि वे पैरोल पर जाते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जेल में जाते हैं तो वे कहते हैं कि व्यास जी से हमारी सिफारिश करो, गृह आयुक्त से हमारी सिफारिश करो, मैं अपने परिवार में जाना चाहता हूं। पैरोल पर समय-समय पर जाने दिया जाय। 5-6 बार पैरोल पर जाने के बाद यदि किसी का आचरण बढ़िया रहता हो तो उसको छोड़ा जाना आवश्यक है। कोई आवश्यक नहीं कि 14-14, 15-15 वर्ष उनको वहां रखा जाए। परिस्थितियों वश किसी ने मर्डर किया है इसलिए वह कैदी बना है, इस ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है...

श्री मदनसिंह दांता। ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो कोर्ट्स क्यों नहीं छोड़ देती हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप तो जेल गए भू-स्वामियों के आंदोलन के समय और मजे में रहे, आनन्द में रहे, 19 महीने आप जेल में नहीं रहे। अगर जेल जाते तो आज ऐसा नही कहते। भू-स्वामियों का आंदोलन आपने कर लिया होगा लेकिन आपने जेल की दुर्दशा नहीं देखी। अगर देखनी है तो मैं आपको आमन्त्रित करता हूं। आज शाम को ही विधान सभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद जयपुर जेल में चलिए। यदि आपकी आंखों में आंसू न आ जायं तो मेरा नाम बदल कर रख देना।

श्री मदनसिंह दांता : मैं प्रिन्सिपल की बात कर रहा हूं। आप 8 साल के थे तब मैं दिल्ली जेल में गया। वहां 8 महीने तक रहा। आपके वकीलों के इशारे पर अन्दर बन्द कर दिया...

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप कैदियों का उपहास उड़ा रहे हैं, मैं इसको बरदाश्त नहीं कर सकता। आपने नेतागिरी की होगी, माल खाया होगा....

श्री मदनसिंह दांता : मुझे मालूम है आप क्या जेल में खाते थे। मोटे होकर वहां से निकले हो।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कैदियों का सवाल है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठाकुर साहब, आप बीच में न बोलें।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांगा : ऐसे भी कैदी हैं जो 6-6 आदमियों के कत्ल करके जेल गए हैं। उनको आप माल खिलाना चाहते हैं। आखिर कैदियों में कुछ डिफरेंस होना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिसके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।

श्री मदनसिंह दांगा : यह तो आप दोनों की बाड़ी बता रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको धिक्कार है। आप बीच में बोले आपको लज्जा आनी चाहिए। आपको क्षमा याचना करनी चाहिए।

श्री मदनसिंह दांगा : लज्जा आप लोगों को आनी चाहिए कि जनसंघ जैसी पवित्र संस्था को छोड़ कर जनता पार्टी में पड़े हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनसंघ जनता पार्टी का ही घटक है।

श्री अध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : परिपूर्णानन्द कमेटी बनी जेलों में सुधार के सुझाव देने के लिए। उस कमेटी के सुझाव भी राज्य सरकार ने कार्यान्वित नहीं किए। उन्होंने बढ़िया सुझाव दिए थे। उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। जेल रिफार्म्स कमेटी के सुझावों को भी क्रियान्वित करना चाहिए। पड़ौस के राज्य हरियाणा, पंजाब व मध्य प्रदेश ने जेल नियमों में सुधार किया है, राज्य सरकार को भी सुधार करना चाहिए।

अन्त में यही निवेदन करूंगा कि अभी भी भरतपुर में 7 विद्यार्थियों पर आपातकाल के मुकदमे चल रहे हैं उनको भी वापस लिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने ऐसे मुकदमे वापस लेने की घोषणा की थी। कैदियों की समस्यायें हल करने के लिए, उनकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए स्टेट लेवल पर एक समिति का निर्माण होना बहुत जरूरी है।

आज जयपुर जेल में कैदियों की जो हालत कर रखी है, उसके कारण अस्पताल में अनशन पर बैठे हुए हैं। मन्त्रीजी चलकर कैदियों की बैरकें देखें, उनकी वाजिब मांगों को हल करने के बारे में विश्वास दिलायें तो उनको हल करने में आज भी मेरी सेवायें हाजिर हैं, भविष्य में भी रहेंगी। मेरी पार्टी जनता पार्टी का शासन है, इस शासन में सब विभागों में शान्ति बनाए रखना आवश्यक है। आज प्रातःकाल भी जेल के जो बन्दी अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मैंने निवेदन किया है। उन्होंने कहा, मन्त्रीजी आते हैं, केदारनाथ भी उनसे मिलने के लिए कल गये थे। जेल मन्त्री भी उनकी वाजिब मांगों को मानें। राज्य सरकार को परिपूर्णानन्द कमेटी की शिफारिशें माननी चाहिए और स्टेट लेवल कमेटी का निर्माण करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज !

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, बंदियों की हालत जो जो जेलों में हो रही है उस सिलसिले में हम मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कानून से हम बंधे हुये हैं। इस विधान सभा और विधायक का काम कानून बनाने का है। कानून द्वारा हर दोषी आदमी को सजा मिलनी चाहिये, यह कानून कहता है, इसलिए ही कानून बनता है। मैं तवज्जोह दिलाना चाहता हूं इन्सानियत की ओर, धार्मिक किताबों की तरफ जिनमें जहन्नुम व जन्नत की बातें हैं। हर धर्म में अगली दुनिया की बातें हैं। हमने अपने जीने के ढंग से कानून बनाए हैं। उन कानून को तोड़ने वाले को वाजिब सजा मिलनी चाहिए, यह हमने ही फैसला किया है। हमने कारावास बनाए हैं, उनमें इन्सान को इन्सान बनाने के लिए भेजा जाता है। अगर वह गलतियां करता है तो अदालतें उसको सजा देती हैं। अदालत के फैसले के बाद उसे कारागार में भेजा जाता है। यह अलग बात है कि गैर कानूनी तरीके से किसी इन्सान को जेल भेज दिया गया, उसके साथ कोई गलत बर्ताव हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिये। आज कानून सजा मुकर्रर करके और सजा सुनाने के बाद फिर उसमे लोच डाली जाए, यह उचित नही हैं। कानून का सख्ती से पालन हो और जो जुर्म करे उसको सजा मिले लेकिन मेरी हमदर्दी उनके साथ है जो इन्सानियत के दायरे में रहते हैं। उनको इन्सान बनाने का मौका जेल में भी दिया जाना चाहिए। आज जिस तरह से भूख हड़ताल हो रही हैं, उनकी वाजिब मांगें हैं तो उनको संरक्षण देना चाहिये। पहले ही कानून बना हुआ है। अदालत द्वारा सजा सुनाने के बावजूद सरकार कैदियों को सहूलियतें देती है। अगर कानून द्वारा काल कोठरी में भेजने के बाद हम उम्मीद करें कि उनको सब कुछ मिलता रहे तो कानून नहीं रहेगा।

तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी कानून बनाया जावे वह पूरी तरह से लागू होना चाहिये। आज हम कानून बनाते हैं उसके बावजूद इन्सान जुल्म करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिये। इन्सान इबादत इसलिये करते हैं कि वह जहन्नुम से डरते हैं। इसलिये मेरी गुजारिश है कि अगर कानून बनाने के बाद भी उसमें किसी प्रकार की लोच रह जाती है और कानून की पालना नहीं होती है तो क्या फायदा? इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो भी कानून बनाया जाये उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिये। अगर इसका कठोरता से पालन नहीं किया गया तो कोई फायदा नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह अन्सारी, जो आज डी. आई. जी है नर नहीं है, यह नरभक्षी है। जिस प्रकार नरभक्षी मनुष्यों का मांस खाता है सीधा उसी प्रकार से मांस नहीं खाकर वह अन्दर से मांस खाता है, यह ऊपर का मांस नहीं खाता है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं उदयपुर जेल में था, उस वक्त यह नरभक्षी अन्सारी वहां पर था। अध्यक्ष महोदय मैं 19 महीने मीसा के

(श्री कौशल किशोर जैन)
अन्तर्गत जेल में बन्द रहा उस वक्त मेरा इससे काम पड़ा था। अध्यक्ष महोदय, जो अभी गृह मन्त्री बने हैं उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। यह अन्सारी ऐसा इन्सान है जिसने उदयपुर की जेल में बहुत भारी अत्याचार सभी कैदियों पर किया। इसने उदयपुर की जेल में मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार तीस लोगों को 100 आर. ए सी. के लोगों को बुलाकर लाठियों से पिटवाया। यह किस्सा है, अध्यक्ष महोदय, सन् 76 के सितम्बर का। इतना ही नहीं दूसरे कैदियों को भी पिटवाया जिन्होंने कि मीसा के अन्तर्गत रहने वाले कैदियों के साथ हमदर्दी दिखायी। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे इस अन्सारी ने वहां से अलवर ट्रान्सफर कर दिया। कैलाश मेघवाल को अजमेर भेजा गया और विजयसिंह को जोधपुर जेल में भेज दिया। किस अपराध के कारण हमको अलग अलग जेलों में भेजा गया? इतना ही नहीं इस दुराचारी नरभक्षी ने, अध्यक्ष महोदय, अलवर के बाद में मुझे जयपुर जेल में ट्रान्सफर कर दिया। इस नरभक्षी से मेरा पाला 6 माह तक वहां पर जेल में पड़ा। यह नरभक्षी यहां पर जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट बन कर आया था। इसने 6 महीनों में बहुत भारी अत्याचार किया। मुझे पता है जेल में एक डॉक्टर था श्री चन्द्रभान उसके साथ भी इस नरभक्षी ने बहुत भारी अन्याय किया। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि उस डॉक्टर चन्द्रभान का पिछला इतिहास क्या था। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस नरभक्षी ने मीसा में बन्द लोगों पर और दूसरे कैदियों पर किस तरह से अन्याय किया। यह ऐसा नरभक्षी है जो कैदियों के लिये जो पैसा खर्च को दिया जाता था भोजन वगैरह के लिये उस पैसे को खा जाता था। गरीब कैदियों को जेल में भूखा मारता था। जेल में जो गरीब कैदी लोग हैं उनके साथ किस प्रकार से यह नरभक्षी अन्सारी अन्याय करता है उसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकेंगे। मुझे अनुभव है जब मैं मीसा के अन्तर्गत जेल में बन्द था उस वक्त देखा था कि इसने किस तरह से अन्याय किया है। उसी नरभक्षी को अब, मन्त्री महोदय, आपने डी. आई. जी. बना दिया। मैं जेल मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि इस नरभक्षी भ्रष्ट अधिकारी को तुरन्त आप डी. आई. जी. से नीचे उतारिये, आप इस नरभक्षी को सस्पेंड कीजिये। गृह मन्त्री जी और जेल मन्त्री जी, आप दोनों को ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको प्रोत्साहन नहीं दें। यह नरभक्षी मानवता के नाम पर कलंक है। श्रीमान, जिन लोगों ने मीसा के अन्तर्गत कैदियों के साथ थोड़ा बहुत नर्म बर्ताव किया उनको उस वक्त की सरकार ने नौकरी से निकाल ही नहीं दिया बल्कि उनको निलम्बित कर दिया, जेल में बन्द कर दिया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जेल में एक सुपरिन्टेन्डेन्ट था श्री मदनलाल, जो कि मीसा के अन्तर्गत कैदियों के साथ ही नहीं बल्कि साधारण कैदी जो भी होते थे उनके साथ बहुत भला बर्ताव करता था, उसको निलम्बित करके जेल के सींखचों में बन्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आज पिछले 9-1) महीनों से ज्यादा समय हो गया है उस व्यक्ति

(श्री कौशलकिशोर जैन)

को निलम्बित हुए । उसका कसूर क्या है ? उसका कसूर है, अध्यक्ष महोदय, उसने मीसा के अन्तर्गत बहुत कैदियों के साथ भला बर्ताव किया। मैं आपके माध्यम से जेल मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट मदनलाल को बहाल करो, उसके साथ अन्याय हुआ है और इस अन्सारी नरभक्षी को डी. आई. जी. नहीं रख कर आप जेल के सींखचों में बन्द कर दो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जेल मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है वह सच कहा है । मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप इस नरभक्षी के कारनामों को देखना चाहें तो जयपुर जेल के कैदियों की कमर को देखें जिन पर आज निशान मंडे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि मैं भुक्तभोगी हूं । आप इस नरभक्षी डी. आई. जी. को तुरन्त सस्पेन्ड करके जेल के सींखचों में बन्द कर दें ताकि कैदियों के साथ न्याय हो ।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बहुत ही आभारी हूं ।

(व्यवधान)

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचित सदस्य

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । स्थान ग्रहण करें ।

वित्तीय समितियों के संबंध में घोषणा ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वित्तीय समितियों के लिये निम्नांकित सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है:—

जनलेखा समिति :

1. श्री अजीतसिंह
2. श्री अयूब खां
3. श्री ओंकारलाल चौहान
4. श्री काशीनाथ गुप्त
5. श्री गोपालसिंह (खण्डेला)
6. श्री नरेन्द्रपालसिंह
7. श्री नाथूराम (बागीदौरा)
8. श्री नारायणसिंह (76)
9. श्री बहादुरसिंह (90)
10. श्री मूलचन्द सामरिया
11. श्री रघुनाथ विश्नोई
12. श्री लालशंकर डेंडोर
13. श्री शंकरलाल (163)
14. श्री शिवकरण बुहाड़िया
15. श्री हरचन्दसिंह

प्राक्कलन समिति :

1. श्री अब्दुल हादी
2. श्री इन्दरसिंह शेखावत
3. श्री करतारसिंह
4. श्री कानसिंह
5. श्री गुलाबचन्द कटारिया
6. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत
7. श्री जगदीशसिंह
8. श्री जयनारायण सालोदिया
9. श्री नत्थीसिंह
10. श्री पदमसिंह राठौड़
11. सुश्री पुष्पा जैन
12. श्री मन्जूर अली
13. श्री मथुरादास माथुर
14. श्रीमती मदनकौर
15. श्री रामप्रसाद लड्ढा
16. श्री रामेश्वर दयाल यादव (14)

(श्री अध्यक्ष)

17. श्री रामदेव सिंह
18. श्री रतीलाल
19. श्री समर्थलाल
20 श्री सुरेश कुमार
21. श्री बालकृष्ण मानवी

राजकीय उपक्रम समिति :

1. श्री अमृतलाल
2. श्री ईश्वर चन्द्र
3. श्री कमलेन्द्र सिंह
4. श्री कौशल किशोर जैन
5. श्री गणेशलाल बैरागी
6. श्री नाथूलाल
7. श्री नूरा
8. श्री मूलचन्द डागा
9. श्री रतनलाल वर्मा
10. श्री रामरघुनाथ चौधरी
11. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)
12. श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर
13. श्री हजारीमल सारण
14. श्री हरजीराम बुरडक
15. श्री एम. एन. शर्मा।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पक्ष और उस पक्ष के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने सदन की गरिमा को बनाये रखा। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वित्तीय समितिया के चुनाव निर्विरोध हो गये। इसके साथ साथ मैं आपका भी बहुत आभारी हूं कि आपके माध्यम से यह चुनाव निर्विरोध होने सम्भव हो सके।

राज्य के विभिन्न कारागृहों में बन्दियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई हड़ताल

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : आप किस संबंध में निवेदन करना चाहते हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं जेल के बारे में दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। गृह मन्त्रीजी कुछ कहेंगे इस पर।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय यह अफसारी बहुत ही भ्रष्ट है इसको तत्काल निलम्बित किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मुझे सहयोग दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी का उत्तर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्रीजी।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव के जरिये सदन के माननीय सदस्यों ने जेलों में होने वाले सुधारों के बारे में और वहां जो कुछ व्यवस्था है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किये। मैं उनका स्वागत करता हूं और यह कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक जेलों की व्यवस्था में सुधार करें। उसके पहले एक वक्तव्य मैं आपके माध्यम से सदन में देना चाहता हूं।

(श्री सम्पतराम)

जयपुर के केन्द्रीय कारागृह में जुलाई, 1977 में वन्दियों ने कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की थी जिनमें मुख्य मांग यह थी कि प्रत्येक वंदी को प्रति दिन एक पाव दूध दिया जाए। यह हड़ताल दिनांक 11-7-77 से प्रारम्भ हुई थी और बन्दियों को समझा देने के पश्चात् कि चिकित्साधिकारी जिस बन्दी को स्वास्थ्य की दृष्टि से दूध देने की सिफारिश करेंगे उन्हें दूध जरूर दिया जायगा, यह हड़ताल दिनांक 29-7-77 को समाप्त हुई।

28 जनवरी, 1978 से वन्दियों ने पुन: काम रोको हड़ताल कर रखी है जो अभी तक चल रही है तथा कुछ बन्दी एक-एक दिन की क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। बन्दियों ने स्वेच्छा से एक बन्दी कल्याण समिति का गठन कर लिया है। यह समिति वस्तुत: बन्दियों को भड़काने और उद्योगशाला में काम पर जाने से रोकने के लिए गठित की गयी प्रतीत होती है। कारागार में कुछ बन्दी ऐसे हैं जो काम करने में रुचि नहीं रखते हैं और नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं ताकि उन्हें हर प्रकार की नाजायज छूट बनी रहे तथा वे स्वतन्त्रतापूर्वक जहां चाहें वहां घूमते रहें। यदि कारागार के सुरक्षा कर्मचारी बन्दियों को अनुशासित रखने का प्रयास करते हैं तो उन्हें उनका निर्धारित भार वैधानिक कर्त्तव्य करने में बाधा पहुंचाई जाती है।

राज्य सरकार बन्दियों के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण रखती है किन्तु कारागृहों की सुरक्षा और बन्दियों में अनुशासन बनाये रखने के कार्य को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा वन्दियों के हित में नियमों में समुचित परिवर्तन किये गये हैं। नियमों में किये गये परिवर्तनों का उद्देश्य यह है, कि वन्दियों को शिक्षित किया जा सके, उन्हें कारावास कालीन अवकाश दिया जा सके और आवश्यक हो तो उन्हें दण्डावधि समाप्त होने से पूर्व ही मुक्त किया जा सके, किन्तु ये सभी सुविधायें उन्हें तभी दी जा सकती हैं जब कि उनके आचरण में सुधार आये।

पिछले कुछ समय में कारागार नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, जिनसे बन्दियों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि हुई है।

1. कारावास कालीन अवकाश नियमों में पहले यह प्रावधान था कि कोई बन्दी अपनी सजा दो तिहाई अथवा तीन चौथाई मांग पूरी करने पर ही अवकाश पर जा सकता था किन्तु संशोधित नियमों में बन्दी केवल एक चौथाई सजा पूरी करने पर ही अवकाश पर जा सकता है।

2. इसी प्रकार संशोधित नियमों के अन्तर्गत बन्दी आधी सजा पूरी करने की अपेक्षा केवल एक तिहाई सजा पूरी करने पर ही खुले शिविरों में जाने के पात्र हो जाते हैं।

3. बन्दियों को प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम द्वारा, पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा तथा स्वयं-पाठी छात्रों के रूप में पढ़ने की सुविधा दी जाती है। 21 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी बन्दियों को विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश देने की भी सुविधा है किन्तु यह सब इस दशा के अधीन हैं कि बन्दियों का आचरण अच्छा हो।

(श्री सम्पतराम)

इस समय जो बन्दी आमरण अनशन पर है उनकी एक मांग भूतपूर्व अधीक्षक, श्री एम. ए. अन्सारी को निलम्बित करने की है। राज्य सरकार ने श्री अंसारी के विरुद्ध महानिदेशक कारागार सुधारात्मक सेवा द्वारा जांच करा ली है और उनके विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है किन्तु जिन कर्मचारियों के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप हैं उनकी विभागीय जांच की जा रही है।

बन्दियों की एक मुख्य मांग यह भी है कि उन्हें उनके मित्रों अथवा परिवारजनों से मुलाकात करने पर कोई रोक न हो। कारागार नियमों में अब तक यह प्रावधान था कि दण्डित बन्दी 2 माह में एक बार ही अपने परिवार जनों से 20 मिनट की मुलाकात कर सकते थे किन्तु अब इन नियमों में संशोधन करके इन बंदियों को 15 दिन में एक बार 45 मिनट तक मुलाकात करने की सुविधा दे दी गयी है।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि बंदियों की मुलाकातें प्रति दिन कराना न तो उचित ही है और न ही संभव है। फिर भी कारागृह के अधीक्षकों को यह विशेषाधिकार है कि अत्यन्त आवश्यक परिस्थिति में वे किसी बंदी की कभी भी मुलाकात करा सकते हैं।

बंदियों की ओर से एक और मांग यह है कि राज्य सरकार बन्दियों की सजा में जो छूट विशेष अवसरों (यथा महावीर जयन्ती, गांधी जन्म शताब्दी आदि) पर देती है उसे बन्दियों के कारावास कालीन अवकाश, खुले शिविरों में स्थानान्तरण तथा अवधि से पूर्व रिहाई के लिए पात्रता देखते समय जोड़ा जाये।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार बन्दियों को परिहार (स्टेट रेमीशन) प्रदान करती है यह सामान्य छूट (एमनेस्टी) के रूप में होती है। यह छूट अच्छे बुरे आचरण वाले सभी बंदियों को समान रूप से मिल जाती है। अतः इस छूट को बंदियों के अवकाश, अवधि पूर्व रिहाई, क्रमोन्नति आदि में जोड़ना उचित नहीं है क्योंकि ये सुविधायें तो केवल सदाचरण वाले बंदियों को ही दी जाती हैं। अतः इसके लिए केवल उसी परिहार (रेमीशन) को जोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है जो बंदी ने सदाचरण के कारण अर्जित किया हो न कि वह जो उसे राज्य सरकार ने सामान्य छूट (एमनेस्टी) के रूप में दे दिया हो। फिर भी इस विषय में अन्य राज्य सरकारें क्या प्रक्रिया अपनाती हैं इसकी सूचना संकलित की जा रही है।

जहां तक जेलों में व्याप्त आतंक के वातावरण का आरोप है मैं कहना चाहूंगा कि जेल जैसे स्थानों पर जहां सुरक्षा सर्वोपरि है, उतना अनुशासन तो बना ही रहना चाहिये जो आदतन अपराधियों, भगोड़ों तथा उपद्रवी बंदियों को नियंत्रण में रखने के लिये आवश्यक है। कारागृह के कर्मचारियों का व्यवहार सामान्यतः बंदियों के प्रति उदार एवम् स्नेहपूर्ण है। इसके लिये उन्हें समय समय पर हिदायत भी दी जाती है।

इसी संदर्भ में इन स्थगन प्रस्तावों में यह भी जिक्र आया है कि आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्रों पर लाठी प्रहार किया

(श्री सम्पतराम)

गया था। वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 18 जनवरी, 1978 को ये छात्र बंदी जेल के अन्तःद्वार पर एकत्रित हो गये थे। कारागार सुरक्षा कर्मचारियों के बहुत बार समझाने पर भी वे वहां से नहीं हटे और उन्होंने धक्के देकर अन्तःद्वार को तोड़ डाला और दूसरे द्वार पर आ गये। यदि दूसरा द्वार भी टूट जाता तो अन्य बंदियों के भाग जाने का खतरा हो जाता। इसलिये मजबूर होकर सुरक्षा कर्मचारियों को बल प्रयोग करके विद्यार्थी बंदियों को उनके बाड़ों तक पहुंचाना पड़ा था।

माननीय सदस्यों को यह जानकर संतोष होगा कि राज्य सरकार बंदीगृहों में बन्द मानव समुदाय के कल्याण के प्रति जागरूक है और इसी दिशा में दो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। पहला तो यह कि कारागृहों तथा उप-कारागृहों पर गैर सरकारी कारागार दर्शकों की नियुक्ति की गयी है। इन दर्शकों का कारागृहों का अकस्मात निरीक्षण कर वहां के हालात के बारे में महानिरीक्षक कारागार तथा राज्य सरकार को सीधे ही सूचित करने का अधिकार है तथा दूसरा यह है कि सभी केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर सदाचरण वाले बंदियों की समय पूर्व रिहाई के लिये सलाहकार समितियों का गठन कर दिया गया है। इन समितियों की प्रवन्दना पर पिछले एक माह में राजस्थान में 99 बंदियों को उनकी सजा पूरी होने के पूर्व ही मुक्त कर दिया गया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए बंदियों द्वारा भविष्य में शिकायतें उचित अधिकारियों तक पहुंच सकें तथा उन शिकायतों पर समुचित कार्यवाही हो सके, राज्य सरकार ने हाल ही में नई व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक कारागृह पर एक पेटी रखी जावेगी जिसमें बन्दी अपनी शिकायत लिख कर डाल सकेगा। यह पेटी प्रति माह स्थानीय जिलाधीश महोदय अथवा उपजिलाधीश महोदय द्वारा खोली जावेगी और शिकायतों का निराकरण जिस किसी कार्यालय द्वारा भी हो सकेगा उन्हें आवश्यक निर्देश दे दिये जायेंगे। इस प्रकार जिले अथवा उपखण्ड के उच्च अधिकारी बंदियों की शिकायतों पर ध्यान दे सकेंगे और उसके निराकरण की व्यवस्था कर सकेंगे।

मैं सदन को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि बन्दियों के हितों का हमेशा ध्यान रखा जायेगा और उन्हें सुधारने के लिये आवश्यक सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जावेंगी। किन्तु साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बात के लिये हमेशा सजग रहेगी कि बन्दियों को उसी अनुपात में सुविधाएं दी जावें जितना कि उनके आचरण में सुधार हो।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक-दो बातें श्री अन्सारी के बारे में जो शिकायतें हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। मूल फाइल को मैंने देखा नहीं है इसलिए पूरी बात का तो मुझे पता नहीं है। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि मूल चर्चा श्री अन्सारी पर होगी। माननीय डागाजी ने लिख कर दिया, मैंने उनसे सम्पर्क स्थापित किया था। जो भी सूचना मिली है उसके आधार पर मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने श्री जी. सी. सिंघवी एडीशनल आई. जी. पी. को उन

(श्री सम्पतराम)

सब बातों की जांच के लिए नियुक्त किया है। पहले जो कारागृह मन्त्री थे उन्होंने भी निर्देश दिए थे कि जांच की जाय। जो आरोप माननीय डागाजी ने लिख कर दिये हैं, उनमें नहीं जाना चाहता था जो आरोप हैं, उनमें से चार या पांच आरोप हैं: एक तो यह था कि राशन में ठेकेदार से सांठ-गांठ करके कैदियों को घटिया किस्म का राशन देना, दूसरा तोल और मूल्य में सांठ गांठ करना, तीसरा बन्दियों से घर का काम करवाना, चौथा दूध में पानी मिला कर देना, पांचवा सामान घर पर ले जाना। इस प्रकार के आरोप थे। इन आरोपों का मैंने देखा और रिपोर्ट को भी देखा। उसमें पहला आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसकी जांच करा ली गयी है। दूसरा आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ, इसकी भी जांच कराई। तीसरा आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ, इसकी भी जांच करा ली गई है। चौथा आरोप लगाया ही नहीं गया। मैं इसकी जांच करा लूंगा। और पांच है आरोप तोलने के और तराजू आदि के बारे में है, मैं इसकी जांच करा लूंगा। फिर भी एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने भावनायें व्यक्त की हैं और जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं कि और भी कोई बात हो, जांच का कोई विषय हो उसकी सरकार जांच कराने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। आप, माननीय अध्यक्ष महोदय, जानते हैं कि चाहे हमारी राज सेवा के कोई अधिकारी हों या जनता का आदमी हो हरएक के लिए कायदे कानून हैं। उसके तहत कार्यवाही होती है। मैं यही संतोष दे सकता हूं कि राज्य सरकार किसी प्रकार की ढिलाई किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बरतेगी। और किसी पर कोई चार्ज प्रूव होगा तो निश्चित रूप से दंडित किया जायेगा। यह नहीं हो सकता कि चार्ज प्रूव नहीं हो और हम जबरदस्ती भावना के आधार पर दण्डित कर दें, यह सम्भव नहीं होगा।

जहां तक कमेटी बनाने का माननीय गिरधारीलाल जी भार्गव ने सुझाव दिया है, इस पर सरकार विचार करेगी। इसके साथ ही साथ हम यह चाहते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान में दूसरे जो सूबे हैं उनमें कैदियों के प्रति क्या व्यवहार है, व्यवहार वैसे अच्छा होना चाहिए, क्या उद्योग धंधे चलाते हैं, क्या उनको सहूलियतें मिलती हैं, क्या क्या उन्होंने सुधार किये हैं और क्या क्या नहीं किये हैं, यह सारी चीजें आड वे में देखें और फिर निर्णय लें। हमने कार्माशियल बैंकों से भी सम्पर्क स्थापित किया है। उनसे लोन दिलाकर हम कुछ उद्योग धंधे चला सकें, इसके लिए प्रयत्न करेंगे ताकि जब कैदी जेल से निकलें तो स्वावलम्बी नागरिक बन कर निकलें। यह सब करने से पहले आवश्यकता इस बात की है कि जो योजना हो वह योजना सही हो, कारगर हो और उसको वह लोग भी पसन्द करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्टेटमेन्ट आपके सामने रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मथुरादास माथुर।

श्री रतनलाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कैलाश जी जेल में रहे हैं और अभी मंत्री है, वह इनके आचरण और कारनामों के बारे में स्पष्ट रूप से कहें। मैं उम्मीद करूंगा कि वह झूठ नहीं बोलेंगे और सही बोलेंगे। कोई आरोप ही सिद्ध

(श्री रतनलाल वर्मा)

नहीं हुए। गेहूं में से गेहूं निकाला जाता है, मिर्ची में से मिर्ची निकाली जाती है। कैलाश जी उदयपुर जेल में थे और वहां से ट्रान्सफर होकर अजमेर जेल में आये। उस समय भी यही कहा कि यह महा बेईमान और नालायक है। उसकी शिकायतें की इसलिये अजमेर जेल में भेजा आज आप कहते हैं कि आरोप सिद्ध नहीं हुए। आप सदन की कमेटी बनाइये जांच करने के लिए, फिर आपको मालूम होगा कि वह कितने दोषी हैं।...

श्री रघनन्दन व्यास: मेरा एक प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय से....

श्री अध्यक्ष: श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय कारागार मंत्री जी से प्रश्न के रूप में कुछ पूछना चाहता हूं, कोई लम्बी तकरीर नहीं करना चाहता हूं। एक कैदी के नाते, एक मंत्री के नाते और एक नागरिक के नाते मुझे तजुर्बा है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं हालांकि आपने जांच करवाई है। जेल के अन्दर कैदियों के सामान में से राशन निकल जाना, ठेकेदार लोगों द्वारा परवारी उनके घरों पर पहुंचा देना, कैदियों को कम तोलना, आटे में मिट्टी मिला देना, नमक में मिट्टी मिला देना, तेल में पानी मिला देना और दूध में पानी मिला देना, यह बीमारी जेल में कदीमी है, आज की नहीं है।

यहां अन्सारी साहब का जिक्र कर रहे हैं, उनको मैं शक्ल से भी नहीं जानता माननीय सदस्य उनसे वाकिफ होंगे। कारागार मंत्री जी जो कहते हैं उसको मैं सच मानूंगा। दूसरी बात यह है कि अन्सारी साहब के मामले में एक बात की तरफ किसी की तवज्जोह नहीं है। यह धारणा है कि जेल के अन्दर कैदियों के सामान में से सामान निकालते हैं दूध में पानी मिला कर देते हैं, तेल में पानी मिला देते हैं, यह सब होता है, इसको सब मानते हैं। आपने जांच करवाई और जिस ऑफिसर से कराई उसके लिए तो श्रद्धा है। लेकिन जब तक यह अन्सारी साहब उस जेल में हैं किसी कैदी की मजाल है कि उनके खिलाफ बयान दे दें? नामुमकिन है कि कोई कैदी उनके खिलाफ बयान दे दे। किसी थाने पर थानेदार है, उस थानेदार के खिलाफ इन्क्वायरी हो और वह उसी थाने पर तैनात हो तो उसके खिलाफ गवाही कोई गांव वाला भी नहीं देता है। तो जेल में शिकायतों की जांच करनी है तो आप सरकारी तौर-तरीके से जांच करायें। मैं हाउस की कमेटी की बात नहीं करता। मैं तो मंत्री जी से कहता हूं कि वह मेरे साथ चलें। जेल के फाटक के ऊपर सब ऑफिसर्स को एक तरफ बैठा दें सब फिर जेल से निकल कर आ जायें और फिर कैदियों से प्रश्नावली बना कर एटरेन्डम पूछ लें। यह जाच करने का तरीका होता है वरना एडीशनल आई. जी. जाता है किसी को कुछ कहना हो और डी. आई. जी. सामने बैठा हुआ है तो आप ही बताओ, कौन उसके खिलाफ गवाही देगा? जैसे सरकारी अधिकारी के लिए सी. आर. सबसे बड़ी चीज होती है उसी तरह से जेल में कैदियों के लिए वहां का अधिकारी सबसे बड़ी बात होती है। उसके हाथ में लिखने का अधिकार होता है उसके कन्डक्ट के बारे में

128

(श्री मथुरादास माथुर)

अगर किसी ने जरा भी उसके खिलाफ कहा तो फौरन लिख देता है बैड कण्डक्ट

श्री नरेन्द्रपालसिंह : आपने भी कभी अपनी सरकार के समय में ऐसा किया था क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न की गम्भीरता को समझा नहीं और बोल दिए।

श्री मदनसिंह दांता : यह अनुभव की बात है। सही कह रहे हैं।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : मेरा मतलब यह है कि ऐसी इन्क्वायरी कभी आपने भी की क्या ? मैं प्रश्न की गम्भीरता समझ रहा हूं। आप ऐसा कह कर टालें नहीं और साफ कहें।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेन्ट का रिकार्ड मौजूद है।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मैं ऑफिसर की इन्क्वायरी कमेटी नहीं चाहता। मैं माननीय सदस्यों की भी बात नहीं करता। मगर आज शाम को कोई दो सदस्य आपके साथ में चलें, आप खुद एक घन्टे जेल में घूम कर आ जायें और बाद में जेल के गेट पर ही अपना फैसला कर दें। जब एक मिनिस्टर चला जाता है और दूसरा आता है तो आफिसर हावी हो जाते हैं। मगर यह बीमारी मिटती नहीं है। इसलिए अपसे निवेदन है कि कानून तो सन्तोष दे देगा मगर इन्क्वायरी के तौर तरीके भी होते हैं। डी. आई. जी. के सामने कौन जेल में बयान देगा ? इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन की भावना से अपनी भावना मिलाते हुये कहता हूं कि आप शाम को एक घन्टे के लिए चलें। तीन एम. एल. ए. भी साथ चलें और एटरेन्डम आप पूछें कि क्या बात है। यह भी आवश्यक है कि मालूम न पड़े कि किस ने बयान दिए हैं तब जाकर सही इन्क्वायरी होगी। मैं खुद इन्क्वायरी करने गया था तो दो चार कैदियों को छुपा कर काल काठरी में बन्द कर दिया। जब हमने पूछा कि वह कैदी कहां गए तो कहा कि काम पर गए हैं। लेकिन एक कैदी ने चुपके से कहा, साहब उनको तो काल कोठरी में बन्द कर दिया है। तो मैं जाकर उनको निकलवा कर लाया और फिर इन्क्वायरी की। मैं इस बात का मानता हूं कि उन्होंने गुनाह किया। People are sent to Jail by way of punishment but not for punishment. आप कैदियों को जूते मारें तो सख्ता के साथ उनको भारत का नागरिक कभी नहीं बना सकते। वह जेल से निकलकर फिर चोरी करेगा। इसलिए जेल के रिफार्मेशन में मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैंने सुझाव दिया है। खुद मैंने जांच कर ली, कैदियों की भूख हड़ताल और बाहर की भूख हड़ताल में बहुत फर्क होता है। जेल में सख्ती बरती जाती है। आप कहते हैं कि हमने शिकायत लिखने के लिए बुक रख दी है कि आप शिकायत लिख दो। लेकिन शिकायत लिखने के लिये कागज पेन्सिल कौन देगा ? मुझे शिकायत करनी है आपकी तो कागज देगा कौन ? जो देगा उसकी सी.आर.खराब हो जायेगी। किसी की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिये। मुझे खुशी है लोगों की दृष्टि उधर गई है। परिपूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट को छोड़िये। आप

(श्री मथुरादास माथुर)
इन्ट्रेस्ट लेकर आज शाम घूम आयें, तब आकर सदन को बतायें, क्या स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास ।

एक माननीय सदस्य : आप भेष बदलकर जायें। एक जेल ही नहीं, दूसरे विभागों को भी संभालें और देखें कि कैसा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : मेरा एक छोटा सा प्रश्न है । अन्सारी जी के खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं, क्या मंत्री जी विधायकों की समिति बनाकर उनकी जांच करवायेंगे ? जो कैदी लोग भूख हड़ताल पर हैं, आज शाम तक क्या उनकी भूख हड़ताल तुड़वाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सम्पतराम : एक मिनट !

श्री कौशल किशोर जैन : कैलाश मेघवाल और हम जब उदयपुर जेल में थे, हमने उदयपुर जेल से पत्र व्यवहार किया है राजस्थान के आई. जी. से, डी. आई. जी. से । उस सारे पत्र व्यवहार को सदन की टेबल पर रखा जाये तो आपको मालूम पड़ेगा इस शख्स ने क्या किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : एक निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य जब जेल में थे उसका जिक्र नहीं करें । इस केस से मिक्स न करें । बहुत मुसीबतें उठाई हैं, हमने भी पहले उठाई थीं । उस आफिसर से नाराज होकर यह न कहें । खुद मिनिस्टर इस बात की जांच करें तो नतीजा निकल जायेगा । नहीं तो कहेंगे यह प्रिजुडिस हैं। हमने ऐसा किया था, इसलिये कर रहे है ।

श्री नूरा : जो मैं कहना चाहता था, माथुर साहब ने कह कर मेरा बोझ हल्का कर दिया । जेलों की जो आपकी रिपोर्ट है, जो अधिकारियों से रिपोर्ट मांगते हैं मैं उस रिपोर्ट को सही नहीं मानता। जेलें हमने भी देखी हैं, भूख हड़तालें भी की हैं। अगर इन्क्वायरी करनी है तो विधायकों की कमेटी बना दें जिन पर भरोसा हो तो आपके सामने सही पोजिशन आ जायगी । जेलों के सुधार के मामले में कुछ विधायकों की कमेटी बनायें तो सही होगा । अधिकारियों के बारे में यह नहीं कहता कि सारे अधिकारी ऐसे हैं । अधिकारी जेलों में जाते हैं, कैदी अपने बयान उनके सामने सही नहीं दे पाते । यह माथुर साहब ने ठीक कहा है । कल का अन्जाम क्या होगा । अधिकारियों के द्वारा यह इन्क्वायरी करना सही नहीं है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विधायकों की कमेटी बनायें उनकी रिपोर्ट आये उस रिपोर्ट का सही मान सकते हैं। दबाव की रिपोर्ट है, यह बेबुनियाद रिपोर्ट है ।

श्री सम्पतराम : माननीय माथुर साहब ने....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस समस्या का समाधान कैसे होगा ? यह भूख हड़ताल कैसे टूटेगी ?

श्री सम्पतराम : माथुर साहब ने बन्दियों की स्थिति की तरफ ध्यान दिलाया है इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जो कुछ भावनायें होती हैं, व्यक्तिगत किसी के सम्बन्ध में नहीं हों, माननीय माथुर साहब ने यह साफ कहा है । सारी भावनायें हमारे

(श्री सम्पतराम)

मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने सुनी हैं। मैंने सुनी है हम गहराई से विचार करेंगे, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। अच्छा रास्ता निकालेंगे। जहां तक अन्सारी का प्रश्न है उसकी जांच होनी चाहिये चाहे उसको मौजूदगी में न हो। हम दूर हटा कर जांच कर सकते हैं। मेरा निवेदन यही है जो बीमारी बढ़ी है बहुत दिनों से है। हमें मौका दें, हम भी इस पर विचार करेंगे। मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : उस जगह से तो हटायें आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब चर्चा नहीं होगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनकी जांच जरूरी है।

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जांच के आदेश से पूर्व उनको अपने पद से हटायें, इस बात की घोषणा होनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज 7? दिन हो गये, उनकी भूख हड़ताल चल रही है। उनकी दशा और खराब हो जायेगी। यह अन्सारी का कोई प्रश्न नहीं है, जेलों में सारी अव्यवस्था है। माथुर साहब ने निमन्त्रण दिया है, जेलों में चले जायें और देखें, ऐसी स्थिति न हो तो कल जो कुछ सजा दें मैं भुगतने को तैयार हूं।

श्री मदनसिंह दांता : जैसा आपने हमें विश्वास दिलाया, आप वहां जाकर विश्वास दिलाइये।

श्री रतनलाल वर्मा : उनको भर पेट रोटी नहीं मिलती....

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द आर्य : जेल मंत्री को यह भी मालूम नहीं है, जेल में क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमें उत्तर दिलाया जाये....

श्री नूरा : ज्यादा आन्दोलन नहीं कर सकते, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। गृह मंत्रीजी वहां जायें....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोग भूख से मरेंगे हमारे राज में। हम भी जनता पार्टी के सदस्य हैं, सरकारी सदस्य हैं, हमारी मांग है, यह भूख हड़ताल अवश्य समाप्त होनी चाहिये। यह आपकी...

श्री अध्यक्ष : आपकी मांग के ऊपर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिये वचनबद्ध है। आश्वासन आपको मंत्री महोदय के द्वारा प्राप्त हो चुका है। अतएव अब चर्चा इस संबंध में समाप्त हुई।

श्री मदनसिंह दांता : आपको विश्वास हो गया तो जेल में जाकर हम कह दें कि उनकी सारी मांगें पूरी हो गई।

श्री अध्यक्ष : किसी बात के लिये आसन के द्वारा आश्वासन नहीं दिया जाता। मंत्री महोदय से और भी पूछ लीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज सायंकाल वहां जाकर भूख हड़ताल को तुड़वाइये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री नूरा : आपको मालूम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह की प्रेक्टिस ठीक नहीं है ।

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक ।

माननीय वित्त मंत्री जी ।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक की प्रति की विधेयक के पुरःस्थापन के बाद किये जाने वाले प्रस्ताव के दो दिन पहले सदस्यों को उपलब्धि

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1978 मंत्री जी पुरःस्थापित करने जा रहे है, इसको पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 66 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें यह लिखा है Motions after introduction of Bills. उसका प्रोवीजन है—

"When a Bill is introduced or on some subsequent occasion, the member in charge may make one of the following motions in regard to his Bill provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for two days before the day on which the motion is made, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made."

यही मेरा आब्जेक्शन है अध्यक्ष महोदय । मैं आब्जेक्शन इसलिए करना चाहता हूं कि यह बिल कल सुबह ही 4 तारीख को मिला है । 4 तारीख को यह बिल मिला है इसका सबूत यह है कि 31 तारीख को एडवाइजरी कमेटी ने अपना सातवां प्रतिवेदन अपनी सिफारिशों के साथ में इस सदन में प्रस्तुत किया और सदन ने उसको स्वीकार कर लिया । 1 तारीख को मुझे यह पत्र मिला जिसमें यह लिखा कि 5 तारीख को यह विधेयक विचारार्थ लिया जायगा । इसलिए मैंने 1 तारीख को विधान सभा की जो विधान शाखा है उसमें जाकर कुछ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये । अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके द्वारा सूचना मिली है कि मेरे संशोधन प्रस्तावों को आपने अस्वीकार कर दिया है । मेरे स्वयं के हो•••

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरे भी हुए हैं ।

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरे भी अस्वीकार हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह संशोधन प्रस्ताव 1 तारीख को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। विधान शाखा से आपका पत्र मिला है उसमें आपने यह भी लिखा है।

"उपरोक्त विधेयक की मुद्रित प्रतियां 3-4-78 को। अध्यक्ष महोदय, 3-4-78 को…"

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : सुन रहे हैं। कान हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपके तो कान हैं लेकिन उधर बहरे ही बैठे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : It is a very complicated Bill. Time should be given for it.

श्री परसराम मदेरणा : मुझे यह सूचित किया है आपने और आपके सचिवालय ने।

"उपरोक्त विधेयक की मुद्रित प्रतियां"

उपरोक्त विधेयक का मतलब है राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1978।

"मुद्रित प्रतियां दिनांक 3-4-78 को माननीय सदस्यों में वितरित की गई थीं, किन्तु आपने दिनांक 1-4-78 के लिए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं अतः निदेशानुसार निवेदन है कि उपरोक्त विधेयक के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिये हैं।"

आपने अस्वीकार कर दिये वह तो शिरोधार्य है लेकिन दो दिन पहले का मतलब है Forty hours before the bill is introduced. दो दिन का मतलब यही होगा कि दो दिन पहले हम लोगों को मिलें। यह पत्र 4 तारीख को इश्यू हुआ है, dated 4th April, 1978 लेकिन मुझे आज मिला है। मेरा जो क्वार्टर है वह एम. एल. एज. क्वार्टर्स के एण्ड में है। जो आपका हरकारा जाता है वह डाल जाता है रात में और मुझे मोर्निंग में मिलता है। संशोधन प्रस्ताव देना चाहता था लेकिन मैं संशोधन प्रस्ताव देने से महरूम रह गया। महरूम इसलिए रह गया। 4 अप्रेल को इसलिए मिला क्योंकि तीन को सर्क्यूलेट किया है। मैं यह सोच रहा था कि 4 तारीख को मिला तो 4 और 5 दो दीन पर्याप्त थे। यह काम्प्लीकेटेड बिल है इसका अध्ययन करूंगा उसके बाद संशोधन प्रस्तुत करूंगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मैंने एतराज किया है वह एतराज, मेरा नम्र निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, मान्य होना चाहिए, क्योंकि दो दिन पहले सर्क्यूलेट नहीं हुआ है। दो पूरे दिन का मतलब है कि थर्ड को इन्ट्रोड्यूस कर सकते थे।

"Two days before the day on which the motion is made."

Two days before means third. तीन को इन्ट्रोड्यूज करना चाहिए था। 3 को इन्ट्रोड्यूज करते तो हमारे पास 3-4 तारीख यानि दो दिन रहते। वह नहीं किया गया इसलिए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सके। इसलिए my objection should prevail.

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार कह चुका हूं कि आपकी किसी आज्ञा की अनुपालना नहीं होती है।

श्री शंकरलाल : हम संशोधन समय पर दें इसके लिये जरूरी है कि पहले इत्तिला मिलनी चाहिये। जो आपत्ति की जा रही है हमारे माननीय नेता द्वारा, वह बिल्कुल वाजिब है। रूल्स का पालन नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : चीफ व्हिप साहब बोलना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह समय बढ़ाना चाहते है उनको सुनना चाहिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय कार्य सूची में रखे गये कार्य को पूरा करने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा एतराज है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात आप सुन लें। विरोधी दल में हम बैठे हुए हैं और बराबर····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस प्रस्ताव को पारित कर लेने दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसी प्रस्ताव पर कहना चाहता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : इतना भेजा खराब कर देते हैं···

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात सुन लें। उसके बाद प्रस्ताव पर बहस करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सदन का समय बढ़ाया जाना आवश्यक है। माननीय माथुर साहब बोलेंगे तब तक समय समाप्त हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह प्रस्ताव सदन के समक्ष माननीय सचेतक महोदय ने प्रस्तुत किया है कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय। अगर आपकी बात स्वीकार होती है तो कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा तो आसन के द्वारा ही होगी।

क्या सदन की सम्मति है कि आज की कार्य सूची में रखा गया कार्य समाप्त हो तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची में रखे गये कार्य के समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन कर दूं आपकी इजाजत हो तो।

श्री अध्यक्ष : मेरी इजाजत अब हो रही है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह निवेदन है कि जब से यह सदन मिल रहा है बराबर एक महीने से समय बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर जितनी भी बार चीफ व्हिप महोदय आये हैं हमने उसको स्वीकार

(श्री मथुरादास माथुर)

किया है। हम इस बात को समझते हैं कि बजट अधिवेशन है और बजट को 30 तारीख तक बराबर पारित कर देना चाहिए। इसलिए रात के 11-11, 12-12 बजे तक हम लोग बैठे हैं, और हमने सरकार को पूरा सहयोग दिया है। सदन के नेता ने यह कहा था कि बजट को टाइम पर पास करना है इसलिए बैठना पड़ेगा। हम सब लोग बैठे और बजट पास हो गया। मगर इस सहयोग के यह मायने नहीं कि हम रोज-रोज 5 बजे बाद बैठें। सदन के माननीय सदस्यों को, इधर के मेरे साथियों और उधर बैठने वाले साथियों को भी और दूसरे काम होते हैं। कल जो कार्यक्रम आने वाला है, बिल है उनको देखना पड़ता है, अमेंडमेंट की तैयारी करनी पड़ती है। यह सब काम करने पड़ते हैं। 8-9 रोज से रोज समय बढ़ाया जा रहा है। हम आगे सहयोग देने को तैयार नहीं हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि सदन का समय रूल्स में 11 बजे से 5 बजे तक का रखा गया है.......

एक माननीय सदस्य : समय से ज्यादा बैठेंगे तो ओवर टाइम मिलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : ओवर-टाइम वाला लेवर और कहीं होगा। सदन में नहीं है।

रूल्स ऑफ प्रासिजर में 11 से 5 का समय रखा गया है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर को यदि हमेशा के लिए तोड़ दिया जाय तो फिर इस बात को इसमें रखने से क्या फायदा? इसके बजाय तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अमेंडमेंट लाकर आप कर दें कि सदन का समय 11 से 9 का होगा तो हम बैठेंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है. आपसे यह आशा लेकर हम चलते हैं कि आप हमारे रूल्स ऑफ प्रासीजर में जो टाइम दिया हुआ है उस पर चलें। रोज-रोज 5 बजे खड़े होकर कह देते हैं कि टाइम बढ़ा दिया जाय तो हर रोज हम आपको कोआँपरेशन नहीं देने वाले हैं। हम लोग यहां बैठ कर अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं। कानून पर विचार करके, अमेंडमेंट लाकर, बोल कर सजेशन देना चाहते हैं तो वह हम इस तरह से अदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। ऐसी सूरत के अन्दर मैं निवेदन करूंगा कि आज आपने इजाजत दे दी है तो आज तो हम बैठ जायेंगे लेकिन भविष्य में चीफ व्हिप और सरकार को आसन यह कह दे कि यह बरदाश्त नहीं करेंगे। आप समय से काम करें नहीं तो हम कोआपरेशन नहीं करेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

संशोधनों की सूचना

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 266 के बारे में कई बार कह चुका हूं। जो बिल पेश हों सरकार की तरफ से अगर वह माननीय सदस्यों को 5-6 दिन पहले दे दिए जाएं तो उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं और उनकी गहराई में भी जा सकते हैं। यह तो हमारे विरोधी दल के माननीय नेता ने बताया। अब रूल 266 में जो प्रावधान है उसके अनुसार हम अमेन्डमेन्ट्स प्रस्तुत करना चाहें तो हमको टाइम कहां है? मैं कहना चाहता हूं, आपकी आज्ञा होते हुये भी हमको आपके पेपर्स उसी दिन सक्यूंलेट होते हैं पौने दस बजे। हम बोल नहीं सकते हैं।

(श्री मूलचन्द डागा)

इसलिए आप यह व्यवस्था करिये कि सारे पेपर्स हमको एक दिन पहले मिल जायं। जब घर से रवाना होते हैं तो पेपर अवेलेबल होते हैं। 266 मेन्डेटरी है, हम साढ़े नौ बजे आयें, आपका नोटिस ऑफिस बन्द रहता है। साढ़े नौ बजे कोई नहीं आता है तो केवल टेबल ऑफिस खुला रहता है। अब या तो टाइम पर नहीं आते हैं या क्या है? इस कारण हम अमेन्डमेंट दे नहीं सकते हैं। इसलिए इस बिल का 7 तारीख को न लेकर आगे रखा जाए।

विधेयक से सम्बन्धित पत्रों की उपलब्धि

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप यह है कि जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है राजस्थान विक्रय कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1978, यह वेलिडेशन के लिए है। इसका मतलब है गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी के बीच में कुछ लिटिगेशन हुआ है। इसमें जिक्र है लिटिगेशन हुआ है लेकिन जो जजमेंट हुआ है उस जजमेंट के आस्पेक्ट्स नहीं दिए गए हैं - अब रात को आप छुट्टी देंगे तो हम वह जजमेंट कहां देखते फिरेंगे। वेलिडेशन करना चाहते हैं तो आप बतायें क्या फैसला किया है। हम तो अभी बिल्कुल जंगल में खड़े हैं……

श्री मूलचन्द डागा : कोई भी लाइब्रेरी में किताब अवेलेबल नहीं हैं। न आपकी लायब्रेरी में कोई अफिसियेन्सी है।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बात नहीं है। आप आइये मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए जो सर्कूलेट हुआ है वह इनकम्पलीट है विदाउट जजमेंट आप वेलिडेट करवाना चाहते हैं। गवर्नमेंट वेलीडेट कराना चाहती है तो हमको सारी बातें बतानी चाहिये। जजमेंट नहीं है तो ऐसी सूरत में क्या जस्टिस करें और क्या अमेन्डमेन्ट्स लायें? इसलिए मेरा निवेदन है इस बिल को आज प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं दी जाए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने फेक्ट्स रखे हैं आपके सामने, इस बिल के बारे में। हमें आशा है कि आप हमारे राइट्स के साथ जस्टिस करेंगे। तभी हम माननीय मंत्री महोदय को सलाह दे सकेंगे कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करें ताकि सही बहस कर सकें। आपकी अन्तरात्मा के अनुसार जो फेक्ट्स हैं उनका जो इन्टरप्रेटेशन होना चाहिये वह तो हो गया। आप लोग जब विरोधी दल में थे तब कहते थे, बड़ा अन्याय हुआ है। इस बिल को ब्रूट मेजोरिटी से और धींगामस्ती से पास करवा रहे हैं, उलटे काम आप हमसे करवा रहे हैं। अब आपके होते हुये ये सब काम उलटे हो रहे हैं….

श्री शंकरलाल : अन्याय की पराकाष्ठा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज आप विरोध में बैठ कर यह कह रहे हैं। आप तो एक-एक दिन में चार-चार बिल पास करवाते थे। हम तो दो ही बिल लाये हैं।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता महोदय और विपक्ष के सम्माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई है, वह मैं

Page No. 136

(136)

(श्री अध्यक्ष)

समझता हूं तथ्यहीन नहीं है। अभी मेरे काबू की बात यह है, मैं इतना रिले क्सेशन दे सकता हूं कि जो अमेन्डमेंट्स मेरे द्वारा अस्वीकार किये गये हैं, उनको मैं ले सकता हूं। सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने के लिये, विपक्ष का सहयोग परम आवश्यक है।

माननीय सदस्य श्री माथुर साहब ने समय के सम्बन्ध में जो आपत्ति पेश की, एक हद तक उनके साथ मेरी सहानुभूति है। उन्होंने यह भी संकेत किया है कि आज जो आपत्ति पेश की है उस सम्बन्ध में विशेष चर्चा न करते हुये आज के विधेयक में सहयोग प्रदान करेंगे। मैं आशा करता हूं विपक्षी दल के माननीय सदस्य इस विधेयक को इन्ट्रोड्यूज करने में अब अपनी जो आपत्ति है, उसको न उठाते हुये आसन को सहयोग देंगे। सदन की कार्यवाही आगे चलाने के लिये मुझे सहयोग देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : हम अपने अमेन्डमेन्ट्स को पेश कर सकें इसके लिये कम से कम दो दिन का समय दिया जाय, नहीं तो हमारे संशोधन रह जायेंगे।

श्री नवनीत पालीवाल : एक बात है, अध्यक्ष महोदय, जब पांच बजे तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चलेंगे तो जो कार्य सूची बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तैयार की है वह तो पूरी करनी ही है।

श्री मथुरादास माथुर : We are in the hands of the Hon. Speaker. बोलने दिया जाय, यह स्वस्थ परम्परा है। हम क्या करें ?

श्री अध्यक्ष : विपक्षी दल के माननीय नेता महोदय से निवेदन है और विपक्ष के सम्माननीय सदस्यों को भी मैं यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूं जहां भावना है वहां रास्ता है Where there is a will there is a way. ऐसा भी उदाहरण है कि महत्वपूर्ण विधेयक संसद के द्वारा दो-दो, पांच-पांच मिनट में पारित किये गये हैं। फिर भी मैं····

श्री मथुरादास माथुर : माफ करना, वे बिल सलेक्ट कमेटी से होकर जाते हैं, और पास हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है बाल की खाल न निकालते हुये आप उदारतापूर्वक इस सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिये मुझे सक्षम बनायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : कल अमेन्डमेंट 10 बजे तक पेश कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : Where is the trouble ? आज भी माननीय सदस्यों को अमेन्डमेंट्स देने हैं तो मैं लेने को तैयार हूं।

श्री मूलचन्द डागा : कल 10 बजे तक साहब।

श्री अध्यक्ष : सक्यूलेट नहीं हों तो भी बोल सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है, साहब।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन
राजस्थान विक्रय कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1978

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1978 को पुरः-स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरः स्थापित हुआ।

विधेयक पर विचार
राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1978।

श्री मूलचन्द डागा !

परिनियत संकल्प

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1978) को अस्वीकार करता है।

श्रीमान्, मेरे ख्याल से संविधान के साथ बलात्कार करते हुये अध्यादेश को कानून का रूप नहीं दिया जा सकता है। इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सारे सदस्यों को मैं रूलिंग बताऊंगा। श्रीमान् जनता सरकार कहती है कि वह लोकतन्त्र के मूल्यों को स्थापित करना चाहती है। नये लोकतन्त्र के मूल्यों को स्थापित करने वाली यह सरकार ऑर्डिनेन्स से राज्य कर रही है। ऑर्डिनेन्स तब ला रही है जब सदन मिलने वाला है, जब कि इसको सदन के सामने लाने की जरूरत है। यह परम्परा के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। मैं परम्परा की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। There is the Preamble in the Constitution of India. कान्स्टीट्यूशन के अन्दर है। किस प्रकार से इन्डिविजुअल की डिग्निटी मैं अर्ज करूंगा, कॉन्स्टीट्यूशन में है—

"Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation..."

हाउसिंग बोर्ड का, यह कानून किसलिए लागू हुआ ? पहले तो जनतन्त्री सरकार थी आज सरकार घटकवाद से पीड़ित है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यही पीड़ा निकल रही है ?

श्री मूलचन्द डागा : आप पीड़ित हैं। जब पीड़ित नहीं हैं, तो खड़े क्यों हो गये हैं ?

श्री मदनसिंह बांता : जनसंघ के लोग बहुत पीड़ित हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हम पीड़ित नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : कुछ लोग हैं। अगर कहो कि इनमें से चोर कौन है तो जो खड़ा हो जाता है उसी पर शक हो जाता है, ये पीड़ित हैं, इसीलिए ये खड़े हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्रीमान्, मैं यही बतलाना चाहता हूं, सही बात कह रहा हूं, इनको मालूम नहीं है कि कानून क्या बनाते हैं। जनता पार्टी के नेता महोदय हैं ये उनको कॉन्फोरेंस में नहीं लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपको क्या पता है।

श्री कौशलकिशोर जैन : आपको मालूम नहीं है,

श्री अध्यक्ष : यह उभय पक्ष से पीड़ित हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आर्डिनेन्स के बारे में व्यवस्था हुई है स्पीकर की लोक-सभा में, वह व्यवस्था मैं पढ़ना चाहता हूं।

"I agree with you that so many Ordinances should not have been issued. I personally think it is not a light matter to be ignored. Certain observations have been made by my predecessor Shri Mavalankar based on very sound judgment. I would invite the attention of the Government to see that there is really emergency or urgency justifying the issue of an Ordinance. There should not be much of hurry about those ordinances that can wait for the session of Parliament. I don't say about all the Ordinances."

इस प्रकार से जो आर्डिनेन्स है, इस आर्डिनेन्स में क्या किया है। श्रीमान्, आपकी सेवा में हाउसिंग बोर्ड बना हुआ है। उसका काम चल रहा है। वह एक्ट के अनुसार चल रहा है। उस एक्ट की धारा 4 5 की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। उसमें कहा गया है कि कौन बोर्ड का मेम्बर बनाया जा सकता है। कौन हटाया जा सकता है। श्रीमान, एक तो फाइनेन्स सेक्रेटरी होता है। एक लोकल सेल्फ का सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी टाउन प्लानर होता है। जनता के प्रतिनिधि गवर्नमेन्ट के सेक्रेटरी, पांच छः नॉन ऑफिशियल मेम्बर हैं। एक्ट में यह प्राविजन है। उनकी जो टर्म है, वह है :—

"The term of the Chairman and the non-official members of the Board is three years and that can be extended for two years more."

3 साल की मियाद आपने दी है। उसको दो साल बढ़ा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री मूलचन्द डागा)

श्रीमान, बड़ा इम्पोर्टेण्ट सवाल है। इसमें लिखा हुआ है, किसको रिमूव कर सकते हैं। जिसका काम गलत है, जिसने भ्रष्टाचार किया है या अनियमितताएं की हैं। जनता पार्टी सरकार ने रीजन्स में लिखा है–

"Since it had become necessary and expedient in the Public interest"

What public interest ? For Party interest ? Substitute the word "public interest" by "Party interest." एक आदमी जो कांग्रेस का सदस्य रहा था, जो हाउस कमेटी का चेयरमैन था, जिसने अपना सम्पूर्ण जीवन देश को अर्पित किया है, जो कि इस प्रदेश का मन्त्री रहा है उसको हटाने के लिए यह किया गया है। उसको टर्मिनेट किया है।

श्री कौशलकिशोर जैन : डागा साहब, हाउसिंग बार्ड में उन्होंने मकान भी बनाया है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इसमें यह प्रोविजन है।

"No person shall be removed from office unless he has been given an opportunity against his removal."

They have given no notice. But they did not give them even a notice. अब, श्रीमान् तानाशाही करना चाहती है जनता पार्टी की सरकार।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके आदमी बैठे हुए हैं जिन्होंने अब तक घोटाले किये हैं। आपको भी यही पीड़ा है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता था। आपकी और गिरधारीलाल जी भार्गव की आवाज से तो हाउस बुलन्द होता है। ये भंवरलालजी उस समय मिनिस्ट्री में नहीं थे।

श्री कौशलकिशोर जैन : डागा साहब, आपने यह काम किया नहीं है। आपको मालूम नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : एक नॉन आफिसियल आदमी काम कर रहा है उसको रिमूव करने से पहले नोटिस तो देते। आपने कानून यह बनाया है "He can be terminated at any time without going into the provisions of the Act and without giving any notice." आप एक बात बताइये, क्या यह कानूनन न्यायसंगत है ? यह अन्याय है। मोरेलिटी के खिलाफ है। "Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act the State Government may, if it thinks fit in public interest so to do, by a notification in the Official Gazette terminate the appointment of the Chairman or any member, before the expiry of the term."

यह अर्बिट्रेरी बात है। श्रीमान, आज तो मैं चेयरमैन हूं बोर्ड का। रात को इनकी इच्छा हुई कि इसको टर्मिनेट कर दो। इसके गूदड़े बाहर फेंक दो।

(श्री मूलचन्द डागा)

Termination without, any proviso, without any condition and without any notice even, the Govt. has done this.

श्री कौशलकिशोर जैन : तीन साल के लिए बनाये गये थे। पांच साल के लिए नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आपने किया है आपका पढ़ा हुआ है। हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। It is at your instance that the Legislature has given you that power.

श्रीमान, आप तो युवक हैं। हम लोग अब युवा नहीं हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। आप इस प्रकार का कानून लायेंगे तो जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा? तानाशाही करो। म्युनिसिपेलिटी भंग कर दो, पंचायत समितियां भंग कर दो, बी. डी. ओ. बैठा दो।

एक माननीय सदस्य : आपने 13 साल चुनाव नहीं कराये।

श्री मूलचन्द डागा : जितने आपके सदस्य हैं जितने आपके आफिसर हैं...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैं यह काला कानून आपके होते हुए तो पास नहीं होने दूंगा। यह तानाशाही है, हाउसिंग कमेटी भंग कर दी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : डागा साहब, हाउसिंग कमेटी नहीं, हाउसिंग बोर्ड बोलिएगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो विधेयक करने के लिए भंवरलालजी को कहिए। आपका भी नाम हो जायेगा।

श्री कौशलकिशोर जैन : काला कानून बनाने वाले को हर कानून काला दिखाई देता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : डागा जी, 1973 में लाटरी भरी थी, आज तक मकान नहीं मिला। आपकी सरकार ने गलत कानून पास करके किराया भी दुगुना कर दिया। उस कानून से भी हम पीड़ित हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप कानून से पीड़ित हैं इसमें चेयरमैन कुछ नहीं करता। Everything is done by the Board. इसमें पूरा बोर्ड होता है, तीन-तीन, चार-चार सेक्रेटरी होते हैं। हम कहां पिक्चर में आते हैं? कहां चेयरमैन का व्यक्तित्व काम आता है? सारा काम करने वाली सरकारी मशीनरी है। आपने नोटिस दिया नहीं, काले कारनामे बताये नहीं और टर्मिनेट कर दिया।

श्री कौशलकिशोर जैन : सारे बोर्ड को भंग किया है, चेयरमैन को ही नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : कोई पावर चेयरमैन में वेस्ट नहीं होती। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपका ज्यादा समय नहीं लेता हुआ निवेदन करूंगा, इसमें है।

"Where the appointment of the Chairman or any member of the Board has been terminated under sub-section 3, he shall not be entitled to any compensation

(श्री मूलचन्द डागा)

whatsoever, in respect of the unexpired period of his appointment."
एक मकान खाली करवाते है तो 10 दिन, 15 दिन देते हैं। भला आदमी होता है तो आप भी घर में आ जाओ तो इज्जत से बिठाता है। यह तो कोई बात नहीं है।

श्री कौशलकिशोर जैन : सात महीने दिये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सात महीने दिये है, आप बता दीजिये। ये गलत बयान दे रहे हैं, श्रीमान आपके होते हुए।

श्री अध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखिये, इस उलझन में मत पड़िये।

श्री मूलचन्द डागा : उलझन में मैं नहीं पड़ता रीजन्स जो सर्क्यूलेट किये हैं, वे श्री भंवरलाल जी ने क्या दिये हैं, मेरे ख्याल से उनको जो लिख कर दे दिया वही कर दिया है

"As the provisions of the Act stand at present, there is no provision in the Act to terminate the term or the extended term of the Chairman and the Members of the Board. Occasions and Contingencies arise, when it becomes necessary and expedient in public interest to terminate the term of the Chairman or a Member of the Board."

यह तो आपने गलत कह दिया है। There is a proviso that the term can be extended for two years. इसलिये साहब मैंने कहा कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट तो है नहीं, पार्टी इन्ट्रेस्ट के नाते हुकमानी जनसंघ वाले को बिठाना था।

श्री कौशलकिशोर जैन : टर्म बढाने का अधिकार है, खतम करने का नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आपको नॉमीनेट नहीं करेंगे भंवरलाल जी, न गिरधारीलाल जी को करेंगे। आप ज्यादा बोलते हो बीच-बीच में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : डागा जी, आपके लिए प्रस्ताव कर दूं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, जो बिल पेश हुआ है, मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें, इस प्रकार का आर्डिनेन्स नहीं आना चाहिए। आर्डिनेन्स के द्वारा ही राज करना है, और लोकतन्त्रीय अधिकारों को खतम करना है तो ठीक है। आपने बड़े अच्छे-अच्छे नारे दिये हैं, जनतान्त्रिक मूल्यों के और लोकतन्त्र के लेकिन आपकी बड़ी कृपा होगी यदि इस प्रकार के विधेयक को आप वापस ले लें, इससे आपकी शोभा बढ़ेगी नहीं तो श्रीमान्, यह हिस्ट्री में दूसरा काला कानून होगा जो आपके द्वारा पारित होगा। मैं इसका बहिष्कार करता हूं और सदन के बाहर जाता हूं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसरामजी मदेरणा !

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो परिनियत संकल्प वाली

(श्री परसराम मदेरणा)
से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है मेरे स्थगन प्रस्ताव का अर्थ भी वही है—

"Statutory regulation under Art, 213 of the Constitution of India."

अध्यक्ष महोदय, जैसा आप स्वयं जानते हैं और हाउसिंग मिनिस्टर भी परिचित होंगे कि जब विधान सभा का सत्र नहीं हो रहा हो, विधान सभा अधिवेशन में नहीं हो, इन्टर सेशन पीरियड के लिए हिन्दुस्तान के संविधान की धारा 213 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई हैं और लेजिस्लेटिव पावर्स इसलिए दी गई है, अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 213 के अन्तर्गत—

"that if the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require."

अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया कि एक्सपीडेन्सी थी। यह रीजन्स सदन में पेश किये गये कि एक्सपीडेन्सी इसकी थी इमीजियेट एक्शन लेना था। इमीजियेट एक्शन इसलिए लिया कि विधान सभा नहीं चल रही थी। विधान सभा सत्र में नहीं थी, इसलिए गवर्नर महोदय, को लेजिस्लेटिव पावर्स आर्टिकल 213 के अन्तर्गत इन्वोक करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, सरकार की दलील, कितनी लचर है यह दलील इसलिये लचर है क्योंकि आर्डिनेन्स प्रोमलगेट, किया 2 जनवरी 1978 को और 2 जनवरी, 1978 से लेकर 31 मार्च, 1978, तक नोटिफिकेशन निकाला है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी पढ़ा होगा। नोटिफिकेशन बोर्ड को भंग करने का, नया बोर्ड कान्स्टीट्यूट करने का निकाला 31 मार्च, 1978 को। यानि 2 महीने और 29 दिन तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इस आर्डिनेन्स के अन्तर्गत। अध्यक्ष महोदय, 2 जनवरी 1978 को आर्डिनेन्स प्रोमलगेट कर दिया और विधान सभा का सेशन प्रारम्भ हुआ 28 फरवरी को इसका मतलब यह हुआ कि विधान सभा के सत्र के पूर्व सत्र प्रारम्भ हुआ तब तक भी 1 महीना और 26 दिन तक प्रोमलगेट कर दिया लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर आप किस इमीजिएट एक्शन की बात कर रहे हैं? इमीजिएटली बोर्ड को भंग करना था तो सो क्यों रहे थे आपने इमीजिएटली भंग क्यों नहीं किया? विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होने के बाद, मैं माननीय मन्त्रीजी को कह रहा हूं यह पावर्स लेजिस्लेचर को हैं और केवल इण्टर सेशन पीरियड में गवर्नर के पास आर्टिकल 213 के तहत पावर्स हैं। यह आपने इल्लीगल तरीके से प्रोमलगेट कराया। 2 जनवरी, 78 को प्रोमलगेट कर दिया क्योंकि बोर्ड को भंग करना था, चेयरमैन को हटाना था और कानून आपको परमिट नहीं करता था। फिर आप क्या कर रहे थे?

श्री मूलचन्द डागा : ढूंढ रहे थे कि चेयरमैन जनसंघ का कौन मिलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : सदन की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, कि 4 करोड़ की योजना तारकुंडी की थी जो कोटा में है जिसका शिलान्यास 13-12-77 को,

(श्री परसराम मदेरणा)
माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने किया था तब जनता सरकार के मुख्य मन्त्रीजी ने बोर्ड के कार्यों की और उसके परफार्मेन्स की बहुत बड़ी तारीफ की थी। उसके 19 दिन बाद ही आर्डिनेन्स निकाल दिया और दो महीने और 29 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की, एक महीना और 26 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की। मैं समझता हूं सरकार की इससे ज्यादा क्रिमिनल नैग्लीजेंस नहीं हो सकती। उससे संविधान में जो राज्यपाल की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको इन्वोक करके संविधान की मखौल उड़ाई है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको कान्सटीट्यूशन के रेप की संज्ञा दी, मैं उसको उचित मानता हूं कोई एक्सपीडेंसी नहीं थी, पोलीटिकल एक्सपीडेंसी थी क्योंकि आप बोर्ड में अपने आदमी लाना चाहते थे। एक रात सपना आया कि विधान सभा सत्र को प्रारम्भ हुए इतना समय हो गया है तो 31 मार्च को यह अधिसूचना गजट में निकाली। उसी दिन इसको भंग कर दिया और 7 व्यक्तियों का बोर्ड आपने गठित किया जिसके चेयरमैन जी. आर. हुकमाणी, सदस्य जे पी. अरोड़ा, अब्दुल अख्तर, नरेंद्रसिंह, राम नारायण विश्नोई, सत्य नारायण पारीक व मोहन मेघवाल हैं। दूसरों के बारे में मैं नहीं जानता लेकिन जहां तक हुकमाणी का प्रश्न है उससे तो मन्त्रीजी भली भांति परिचित हैं। वह आपकी पार्टी के आदमी हैं। इसमें दो व्यक्ति और हैं 5 व 7 पर, ये विधान सभा में चुनावों में हारे हुए उम्मीदवार हैं। अपनी पार्टी के हितों को बढ़ावा देने के लिए आपने यह किया है, उनको रीइन्सटेट करने के लिए राज्यपाल की पावर्स को इस्तेमाल करना चाहा है ....

श्री कोशल किशोर जैन : भूलेश्वर मीणा हारे हुए सदस्य थे जिनको आपने आर. पी. एस. सी. में लगाया ?

श्री मूलचन्द डागा : मानते हैं गलती को हम।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा सबसे बड़ा आरोप यह है कि विधान सभा सत्र प्रारम्भ होने के बाद आप नोटीफिकेशन निकालते हैं तो अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी ? आप 2 महीने 29 दिन तो सोते रहे अध्यादेश के बाद, 31 मार्च को 6 बजे तक पहले वाला चेयरमैन काम कर रहा था और उसी दिन नोटीफिकेशन निकाला। जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, अगर इस बोर्ड की वर्किंग में कार्यप्रणाली में किसी प्रकार का वायोलेशन, इन्फ्रिजमेंट होता या सरकार ने जिस पर्पज के लिए गठित किया उसको फुलफिल करने में अगर बोर्ड फेल हुआ है तो सरकार डाइरेक्शन्स दे सकती थी सैक्शन 60 के अन्दर।

"The State Government may give directions as may be necessary."

उसके बाद में आगे लिखा है परफार्मेन्स आफ ड्यूटी में अगर बोर्ड गलती करता है तो राज्य सरकार आदेश दे सकती है। सैक्शन 61 में है -

"If the State Government is satisfied in performing under this Act may fix the period .. "

फिक्स पीरियड में ड्यूटी परफार्म नहीं नहीं करता है जैसा गवर्नमेंट ने डाइरेक्शन

(श्री परसराम मदेरणा)

दिया था तो सैक्शन 62 के नीचे बोर्ड को डिजाल्व किया जा सकता है। लेकिन हाउसिंग बोर्ड एक्ट के सैक्शन 60-61 व 62 में प्रावधान है उनको इन्वोक नहीं किया है। इसके बाद में सैक्शन 5 बहुत स्पष्ट है, इसमें लिखा हुआ है :

"Constitution of the Board: - The State Government may by Notification in the Official Gazette remove from the office the Chairman or any member."

डिस्क्वालिफिकेशन एक्वायर कर लेता है तो उसको हटाया जा सकता है। लेकिन इसका इन्वोक नहीं किया है। अध्यादेश प्रामलगेशन के कुछ दिन पूर्व कोटा में मुख्य मन्त्री बोर्ड के चेयरमैन की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, इतने असेट्स बिल्ड किए, 16 हजार मकान बनाए हैं, आवास की समस्या के समाधान में बोर्ड ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। उसके 19 दिन बाद वन फाइन मोनिंग अध्यादेश को प्रामलगेट करते हैं। उसका कारण बताया है लोक हित में किया है। वह लोक हित 2 महीने 29 दिन कहां चला गया था ? आप कुम्भकरणी नींद में सो रहे थे या घटकवाद के कारण तैयारी नहीं कर सके अन्य सदस्यों को नॉमिनेट करने की। इसमें न पर्सपेक्टिव प्लानिंग है न भविष्य के अन्दर किसी योजना को बनाकर पेश करने की बात है। यह बिना सोचे समझे ही नहीं किया, बल्कि यह अबुद्धिमत्तापूर्ण व अव्यवहारिक भी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जो तुरन्त कार्यवाही करने की बात कही है :

"चूंकि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की अवधि को लोकहित में समाप्त करना आवश्यक और समीचीन हो गया था, और राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी अतः राज्यपाल ने 2 जनवरी 1978 को ..."

तो क्या ऐसी स्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक था ? 2 जनवरी को जब अध्यादेश प्रामलगेट कराया तो एक सप्ताह के अन्दर नोटीफिकेशन आना चाहिए था। आपको मालूम था कि बजट सेशन होगा। अगर देश में जनतंत्र है तो 31 मार्च तक बजट पास कराना पड़ेगा, फरवरी में सेशन बुलाना पड़ेगा। फिर आपने एक महीना और कुछ दिन पहले यह अध्यादेश क्यों निकलवाया ? क्या कोई आसमान गिर रहा था ? यदि गिर रहा था तो 2 महीने 29 दिन क्यों सोते रहे ? विधान सभा सत्र प्रारम्भ हो गया, 31 दिन और सोते रहे, 31 मार्च रात को 6।। बजे बोर्ड भंग किया, नोटीफिकेशन निकाला। आपने लोक हित का शब्द इस्तेमाल किया है, लोक हित का ओट में लोकशाही की कब्र खोदी है। आपने संविधान की मखौल उड़ाई है, राज्यपाल महोदय को सेटिस्फाई करने के गलत कारण बताए हैं। इस नोटीफिकेशन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस पर तुरन्त कार्यवाही करने का जो बहाना बनाया था, उसकी पोल खुल गई है। उसके अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की तो सरकार को इस प्रकार का अध्यादेश प्रामलगेट नहीं करना चाहिए था। अध्यादेश का मतलब यह है कि सदन को पूरी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, इन्टर-सैशन पीरियड में, यदि सत्र

(श्री परसराम मदेरणा)

सदने डाइ एडजोर्न हो जाता है, सरकम्स-टान्सेज हैं तो राज्यपाल को पावर्स हैं, आपने राज्यपाल से जो पावर्स का इस्तेमाल कराया है, आवासन मन्त्री, वह आपने संविधान का बलात्कार किया है, ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे । मुझे अच्छी तरह याद है एक बार हमने नर्सेज व मिडवाइफ के बारे में अध्यादेश निकाला था, उसमें कार्यवाही नहीं हुई तो उस समय वर्तमान मुख्यमन्त्री व सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने प्रश्न खड़ा किया था सदन में कि आपने इसके अन्तर्गत क्या कार्यवाही की है ? ट्रेजरी बेंचेज को माफी मांगनी पड़ी कि हमसे गलती हुई हैं, लेप्स हुई । आपने 2 महीने 29 दिन कोई कार्यवाही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, इसके कुछ दिनों बाद विधान सभा, हाउस मीट कर रहा था । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने यह आर्डिनेन्स इश्यू करके सदन की सोवरिनिटी पर कुठाराघात किया है। सदन की लेजिसलेशन बनाने की पावर और उसके अधिकारों पर कुठाराघात किया है । सिर्फ चेयरमैन अपने ही आदमी को बनाने के लिए, सिर्फ अपने व्यक्तियों को बोर्ड का सदस्य बनाने के लिए इस सदन को बाई पास किया गया । जो यह कहा गया है कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में आपने चेयरमैन की नियुक्ति की तो मैं अध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहूंगा कि इसमें क्या पब्लिक का हित था ? मैं समझता हूं कि इसमें कोई पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात नहीं है बल्कि सिर्फ यह पोलिटिकल मोटिवेटेड है, पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट को मीट आउट करने के लिए केवल अपनी ही पार्टी के सदस्य को चेयरमैन बनाने के लिये यह किया गया है। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बिलकुल गलत किया गया है ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस आर्डिनेन्स में रीजन्स एण्ड आब्जेक्ट्स दिये गये हैं वह यह साबित करते हैं कि यह आर्डिनेन्स सिर्फ चेयरमैन की नियुक्ति के लिये ही लाया गया था । इसलिये मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न पार्टी का ही नहीं, यह प्रश्न है हाउस को हाउस लेजिस्लेचर बनाने में सावरिन है, इसकी सावरिनिटी पर कुठाराघात किया गया है । जो हाउस की पावर है लेजिस्लेचर बनाने की उस पर कुठाराघात किया गया है ।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें राज्य सरकार ने गवर्नर साहब की पावर को मिसयूज किया है। जो रीजन्स दिये हैं वह रीजन्स नहीं हैं यह सिर्फ पालिटिकल रीजन्स हैं, पोलिटिकल मोटिवेटेड हैं । इसलिये मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जो मैंने प्रस्ताव रखा है वह कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 213 के तहत रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर !

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने और पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तकरीर दी उनको मैं नहीं दोहराऊंगा । मगर,

(श्री मथुरादास माथुर)

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा और मुझे यह निवेदन करना ही पड़ेगा कि इस सदन के जो कानून बनाने के अख्तियारात कान्स्टीट्यूशन के अधीन हैं कानून बनाने के उन सोवरिन अधिकारों पर कुठाराघात कर राज्य सरकार द्वारा अपनी सिर्फ पार्टी के व्यक्ति को चेयरमैन और अपनी ही पार्टी के लोगों को हाउसिंग बोर्ड के मेम्बर बनाने के लिये यह आर्डिनेन्स लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेन्स तब इश्यू होता हैं जब कि हाउस मीट करने में ज्यादा समय हो। राज्यपाल महोदय को स्पेशल पावर्स कान्स्टीट्यूशन के तहत दी हुई हैं कि वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में अगर सेटिस्फाई हो जावें तो आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं। वैसे कानून हमेशा हाउस के द्वारा ही बनाये जाते हैं पर पब्लिक इन्ट्रेस्ट में राज्यपाल महोदय आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं। अब इसमें पता नहीं कैसे गवर्नर साहब को पब्लिक इन्ट्रेस्ट नजर आया। मुझे तो इसमें कोई पब्लिक इन्ट्रेस्ट नजर नहीं आया। जो भी दलीलें दी गयी हैं वह सभी बेकार हैं। राज्य सरकार ने न केवल इस सदन की सावरिनिटी को ही चेलेन्ज किया है, न केवल हाउस की लेजिसलेशन बनाने की जो सावरिन पावर है उस पर ही कुठाराघात किया है बल्कि राज्यपाल महोदय को भी मिसगाइड किया है। इसलिए जब कभी हाउस चलेगा और राज्यपाल महोदय यहां पर आयेंगे तो मैं यह जरूर कहूंगा, जैसे की अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त मैंने दूसरे तथ्य पर निवेदन किया था पर अब मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय पर मैं यह चार्ज लगाऊंगा कि राज्यपाल महोदय को जो आर्डिनेन्स के माध्यम से कानून बनाने की हमारे संविधान के अन्तर्गत पावर्स दी गयी हैं उनको राज्यपाल महोदय द्वारा मिसयूज किया गया है। उन्होंने इस आर्डिनेन्स के ऊपर दस्तखत करते वक्त अपना माइन्डअप्लाई नहीं किया। सरकार के दबाव में आकर उन्होंने दस्तखत कर दिये। राज्यपाल महोदय को जो स्पेशल अधिकार दिये हुए हैं उनकी उस ताकत पर पाबन्दी लगा दी जाय क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत को सही तरह से अदा नहीं किया है अपनी पावर को मिस यूज करके यह आर्डिनेन्स इश्यू कर दिया। इन सभी बातों को कहने का मुझे अधिकार रहेगा।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इमर्जेन्सी को लागू करने के लिये घोषणा पहले हुई थी या इमर्जेन्सी लागू करने के लिये दस्तखत पहले हुए? यह बतावें, राष्ट्रपतिजी के दस्तखत कब हुए, इमर्जेन्सी लागू होने के पहले हुए या बाद में ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यही कारण था कि देश से कांग्रेस की सत्ता गयी और इन्दिरा गांधी को हटना पड़ा।

श्री मथुरादास माथुर : अब तो आप राजी हो गये आपके हाथ में सत्ता आ गयी। लेकिन एक बात, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और आपका संरक्षण भी चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज एक साल से ज्यादा हो गया है इन्दिरा गांधी को सत्ता से हटे हुए और इस जनता पार्टी ने दो दो बजट पास कर

(श्री मथुरादास माथुर)
लिये हैं लेकिन आज तक भी इस जनता पार्टी के सदस्यों के दिमाग से इन्दिरा गांधी का भूत नहीं निकला है।

श्री कौशलकिशोर जैन : आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इमर्जेन्सी लागू करने के लिये क्या पहले राष्ट्रपतिजी के दस्तखत हो गये थे ? आपने किया तब आपने नहीं कहा। देश के अन्दर एक भयानक वातावरण बना दिया।

श्री मथुरादास माथुर : अगर हमने किया तो वैसे ही तुम करना शुरू कर दोगे ? मैं इतना कह देना चाहता हूं कि हमने तो तीस साल कांग्रेस का राज्य इस देश में रखा। लेकिन इन लक्षणों से तुम्हारा राज्य तीस महीनें से ज्यादा नहीं चल सकेगा।

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, हम तो माननीय सदस्य को आप आप कह कर पुकारते हैं जबकि यह तुम शब्द का प्रयोग बार बार कर रहें हैं, यह कहां तक उचित है। मैंने माननीय सदस्यों को आप कह कर संबोधित किया है। अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी ने तो कांग्रेस के राज्य में लोगों को जेलों में ठूंस दिया था और इमर्जेन्सी में लोगों के बाहर मुंह बन्द कर दिये थे।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि इमर्जेन्सी में लोगों के बाहर मुंह बन्द कर दिये थे मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मुझे हाउस के अन्दर बोलने का अधिकार है लेकिन माननीय सदस्य मेरा मुंह बन्द कर रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय को जो पावर्स दी गयी हैं कान्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत हाउस जब सेशन में नहीं हो तब आर्डिनेन्स इश्यू करने की उसमें पब्लिक इन्ट्रेस्ट को देखने की जरूरत है। पर राज्यपाल महोदय को अपना माइन्ड अप्लाई करने नहीं दिया और जो अनवारन्टेड अधिकार हैं उनको यूज कर सरकार ने पोलिटिकल मोटिवेटेड होकर दस्तखत करा कर आर्डिनेन्स इश्यू करा दिया। अध्यक्ष महोदय, पार्टियां तो सत्ता में आती रहती हैं और जाती रहती हैं लेकिन राज्यपाल महोदय को अपने पावर्स का यूज बहुत ही देख कर करना चाहिये। इस तरह से मिस गाइड होकर दस्तखत नहीं करना चाहिये। राज्यपाल महोदय ने इस तरह से मैं कहना चाहूंगा अपने अधिकारों का बहुत ही बेजा तरीके से इस्तेमाल किया है। इसलिये इस सदन के अधिकारों का कुठाराघात हुआ है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूगा इस बार तो गलती कर दी है लेकिन भविष्य में इस प्रकार के आर्डिनेन्स नहीं निकाले जाय।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में जो किया गया है इसमें जो रीजन्स दिये हैं उसमें यह लिखा है "Since it had become necessary and expedient in the public interest to terminate the term of the Chairman and Members of the Board..... आप कहते हैं कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में आप कानून बनाने जा रहे हैं आपने यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में आर्डिनेन्स इश्यू किया है तो यह पब्लिक इन्ट्रस्ट में नहीं किया गया अपनी

(श्री मथुरादास माथुर)
पार्टी के इन्ट्रेस्ट में किया गया है। कोई भी सदस्य यह बता दें कि इसमें क्या पब्लिक इन्ट्रेस्ट है Public interest here is the interest of the individual or the individual who has been nominated in this Board.

अगर आप इसका पब्लिक इन्ट्रेस्ट कहते हों तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है

श्री कौशलकिशोर जैन : लोकतन्त्र में यह बनाना जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे बार बार टोका जा रहा है मुझे संरक्षण दिया जाय।

यहां पर पब्लिक इन्ट्रेस्ट को बताना जरूरी है : आपको बताना भी पड़ेगा कि क्या पब्लिक इन्ट्रेस्ट है। अगर बोर्ड के चेयरमैन को ही बदलना था, उसके लिये ही कानून आप लाये हैं तो बात अलग है बाकी अभी कुछ ही दिन पहले आपके मुख्य मन्त्रीजी ने हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमैन के कार्य कलापों की तारीफ की थी। हाऊसिंग बोर्ड ने मकान बना कर दिये उसके लिये राज्यपाल महोदय ने और मुख्य मन्त्रीजी ने कोटा में तारीफ की थी फिर क्या बात थी कि बोर्ड को भंग करने के लिये जनता पार्टी की सरकार को यह आर्डिनेन्स लाना पड़ा? इसके अलावा अगर कोई भ्रष्टाचार के मामले आये हों तो बात अलग है लेकिन यह बात भी नहीं। उल्टे हाऊसिंग बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके आंकड़ों के अनुसार हाऊसिंग बोर्ड ने 16 हजार मकान बनाये उसमें से 14 हजार मकान लोगों को बांट दिये और दो हजार मकान लोगों को अलॉट किये जा रहे हैं। इतना ही नहीं राज्य सरकार के पास जब पैसा नहीं था अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के लिये तो हाऊसिंग बोर्ड ने राज्य सरकार को लोन दिया। इसके अलावा आपके राजस्थान राज्य विद्युत मन्डल को भी हाऊसिंग बोर्ड ने लोन दिया, राजस्थान स्टेट रोडवेज को भी लोन दिया।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह कब दिया?

श्री मथुरादास माथुर : वह आप पता लगा लें चाहे कोई भी राज्य सरकार हो इससे मतलब नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिये राज्य सरकार के पास पैसे नहीं थे तब हाऊसिंग बोर्ड ने लोन दिया था इसके अलावा मकान बना कर दिये। तो इस प्रकार का काम करने वाले बोर्ड, जो कि अपने आप में सेल्फ सफिशियेन्ट हैं और राज्य सरकार से पैसा लेता नही है, उसके साथ आपने यह काम किया कि उसको भंग कर दिया सिर्फ अपनी ही पार्टी के व्यक्ति को लाने के लिये। इसमें कोई भी पब्लिक इन्ट्रेस्ट नहीं था। आपा-धापी करो भाई, खब करो हम चुप हो जायेंगे वह बात नहीं है। कहेंगे तो जरूर कि आपा-धापी जनता पार्टी की सरकार कर रही है जब कि पहले आप विरोधी पक्ष में बैठकर कहा करते थे।

श्रीमान यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट नहीं है क्या? यहां काबिल माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। मैं इसकी डेफिनिशन पढ़ रहा हूं....

"Broadly public purpose would have included the purpose in

(श्री मथुरादास माथुर)
which general interest of Community is opposed to the particular interest of the individuals is highly and vitally concerned."

अब बतायें ? मैंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़ी है। पब्लिक इन्ट्रेस्ट तो कोई नहीं रहा। यह तो केवल पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट था। मैं इन्डिविजुअल पर नहीं जाता। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जिनको भी आपने एक्सटेन्शन पीरियड के पहले हटाया उनको हटाने से पहले कारण तो बताते। आप कारण तो बताओ। Democracy is a continuous process आपने आई जी. पी. वगैरह को क्यों नही हटाया ? अफसरों को तो आप हटा नहीं सकते। नोन ओफिशियल जो काम अच्छा कर रहा है, हटा कर पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात कहते हैं यह सदन के साथ धोखा है, माननीय सदस्यों के साथ धोखा है और पब्लिक के साथ भी धोखा है। न तो यह ओर्डिनेन्स लाना पब्लिक इन्ट्रेस्ट में था और न ही इसमें आपने पब्लिक इन्ट्रेस्ट की परिभाषा ही दी। बोर्ड का एप्रिशियेशन, मेम्बर्स का एप्रिशियेशन और दिल्ली में भी उसका एप्रिशियेशन होतें हुए भी केबिनेट ने या किसी मंत्री ने सोचा हटा दें और हटा दिया। आप अपने आदमी लाना चाहते हो यह बताओ न। यह जनता के साथ धोखा है और सदन के साथ धोखा है। श्रीमान आप तो जानते हैं जो सरकार इस प्रकार के काम करती है वह सरकार तो गिरेगी। चलने वाली नहीं है यह सरकार। यह तो गिरेगी। आप कह सकते हो कि कांग्रेस के हैं इसलिये सरकार के नजदीक में नहीं आ सकते और किसी समिति में भी नहीं आ सकते लेकिन हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। क्यों आर्डिनेन्स पास करवा कर लाखों रुपया खर्च करवाया ?

(व्यवधान)

ये भोंपू पीछे से बोलते है समझ में नहीं आता है।

श्री नरेन्द्रपालसिंह : आप नहीं समझे हैं इसलिये वहां जाकर बैठें हैं।

श्री मथुरादास माथुर : बहुत पुराने हो। जनता पार्टी को बना कर यहां आये तो ट्रेजरी बेंचेज पर बैठते तो अरमान पूरे होते।

(व्यवधान)

यह जो आर्डिनेन्स है यह उसके आरबिट में है। इसका जो स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स है उससे लगता है कि न तो गवर्नर साहब ने माइन्ड एप्लाई किया है और न ही पब्लिक इन्ट्रेस्ट में है। आखिर हो क्या गया ? क्या डेमोक्रेसी को इस तरह से चलाना चाहते हैं ? यह अब नहीं चलने वाला है कि तुमने तो यह किया था वह किया था। इन्दिरा गांधी की माला फेरते फेरते काम नहीं चलेगा। देखना यह है कि आप कितने दिन बैठते हैं। इसलिये जनता पार्टी के माननीय सदस्य और सरकार से मेरा निवेदन है कि सत्ता में रहो ईमानदारी से जब तक पूरे नंगे न हो जाओ, लंगोटी बांध कर बाहर न निकलो और पूरी शक्ल में न आ जाओ। भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो मैं हटाना नहीं चाहता, रोकना चाहता हूं।

(श्री मथुरादास माथुर)
इब्तिदा में इन्होंने इश्क किया है, इब्तिदा में आर्डिनेन्स निकाल दिया। गवर्नर साहब को गुमराह कर दिया। आपके पास कोई रास्ता नहीं था तो पूछ लेते। अब क्यों पूछते हो ? आर्डिनेन्स निकाल दिया, यह आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हो। हुकूमत में हो तो अपने आदमियों को बना दो। लेकिन जमाना परिवर्तनशील है, हम यदि आपके आदमियों को निकालने की कोशिश करेंगे तो यह गलत होगा। सरकारी अफसरों का तो कुछ कर नहीं सकते। दो चार आदमी नोन ओफिशियल होते हैं उनका हटा कर बड़ी बहादुरी का काम किया। यह राज्यपाल ने और राज्य सरकार ने हमारे साथ बड़ा भारी धोखा किया है इस सदन के साथ धोखा किया है।

श्री मदनसिंह दांता : राज्यपाल हैड आफ स्टेट होते हैं। उनके लिये 'धोखा' शब्द यूज करना कहां तक उचित होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : Fraud, Fraud on legeslature Fraud on the House and fraud on the rights, । इसलिये नम्र निवेदन है कि इन्होंने क्योंकि गलती कर दी इसलिये आर्डिनेन्स को रिजेक्ट करें। इसको रेगुलेराइज करना चाहते हैं तो हमारे पास आजाओ हम बता देंगे। डेमोक्रेसी में भ्रष्टाचार नहीं होगा.......

श्री बाऊदयाल जोशी : जो बनाये थे वे सारे भ्रष्टाचारी हैं। आमूलचूल डूबे हुए थे भ्रष्टाचार में, रिश्वतें दी जाती थी ....

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : अपनी गवर्नमेंट से कहो। क्या चार्ज शीट देकर उनको हटाया है ?

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : रुपया लेकर बैठे है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्षजी, मेरे लायक साथी माननीय मथुरादासजी माथुर ने जनतन्त्र की दुहाई दी......

श्री शंकरलाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं उनको पहले बोलने का मौका दिया जाय। जिन लोगों ने संशोधन रखे नहीं वे बोलने लग जाते हैं। जो भी व्यवस्था हो वह ठीक हो। मेरा निवेदन है कि जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं उनको बोलने का पहले मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह तो सदन की परम्परा से वाकिफ हैं। हाईहीटेड स्पीचेज हुई हैं। इन्ट्रोडक्शन हो जाय उसके बाद आप भी बोल लीजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : डेमोक्रेसी आ रही है तो चेन्जेज तो होंगी ही।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इस सदन में कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित स्वस्थ परम्पराओं को जनता पार्टी रखना चाहे तो कोई एतराज नहीं होगा। कांग्रेस

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
सरकार ने महिला एम. एल. ए. को पिपुल्स रिप्रेजेन्टेशन के तहत में आर्डिनेन्स निकाल कर नियुक्त किया था वह भी हाईकोर्ट की रूलिंग के बाद में किया। यह भी पब्लिक इन्ट्रेस्ट में किया है। मथुरादासजी साहब ने परम्पराओं को निभाया है। जनता पार्टी को मैं बधाई देता हूं इसके लिये कि आर्डिनेन्स निकाला चाहे कान्ता कथूरियाजी हों या कोई हों। यह आपको ही मुबारिक हो कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद आपने आर्डिनेन्स निकाला, जनता पार्टी की सरकार ने जनता के मतों को देखते हुए यह किया है तो कोई गलत काम नहीं किया है। मेरा तो इन पर यह आरोप था कि 22 जून को ही यह करना चाहिये था। उसके बहुत बाद क्यों किया? आपका कर्त्तव्य था, आपकी ड्यूटी थी कि जो इस प्रकार से चेयरमैन आदि थे उनको हटाना चाहिये था। नहीं हटाया। इसका यह असर है कि अभी आप इस बात को पुरजोर तरीके से कह रहे हैं और आपको जनतन्त्र का पाठ सिखा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगर आयोजना मन्त्री) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, सदन में जो विचार रखे गये मैं समझता था और मुझे ऐसा विश्वास था कि विरोधी दल के माननीय नेता, माननीय सदस्य और हमारे वयोवृद्ध सदस्य श्री डागा जी इन मुद्दों को नहीं उठायेगे क्योंकि वह स्वयं जानते हैं कि जो मुद्दे उन्होंने उठाये है उनमें कोई तथ्य नहीं हैं लेकिन उन्होने एक विषय विचार के लिए रख दिया है और उसमें प्रजातन्त्र की बड़ी दुहाई दी है। मुझे खुशी है कि इतने वर्षों के बाद प्रजातन्त्र याद तो आया। इस आर्डिनेन्स का मुबारक हो और इस बिल को मुबारक हो कि जिसने आपको प्रजातन्त्र याद दिला दिया। आपने प्रजातन्त्र की बड़ी बातें की। अब आपका प्रजातन्त्र देखिये आप। हाऊसिंग बोर्ड का जब निर्माण हुआ उससे पहले एक हाऊसिंग कमेटी बनाई थी। उस हॉऊसिग कमेटी का गठन दिनांक 24-10-1968 को हुआ था। उसके चैयरमेन कौन थे? श्रीमान् द्वारकादास जी पुरोहित। क्या योग्यता थी उनकी? क्या यह कोई बहुत बड़े इन्जीनियर थे? क्या मकान के काम की ठेकेदारी करते थे? क्या योग्यता थी उनकी? योग्यता यह थी कि वह आपको पार्टी के सदस्य थे। आपके सहयोगी थे और आप उनको कहीं न कहीं फिट करना चाहते थे। जिस भाव से आपने उनको फिट किया वही बुराइयां आपके दिमाग में घूम रही है। जो आपके मन में भाव थे और जिससे आपने काम किया उसको पचा नहीं सके और इसीलिए हम पर भी आरोप लगा रहे हैं।

यह द्वारकादास जी पुरोहित दिनांक 24-10-196 से 23-2-1970 तक उस कमेटी के चेयरमैन थे। फिर 24-2-70 को हाउसिंग बोर्ड का गठन हो गया। हाऊसिंग बोर्ड का गठन हुआ तो आपने क्या किया? कोई योग्य चेयरमैन लाये? हाऊसिंग बोर्ड के कामों को समझने वाला कोई चैयरमैन लाए? आपने यह किया कि उन्हीं को उस हाऊसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। 24-2-1970 के बाद इनको मियाद खत्म होती थी, 23-2-1973 को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

क्योंकि आपने उनको तीन वर्ष के लिए चैयरमैन बनाया।

(व्यवधान)

माननीय विरोधी दल के नेता यदि मेरे विचारों को सुनने में इन्ट्रेस्टेड हों तो मैं कहूं। जो कुछ आपने कहा है वह मैंने कहा है। अतः मुझे भी अपने विचार रखने का अवसर दें, तब तो मैं बात कहूं। यदि बीच में टोका टाकी करेंगे तो कोई बात नहीं कह पाऊंगा। हो सकता है मेरे विचार आपको ठीक नहीं लग रहे होंगे लेकिन मुझे स्वतन्त्रता इस बात की है और आपने यह इच्छा जाहिर की है कि मैं अपने विचार जाहिर करूं।

24-2-1970 से 23-2-1973 तक यह फिर चेयरमैन बना दिए गए। क्यों फिर टर्म बढ़ाई गई 5-3-1973 तक। क्या आपके पास कोई व्यक्ति नहीं था? 23-2-1973 से 5-3-1973 तक के काल में वह क्या रहे? क्या उनको अधिकार थे? यह कुछ नही पता। आपकी नींद खुली 5 मार्च को। फिर 5 मार्च को आपने एक आदेश निकाला। उसमें क्या किया कि उनको 24-2-1973 से 23-2-1976 तक फिर चैयरमैन बना दिया। 5 मार्च, 1973 को आपने चैयरमैन बनाया, 24 फरवरी, 1973 से। फिर 2 साल के लिए बना दिया। 23-2-1976 के बाद फिर 24-2-1976 को यह विचार किया कि इनकी बार बार तीन तीन वर्ष की अवधि बढ़ाते हैं तो ठीक नहीं रहेगा और पब्लिक की दृष्टि में ठीक नहीं लगेगा। आपने फिर उनकी मियाद घटाई और फिर एक साल के लिए उनको टर्म बढ़ाई। तो आपने इनको एक वर्ष के लिए और चैयरमैन बनाया। 24-2-76 से 23-2-77 का इनकी टर्म खत्म हो गई। फिर 17-2-1977 को टर्म बढ़ाई 24-2-77 से 23-2-1978 तक। अब क्या हुआ बीच में कि चुनाव हुए और चुनाव में आप हार गए। चुनावों में जब आप हार गए तो आपको लगा कि सेन्टर में हमारी सरकार चली गई और आगे भी जाने वाली है। जब आप सोच ही रहे थे कि जाने वाले हैं तो जो वर्तमान केन्द्रीय मन्त्री महोदय हैं उन्होंने बात कही कि आपके साथ जनता का मेन्डेट नहीं है आप कृपया सरकार छोड़ दो। यह लैटर जब आया तो आपने सोचा कि हमको तो जाना पड़ेगा, हम नहीं रुक सकते, इस तरह से नहीं गए तो जनता से चले जाएंगे। यद्यपि आप सुप्रीम कोर्ट में गए और बड़ी भाग दौड़ की लेकिन आपका साथ न भाग्य ने दिया, न कानून ने ही दिया और जनता ने आपको सरकार से अलग कर दिया। आपने सोचा कि हम तो जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि जिनको आपने लगा रखा था उनकी आने वाले लोग छुट्टी कर देंगे तो आपने क्या किया कि 23-2-1978 तक उनकी मियाद थी लेकिन आपने 17-2-1977 को ही 24-2-1977 से 23-2-1973 तक की टर्म कर दी। तो आपके जब जाने के दिन आ गए तो आपने क्या किया कि 23-2-1978 का इन्तजार किए बिना ही याने यह टर्म खत्म हो उससे पहले ही 18-4-1977, जो कि इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है आपने फिर उनकी मियाद बढ़ा दी। वे 3 साल तक फिर चेयरमैन बन गए। जब आप जा रहे थे

(श्री भंवरलाल शर्मा)
तो जाते जाते आपने यह कर दिया याने मियाद 23-2-1978 को खत्म होती थी, लेकिन आपके मन में यह बात थी कि हमारे जाने के बाद इनकी क्या दशा होगी इनको कोई नहीं लेंगे । और टर्म नहीं बढ़ायेंगे तो आपने प्रजातन्त्र का बहुत बड़ा खून किया । जनता ने आपके विरुद्ध मेन्डेट दिया और आपने 18-4-1977 को यह पट्टा बांटा, इनकी मियाद 18-4-77 से 1 -4-1980 तक की फिर बढ़ा दी यह तो कानून में अधिकार नहीं था। कानून में केवल तीन साल थे। अगर तीस साल होते तो क्या होता ? फिर आप यह कहते हैं कि प्रजातन्त्र के हामी हैं, पार्टी का इन्ट्रेस्ट नहीं है । प्रजातन्त्र का आपने ख्याल रखा है ? क्या आवश्यकता थी ? जब 23-2-78 तक मियाद थी, तीन साल और कर दी। एक आदमी का वर्चस्व जमा दिया । अब जब हमने उसको हटाया, तब अब आप कह रहे हैं, क्या पब्लिक इन्ट्रेस्ट था ? क्या आप समझते हैं एक ही व्यक्ति कुर्सी पर बैठा रहे ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न कुर्सी का नहीं है ···

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : आपके पापों का पर्दा फाश कर रहे हैं । क्या मतलब है ?

श्री परसराम मदेरणा : मतलब की धमकी उस दिन सी. एम. ने दी थी, हम भी मान को नहीं चलने देंगे ···

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मन्त्री महोदय, दो महीने पहले क्यों नहीं किया इसके बारे में क्या कहना है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप इजाजत देंगे, तो सब बातें कहूंगा, फिर भी कोई बात समझ में न आये, तो कोशिश करूंगा समझाने की । यह तो मान लिया क्यों हटाया ? अब सवाल

एक माननीय सदस्य : किसने मान लिया ?

श्री मदनसिंह दांता : जल्दी क्यों नहीं हटाया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय आपसे बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा । द्वारकादास पुरोहित, जो आदमी इतने वर्षों से काम कर रहे है, मथुरादास जी के मित्र हैं····

एक माननीय सदस्य : आपके दुश्मन हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं जानता नहीं हूं । उस आदमी को कम से कम समझदार को इशारा बहुत है । वे जानते थे अब केन्द्र में कांग्रेस सरकार चली गई, उन्हें कांग्रेस सरकार ने अपाइन्ट किया है तो मानवता का तकाजा यह है कि वे खुद छोड़ देते···

श्री मथुरादास माथुर : द्वारकादास पुरोहित ने जब से आपकी सरकार बनी है, मुख्य मन्त्री जी से जाकर कहा है । भैरोंसिंह जी यहां नहीं हैं, आप वेरीफाई करलें । उन्होंने कहा है कि मेरा अपाइन्टमेंट पोलिटिकल अपाइंटमेंट है, कांग्रेस पार्टी का मेम्बर हूं, वह बदल गई । मैं इस्तीफा

(श्री मथुरादास माथुर)

देने को तैयार हूं। भैरोंसिह जी ने यह कहा कि जल्दी मत कीजिये, जब इस्तीफे की जरूरत होगी, आपको बुलाकर कह दूंगा। इनमें हुए कन्वर्सेशन की बात नहीं कहता। द्वारका दास जी ने मुझे कहा। फिर माननीय चतुर्वेदी साहब के पास जब पोर्टफोलियो था उन्होंने आर्डीनेन्स लाने की बात की। उन्होंने बुलाया और कहा कि त्यागपत्र दे दो। तो उन्होने कहा, मैंने मुख्य मन्त्री से बात की है। उनसे पूछ कर त्यागपत्र दे दूंगा। उन्होंने मुख्य मन्त्री जी को टेलीफोन किया। वे नहीं मिल पाये। दफ्तर गये, मालूम पड़ा दिल्ली गये हैं। उन्होंने दिल्ली तार दिया, मिनिस्टर साहब त्याग पत्र देने को कहते हैं।, उनका आज तक जवाब नहीं आया। यह आर्डिनेन्स निकल कर आ गया। देना या ना देना, कानून की बात नहीं है। यह कहा, स्वयं दे देना चाहिये। यह सब किस तरह हुआ है, आप पूछ लेना।

एक माननीय सदस्य : इतने वर्षों तक पहले भी कहा था कि पोलिटिकल अपाईंटमैंट हुआ है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मन्त्री महोदय का जवाब पूरा हो गया है क्या ?

श्री मदनसिंह दांता : आप अच्छी तरह से सदन की कार्यवाही चला रहे थे। मन्त्री जी बोल रहे थे....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 का अस्वीकार किये जाने के लिये जो परिनियत संकल्प पेश किया गया है, वह स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

अस्वीकार किया गया।

मन्त्री महोदय।

विचारार्थ प्रस्ताव

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री कौशलकिशोर जैन !

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने दो बातें इस विधेयक के बारे में कही हैं। मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि जब निर्णय 31 मार्च, 1978 को लिया गया था तो अध्यादेश लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं यह कहने में हिचकिचाहट अनुभव नहीं करता कि 31 मार्च को आवासन बोर्ड का, उसके अध्यक्ष का नोमीनेशन हुआ, इतने दिनों बाद अध्यादेश लागू करना यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें शब्द आये हैं लोक हित। मैं चाहता हूं लोकहित के स्थान पर 'उचित व्यवस्था के लिये' पहले से अधिक उचित व्यवस्था के लिये' शब्द जोड़े जांय। माननीय अध्यक्ष

(श्री कौशलकिशोर जैन)

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 'लोक हित' ऐसा बड़ा शब्द हैं ऐसा अन्तर विरोधी शब्द हैं 'लोकहित' के नाम पर इस देश में क्या क्या नहीं कर दिया गया। लोकहित के नाम पर 1½ लाख लोगों को जेलों में, सीखचों के पीछे डाल दिया गया। उनको बताया नहीं गया, जेलों में क्यों डाला गया है। जब भी सरकार को छुपाना होता है तो उत्तर देते हैं, लोक हित में बताना उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 'लोक हित' शब्द है यह बहुत ही सन्देह पैदा करने वाले शब्द हैं इसलिये इसके स्थान पर 'उचित व्यवस्था के लिये' शब्द जोड़े जांय। समुचित व्यवस्था के लिये यह कानून लाया जा रहा है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, माननीय मथुरादासजी ने कहा, माननीय परसराम जी मदेरणा ने कहा कि आखिर लोक हित ऐसा कौन सा था या ऐसी कौन सी समुचित व्यवस्था करनी थी जिसके लिये यहां पर विधेयक पेश किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मैंने खुद अजमेर में वे मकान देखें हैं जो तीन फीट पानी के अन्दर खड़े हैं। कौन था चेयरमैन उस समय, कौन था सैक्रेटरी उस समय? अजमेर के मकानों के ऊपर दो करोड़ का खर्चा हो गया। आज भी मकान 3 इंच पानी में खड़े हैं ··· किसने वह योजना बनाई? यह अजमेर के मास्टर प्लान में नहीं हैं। यू. आई. टी. से जमीन किसने ली? हाऊसिंग बोर्ड यू. आई. टी. को जिम्मेदार ठहरा रहा है आवासन बोर्ड के चेयरमैन श्री द्वारकादास पुरोहित को दिखता नहीं था कि अजमेर का वैशाली नगर जहां बनाया है वहां आना सागर का पेटा था। यह टेक्निकल बात है। इस कारण वहां एक भी मकान नहीं था। जिन लोगों ने सड़क बनाई उनको पता था कि इस सड़क के आसपास यदि मकान बनाये गये तो डूब में आयेंगे लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, वैशाली नगर में मकान बनाये और दो करोड़ का घाटा हुआ।

श्रीमान चेयरमैन साहब श्री द्वारकादास पुरोहित का मकान मैंने देखा है और जयपुर में वह कोलोनी देखी है, जो हाउसिंग बोर्ड की कोलोनी है जवाहर नगर। उसमें जितने मकान बनाये उनमें से एक भी मकान ऐसा नहीं है जिसकी छत चूती नहीं हो। चूने के अन्दर, सीमेन्ट के अन्दर पता नहीं कितनी रेत मिलाई है। मैं स्वयं उसका नमूना लेकर आया हूं जिससे मालूम होता है कि रेत का कितना हिस्सा है। श्रीमान् द्वारका दास पुरोहित मित्र होंगे माननीय माथुर साहब के लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सदन के अन्दर कि उन्होंने जितना प्लाट था उससे दुगना लिया है। उसका कन्स्ट्रक्शन माननीय सदस्य जाकर देख लें अन्डर ग्राऊन्ड एक तहखाना है। मैं दावे के साथ कहता हूं राजस्थान के आवासन बोर्ड के मकानों में किसी में तहखाना नहीं हैं लेकिन द्वारकादास पुरोहित के मकान के अन्दर तहखाना हैं। यह तहखाना किस कानून के अन्तर्गत बनाया गया है? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं मैंने देखा है एक मकान बाजू में बना है, उस मकान का दरवाजा पिछली सड़क पर है और श्रीमन पुरोहित साहब के मकान का दरवाजा मुख्य सड़क पर है। तीन फीट

(श्री कौशलकिशोर जैन)

है एक तरफ और 10 फीट की गैलेरी छोड़ दी गई है। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा मेरी जनता सरकार को जिसने इस प्रकार के भ्रष्ट व्यक्ति को...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 8 महीने तक सही किया ?

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और अब भी कर रहा हूं, मेरे संशोधन में यह बात आई है कि 2 जनवरी को ही यह अध्यादेश निकालने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके बाद इतने दिन निकाले लेकिन माननीय सदस्य आपको मालूम है जनता सरकार ने 6 महीने में निर्णय ले लिया...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कुंभकरण की नींद सोई है जनता सरकार।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था माननीय मथुरादास जी माथुर साहब ने कहा माननीय पुरोहितजी गये श्रीमान मुख्य मंत्री महोदय के पास में। उस समय निवेदन कर रहा था, एक और मेम्बर थे कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री यशवन्त सिंहजी, भीलवाड़ा के जिस क्षेत्र के वे निवासी हैं, उस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि हूं। वे वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं उनसे अनेक बातों में शिक्षा मिलती है लेकिन 7 महीने वे कैसे रहे, कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष कैसे रहे...

श्री शंकरलाल (जैतारण) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, कल व्यवस्था दी थी कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य न हो, उसके बारें में चर्चा न की जाय। विषय हाउसिंग बोर्ड का चल रहा है और माननीय सदस्य कृषि विपणन बोर्ड पर आ गये। कृषि उपज मण्डी का विषय आ रहा है। वैसे ही सदन में समय की कमी है। मैं निवेदन करूंगा आप कोई व्यवस्था दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजनीति की चर्चा के बारे में आपके क्या विचार है ?

(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण जारी रखें, उलझन में न पड़ें।

श्री कौशलकिशोर जैन : द्वारकादास पुरोहित भी इस सदन के सदस्य नहीं है और जब हम उन पर चर्चा कर सकते हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता है कि वे चर्चा से क्यों रोक रहे हैं ?

मैं निवेदन कर रहा था श्री नाहर-साहब पधारे थे, तब बात आई थी पुरोहित जी के बारे में। इसलिये निवेदन कर रहा हूं आखिर वह 7 महीने कैसे रहे इस पद पर, इस पर विचार करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आरोप-प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं है।

मैं स्वागत करूंगा पहली बार राजस्थान आवासन बार्ड के अध्यक्ष इसप्रकार के व्यक्ति बने हैं जो व्यक्ति टैक्निकल आदमी है, जो कमानी इंजिनियरिंग के अन्दर चीफ इंजिनियर थे। कांग्रेस सरकार ने, उस

(श्री कौशलकिशोर जैन)
जालिम सरकार ने एक रात में उनको पकड़ कर जेल के सींखचों में बन्द कर दिया। 21 महीने वे बन्द रहे और मेरे साथ रहे इमर्जेंसी में उनको नौकरी से निकाल दिया गया...

श्री अब्दुल अजीज : यह क्वालीफिकेशन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जिस के सम्बन्ध में आरोप लगाते हैं, आसन को यह देखने का अधिकार है कि वास्तव में वे आरोप अनुचित हैं अथवा उचित है।

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं निवेदन कर रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच हजार रुपये उनको तनख्वाह मिलती थी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिजूल सदन का समय नष्ट करने से क्या मतलब ?

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय सदस्यों को इस बात पर आपत्ति है। यह गर्व की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी इस प्रकार के व्यक्ति को, जिसको टेक्निकल अनुभव है, जो कमानी इंजिनियरिंग में 20 साल से चीफ इंजीनियर के पद पर रहे है और जिन्होंने कमानी इंजीनियरिंग में कायाकल्प किया है, आवासन बोर्ड का चेयरमेन बना रहे है। मैं निवेदन करूंगा कि आवासन बोर्ड के अन्दर जो जो घोटाले हैं, अध्यक्ष महोदय, अगर समय हो तो मैं उन सारे घोटालों का जिक्र करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : आप पांच मिनट और बोलिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अपरोक्ष रूप से यह मतलब है कि आप बैठ जाइये।

श्री कौशलकिशोर जैन : पांच मिनट में नहीं दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सन्तुलित बातें होनी चाहिये, इधर से बातें आ जाय तो उधर से भी आनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : हाउसिंग बोर्ड का जो प्लान है...

श्री अध्यक्ष : आप सब जानते हैं कि अपन यहां से रोला मचाते थे....

(व्यवधान)

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री कौशलकिशोर जैन : हाउसिंग बोर्ड का जो प्लान है, उसमें कठिनाई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लाटरी सिस्टम से मकान किसको मिले। जिसका मकान नहीं राजस्थान के अन्दर, जो मकानविहीन है उस व्यक्ति को मकान मिले लाटरी के द्वारा मिले, यह बात अच्छी है। लेकिन लाटरी निकालने में क्या क्या होता है, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक एम. पी. महोदय, जो कांग्रेस के थे, मकान मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के एम. पी. थे इसका कोई सवाल नहीं है।

(श्री कौशलकिशोर जैन)

लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया कि किस कोटे में उनको मकान अलॉट किया गया है। इमर्जेन्सी में इनको मकान अलाट कर दिया क्योंकि कांग्रेस के एम. पी थे।

बहुत अच्छी बात है कि लाटरी निकालनी चाहिये। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब रजिस्ट्रेशन कराया तब हाउस की कीमत 32 हजार थी। किसी की लाटरी निकली नहीं है किन्तु उसकी कीमत 32 हजार से 54 हजार हो गयी, 65 हजार हो गयी। अध्यक्ष महोदय, यह ध्यान में रखना होगा कि जब रजिस्टर करा रहे हैं, उस समय क्या कीमत है ?

मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यू. आई. टी. डवलपमेंट करती है अपने आप नगरपालिका बिजली लगाती है, पानी के नल लगाती है लेकिन हाउसिंग बोर्ड में जो रजिस्टर कराते हैं नाम उनका एक दुर्भाग्य है कि उनको मकान के खर्चे के साथ सीमेन्ट चूने के साथ खर्चा देना पड़ता है पानी का, खर्चा देना पड़ता है बिजली का, खर्चा देना पड़ता है सड़क का। मजे की बात यह है कि हाउसिंग बोर्ड ने मकान बना दिये और एक बार सड़क बना दी लेकिन उसकी रिपेयर की गारन्टी नहीं कि रिपेयर कौन करेगा ? हाउसिंग बोर्ड ने बिजली लगा दी एक बार लेकिन उसके मेन्टीनेन्स की कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर ट्यूब लाइट फ्यूज हो गई तो कान बदलेगा, इसकी कोई गारन्टी नहीं। इसी तरह पानी के पाइप डाल दिये लेकिन उसकी रिपेयर्स की कोई गारन्टी नहीं। इनके लिये कोई जिम्मेदारी नहीं हाउसिंग बोर्ड की। बोर्ड ने एक बार पानी की टंकी बना दी। उसमें पानी नहीं आ रहा है तो यह हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी नगरपालिका भी लेने को तैयार नहीं है। यू आई टी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वह कहते हैं कि यह हाउसिंग बोर्ड का है। मैं निवेदन करूंगा कि इस दिक्कत को रिमूव करना आवश्यक है।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अन्त में मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तीन साल से परिवर्तन हुआ है, सरकार में परिवर्तन हुआ है तो इस हाउसिंग बोर्ड की कार्यवाही में भी ऐसा परिवर्तन करें कि आप दो करोड़, ढाई करोड़ लोगों को छाया प्रदान कर सके। छाया ऐसी नहीं हो जैसी हाउसिंग बोर्ड अब तक प्रदान करता रहा है। लोग वर्षा में भीगते हैं और गरमी में तपते हैं। मैं आशा करता हूं कि मकान लॉटरी से देकर, समय पर देकर सारी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने हाउसिंग बोर्ड में जो चेयरमैन लगाये हैं, वह योग्य, तपस्वी और

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ईमानदार व्यक्ति हैं। सारी परिस्थिति खराब हो जाने के बाद बहुत कठिनाई होने के बाद भी अधिकांश समय उनके साथ ही रहा हूं जो कि कमानी इन्डस्ट्रीज में इन्जीनियर रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में जो जेल में रहे हैं ऐसे व्यक्ति का हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन पद के लिए चयन किया है, यह हाउसिंग बोर्ड का सदुपयोग करने की बात है। मैं, माननीय मन्त्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हुकमानी जी का उन्होंने चयन किया है। हाउसिंग बोर्ड का उद्देश्य यह है कि वह अल्प वेतन भोगी लोगों को आसान किश्तों में मकान उपलब्ध कराये। हाउसिंग बोर्ड का उद्देश्य तो यह है मगर दुर्भाग्य यह है कि लोगों को जो किश्तों पर मकान मिल रहे हैं उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगता है जबकि राज्य सरकार का 7% ब्याज है। हाउसिंग बोर्ड मण्डल या कमण्डल कहना चाहिये...।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी ने हाउसिंग बोर्ड का आवासन मण्डल से कमण्डल नाम रख दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह नाम नहीं लेता हूं। कमण्डल इसलिए कह दिया क्योंकि इसको इस प्रकार का बना दिया गया है। इससे कुछ लोगों को लाभ हुआ है लेकिन गरीब और अल्प वेतनभोगी लोगों को लाभ नहीं हुआ है। हाउसिंग बोर्ड की अकर्मण्यता के कारण कच्ची बस्ति[illegible] बढ़ी हैं और कृषि की जमीन पर लोगों [illegible] बनाये हैं जहां कि पानी भरता है [illegible] को कहा गया था कि तुमको [illegible] निर्माण योजना में मकान [illegible]

गांधी गृह निर्माण योजना में मकान दे देते तो यह लोग कच्ची बस्तियों में क्यों जाते? ऐसे पिछड़े क्षेत्र है जहां पानी नहीं, बिजली नहीं और सड़क नहीं। मकानों की कमी तो है ही। हाउसिंग बोर्ड डवलपमेंट चार्जेज की कीमत भी लेती है। स्कूल, पानी और डिस्पेन्सरी की वह व्यवस्था करेंगे इसलिए डवलपमेंट के चार्जेज भी वह दें, जबकि मकानों की कीमत ढाई गुनी हो गई है। जवाहर नगर कालोनी का विकास होना चाहिये। वहां पर हॉस्पिटल, डिस्पेन्सरी, स्कूल बनायें। जो बनाये हैं, वे अधूरे पड़े हैं जबकि उसके चार्जेज दे दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मकान पूरे हुए नहीं, फिर भी किश्तें चालू हो गईं। मेरे मूल प्रश्न का मन्त्री महोदय उत्तर दें कि राजस्थान में कौन-कौन सी स्कीम चल रही हैं? मकान देने की क्या व्यवस्था है?

यह दुर्भाग्य की बात है कि जब रजिस्ट्रेशन होगा तब तो कम कीमत होगी और जब मिलेगा तो ढाई गुनी कीमत होगी। हमारी मांग है कि जिस वक्त रजिस्ट्रेशन करते हैं उस वक्त जो कीमत हो उसी कीमत में मकान मिलना चाहिए। E

पत्रकारों के दो भेद कर दिये है। मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण पत्रकारों को समान रूप से मकान दिये जायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के माननीय सदस्य मारे मारे फिरते हैं। 5 साल में एक एम. एल. ए. मकान बना लेगा तो हमारे लिए तो वह जयपुर का वोटर बन जाएगा। मेरा निवेदन है कि 10 वर्ष में जो गड़बड़ हुई है उसका [illegible] के लिए विधायकों की एक

Page No. 160

(160)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

एक दुर्भाग्य हाउसिंग बोर्ड का यह है कि उसके इंजिनियर एक ओर हैं और प्रशासन एक ओर है। इस कारण हाउसिंग बोर्ड भली प्रकार काम नहीं कर पा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हाउसिंग बोर्ड भली प्रकार से काम कर सके। गान्धी गृह निर्माण योजना में क्या हुआ है। अन्य विभागों के साथ में इसका तालमेल नहीं है। एक मूल मांग यह है कि विभागों की सलाहकार समिति बनाई जाये जिसमें सभी विभागों के सदस्य हों जिससे कि विभिन्न विभागों के सदस्य बैठकर आपस में बात कर लें। उनकी सलाह से व्यवस्था करली जाये। मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में वह सोच समझ कर घोषणा करें। हाउसिंग बोर्ड के लक्ष्य को पूरा करने पर हम को जरूर बल देना चाहिए। 1973 में आवासन बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया। कहा गया कि कुछ वर्षों में मकान दे दिया जाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

16 हजार व्यक्तियों के नाम दर्ज कराये थे। तीन चार हजार ने वापस ले लिये। अभी भी 12 हजार प्रतीक्षा में है 1977 निकल गया, अब 1978 है जवाब दिया जा रहा है कि दो वर्ष में मकान दे दिये जायेंगे। मुझे आज भी शक है। माननीय मन्त्री जी जवाब दें तब होश-हवास में कहें कि मकान मिल जायेंगे या नहीं और मकान मिल जायेंगे तो कब तक? अभी तो जमीन ही नहीं मिली। इसके लिए एक समन्वय समिति बनवाई जानी चाहिए। उसमें यू. आई. टी., जिसकी भूमि है, का भी एक मेम्बर हो तो निश्चित रूप में दो वर्ष में मकान बन सकेंगे। दिल्ली में भी पचास हजार मकान बनाने की घोषणा की।

मेरा निवेदन करना है कि यह सारी बातें नहीं हुई है और टालमटोल की नीति चल रही है, इससे काम चलने वाला नहीं है। पांच वर्ष तक रकम पड़ी रहे तो आप ब्याज क्या देते हैं। 6 पर्सेन्ट आप ब्याज देते हैं। इतनी रकम अगर बैंक में भी पड़ी रहे तो 10 पर्सेन्ट ब्याज मिलता है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की रकम भी बहुत ज्यादा है।

अन्तिम सुझाव मेरा यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहु मन्जिल मकान बनाये जाये। मुख्य मन्त्री जी ने अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत यह घोषणा की है कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक परिवार के रहने के लिए हम मकान बनाना चाहते हैं, इसके लिए इस योजना को एक्जीक्यूट करना चाहिये। इसके लिए गांव-गांव का और सम्पूर्ण राजस्थान का सर्वे कराया जाना चाहिये कि कहां पर कौन चीज उपलब्ध है जहां भी उपयुक्त रा-मेटीरियल उपलब्ध हो, उसका सदुपयोग करके गांव-गांव मे मकान बनाये जाने चाहिये और हाउसिंग बोर्ड को यह काम सौंपना चाहिए। कच्ची बस्तियों के अन्दर मकान बनाने का काम और गांवों में भी मक[illegible]नाने का काम हाउसिंग बोर्ड को [illegible]ाहिए तभी सुन्दर-सुन्दर मकान [illegible]ल सकेंगे। जनता पार्टी के [illegible] यह कहा गया है कि पार्टी [illegible] की समस्या का समाधान

(मा[illegible]

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
करेगी, मैं समझता हूं कि अगर यह काम पूरा कर सकेगी तो जनता की आकांक्षा, जिसके कारण हमको वोट मिले हैं, हम पूरा कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर।

(व्यवधान)

आपको अभी समय देता हूं, वक्तव्य होने के बाद।

शासकीय वक्तव्य
ग्राम मोल्या कोटा में 4 अप्रेल, 1978 को हुई डकैती

श्री सम्पतराम (गृहमन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4-4-78 को शाम को ग्राम मौल्या कोटा, जो कि करौली कैला देवी मार्ग पर करौली से 12 कि. मीटर दूर ग्राम पड़ता है, में सशस्त्र डाकुओं ने डाका डाला। पहले उन्होंने जगमोहन सुनार की दुकान को लूटा एवं फिर मुरारी महाजन के घर में घुसकर उसके मकान को लूटा। मुरारी महाजन की स्त्री छत पर भागी जिस पर डाकुओं ने गोली चलाई। उसकी स्त्री घायल हो गई। इसके पश्चात डाकू गांव से भाग गए। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और डाकुओं का पीछा किया।

दिनांक 5-4-78 को सवेरे डाकुओं से 3 बजे काकरडा का नाला धांधूरेत की खानों में खुली जगह में मुकाबला हुआ जिसमें एक डाकू पकड़ा गया। दो बारह बोर के कट्टे, दो टोपीदार लोडिंग बन्दूकें बरामद कीं। बाकी डाकू जो करीब 6-7 थे, डकैती का पूरा माल छोड़कर भाग गये। पूरा माल पुलिस ने बरामद कर लिया।

माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा कि इस वारदात में पुलिस द्वारा अविलम्ब एवं दृढ संकल्प से कार्यवाही की गई जिससे पूर्ण माल बरामद होने के साथ एक डाकू पकड़ा गया एवं हथियार भी बरामद किये गये। पुलिस ऐसे मामलों में इस प्रकार सजग एवं सक्रिय रहेगी।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय गृह मन्त्रीजी, इसके पहले भी परसों कुछ डाकुओं का पकड़ा गया है।

श्री सम्पतराम : हां इससे पहले भी पकड़े गये हैं।

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1978 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। यह बात ठीक है कि फरवरी, 70 को हाउसिंग बोर्ड का गठन किया गया। एक कमेटी की सिफारिश पर इसका गठन हुआ क्योंकि आवास की समस्या थी। जयपुर में कितनी भयंकर आवास का समस्या है, इसकी ओर पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों को उचित किराये पर मकान नहीं मिल रहे थे, लोग दुखी थे, मकान मालिकों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के गलत रवैये के कारण। उनकी लैट्रिन बन्द कर दी जाती थी, बिजली काट दी जाती थी। घरों में चैन से नहीं रह सकते थे इस कारण लोगों ने एक्रोचमेन्ट किया लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। कुछ बस्तियों को बसाने की बात की गई लेकिन इनको नहीं बसाया गया। इनका नक्शा दे दिया, पट्टे दे दिये लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचा, न यू. आई. टी. और न म्युनिसिपैलिटी। लोगों के पैसे जमा है, दस-दस साल हो गये, लोग दुखी हैं। फिर लोगो ने भोंपू का आवाज सुनी कि कोई मकान देने वाली संस्था का निर्माण हुआ है। लोगों में आशा जागृत हुई कि हमको मकान मिलेगे। जब श्री देवीशंकरजी तिवारी यू. आई. टी. के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक रुपये का फार्म जमा कराने की स्कीम चालू की, वह भी फेल हुई, इसके बाद यू. आई. टी. ने स्कीम चलाई, वह स्कीम भी फेल हो गई। उसके बाद लोगों को आशा बँधी कि आवासन बोर्ड का निर्माण हुआ है इसके द्वारा मकान मिलेंगे। मैंने भी 1973 में 500 रुपये जमा कराये थे। कई बार लाटरी खुली लेकिन आज तक कोई मकान नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल मेरी समस्या नहीं है, इसका समाधान होना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों को अब तक मकान नहीं मिल सके। जिन लोगों को मकान मिले उन्होंने तीन-चार सौ रुपये पर किराये पर उठा दिये और खुद पुराने मकानों में रह रहे हैं, सस्ते किराये पर रह रहे हैं और हाउसिंग बोर्ड का किराया तीन-चार सौ रुपये कमा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस पर कोई अंकुश लगना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। मुझे आशा है कि इसमें अच्छे और योग्य व्यक्तियों को लिया जायेगा। अब तक जो गलत व्यवस्था पिछली सरकार ने की उसमें परिवर्तन लाया जायेगा। अखबारों में यह भी पढ़ने को मिला है कि एक साल में एक लाख मकान बनाकर दिये जायेंगे, लेकिन पिछले 12 हजार की लिस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है। निश्चित रूप से यह मालूम होना चाहिए कि आवासन बोर्ड कितनी जल्दी कितने मकान बनाकर देगा जिससे लोगों की आवासन समस्या का समाधान हो सके।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग का सारा काम अन्य सस्थाओं के द्वारा नहीं बल्कि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कराया जाना चाहिए। अन्य संस्थाओं से जो सहयोग है, मास्टर प्लान के द्वारा स्वीकृत स्थानों पर और को-ऑर्डिनेशन के द्वारा अन्य स्थानों की योजना बनाई जानी चाहिए। अगर आप इस तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे तो वह स्कीम फेल हो जायगी। इसमें अच्छे इन्जिनियर्स को मौका देना चाहिए। यह भी नहीं होना चाहिए कि मकान अलॉट हो गया, और अलॉटीज लोग उसमें रह नहीं रहे हैं। उनको सही मकान मिलने चाहिए, यह देखना चाहिये कि जिस तरह की मजबूती मकानों की होनी चाहिए वह है या नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आवासन मन्त्री जो जयपुर के निवासी हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि यहां की

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
आवास की समस्या कितनी भयंकर है। वे वकील भी हैं, वे जानते हैं कि 99 पर्सेन्ट केसेज किरायेदारों और मकान मालिकों के झगड़े के हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, इसलिए निवेदन करना चाहूंगी, जयपुर में और किरायेदारों······

श्री नवनीतकुमार पालीवाल : संक्षेप में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अच्छा, हम अनुशासन में रहे हैं, अनुशासन में ही रहेंगे।

अजमेर में स्कीम बनी, वैशाली नगर की। आना सागर का वहां पानी भरा हुआ है।

इसी तरह से कोटा, जोधपुर और दूसरी जगह जहां कालोनीज बनी हैं, वहां कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले। पिछली सरकार तो लीपापोती कर गई, अब अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए। गांधी गृह की योजना बनी, उसके अच्छे परिणाम नहीं आए और अभी तक गांधी गृह उपलब्ध भी नहीं कराए गए। ये गृह गरीब लोगों को कम पैसे में उपलब्ध कराये जायें।

जैसलमेर जैसे इलाके में जो मैटीरियल उपलब्ध हो, वहां अन्य जगह से मैटीरियल न लाकर वहीं का पत्थर व लकड़ी इस्तेमाल करें। सस्ते माल उपलब्ध कराये जाने की योजना होनी चाहिए। इसका विशेष अध्ययन करें खास तौर से मरुस्थल का। वहां झोंपड़ी में भी रह सकते हैं लेकिन अन्दर सुविधा सम्पन्न मकान हों, इस तरह की योजना मन्त्री महोदय बनाएं, ताकि लोगों को सुविधा मिले।

मेरे पास एक व्यक्ति रोते हुए आए कि मेरी लाटरी निकल गई मकान मिल गया। मैंने कहा, फिर क्या समस्या रह गई? कहने लगे, जो मकान मिला, उसका 6 साल सरकार किराया ले चुकी है। मुझे पुराना मकान दिया, अब मुझसे ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है, यह अन्याय है। ऐसे मामलों में नये मकान दिये जायं।

पिछले दिनों सरकार को मकान चाहिये थे। हाई कोर्ट के जज, अधिकारी व कर्मचारी आए थे, उनको मकान देने की योजना सरकार को बनानी चाहिए थी...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारे प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। जिन आवंटियों ने अपने घर के जेवर बेचकर मकान लिए होंगे पता नहीं किस तरह से पैसा दिया गया उन्होंने कहा ये मकान हमारे हैं लेकिन अधिकारियों ने उनको धमकी दी कि 24 घन्टे में मकान खाली कर दो, हमको मकान चाहिए। आज कोई समझ बैठे कि यह मेरा घर है और उसको निकाल दिया जाए 24 घन्टे में, यह सरासर अन्याय है। सरकार दूसरी व्यवस्था कर सकती थी, आवन्टी दर दर मारे-मारे फिरे। बड़ी मुश्किल से कार्यवाही को रोका गया। उस समय चुनाव चल रहे थे। इस तरह से जो वहां रह रहे हैं उनको संरक्षण प्राप्त होना चाहिये। सरकार के हाथ लम्बे हैं वह तो कहीं से भी मकान ले सकती है।

ये जो कुछ गलतियां पिछली सरकार ने की हैं वह अब न हों। अच्छे मकान,

(श्रीमती उजला अरोडा)

सुविधा सम्पन्न उपलब्ध हों और प्रत्येक नगर में योजनाबद्ध तरीके से योजनायें बनाकर आवास समस्या हल की जाए।

अन्त्योदय योजना शुरू हो गई है। गांवों में भी मकान बनाने की योजना है, जिनके अपने मकान नहीं है उनको बोर्ड मकान बनाकर दे। मुझे आशा है, बोर्ड इस काम को हाथ में लेगा। हमारी सरकार उसके लिए भी योजना बनाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री ईश्वर चंद।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात रख रहा हूं। आवासन व्यवस्था ऐसे आदमियों के लिए जरूरी······

(6.54 सायं)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पदासीन)

है जो अपनी जिन्दगी में मकान नहीं बना सकते, ऐसे लोगों के लिए मकान बनाने की योजना है जिनकी आय कम है। इसका मतलब यह नहीं कि जो मकान उनको दिया जाए वह कैसा भी हो अब तक राजस्थान में जहां कहीं भी बोर्ड के मकान बने हैं उनमें निम्न क्वालिटी के मैटीरियल काम में लिया गया है,. वे जल्दी गिर जाते हैं। बोर्ड के तहत बने मकान गफूर भवन निर्माण समिति उदयपुर, भादविया कन्सट्रक्शन क., उदयपुर अजमेर की कम्पनी द्वारा बनाए गए, वे मकान बनने से पूर्व ही समाप्त हो गए। तत्कालीन सरकार के समय पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर कमीशन देने की चेन बनी हुई थी, मकान अच्छे बने इसको कोई नहीं देखता था। ठेकेदार बी. एस. आर. रेट के नीचे ठेका लेकर कमीशन बांटते हैं। सारे पी. डब्ल्यू. डी. में भी कमीशन बांटता है उसके बाद भी लाखों रुपए ठेकेदार कमाता है। मैंने पी. डब्ल्यू. डी. की मांग पर भी निवेदन किया था कि जो ठेके पर काम दिये जाते हैं उन पर सार्वजनिक भवनों एवं सड़कों के काम दिये जाते हैं उनमें प्रयुक्त सामग्री की जांच विशेष कमेटी करे जिसमें विधान सभा के माननीय सदस्य भी शामिल हों।

बोर्ड किश्तों में मकान देता है, किसी से उधार लाने का मतलब यह तो नहीं है कि उधार देने वाला उधार लेने वाले की मजबूरी का लाभ उठाये। ऐसे लोगों जो मकान बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं से मनमाने ढंग से पैसा वसूल किया जाए या वैसे ही मकान बना कर दे दिया जाए, मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा।

तत्कालीन जो व्यवस्था थी सरकार की उसमें जनता सरकार सुधार करे। अब जो नया अध्यक्ष मंडल का बनाया है उसमें काम करने की इच्छा है। टेक्निकल हैड को अध्यक्ष बनाकर मंडल में सुधार करने की प्रक्रिया अपनाई गई है यह निश्चित है कि जो पिछली सरकार ने गलतियां की हैं वे यह सरकार नहीं करेगी। इसकी शुरुआत नए अध्यक्ष की नियुक्ति से की है।

किन्हीं कारणों से बोर्ड की कार्यवाही से 3 वर्ष का समय लग जाता है इस कारण मकान लेने वाले पर तीन साल का ब्याज लगाकर किश्त तय की जाती है। जनता

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सरकार 5-6 माह में सारी कार्यवाही पूर्ण कर मकान उपलब्ध कराये। क्योंकि नगर कालोनी के मकान तीन साल से खाली पड़े हैं। कांग्रेस सरकार की दोषपूर्ण व्यवस्था को जनता सरकार हटाए। बहुत समय लगने से जो 30 हजार का मकान है उसके 60 हजार रुपए लग जाते हैं। जनता सरकार ने अच्छे मकान बनाने की गारंटी दी है।

बोर्ड में प्रशासनिक खर्चा अधिक है, 12 प्रतिशत है, यह सारा भार गरीबों पर पड़ता है। यह खर्चा कम हो जिससे जनता सरकार के कहने और करने में अन्तर न हो।

इसके अलावा मकानों की लागत पर 8 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से वसूल किया जाना चाहिए। 8.97 प्रतिशत प्रति माह आना चाहिए उसके स्थान पर 9.56 प्रतिशत आता है 15 वर्ष की किश्तों के ऊपर कांग्रेस सरकार की, आपाधापी बंद होनी चाहिए। इसके अलावा 5 प्रतिशत हायर पर्चेज डिपोजिट पर ब्याज नहीं देते जो 15 वर्ष के लिए पैसा रखा जाता है उस पर वही ब्याज होना चाहिए।

हाउसिंग एण्ड अर्बन डवलपमेंट कार्पोरेशन की तरफ से निश्चित रेट्स पर मकान मुहैय्या कराने की बोर्ड की गारंटी है। लेकिन राजस्थान में बोर्ड अधिक कीमत पर मकान देता है। मकान उसी कीमत पर दिया जाए जो हुडको द्वारा निर्धारित हों। बोर्ड की जो कालोनीज हैं वहां पर सारी सुविधायें उपलब्ध कराये। इसके अलावा तीन तीन साल तक मकान खाली रहने से कीमत डबल हो जाती है। इतने समय तक मकान खाली नहीं रहने चाहिए।

मकानों में जो मैटीरियल काम में लिया जाता है वह बिल्कुल ऐसा काम में लिया जाता है मानों मकान किसी को धर्मादे में दिया जा रहा है। मकान के बनाने में प्रयुक्त सामग्री पर किसी का नियंत्रण नहीं, कोई कहने वाला नहीं।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर !

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह बिश्नोई !

(अनुपस्थित)

श्री रामरघुनाथ चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री नवरंगसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। वैसे तो, सभापति महोदय, जो बिल सदन में लाया गया है वह सिर्फ इसलिए लाया गया है कि जनता पार्टी की सरकार द्वारा अपने चहेते को हाउसिंग बोर्ड का चेअरमैन बनाने के लिए एवं बार्ड

(श्री शंकरलाल)

के सदस्य अपनी ही पार्टी के लोगों को बनाने के लिए ही पुराने हाउसिंग बोर्ड को भंग किया गया है। जहां तक यह सवाल है सभापति महोदय, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का चेअरमैन कौन बने है और हाउसिंग बोर्ड के सदस्य कौन बने हैं, किस प्रकार के बने हैं उसके बारे में तो मैं जानना नहीं चाहूंगा क्योंकि इससे जनता को कोई मतलब नहीं हैं। मैंने इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए निवेदन किया है, क्योंकि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु भेजने से हमें जनता के व्यूज का पता लग जायेगा। अच्छा होता, सभापति महोदय, प्रभारी मन्त्री इस बिल में ऐसा संशोधन लाते जिससे कि जनता को अधिक फायदा होता। अभी जो संशोधन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक्ट, 1970 के अन्तर्गत लाये हैं वह जनता के हितों के लिए नहीं अपितु अपनी ही पार्टी के व्यक्ति को चेअरमैन बनाने के लिये है लाये, अगर प्रभारी मन्त्री महोदय इस एक्ट के अन्दर ऐसा अमेन्डमेंट लाते और हाउसिंग बोर्ड की एक्टीविटीज आगे क्या होने वाली है उनका जिक्र करते तो अच्छा होता। वरना आपके हाउसिंग बोर्ड का चेअरमैन कौन है, इसकी जनता को चिन्ता नहीं है। न ही जनता को इस बात की चिन्ता है कि इस बोर्ड के सदस्य कान कौन है? राजस्थान की आम जनता को तो यह चिन्ता है कि हाउसिंग बोर्ड की एक्टीविटीज क्या होंगी और आम जनता की जो आज आवास की समस्या है चाहे शहरों में हो, चाहे गांवों में हो, चाहे नगरों में है उसका समाधान कैसे होगा, इसके लिये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक्ट की धारा 33 में कोई संशोधन लाते या यह बताते कि कौन कौन सी स्कीम्स बोर्ड नहीं ला रहा तब तो जनता को कोई फायदा होता लेकिन वह तो किया ही नहीं गया है। अब बोर्ड के चेअरमैन हुकमानी साहब हो रहे हैं या कोई दूसरे व्यक्ति को बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। आपने जो बोर्ड में चेंजेज किये हैं उसके बारे में जनता का क्या विचार है वह तो इससे पता पड़ेगा नहीं। जनता को तो आवासीय व्यवस्था की सुविधा चाहिये। चूंकि जनता पार्टी सदन में और सदन के बाहर लोकतन्त्र की दुहाई बहुत ज्यादा देती है इसलिए मैंने इसकी घोषणा के अनुसार इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये संशोधन प्रस्ताव रखा है। अब राज्य सरकार ने श्री हुकमानी को चेयरमैन नियुक्त किया है वह कैसे आदमी हैं यह तो पता नहीं लेकिन यहां पर गिरधारीलालजी भार्गव साहब ने बताया कि वह जनसंघ के पुराने और आर. एस. एस. के पुराने अच्छे वर्कर रहे हैं। कोई भी हो उससे जनता को मतलब नहीं है लेकिन एक बार जब व्यक्ति किसी जनता के कन्सर्न के किसी कार्यालय में चला जाता है और उसमें उच्च पदाधिकारी बन जाता है तो उसका किसी भी पार्टी से एफिलियेशन रहना उचित बात नहीं। जैसे द्वारकादासजी पुरोहित पहले कांग्रेस के सदस्य थे पर जब वह हाउसिंग बोर्ड के चेअरमैन बने तो उन्होंने वहां कांग्रेस पार्टी के सदस्य की तरह काम नहीं किया अपितु राजनीति से ऊपर उठ कर उन्होंने काम किया। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर हुकमानी साहब जनसंघ और आर. एस. एस. से भले ही पहले एफीलियेटेड रहे हों लेकिन हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन होने के बाद में उनका वहां पर राजनीति से काम

(श्री शंकरलाल)

करना उचित नहीं रहेगा। वह चाहे जनसंघ, चाहे आर. एस. एस. के सक्रिय वर्कर रहे हों उसका हमको गिला नहीं है लेकिन अच्छा तो यह होगा वह वहां पर जनसंघ और आर. एस एस. की राजनीति वहां नहीं चलायें। वहां पर जो भी काम करें वह जनता के हित के लिये करें। मैं प्रभारी मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप हाउसिंग बोर्ड एक्ट की धारा 33 में तरमीम करने के लिये ध्यान दें। आज राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है आवास की। चाहे वह शहरों में हो चाहे गांवों में हो, चाहे नगरों में हो, चाहे शहरों की कच्ची बस्तियों की प्रॉबलम हो, चाहे एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट करके वहां मकान बनाने की हो। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीनें और प्लॉट मकान बनाने के लिये दिये गये थे वह आज जनता पार्टी का राज्य आने के बाद अधूरे ही पड़े हैं। कांग्रेस सरकार ने गांवों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जब प्लॉट अलॉट किये थे तो गांवों में हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये बना दी थीं। तीन सौ रुपया सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट की तरफ से उन लोगों को मिलता था और सौ रुपये वह अपने पास से मिलाते थे। उसके बाद में उनको एल. आई. सी. से मकान बनाने के लिये चार हजार रुपये लोन के मिल जाते थे। पर अब उसके लिये आपकी जनता पार्टी की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। बड़ी विकट समस्या आज उन लोगों के सामने हो रही है। उनके मकान अधूरे पड़े हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है कि आप उसकी ओर ध्यान दें।

इसके साथ साथ में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आज गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जो हैं उनको एक तरफ एम. आई. जी. एच. यानि मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत लोन सरकार द्वारा दिया जाता है और दूसरी ओर एल. आई. जी. एच. स्कीम के अन्तर्गत यानि लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को ऋण देती है। दूसरे डिपार्टमेंट में भी लोन दिया जाता है। और उन लोगों को जिस तरह मकान आदि बनाने की सुविधा है उसी तरह से मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस तरह की व्यवस्था हाउसिंग बोर्ड एक्ट में संशोधन करके करें जिससे कि लोगों को मकान मिल सकें। नहीं तो आज शहरों में, गांवों में नगरों में आवासीय व्यवस्था की बहुत भारी प्रोब्लम है। अब बोर्ड का आपने चेयरमैन बदल दिया या मेम्बर बदल दिए उससे लोगों के मन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रभारी मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जब वह इस पर हुई बहस का उत्तर दें तो मेरे इन प्रश्नों का जवाब जरूर दें कि उन्होंने हाउसिंग बोर्ड एक्ट में क्या संशोधन किया है या करने जा रहे हैं, जिससे कि शहरों में, गांवों में और नगरों में हाउसिंग प्रोब्लम और कठिनाइयां दूर हो सकेंगी। आप इसके लिए कुछ करेंगे तब तो हमें सन्तोष होगा, जनता को राहत मिलेगी

(श्री शंकरलाल)

अन्यथा आपके बोर्ड के कौन चेयरमेन हैं कौन सदस्य हैं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैंने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि आपने जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने ही व्यक्ति को चैयरमैन बनाकर बैठाया है और बोर्ड का सदस्य बनाकर बिठाया है उससे तो आपकी हाउसिंग प्रोब्लम सुधर नहीं सकती है। जनता में इससे आपकी इमेज खराब ही होगी। और राजस्थान में जो आज आवासीय समस्या बनी हुई है उसका हल नहीं हो सकेगा। इसलिए मैंने जो संशोधन मूव किया है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे उसको प्रस्तुत करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। भूतपूर्व आवासन बोर्ड के मन्त्री श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी ने कोटा में एक हाउसिंग बोर्ड की स्कीम आई है शायद उसमें एम. एल. एज. को प्राथमिकता दी जायेगी पर मुझे पता लगा, दाऊदयाल, उसमें मकान सीधे सीधे हाथ आना नहीं है क्योंकि एम. एल एज. को प्राथमिकता नहीं दी गई है। मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह राज्य सरकार ने एम एल.ए. बनते ही उनको गैस दे देने की व्यवस्था की है उसी तरह ऐसी व्यवस्था एम. एल. एज. के लिए होनी चाहिये कि ज्योंही एक मनुष्य एम. एल. ए. बने उसको मकान तो कम से कम प्रायारिटी में मिले। हमने पांच साल पहले मकान के लिए फार्म भरा था लेकिन आज तक मकान हमें हाउसिंग बोर्ड से नहीं मिला। गृहिणी सोचती होगी कि पति देव ने गैस तो दिला दी लेकिन मकान नहीं दिला पाये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: जिनकी पत्नि नहीं है उनके लिए कौन सोचता होगा।

श्री सभापति: लॉटरी की व्यवस्था है। पत्रकार वगैरहा को मिलती है उसी तरह से प्राथमिकता दी जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी: तो मेरा निवेदन है कि आप इस बिल में ऐसा संशोधन करें जिसमें कि एम. एल. एज. को प्रायोरिटी से मकान मिल जाये। जैसे कि हमें गैस के लिए आदेश मिला, हम गैस के दफ्तर में गये। वहां पर पूछा, आपका नाम? तो बताया, दाऊदयाल एम. एल. ए. तो उन्होंने फौरन नाम देखकर कहा कि आपको गैस मिल जावेगी। आपका नम्बर फलां है, आप गैस ले लें। इसी तरह आप हम एम. एल. एज पर दया करके एक्ट में संशोधन कर दें कि एम. एल एज. को हाउसिंग बोर्ड के मकानों में प्रायोरिटी मिलेगी और उनको तुरन्त पट्टा मकान का मिल जावेगा। आज गृहिणी सोचती होगी कि एम. एल. ए. हैं पर मकान नहीं।

श्री शंकरलाल: आप जनता की समस्याओं को क्यों नहीं देखते हैं। अपने ही मकान के बारे में संशोधन क्यों कराने की बात कह रहे हैं?

श्री सभापति : पहले खुद का सुधार होगा तभी तो जनता का सुधार होगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपका तो घर का मकान है ।

श्री शंकरलाल : मेरा कोई मकान नहीं है हाउसिंग बोर्ड का ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपका घर का मकान तो है ।

श्री शंकरलाल : आपको तकलीफ क्या है घर का मकान है तो ? सभापति महोदय, यह हाउस है यह खुद की पैरवी के लिए नहीं है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं अपनी खुद की पैरवी नहीं कर रहा हूं मैं तो ऐसे सौ माननीय सदस्यों की पैरवी कर रहा हूं जिनके पास मकान नहीं हैं । कोटा राजस्थान की एक औद्योगिक राजधानी है । कोटा की आबादी अगली सैंसस में 8 लाख की हो जावेगी लेकिन जिस तेजी से हाउसिंग बोर्ड का कार्य बढ़ना चाहिये वह नहीं बढ़ रहा है । हमें इस बात का गर्व है और फख्र है कि कोटा में बड़े ईमानदार आदमी इसमें रखे । मैं आपके सामने श्री भतीन का नाम लूंगा । 8 साल वहां रह कर भी उन्होंने अपना मकान नहीं बनाया और किराये के मकान में रह रहे हैं । मैं हाउसिंग बोर्ड के मकानों का देखने के लिए एक दफा गया । मेरे साथ बोर्ड के अधिकारी भी थे । एक मकान में क्रेक आया हुआ था । तो मैंने उन्हें कहा कि क्रेक क्यों आया ? यह पूंजीवाद में क्रेक आगया । मैंने उन्हें कहा कि आपाधापी बन्द करो, जो कांग्रेस की सरकार में लीपा पोती होती थी वह बन्द करो, यह अब नहीं चलने वाली है । वह जिम्मेदार अधिकारी था । कहने लगा, दाऊदयालजी साहब, ऊपर तक भ्रष्टाचार है । आपने तो हमें सरे आम, आम लोगों के सामने डांट दिया । भगवान के नाम पर इस तरह तो हमें सरे आम डांटो मत । यह बेईमानी तो ऊपर तक चलती है । मैंने उनसे पूछा कि आपके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, हाउसिंग बोर्ड के मन्त्री ललितकिशोर जी चतुर्वेदी, क्या वे पैसा खाते हैं ? कहने लगे कि नहीं खाते हैं । फिर पूछा कि हाउसिंग बोर्ड के चैयरमैन हैं द्वारकादास जी पुरोहित, क्या वे पैसा खाते हैं ? तो कहने लगे कि नहीं खाते । उनके नीचे के खाते हैं मैं नहीं कह सकता । ऊपर नहीं खाते हैं, तो नीचे क्यों खायें । मैंने कहा कि कोटा में मकान देखेंगे ता दर्द होगा । जो मकान बन रहे हैं कोटा में वे बहुत मंहगे हैं । कोई ऐसी योजना तय करें जैसी केन्द्रीय सरकार योजना चला रही है जिससे सस्ता मकान मिल सके । कोटा बड़ा मंहगा शहर होता चला जा रहा है । ऐसी कोई योजना सरकार तय करे जिससे कोटा में लोगों को सस्ता मकान सुलभ हो सके । पांच पांच साल से मकान नहीं मिल रहे हैं ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय,

संसार में जो जन्म लेता है उसकी प्रारम्भिक आवश्यकतायें होती हैं भोजन आवास और वस्त्र । उसकी इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति होना अत्यन्त आवश्यक होता है । देश

(श्री हीरालाल आर्य)

में ऐसे लाखों लोग हैं जो भूखे सोते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास पहिनने को वस्त्र नहीं हैं, जिनके पास रहने के लिए सिर्फ फर्श है, उस पर केवल छप्पर है लेकिन रहने के लिये कोई मकान नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास बंगले हैं और जो आराम से रहते हैं। इसके अलावा जो किराये के मकान होते हैं उनमें भी बहुत से लोग रहते हैं जिससे कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियां और बीमारियां फैलती हैं। आवास की कठिनाई को दूर करने के लिये राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई। पहले हाउसिंग कमेटी का निर्माण हुआ उसके बाद राजस्थान आवासन बोर्ड की स्थापना हुई। इसमें एक ही व्यक्ति का वर्षों तक चेयरमैन रहना मैं विवादास्पद मानता हूं। उनकी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती तो कोई बात होती। अभी जैसा सदन में वाद-विवाद हुआ उसमें जिन नये चेयरमैन की नियुक्ति की है उनकी, उनके गुणों की वास्तविक रूप से प्रशंसा की गई। मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से उनके गुणों की प्रशंसा की गई, उसके अनुरूप ही वे आवासन बोर्ड में काम करेंगे और टार्गेट को फुलफिल करेंगे।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना का मतलब ही ऐसे गरीब लोगों को, जिनके पास मकान नहीं हैं, जो अल्प वेतन भोगी हैं, सस्ती दर पर मकान उपलब्ध कराने का है लेकिन मकान उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है वह इस प्रकार की है कि कई सालों पैसा जमा कराने के बाद भी गरीबों को मकान नहीं मिलते। ऐसी एजेन्सी होनी चाहिये, जिससे पैसा जमा कराने के बाद उनको मकान मिल जाय।

जो मकान आवासन बोर्ड के बने हैं उनके बारे में भी कुछ शिकायतें हैं। जो मकान बने हैं वे भी कोई अच्छे नहीं बने हैं। उनकी मेन्टीनेन्स में बहुत जल्दी पैसा लगाना पड़ता है। मैटीरियल उनमें लगा है वह हल्का लगा है। यह भी कुछ लोगों ने बताया कि ठेकेदार कुछ अधिकारियों से मिल जाते हैं और प्रोपर देखभाल न होने से ऐसे मकान बनते हैं। मैं चाहता हूं कि मकान बनें वे अच्छे ढंग के बनने चाहिये। मकानों की जो कीमत है उसका ब्याज सरकारी दर पर होना चाहिये। 9 पर्सेन्ट ब्याज की अभी दर है वह पूरा किश्तें चुकाने पर बहुत अधिक हो जाता है। जो मकानों की कीमत है उसके साथ-साथ रोड्स, अस्पताल, स्कूल आदि की भी कीमत मकानों को खरीदने वालों से वसूल की जाती है। इतनी वसूली के बाद भी उनका मैन्टीनेन्स नहीं होता है तथा खराब ही रहते हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में कह रहा हूं। यह हाउसिंग की समस्या केवल शहरों में ही नहीं है किन्तु गांवों में भी है। इसलिए गांवों में भी मकान बनाये जाने चाहिये। इतनी बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री हजारीमल !

(अनुपस्थित)

श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी : नहीं बोलना चाहता।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

जो संशोधन बिल लाया गया है उस पर सब ही माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें बताई हैं। मैं तो एक दो बात ही निवेदन करना चाहता हूं। 1970 तक 1200 रु. सेलेरी पाने वाले अधिकारी के जो अधिकार थे वह अधिकार इस विधेयक में 1650 रु. सेलेरी पाने वाले अधिकारियों तक को दे दिये हैं। इस प्रकार से अधिकारियों को वाइड पावर्स दे दी हैं। वे मर्जी चाहेंगे उसकी नियुक्ति करेंगे। मूल वेतन में वृद्धि करना आवश्यक था तो उसको दूसरे रूप में रखते। मेरा निवेदन है कि जितनी भर्ती हो उसके लिये सर्विस कमीशन अलग से स्थापित कर दिया जाय। नियुक्ति के लिये चयन उस कमीशन से हो जिससे भ्रष्टाचार न फैले।

इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा कि रूरल एरिया के लिए भी हाउसिंग बोर्ड काम करना चाहिए। विशेष रूप से मैं किशनगढ़ के बारे में कहना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल अजीज।

(अनुपस्थित)

श्रीमती नारंगी देवी।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

सभापति जी, राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1978 की धारा 14 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत जो वेतनमान 1200 था उसको 1650 तक बढ़ाया गया है, वह ठीक है। महोदय, चेयरमैन का वेतन 1650 किया गया है, यह बहुत कम है उनके उत्तरदायित्वों को देखते हुए। मैं चाहूंगी कि चेयरमैन के वेतन को बढ़ाया जाये। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह जरूरी था कि जन कल्याण हेतु आवासन बोर्ड में जो चेयरमैन राज्य सरकार अपनी नीति के अनुरूप बनाती है इसमें चेंज करना अति आवश्यक था। इस अधिकार का उपयोग करके कई सदस्यों को हटाया गया और चेयरमैन भी हटाये गये हैं। श्रीमान्, जनता पार्टी का यह कदम बहुत ही सराहनीय है।

महोदय, रोटी, कपड़ा और मकान मानव का प्रथम मूलभूत अधिकार है इसके लिए अधिक से अधिक मकान हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाये जायें। हाउसिंग बोर्ड इसकी व्यवस्था करे लेकिन आज

(श्रीमती नारंगीदेवी)

के समय में हाउसिंग एक सोशल प्राब्लम है। हाउसिंग के लिये बेसिक असेंसियलिटी रॉमेटीरियल, लैण्ड है किन्तु लैण्ड इतनी नहीं है कि प्रत्येक आदमी को मकान मिल सके। शहर में चारों ओर सफोकेशन रहता है। मेरा सुझाव है कि बड़े बड़े आदमियों के मकान शहर से दूर बनाये जायें और छोटे छोटे प्लाट्स करके गरीब लोगों को शहर के नजदीक बसाया जाये ताकि उनकी आवश्यकतायें पूरी हो सकें। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो मकान बनाये गये हैं वह बहुत बड़े लोगों को और पैसे वालों को मिले हैं और अल्प आय वालों को नहीं मिले। जब श्री गुलाब सिंह जी शक्तावत हाउसिंग मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि :

"Shri Gulab Singh Shaktawat, Housing Minister had said that suitable land will be made available to the Board for constructing colonies for poor masses. The Government of Rajasthan will give impetus to the activities of Rajasthan Housing Board."

महोदय, राजस्थान के विभिन्न शहरों में हाउसिंग बाेर्ड द्वारा मकान बनाये गये। अच्छे रिहायशी मकानों के स्थलों के अभाव में और अजमेर में आवास उपलब्धि के अभाव के कारण पैसे की कमी और ब्यूरोक्रेटिक बाटलनेक्स के होते हुए भी वैशाली नगर योजना और दूसरी योजना में 1,200 मकानों का निर्माण हुआ। उन पर करीब 27 करोड़ रुपया भी खर्च हुआ लेकिन वह मकान बरसात में चूते हैं। उन मकानों में दरारें हैं और कहीं कहीं से टूट भी गये हैं।

हाउसिंग बोर्ड की सारी व्यवस्था चैक एण्ड बलेन्स के ऊपर डिपेण्ड करती है। इस बोर्ड में फाइनेन्स कमिश्नर, चीफ टाउन प्लानर एण्ड आर्कीटेक्चरल एडवाइजर और हाउसिंग कमिश्नर होते हैं। जब इन सब में समन्वय होगा तभी कार्य भली भांति हो सकता है। यदि चैक एण्ड बलेन्स नहीं होगा तो पैसों का दुरुपयोग होगा और चारों ओर घोटाला ही घोटाला होगा। यदि एक्ट के प्रोवीजन्स के अनुरूप कार्य किया जायेगा तो प्रेक्टिकल कम नजर आयेगा और थ्योरेटिकल ज्यादा नजर आयेगा परन्तु अच्छी व्यवस्था के लिए चैक एण्ड बलेन्स जरूरी है।

महोदय, जन कल्याण हेतु हाउसिंग कालोनी बनाने के साथ साथ बेसिक एमेनिटीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जैसे स्कूल, पार्क, क्रीड़ा स्थल, डिस्पेन्सरी, मार्केट, प्रसूति गृह, हैल्थ सेन्टर, मनोरंजन केन्द्र, पैट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन, नर्सिंग होम, शापिंग सेन्टर। इनकी भी कालोनीज के अन्दर पूर्णरूपेण व्यवस्था होनी चाहिए। यद्यपि हाउसिंग बोर्ड इसके लिए स्थान तो छोड़ देता है लेकिन इनकी क्रियान्विति में काफी समय लग जाता है। कभी कभी पार्कों को शौच आदि के काम में लाकर उनका दुरुपयोग किया जाता है। अतः मेरा सुझाव है कि हाउसिंग बोर्ड को भूमि उपलब्ध कराते वक्त कल्याण कार्यों में आने वाले भूखण्ड भी साथ में देने चाहिए और प्राइवेट संस्थाओं को ऐसे भूखण्ड दिये जायें जो अपनी आर्थिक

(श्रीमती नारंगी देवी)
सहायता से ऐसे स्थलों का विकास कर सकें।

महोदय, जयपुर में क्लार्क्स आम्बेर होटल के सामने 400 एकड़ जमीन का स्थानान्तरण अभी तक विभाग को नहीं किया गया जिसको शीघ्र कराया जाना चाहिए। अक्सर यह देखा गया है कि हाउसिंग बोर्ड को अच्छी जमीनें मकान आदि बनाने के लिए उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं और यू. आई. टी. को अच्छी से अच्छी जमीन दी जाती हैं। यू.आई. टी. उसके अच्छे पैसे बटोरती है। इससे गरीब जनता को कोई लाभ नहीं होता है।

महोदय नगर परिषद् और यू. आई. टी. दोनों में कोआर्डिनेशन होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि एक जयपुर डवलपमेंट आथोरिटी का गठन किया जाना चाहिए। ऐसी ओथोरिटीज की स्थापना और राज्यों में भी है। जब यह ओथोरिटी बने तो वह बस्तियों में खास तौर से ट्रैफिक, नैरो बाई लैन्स, कम्पलीट क्लीनलीनेस आदि बातों का ध्यान रखे। इसके अलावा क्लोथ मार्केट और सब्जी मण्डी भी होनी चाहिए। मिल्क बूथ, रोड्स, गलियां, बिजली, अण्डर ग्राउन्ड सीवर लाइन और दूसरी सिविक एमेनिटीज आदि की व्यवस्था हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनीज में होनी चाहिए।

महोदय, बांसवाड़ा में माही बजाज सागर के पुनर्वास में खांदू कालोनी बनाई गई लेकिन उसमें मकान ठीक नहीं बने। सागवाड़ा के पास गलियाकोट पुनर्वास की कालोनी के मकान जो बनाये गये हैं वह गत वर्ष हवा में उखड़ गए। वहां पर लोग झोंपड़े बनाकर रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको रेगुलेराइज किया जाये।

शहरों में बहुत कुछ होता है, मेरा निवेदन है कि गांवों के लिए भी हाउसिंग बोर्ड की व्यवस्था हो जिससे गांव के लोगों को सस्ते से सस्ते मकान उपलब्ध कराये जा सकें। यहां जयपुर में नाहरी-के-नाके एवं अन्य स्थानों पर कब्जा देने के बाद प्लाट देने के 9 वर्षों बाद मकानों को अनआथोराइज्ड घोषित कर उन्हें तोड़ दिया गया। इससे गरीब लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यह गलत चीज है। उन्होंने जब प्लाट खरीदा तो 3 रुपये पर स्क्वा. मीटर के हिसाब से खरीदा था और आज 12 वर्ष के बाद भी 9 रुपये पर स्क्वा. मीटर ले रहे हैं तो यह बहुत गलत चीज है। इसलिए मैं चाहूंगी कि हाउसिंग बोर्ड जनता को सस्ते भाव पर मकान दे और मंहगे मकान नहीं हों। यही कह कर समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1978 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में प्रस्तुत करे

सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड के मकान साधारणतः वही व्यक्ति लेता है जिसकी आय इतनी कम है कि वह अपने बलबूते के आधार पर मकान नहीं बना सकता। ऐसे अल्पआय गरीब

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

व्यक्तियों ने आशा और विश्वास के साथ मकानों को लेने का प्रयास किया। मैं थाड़ा उदयपुर के बारे में कहूंगा, वहां बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसे गरीब आदमी जब 5 मील दूर जाकर शहर के कोने पर बसते हैं तो वहां न तो हॉस्पिटल की सुविधा है, न बच्चों के पढ़ने का कोई स्कूल है न किसी प्रकार का पोस्ट ऑफिस है और न आने जाने के लिए वाहन की सुविधा है। ऐसे स्थानों पर बसाने के पहले जो प्रारम्भिक जीवन की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हाउसिंग बोर्ड को करनी चाहिये थी। मेरी यह मांग है कि इस प्रकार के जो अल्प वेतन प्राप्त करने वाले लोग हैं, मकान बनाना उनके बूते के बाहर की बात है। वह पांच रुपये काट कर उदयपुर के जनरल हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते। इसलिए यह अत्यावश्यक बात थी जिसको हमें करना चाहिए था।

समय कम होने के कारण मैं अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन मैं अपनी ही बात कहना चाहता हूं। सन् 1971 में जिन लोगों ने अपना पंजीकरण कराया था, बड़े आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति को 110 रुपये की किश्त पर मकान मिला और दूसरे व्यक्ति को 175 रुपये और 190 रुपये की किश्त पर वही मकान, उसी कालोनी में वैसा ही मकान मिला जब कि वह मकान एक ही समय में बनाये गये थे।

मकानों की बनावट के बारे में पहले कह दिया गया है ज्यादा नहीं कहना चाहता। वहां जो नालियां बनाई गई हैं वह 6 फीट गहरी हैं और उनकी चौड़ाई एक फीट की है। उसमें कई बार बच्चे गिर जाते हैं जिनको निकालना मुश्किल हो जाता है। एक बार तो गाय गिर गई और मरने के बाद ही उसे निकाला जा सका। ऐसी प्लानिंग है हमारी। ऐसे योग्य व्यक्तियों के हाथों में हमारा यह हाउसिंग बोर्ड रहा है।

इतना ही नहीं मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड के मकान जिन लोगों को दिये जाते हैं उनका उन्हीं लोगों द्वारा उपयोग किया जाना चाहिये लेकिन कुछ लोग उनको किराये पर दे देते हैं इस प्रकार की भारी अनियमितायें हो रही हैं।

इतना ही नहीं हाउसिंग बोर्ड के मकान बनाये गये, यह कोई कपड़ा तो है नहीं कि दो साल के बाद फट जायेगा और फेंक देंगे, ये तो जिन्दगी भर काम में आने वाले हैं जिनमें आने वाली सन्तानें रहेंगी लेकिन इन मकानों के बारे में मेरा खुद का तजुर्बा है क्योंकि मैं ऐसे ही मकान में रहता हूं, मेरे बच्चे तो उसमें क्या रहेंगे मैं भी अपना जीवन नहीं बिता सकूंगा उसके पहले यह गिर जायेगा।

ऐसे मकान तो ढूंढने से मिलेंगे जिनमें पानी नहीं चूता हो। पानी नहीं चूने वाले मकानों को ढूंढना पड़ेगा। सर्वे कराने के बाद कोई माई का लाल भी शायद कहे, मेरे मकान में पानी नहीं चूता। जयपुर में मकान बने हैं, नाहरी-के-नाके में, 16 मकानों की छतें गिर गईं। जिन लोगों को अलॉट हुए, उनको यह कह कर नहीं दिये कि यह गिर गये हैं। दो साल बाद पट्टियां डाल कर जो नये पंजीकृत हुए, उनको दे दिये। जब हम जानते हैं कि यह मकान गिर जायेंगे, तो गरीब आदमियों को क्यों अलॉट किये? यह मकान उन लोगों के मकान हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है। कुछ मकान

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
आपने बड़े भी बनाये हैं। बड़े मकान हाउसिंग बोर्ड को बनाने की जरूरत नहीं है। अल्प आय वाले व्यक्ति जितने किराये के मकानों में रह रहे हैं। उतने किराये के अन्दर उसका मकान बन जाये। 8, 10 हजार के मकान बने, उसमें वही लोग रहेंगे जिनको मकान की आवश्यकता है। बड़े लोगों के लिए करोड़ों रुपया बरबाद करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको आपने चेयरमैन बनाया है कुशल नेतृत्व दिया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में एक ऐसा आदमी होगा, तो आने वाले समय में देखेंगे कि उसके कुशल नेतृत्व के अन्तर्गत हाउसिंग बोर्ड नया रूप लेकर आयेगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी !

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय, सभापति महोदय, इस बिल को लाने की जो आवश्यकता थी वह कुछ तो मैंने सदन में रखी है। माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है, विचार व्यक्त किये हैं, किन्तु यह किसी ने नहीं कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। विशेष रूप से एक बात रखी गई, माननीय सदस्यों के द्वारा विशेष जोर जिस पर दिया गया, वह यह थी कि यदि ऐसी आवश्यकता थी तो इस कानून को लागू क्यों नहीं किया गया। इस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र की कुछ मर्यादायें होती हैं, कुछ शिष्टाचार होते हैं। जिस समय केन्द्र में कांग्रेस सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार आ गई तो जो लोग कांग्रेस के शासन के द्वारा पदों पर बैठे थे उनको अपने आप स्वयं नैतिक मूल्यों के आधार पर, प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर, अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिये थी, परन्तु यह काम नहीं हुआ। हो सकता है उस समय वह लोग सोच रहे होंगे कि केन्द्र में सरकार चली गई स्टेट में हमारी सरकार रह जाये, शायद इसी विचार से कुर्सी पर बैठे रहे। 18 अप्रेल को जिस समय माननीय केन्द्रीय गृह मन्त्री जी ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि अब कोई कुर्सी पर रहने का औचित्य नहीं है। वे सरकार भंग हों, उस समय यह तकाजा था प्रजातन्त्र का कि कुर्सी छोड़ देनी चाहिये थी, यह भी नहीं हुआ। फिर जून, 1977 में राज्य में भी जनता पार्टी की सरकार आ गई। तब तो बिल्कुल ही इस कुर्सी पर रहने का कोई औचित्य नहीं था। परन्तु उसके बाद भी इन्तजार करते रहे, वह समझते थे कि शायद अभी भी कोई भाग जायेंगे या यह त्याग-पत्र देकर चले जायेंगे। ऐसा नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, फिर हमने एक संकेत और किया। 2-1-1978 को एक आर्डिनेन्स निकाला। जब आर्डिनेन्स आ गया कि इनको हटाया जा सकता है, इनको बरखास्त किया जा सकता है, फिर भी प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले कुर्सी पर बैठे रहे। 2-1-1978 के बाद भी हमने शालीनता का परिचय दिया। हम 23-2-1978 का इन्तजार करते रहे। जाने वाली सरकार इसकी मियाद बढा कर गई है, इनकी मियाद 23-2-1978 तक है, उसके बाद अपने आप इस्तीफा दे देंगे। अपने जमीर का परिचय देंगे। हमने 23-2-1978 तक इन्तजार किया। सभापति महोदय, इसके बाद भी जमे रहे। जब सारे रास्ते बन्द हो गये, प्रजातान्त्रिक तरीके के सारे सम्मान-जनक रास्ते बन्द हो गये तो, माननीय सभापति महोदय, यह अध्यादेश भंग करने

(श्री भंवरलाल शर्मा)
का हमको निकालना पड़ा। हम यह इन्तजार करते रहे कि शायद इनको अपने आप यह समझ में आ जायेगा कि अब तो कुर्सी छोड़ी जानी चाहिए। जब यह नहीं हुआ, माननीय सभापति महोदय, तो यह आखिरी कदम था जो मजबूरी से हमको उठाना पड़ा यह एक ऐसा स्थान था, जिस पर इनका रहना उचित नहीं था। इस वजह से यह निर्णय लेना पड़ा।

माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने यहां विचार व्यक्त किए हैं, ने हाउसिंग बोर्ड के बारे में यह विचार व्यक्त किया है इसमें इतना भष्टाचार है, इस प्रकार के मकान हैं। एक बात और है जो अपनी पी. यू. सी. की कमेटी है. उसका मैं भी पिछले दिनों सदस्य था और कई माननीय सदस्य है, वे भी सदस्य हैं, जिन्होंने स्वयं जाकर वस्तु-स्थिति का निरीक्षण किया है। इन मकानों को देखने के बाद यह पता लगता है कि कितनी बेहरमी से लोगों को लूटा गया है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों में असन्तोष है। हाउसिंग बोर्ड के मकान जिन लोगों को मिले हैं, उनमें असन्तोष है। इससे अधिक और कौनसी असन्तोष की स्थिति पैदा कर सकते थे। फिर भी क्या हम और इन्तजार करते कि आप यहां बिराजे रहो। सारी परिस्थितियों पर विचार करके यह बिल पेश किया है।

जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, कुछ संशोधन पेश किये हैं. उन संशोधनों का मतलब मैं तो यही समझ पाया हूं कि संशोधन पेश करने से यहां बोलने पर अवसर मिल जाता है। नहीं तो नम्बर आता ही नहीं है। इस विचार से यह संशोधन पेश किए गए हैं। इस बिल का किसी ने विरोध नहीं किया है। यह जरूर कहा है कि इतनी देर तक इन्तजार क्यों करते रहे बाकी कोई विरोध नहीं किया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : मन्त्री जी प्रस्ताव रखेंगे पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 विचारार्थ लिया गया ।

विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्डश: विचार . खण्ड 2 में संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि...

श्री कौशलकिशोर जैन : सभापति महोदय, मैंने एक संशोधन इसमें रखा था...

श्री सभापति : संशोधन प्रस्ताव कहां है ?

श्री कौशल किशोर जैन : मैं इसको वापस लेता हूं ।

श्री सभापति : आपने प्रस्ताव रखा ही नहीं तो वापस क्या ले रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : कहां रखा है ? Where is your amendment ?

श्री कौशलकिशोर जैन : है साहब ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वापस ले लिया ।

श्री शंकरलाल : जनमत जानने के लिए रखा था वह वापस ले लिया ।

श्री सभापति : क्लॉज-3 में दो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं ।.

श्री पुरुषोत्तम . मन्त्री : कोई नहीं रखा है ।

एक माननीय सदस्य : चीफ व्हिप साहब रोक रहे हैं लोगों को ।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं चीफ व्हिप से निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने दें । दूसरे विधेयक को मुखबन्द करके पास कर दें ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 3

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : सभापति महोदय दो तीन बातें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । पहली बात तो यह है कि आवासन बोर्ड 6. में बना उसके बाद करीब 30-35 करोड़ रुपयों राजस्थान में खर्च हुआ । उसमें 1 करोड़ का घपला है इसलिए, माननीय सभापति जी, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय सदन के सदस्यों की एक समिति बनाकर इसकी जांच करायें ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आवासन बोर्ड की योजना बिलकुल गलत बनी है । जब शहरों में भूमि नहीं मिलती है तो आवासन बोर्ड के बहुमंजिले मकान बनाने चाहिये थे । एक मन्जिले मकान बने हैं जो धूल से बने हैं और न वहां जमीन की व्यवस्था है और न पानी की । उनमे पानी चूता है । इसलिए आवासन मण्डल का जो प्लानिंग है, जो डिजाइन है जो इन्जिनियर के द्वारा योजना रखी गई है वह सारी योजना गलत है । इसको नये सिरे से बनाया जाय । जमीन शहरों में उपलब्ध नहीं हो रही है इसलिए बहुमंजिले मकान बनाने की योजना को स्वीकार करें ।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

इस योजना में आवासन बोर्ड, राजस्थान की पिछली सरकार और इस सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया इसलिए इस सरकार को भी एक आना दोष देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के जिन जिला केन्द्रों पर 20×20 फीट के कमरे का 200 रुपया किराया लगता है वहां पर भी आवासीय समस्या है। मेरा निवेदन है कि आवासन बोर्ड का कार्य क्षेत्र पूरा राजस्थान बनाया जाय। ग्रामोन्मुखी विकास की बात करते हैं तो केवल 6-7 शहरों में ही केन्द्रित होकर जो करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है कम से कम सभापति महोदय, हमारी यह सरकार आवासन बोर्ड के माध्यम से जो पाप हुआ है जो अत्याचार हुआ है उसमें सुधार करने का प्रयत्न करें। तीसरा मेरा निवेदन है कि सब जिलों में आवासन बोर्ड का काम हो।

खण्ड 3 पर मेरा संशोधन प्रस्ताव है। "इस खण्ड द्वारा धारा 14 की उप-धारा (2) के परन्तुक में प्रमुख अभिव्यक्ति 'एक हजार छः सौ पचास' के स्थान पर अभिव्यक्ति दो हजार पच्चीस' प्रतिस्थापित की जाय।"

यह संशोधन प्रस्ताव मैंने दिया है। जो खण्ड है जिसमें यह संशोधन प्रस्ताव रखा है उस को अगर देखें तो उसमें प्रावधान बिलकुल अपर्याप्त है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि सरकारी ऑफिसर जो भी लिखते हैं उनको लेकर चलने की जो पद्धति है उस पद्धति पर विचार करना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि आज 1200 और 1500 से पेट नहीं भरता है और अच्छे इन्जिनियर्स नहीं मिलते हैं जब अच्छे इन्जिनियर्स नहीं मिलते हैं तो उनको 2000 या 2500 रुपया वेतन देने का जो संशोधन है वह स्वीकार किया जाय। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करें।

श्री सभापति : श्री रामकरण सिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय मन्त्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही पर्याप्त है इतना वेतन कहां से देगें हम लोग ?

श्री शकरलाल : आप इस संशोधन को स्वीकार करते है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री सभापति : क्या आप इसको वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रघुनन्दन व्यास : सभापति महोदय, मैं इसको वापस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय श्री रघुनन्दन व्यास को संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री रघुनन्दन व्यास : सभापति महोदय, मैं वापस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें संशोधन प्रस्ताव है :- "उप खण्ड (2) में अभिव्यक्ति '2 जनवरी, 1978' के स्थान पर अभिव्यक्ति '15 मार्च, 1798' प्रतिस्थापित की जावे।"

यह मैंने संशोधन प्रस्ताव दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि पिछले 31 मार्च को जब क्रियान्विति हुई है तो 2 जनवरी रखने की क्या आवश्यकता है। इसलिए मैं अपना संशोधन प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : कारण क्या है? आप रीजन दें। माननीय सदस्य ने जो दलील दी है वह युक्तिसंगत है। आपने ऑर्डिनेन्स की बात पर एतराज किया है। यह बिल है ऑर्डिनेन्स नहीं है। ऑर्डिनेन्स की बात फर्स्ट स्टेज के पहले थी। अब तो यह एक्ट बन रहा है। आज यह बिल लाये हैं, कार्यवाही की है 31 मार्च को। इसलिए माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है मैं उसको सपोर्ट करते हुये कहता हूं कि 15 मार्च रखने की भी क्या आवश्यकता थी। 30 मार्च ही रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्योंकि अध्यादेश का प्रारम्भ 2-1-78 से रहा है और यह विधेयक उस अध्यादेश के स्थान पर पेश हुआ है इसलिए यह है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यादेश के स्थान पर तो यह बिल है। अब अध्यादेश नहीं बिल है।

श्री सभापति : क्या आप संशोधन प्रस्ताव को वापस लेंगे ?

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय सभापति, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय कौशल किशोर जैन को संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी गई।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : It will not be permitted.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 1 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना, नाम आदि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा (आवासन मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, अभी हाउसिंग मिनिस्टर साहब ने इस बोर्ड के वर्किंग के सम्बन्ध में और जिस तरह की बोर्ड की उपलब्धियां रही हैं अभी तक, उस सम्बन्ध में सदन में काफी प्रकाश डाला है। मैं उनकी एक भी दलील से सन्तुष्ट नहीं हो सका हूं और न ही वे सन्तुष्ट कर सके हैं। जो कुछ उन्होंने बातें कही हैं उनसे स्पष्ट है कि अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये ऑर्डिनेन्स लाये और उस आर्डिनेन्स को लाने के बाद 31 मार्च तक एक्शन लिया नहीं गया है। यह दलील दी है कि मकान गिर रहे हैं, चूना गिर रहा है और इस प्रकार की बातें कही हैं। लेकिन, सभापति महोदय, अब जो नये चेयरमैन साहब बने हैं जैसा आप कहते हैं द्वारका दास जी को नहीं जानते है, तो हुक्मानी साहब को मैं भी नहीं जानता हूं। आपने उनको माननीय मथुरादास जी का मित्र बनाया है। यह मैं कान से सुनता हूं कि काम अच्छा है, पहले नहीं था। अब आप किसी एक्सपर्ट को लाये हैं। द्वारका दास पुरोहित यह सब जानते नहीं थे। वे तो पोलिटिशियन थे। अब आप टेक्नोक्रेट लाये हैं। अब तक की जो खामियां रह गई हैं, उनको दूर करने में, जब अगले दुबारा इस सदन में अगली बार मिलेंगे और हाउसिंग बोर्ड की प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा, मैं आशा करता हूं, यह टेक्नोक्रेट अपने ज्ञान का और नॉलेज का निश्चित रूप से परिचय देंगे।

यह हाउसिंग बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है। यह तमाम फाइनेन्स एल. आई. सी. दे रहा है या यह लोन फ्लोट कर रहा है। जब तक ग्रान्ट्स खुद के पास नहीं हों तो यह तो कम से कम स्वीकार करना पडेगा कि जब बोर्ड स्थापित हुआ था, राज्य सरकार ने सन् 1970 के पहले साल में 30 लाख रुपये दिये थे या शुरू शुरू में 10 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज के लिये दिये थे। बोर्ड स्वयं अपने साधनों को बढ़ा रहा है कर्जा ले रहा है और मकान बना रहा है जो असेट्स बोर्ड ने बनाये हैं वह करीब तीन करोड़ के हैं। अब डिफिकल्टी आयेगी क्योंकि परफार्मेन्स इस बात से जज नहीं किया जायगा कि आपने कुछ काम नहीं किया बोर्ड का नया गठन इसलिये कर रहे हैं कि राजस्थान में जो हाउसिंग प्रॉब्लम है उसको तीव्र गति से मीट कर सकें। शायद यही उद्देश्य होगा और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये शायद

(श्री परशुराम मदेरणा)

बोर्ड को डिजोल्व कर दिया। बोर्ड की तरफ से अमेन्डमेंट के जो सुझाव हैं वे अब ज भी पड़े हुये हैं कि इस राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक्ट, 1970 में हाउसिंग बोर्ड को इस प्रकार के अधिकार दिये जायं कि जमीन का एक्वीजिशन कर सके जैसा कि आपके यू. आई. टी एक्ट में है। यह प्रस्ताव आपके पास पड़ा है। 2 महीने 29 दिन के बाद बोर्ड भंग किया तो क्या आप इतने दिन कुंभकरण की नींद में सो रहे थे? गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स आर्टिकल 213 में हैं, इस सम्बन्ध में भी ऑर्डिनेन्स में प्रावधान करा लेना चाहिये था ताकि एक्वीजिशन कर सके। बोर्ड का 9 महीने से यह सुझाव पड़ा हुआ है।

दूसरा बोर्ड का प्रस्ताव है कि जो मकान हायर पर्चेज सिस्टम पर दे रहे हैं उनकी रिकवरी के काफी पैसे बाकी हैं। उन्होंने एक कानून का प्रारूप बनाकर भेजा है, वह भी आपके पास होगा। उस एक्ट के अन्दर तरमीम की जाकर एक काम्पीटेन्ट आथॉरिटी को यह अधिकार देना चाहिये ताकि टाइमली टैक्स रिकवर कर लिया जाय। स्टेट्यूटरी बुक में जो अटेचमेंट का प्रावधान है या कोअपरेटिव रूल्स में जिस प्रकार के अधिकार हैं, उसी प्रकार के अधिकार हाउसिंग बोर्ड को दिये जायं ताकि रिकवरी के लिये दूसरे आफिसर्स के पास न भेजना पड़े। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भी बोर्ड सुचारु रूप से काम कर सके इस तरह का आपको कानून में कुछ प्रावधान करना पड़ेगा। आप कानून लाये हैं लेकिन शायद यह आपने सोचा ही नहीं है। हुक्मानी साहब सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद, सभापति महोदय, कोई भी आटोनोमस बाडी हो, यह हाउस सोवरिन है, यह आटोनोमस बाडी के फंक्शन हैं उसके मिनिस्टर इनचार्ज हैं इनके देखने की बात है। आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं और संशोधन कब ला रहे हैं—यह सब मिनिस्टर इन्चार्ज के देखने की बात है।

तीसरी बात सीलिंग आफ अर्बन प्रापर्टी एक्ट आने के बाद जयपुर को अब '(बी)' केटेगरी में रखा है या '(सी)' केटेगरी में रखा है, मिनिमम जमीन जो सीलिंग में रखी है वह 1500 स्कवायर मीटर है। उसके बाद में जो जमीन आपके पास में आई है, वह कितनी जमीन है? आपकी जो संस्थाएं हैं चाहे यू. आई. टी हो, चाहे आपका हाउसिंग बोर्ड हो, वह जमीन को लेकर आवास की समस्या को हल करने के लिए कन्सट्रक्शन कर नहीं सकता है इसलिए निश्चित तौर से जमीन आई है वह जल्दी से जल्दी हाउसिंग बोर्ड को और यू. आई. टी को अलाट करें ताकि फदर अलाटमेंट लिस्ट बना करके यू. आई. टी लोगों को जमीन अलाट करे ताकि इन्डिविजुअल लोग मकान बना सकें और बोर्ड भी अपने मकान बनाकर उनके जो प्रावधान है, उसके अनुसार लाटरी के जरिये ज्यादा से ज्यादा आदमियों, जिनके पास खुद के मकान नहीं है को अलाट कर सके।

सभापति महोदय, मैं यह भी सुझाव देना पसन्द करूंगा कि अब तक जो मकान बनते रहे हैं हाउसिंग बोर्ड के शायद एक दो जगह का मुझे पता नहीं है लेकिन ज्यादातर सिंगल स्टोरी मकान बनते रहे हैं। अब जमीन की कमी है इसलिये सिंगल

(श्री परसराम मदेरणा)

स्टोरी न बनाकर मल्ट स्टोरी मकानात बना कर दें ताकि कम जमीन में ज्यादा लोगों को अलाट कर सकें। गुजरात मे पहले सिंगल स्टोरी मकान बनते थे तो अधिक भूमि में कम लोगों को मकान मिल पाते थे किन्तु अब कम भूमि में ज्यादा लोगों को मकान मिलने लग गये हैं। आपके पास भी जमीन कम है और अधिक लोगों को आंवटन करना हैं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनायें। दूसरे आपके पास समय भी कम है। किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार के समय मे एक साल निकल गया है तो वन-फिफ्थ समय निकल गया है। समय बहुत तेजी से जा रहा है। यदि इसी तरह की कार्यवाही की तो बन्टाधार हो जायगा। अगर बचना चाहते हैं तो तीव्र गति से काम करिये नही तो भविष्य अन्धकार मे है। हमारा सुझाव है इस पर आप अधिक गौर करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय अब बहुत कुछ कहने की बात नहीं रही है। अभी विरोधी दल के माननीय नेता ने जो विचार रखे है वे बड़े अच्छे सुझाव है। पहले जब माननीय सदस्य बोल कर गये थे तब का भाषण तो आपका राजनीतिक था आर अब जो बोल रहे हैं एक बुजुर्ग की तरह सलाह दे रहे हैं। इन पर विचार करेंगे। आपसे आशा भी यही है कि राजनीति को छोड़ कर आप ऐसे ही सुझाव दिया करें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, सर्व सम्मति से पारित किया जाय, एक भी नो की आवाज नहीं है।

श्री कौशलकिशोर जैन : 'सर्व सम्मति से' और लगा दीजिए।

श्री सभापति : विधेयक सर्व सम्मति से पारित किया गया।

दूसरा विधेयक ! श्री मन्त्री महोदय !

राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : श्री कौशलकिशोर जैन !

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक 1978 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

17 जनवरी, 1978, को यह अध्यादेश निकाला गया। मेरा यह निवेदन है कि 28 फरवरी से सदन आरम्भ होने वाला था तो ऐसी इस अध्यादेश की

(श्री कौशलकिशोर जैन)

क्या आवश्यकता थी ? इतना समय निकल गया तो थोड़ा समय और निकल जाता। कुछ नहीं होता।

(व्यवधान)

इस देश के अन्दर…(व्यवधान) मैं, निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, (व्यवधान)

यह विधेयक सदन के सामने विचारार्थ है। देश में 0% जनता किसान है। जो छोटे काश्तकार हैं, उनके पास अनइकॉनामिक होल्डिंग हैं। (% काश्तकार ऐसे हैं, जिनके पास अच्छा बीज है और अच्छी जमीन है। इसलिए, सभापति महोदय, वाणिज्यिक फसल उपकर हटाया गया, निरसन किया गया। मुझे कई बार ऐसा लगता है

(व्यवधान)

यह आवाज किधर से आई है ?

इस देश में जो ऐसे किसान हैं जो अच्छे हैं, वह % हैं। ऐसे जो लोग हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बोलने दिया जाये। इस तरह से आदमी का ध्यान बंटाते हैं। आप इनके अधिकारों की रक्षा करें। यह बोल रहे हैं और ये रोक रहे हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन : इस देश के अन्दर जो बड़े किसान हैं, खेती के बहाने उन्होंने जमीन ले रखी है। वह एक ऐसा वर्ग है।

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह तो पहले ही कह दिया।

एक माननीय सदस्य : प्रस्ताव भी तो वापस लो।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल बाजार) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

राज्य सरकार ने जो वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 कृषकों के बारे में रखा है…

एक माननीय सदस्य : क्या बोल रहे हैं।

श्री सभापति : अपना प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राज्य में वाणिज्यिक उपकर लगा हुआ था। जनता पार्टी ने किसानों के प्रार्थना करने पर वह वाणिज्यिक उपकर हटाया है। इसके लिए जनता पार्टी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ, जो किसान हैं, उनको विद्युत सप्लाई नहीं

(184)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मिल पाती है। मेरा निवेदन है सरकार इस ओर ध्यान दे। जैसा कि जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया है गांवों में कृषि केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। जो गांवों में किसान हैं उनकी खेती में काम आने वाले जो उपकरण हैं वह भी कृषि केन्द्रों से उपलब्ध कराये जायेंगे। जो उत्पादन होगा उसको भी कृषि केन्द्रों में बेचने का प्रबन्ध होगा। घोषणा-पत्र में कृषि केन्द्रों की स्थापना करने के बारे में कहा गया है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह अपने उत्तर में गांवों को ऊंचे से ऊंचा उठाने के लिये, क्या प्रयास कर रहे हैं? इसका निश्चित रूप से उत्तर दें। मैं निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी को धन्यवाद देना तो अपने आपको धन्यवाद देना होगा इसलिए धन्यवाद न देकर यह निवेदन करूंगा कि घोषणा पत्र में जो कहा गया है, उसको पूरा करने के लिए प्रयास करें।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा!

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, देहात): माननीय सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर निरसन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

यह जो विधेयक लाया गया है, पिछले दिनों हाउस में यह कहते हुए सुना है कि यह उद्देश्यहीन बजट है।

(व्यवधान)

किन्तु यह कितना अच्छा कार्य किया गया है लेकिन उस पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य इसका बढ़ाई नहीं करेंगे। कहीं न कहीं से कोई न कोई बात निकाल कर जरूर रखेंगे। इसी तरह से अन्त्योदय योजना के लिए कहा गया है।

एक माननीय सदस्य : आप तो संशोधन पर बात करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति जी, उस पक्ष के लोगों को रोकें।

किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों पर टैक्स लगाया गया था सब्जी मण्डी है उसमें बिकने वाले पालक, मेथी, धनिया, गाजर पर भी टैक्स लगाया है। यहां पर दो सब्जी मण्डियों के नियम और उप-नियम रख दो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह नहीं है कि...

श्री सभापति : यह मण्डी कमेटी का बिल आये तभी कहें।

श्रीमती उजला अरोड़ा छोटे छोटे उत्पादन होते हैं उसके लिये सब्जी मण्डी अलग से बनायें। माननीय परसराम जी मदेरणा बैठे हैं जो उस समय मन्त्री थे। मैंने उनसे निवेदन किया सब्जी पर टैक्स लगाया जब कि जीरे पर नहीं लगाया। मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने उस टैक्स को हटा दिया था। लेकिन दुःख है कि हमारे आपातकाल स्थिति में जेल चले जाने पर उन्होंने पुनः लगाया है। मैं निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार से यह टैक्स हटा है, उसी प्रकार छोटे छोटे काम करने वाले सब्जी के जो व्यापारी हैं, जो महिलायें हैं,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
यह जो काम करती हैं उनको भी इससे राहत दें।

श्री सभापति : आप यह जनमत जानने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, मैंने प्रस्ताव किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि क्या आपत्ति है इसमें ?

श्री गिरिधारी लाल भार्गव : आप जवाब दे दीजिये। हम तो आपके साथ हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामप्रसाद लड्ढा !

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

सभापति महोदय, कांग्रेस अपने आपको समाजवादी सरकार, गरीबों की सरकार, मजदूरों की सरकार, किसानों की सरकार कहती थी। ऐसा कह कर राज में बने रहना चाहती थी। वह अपने आपको अल्पसंख्यकों एवं जनजाति की हितैषी कहती थी। इन सबके पीछे एक ही बात थी कि कैसे शासन में रहा जाये। इसमें वह सफल भी रही और आगे भी सफल रह सकती थी, अगर आपात स्थिति नहीं लगाई गई होती।

गत तीस वर्षों में पैसे वाला अधिक पैसे वाला और गरीब अधिक गरीब बना है। काश्तकार तो बरबाद हुआ है। जो किसान पहले समृद्ध था, जिसके घर में अनाज था, पशुधन था, खुशहाल था, वह आज सरकार का मजदूर बन कर रह गया है। सरकार की दया पर जीने वाला रह गया है। इसी कारण किसी स्थान पर आज थोड़ा सा भी संकट खड़ा हो जाता है तो सरकार की तरफ ध्यान चला जाता है। कांग्रेस 30 सालों तक इसी कारण शासन में रही कि जनता ने देखा, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, तो उनके यहां काम नहीं खुलेंगे। सरकार ने अपनी दया पर जीने के लिये मजबूर कर दिया और उस मजबूरी का लाभ वोट के रूप में लिया। आज दुर्भाग्य का विषय है कि राहत के जितने काम हुए वह उसी योजना के तहत काम हुए कि हम कुर्सी पर कैसे बने रहें। आज चारों तरफ से मांग होती है कि हमारे यहां काम हो। मैं जनता सरकार से निवेदन करूंगा कि जैसी हमारी नीति है, हमारा हर कदम, हर विचार जनता की राहत के लिए हो, काश्तकार की खुशहाली के लिए हो। काश्तकार फसल बोता है, वह पैदा हो या नहीं लेकिन उस पर टैक्स लग जाता था। हमने चुनाव से पहले टैक्स को समाप्त करने का आश्वासन दिया था। सरकार ने उसे समाप्त किया। विरोधी बन्धु कहते हैं क्या किया काश्तकार के लिए ? दस बीघा तक लगान माफ किया, व्यावसायिक फसलों पर टैक्स था वह माफ किया, अन्त्योदय योजना लागू कर गावों की तरफ उन्मुख होने का फैसला किया, राजस्व अभियान चला कर काश्तकार को अदालतों से मुक्ति दिलाई, गरीबोन्मुखी-ग्रामोन्मुखी योजना बनायी।

श्री सभापति : माननीय श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

माननीय श्री मथुरादास माथुर !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामरघुनाथ !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री नवरंगसिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उप कर (निरसन) विधेयक 1978 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 जो काश्तकार को राहत देने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका तो मैं समर्थन करूंगा। मैंने इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें एक जुलाई से उपकर माफ करने की बात की गई है, मुझे पता नहीं सरकार का इसके पीछे क्या आधार है? इसकी जगह उपकर माफ करने की तारीख 1 अप्रेल होनी चाहिए क्योंकि 31 मार्च को फाइनेन्सियल ईयर खत्म होता है। टैक्स 1 अप्रेल से लगते हैं तो? जुलाई की जगह 1 अप्रेल कर दिया जाय। आपने जुलाई, 77 किया है, एक तो मेरा निवेदन इस बात के लिए था।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो क्लाज 3 के अन्दर यह बात रखी है कि जिनकी बकाया है वह वसूल होगी, यह ठीक है लेकिन किसी की बकाया है कि नहीं-इस बारे में विवाद चल रहे हैं और वह चलते रहेंगे तो भी वसूली होगी यह बात समझ में नहीं आई। जो भी कानून बन जाता है उस कानून के बन जाने के बाद में अदालतों में विवाद चलते रहें यह मैं उचित नहीं समझता। इसलिए क्लाज 3 (ख) और (ग) में विवाद चल रहे हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स समाप्त होनी चाहिए। यह आपने बिल्कुल फाइनल निर्णय लिया है कि काश्तकार की बकाया है उसको वसूल किया जायगा। मेरा निवेदन है कि विवाद को भी खतम किया जाय। इन दो बातों के लिए मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव रखा है। वास्तव में आप काश्तकार को राहत देना चाहते हैं तो आपको इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक सुझाव और देना चाहूंगा। और वह यह है कि काश्तकार को राहत देने के लिए फसलों का बीमा करने के लिए भी आप, कानून लायें। जो पश्चिमी प्रदेश हैं, मरुप्रदेश, वहां पर अधिकतर अकाल पड़ता रहता है और फसलें नष्ट हो जाती हैं। बहुत सी स्टेट में फसली बीमा के कानून लाये गये हैं। आप भी इस कानून को लायें, ये तीन मेरे सुझाव हैं।

श्री सभापति माननीय श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करूंगा कि फसलों का उपकर माफ किया इसके

(श्री दाऊदयाल जोशी)
लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन, राजस्व मन्त्रीजी, आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, तीन साल पहले कोटा नगर में राजस्व मन्त्रीजी के नेतृत्व में 10 हजार किसानों का प्रदर्शन हुआ था था बेटरमेन्ट लेवी के खिलाफ। कांग्रेस सरकार लाख कोशिश करके थक गई लेकिन कोटा की धरती पर बेटरमेन्ट लेवी वसूल नहीं हुई। लेकिन मुझे दुःख है उस प्रदर्शन की सारी कल्पना को ध्यान में रखते हुए माननीय राजस्व मन्त्रीजी बेटरमेन्ट लेवी का प्रश्न भूल गये। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से साहस के साथ किसानों के लिए राहत प्रदान की, उसी साहस और दृढ़ता के साथ बेटरमेन्ट लेवी को वापिस लेने की घोषणा करें। कोटा की धरती पर किसी मूल्य पर बेटरमेंट लेवी वसूल नहीं हो सकी, तीन साल में कुछ नहीं हुआ गराव किसानों के लिए, जहां पर बिगड़ी हुई जमीन है, आज भी वहां पर खार की समस्या वहीं की वहीं है, इसलिये बेटरमेन्ट लेवी को भी वापस लेने की घोषणा करें।

इसी के साथ साथ माननीय शंकरलालजी ने जो बात कही, फसली बीमा अनिवार्य होनी चाहिए, मैं उनके शब्दों के साथ निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से ट्रैक्टर का बीमा होता है, उसी प्रकार से 90 पर्सेन्ट किसान बैलों के आधार पर, पाड़े के आधार पर अपनी जीविका चलाते है, उनके बैलों का भी बीमा होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि किसान ने दो हजार रुपये में मेले में बैल खरीदा वह चार दिन बाद मर जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि फसलों के बीमे के साथ जानवरों का भी बीमा होना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय सभापति जी, वाणिज्यिक फसल उपकर से जो किसानों को मुक्त किया गया है उससे छोटे किसानों को राहत मिलेगी और किसानों के मन में जनता सरकार की साख बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ ही मेरा यह सुझाव है कि इन फसलों पर आधारित जो छोटे उद्योग हैं, फसलें आती हैं तो वह छोटे-छोटे उद्योग चलते हैं। उनको गांवों में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किसानों को अच्छी कीमत मिले इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे-छोटे उद्योग धन्धे, जो इन फसलों पर आधारित हों, गांवों में खोले जायं और किसानों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलें ताकि वे इनका सही उपयोग कर सकें। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय हरजीराम बुरडक।

(अनुपस्थित)

माननीय हजारीलाल।

(अनुपस्थित)

माननीय वृद्धिचन्द जैन

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये, इस सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव रखा है। हमारी कांग्रेस सरकार ने

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
सन 1975 में यह विधेयक रखा था इस विषय में वह पास हुआ।

श्री शंकरलाल : आपका तो जनमत जानने का था।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नहीं प्रवर समिति का।

श्री शंकरलाल : जनमत का है, यो फिर सूची गलत है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : तो 1976 में यह एक्ट फोर्स में आया। बाद में हमारी कांग्रेस सरकार के सदस्यों ने आवाज उठाई थी कि कामर्शियल क्राप की जो उपज है उस पर टैक्स लगाने से बड़े काम्पलीकेशन और करप्शन के मामले सामने आने थे। फिर हमारी गवर्नमेन्ट ने भी अप्रेल, 1977 को एक एग्जीक्यूटिव आर्डर से यह वसूली बन्द कर दी। उसने भी यह महसूस कर लिया था। मेरी समझ में नहीं आया कि अप्रेल, 77 में जनता पार्टी की सरकार यह कानून क्यों नहीं लाई ? हमारे सदस्यों ने प्रेस किया, यह ठीक नहीं है परन्तु सितम्बर में पास किया गया।

श्री रतनलाल शर्मा : लोगों से वसूल किया गया।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं पूरी इन्फार्मेशन देना चाहता हूं। इस चीज के बारे में आप ही क्रेडिट ले रहे हैं। हमने भी सितम्बर में जब विधेयक प्रस्तुत किया था तो प्रेस किया था कि यह पारित नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा अनुभव था कि इससे काश्तकारों को लाभ नहीं होगा, वे पटवारियों के चुंगल में जायेंगे और भ्रष्टाचार होगा। हमने अनुभव के आधार पर यह चीज रखी थी परन्तु आपने अपनी शान रख कर बिल पास करा दिया। यह भूल है इसका आप क्रेडिट लेना चाहते है, यह उचित नहीं है। अब आपने विधेयक रखा है, इसके द्वारा जो बकाया आप वसूल करना चाहते हैं, वह भी काम्पलीकेशन्स पैदा करेगा। वास्तव में यदि आप क्रेडिट लेना चाहते है तो हम जो सुझाव दे रहे हैं कि यह जो आपने एरियर्स की वसूली का रखा है इसको डिलीट कर दो। इसमें संशोधन करो, पहली जुलाई की जगह पहली अप्रेल करो ताकि एरियर्स की वसूली नहीं की जा सके तब जाकर किसान को राहत मिलेगी नहीं तो फिर किसान परेशान होंगे। पहले हमने कानून पास करके गलती की, हम संभले और ठीक निर्णय लिया परन्तु फिर गलत कदम लिया और फिर गलत कदम ले रहे हैं। बकाया की वसूली नहीं करनी चाहिए और यह विधेयक बिल्कुल निरस्त करना चाहिए।

श्री सभापति : श्री बिरदमल सिंघवी।

(अनुपस्थित)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री खेतसिंह राठौड़ !

(अनुपस्थित)

श्री परसराम मदेरणा !

श्री परसराम मदेरणा : सभापतिजी, मेरा संशोधन है कि राजस्थान वाणिज्यिक

(श्री परसराम मदेरणा)

फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978, जो कार्मशियल क्राप्स सेस एक्ट का रिपील करने के लिए लाए हैं, प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए। जो इस पर विचार करे और तीन दिन में अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। ऐसा प्रस्ताव लाने का मेरा उद्देश्य यह है कि पूर्व में भी जब जनता सरकार सितम्बर में अमेंडिंग बिल लाई थी, उसमें 5 फसलों को, आधा एकड़ जिन काश्तकारों के पास जमीन है, उनको एग्जेम्प्ट किया लेकिन उसमें दो क्राप्स पोस्त व अफीम का उल्लेख नहीं था। अब जो बिल लाए हैं इसमें सभी कामर्शियल क्राप्स को सेस से एग्जेम्प्ट करने जा रहे हैं। मैं सिद्धांततः समझता हूं कि जहां तक उन कार्मशियल क्राप्स का संबंध है जैसे आइल सीड्स है, चीनी का उत्पादन देश में बढ़ाना है, क्योंकि शुगरकेन से भी सेस हटाने की बात कही है उसमें वजन है लेकिन एक तरफ आप टोटल प्रोहिबिशन करने जा रहे हैं...

श्री नरेन्द्रपालसिंह : कोरम नहीं है।

कई माननीय सदस्य : है।

श्री परसराम मदेरणा : कोरम की इतनी आवश्यकता नहीं है। यदि एतराज न करें, लोक सभा में भी चलता है, वहां आखिर में कोरम नहीं होता है।

श्री शंकरलाल : यह जिम्मेदारी शासन पक्ष की है।

श्री सभापति : आप बुला लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर रहा था कि आप टोटल प्रोहिबिशन की बात इसलिए कर रहे हैं कि शराब की वजह से कई परिवार नष्ट हो गए हैं, उनका पारिवारिक जीवन खराब हो गया है, वे गरीब बन गए हैं और जब आदत पड़ जाती है तो बच्चों का पालन-पोषण ठीक से नहीं हो सकता, घर के अन्दर कलह बनी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में अफीम की बहुत आदत है, लाखों आदमी अफीम खाते हैं। इसी तरह से तम्बाकू भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं राजस्व मंत्री...

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय सदस्य खाते हैं या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : इन दो कार्मशियल क्राप्स को एग्जेम्प्ट करने के पीछे क्या सिद्धांत है ? मुझे ऐसा संदेह है कि राजस्व मंत्रीजी जिस क्षेत्र से आ रहे हैं उस क्षेत्र में इस क्राप का उत्पादन बहुत हो रहा है और मुख्य मंत्री भी जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वहां भी पोस्त का उत्पादन हो रहा है। तम्बाकू की आदत धीरे धीरे छोड़नी चाहिए इससे कैंसर होता है। बहुत से आर्टीकल्स आपने पढ़े होंगे, एक्सपर्ट्स ने राय दी है कि तम्बाकू की जगह हुक्का काम में लें, तो वह कम हानिकारक है उससे फिल्टर होकर आता है। मुझे संदेह है कि जो विधेयक लाए हैं उसमें अगर यह भावना होती कि किसानों को राहत देना चाहते हैं, उत्पादन में इन्ट्रेस्टेड हैं तो आपके इस एक्शन से कितने किसानों को किस हद तक प्रोत्साहन मिलेगा, कितना एरिया एग्जेम्पशन के बाद में ज्यादा कल्टीवेशन में आ जाएगा और उससे कितने टमेज में उत्पादन में वृद्धि होगी।

(श्री परसराम मदेरणा)

सितम्बर में जब कार्मशियल क्राप सैस (अमेंडमेंट) बिल सदन में विचारार्थ आया था तो मैने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने अप्रैल में निर्णय ले लिया था कि दो क्राप्स तम्बाकू व पोस्त को छोड़कर बाकी क्राप्स को माफ किया जाना चाहिए। मैं जिस समय राजस्व मंत्री था उस समय लाख कोशिश की। as regards person मैं आपकी इन्टेग्रिटी को अबोव बोर्ड मानता हूं। एक माननीय सदस्य ने बात कही थी, मैं उस समय सदन में नहीं था, उस समय भी लोगों से मैंने कहा था कि उन पर यह आरोप निराधार है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस समय यही मेरे ध्यान में था और सबसे ज्यादा इसकी पैरवी कर रहा था कि पटवारी जाकर गिरदावरी में गड़बड़ करेगा चाहे क्राप हो या नहीं, 25 बीघा को बढ़ाकर लिखेगा और 25 बीघा ठीक लिखने के लिए रिश्वत मांगेगा 40 लाख रुपये की आमदनी थी, यह दलील हमने सितम्बर में दी। आपने कहा, नहीं। सितम्बर में आपने उस बिल को पास करवाया सदन से। जनवरी में आपने अध्यादेश निकाल दिया और रिट्रोस्पेक्टिव डेट से पहली जुलाई से लागू करना चाहते हैं क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार ने निर्णय लेकर एग्जीक्यूटिव इन्सट्रक्शन्स सभी कलेक्टर्स को दिये थे कि कार्मशियल क्राप्स के जिन्सवार, गिरदावरी के अन्दर तखमीने नहीं बनाए जायें। उस बात को अनडू करने के लिए आपने किया। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने यह लगाया था, आप चाहते हैं तो पहले जो अध्यादेश आया हुआ है वित्त विभाग में देखें राजस्व विभाग के बिना कन्सलटेशन के 17 क्राप्स पर उपकर लगाया था।

सभापति महोदय, उस वक्त मेरे पास भी यह मामला आया था मैंने उस वक्त केबीनेट में अपना व्यू रखा और यह कहा कि जितनी यह चीजें रखी गयी हैं इतनी चीजों के नाम रखना ठीक नहीं है क्योंकि इससे परेशानी होगी काश्तकारों को। मैंने स्पष्ट कहा है कि सिवाय दो नशे वाली चीजों के बाकी सभी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाय। पर वह नहीं माने। फिर उसको उसी तरह रखना पड़ा। हो सकता है केबीनेट में आपने भी अपने व्यू रखे हों और उसमें जैसा मेरे साथ हुआ वैसा आपके साथ हुआ हो। मुझे भी उसको मानना पड़ा, केबीनेट में जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी होती है। मैं उस वक्त की मेरी रेस्पोन्सिबिलिटी से दूर नहीं होना चाहता लेकिन आपकी भी बात अगर वहां नहीं मानी गयी हो तो वह आप यहां कह दें।

श्री माणकचन्द सुराणा : विरोधी दल के माननीय नेता महोदय, जब आप मन्त्री थे, आपने ओथ ली थी गोपनीयता की। आप केबीनेट की गोपनीय बातों की चर्चा करके उसका वायोलेशन तो नहीं कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका वायोलेशन तो हो रहा है। जस्टिस शाह आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा बैठाया गया है उसकी चर्चा सभी जगह हो रही है।

खैर, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा हमने पहले बड़ी

(श्री परसराम मदेरणा)

चर्चा सुनी थी कि एक फैक्ट्री अफीम की प्राड्यूस की दवायें बनाने की कोटा में लग रहा थी। अब ऐसा सुना है कि वह राजस्थान के कोटा में नहीं लग कर मध्य प्रदेश में लग रही है। भारत सरकार के राज्य मन्त्री उद्योग ने घोषणा की थी वह कोटा में लगेगी। अब यह सुना है कि मध्य प्रदेश में लग रही है जब कि, सभापति महोदय, रा-मेटीरियल तो सारा कोटा जिले में है फिर क्या कारण है कि वह फैक्ट्री कोटा में नहीं लग कर मध्य प्रदेश में लग रही है। आप तो यहां जोर जोर की डींग मारते थे कि हम केन्द्रीय सरकार के दवाव में नहीं आयेंगे। तो क्यों नहीं अब आप प्रधान मन्त्री जी के खिलाफ में रिबोल्ट कर देते? हमको तो यहां पर जब विपक्ष में बैठते थे तब आप लोग कहा करते थे कि केन्द्रीय सरकार के सामने हम जोर डाल नहीं सकते। अब आपको क्या हो गया है। आपके स्टेट मिनिस्टर हैं उद्योग विभाग में फिर क्या कारण है कि आपने कोटा में इन्डस्ट्री नहीं खुलवायी? अब चूंकि अफीम की खेती कोटा जिले में होती है और आपके मिनिस्टर साहब ने घोषणा की हुई है उसके वावजूद अगर वह फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लग गयी कोटा के बजाय तो आपके दिल को ठेस नहीं पहुंची? मैं कामर्शियल टैक्स मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि वह बहुत ही सिद्धान्तवादी बनते थे इसलिये आप उनको मेरा यह सन्देश पहुंचा दें कि वह फैक्ट्री कोटा में नहीं लग रही है मध्य प्रदेश में लग रही है। आप इसके लिये केन्द्रीय सरकार के खिलाफ में रिवोल्ट क्यों नहीं छेड़ देते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय, एक बात और इसी सिलसिले में निवेदन करना चाहूंगा। अभी जो उप चुनाव मुख्य मन्त्री जी का छबड़ा में हुआ था उस चुनाव में भी आपकी पार्टी ने काफी लोगों से वायदे किये थे। आपके मुख्य मन्त्री जी ने भी चुनावों में वायदे किये होंगे। अभी पिछली बार सत्र हो रहा था तब आपने इसमें कुछ चैन्जेज किये थे। मैंने उस वक्त मना किया था। मेरे ख्याल से हाउस के कई सदस्यों ने भी उस वक्त मेरी बात को सही माना था। आपकी जनता पार्टी के बहुत से सदस्य थे उनकी भी राय यही थी, इन दो चीजों, तम्बाकू, अफीम और पोस्त पर कार्मशियल टैक्स लगना चाहिये। उसके बाद में आपके मुख्य मन्त्रीजी लाबी में गये। उन्होंने जनता पार्टी के करीब 40 सदस्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, चूंकि इन चीजों पर कांग्रेस सरकार ने टैक्स लगाया था इसलिये एक बार तो आप लोग मेरे कहने से मत बोलो, वाद में माफ कर दूंगा। आपने इसको जनवरी में किया है। हमने निर्णय किया था कि तम्बाकू, अफीम, पोस्त को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाना चाहिये बाकी पर आप जाने दें क्योंकि राजस्थान की जनता अनपढ़ है वह नहीं समझती है इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाय पर आप लोगों ने उसी तरह किया। लेनिन ने ठीक ही कहा था कि Religion is the opium of mankind.

जब आप एक तरफ तो अन्त्योदय योजना को चला रहे हैं इसमें दो क्रॉप पर

(श्री परसराम मदेरणा)

मत हटाइये। लेकिन आपने जो टैक्स हटाया है वह जुलाई से नहीं बल्कि अप्रैल, 77 से हटाया है। बैक डेट से लागू किया है। मेरा इसमें संशोधन भी है। मैं चाहूंगा कि आप इस बिल को सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दें ताकि इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन हो जाय। अब 2-3 दिन ही बाकी हैं सैशन खत्म होने में। इसको अब तक नहीं लिया जा सका। आपने 2 तारीख को पहले ही एक संकल्प रेटीफिकेशन वाला, जो कान्सटीट्यूशन अमेन्डमेन्ट के बारे में था, ले लिया। अब समय नहीं रहा है इसलिये मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि आप इस बिल को आज पारित नहीं करा कर इसको सलेक्ट कमेटी को सौंप दें जो कि अगले सैशन में अपनी रिपोर्ट दे दे ताकि सारी बातें उसमें डिस्कस होकर एक कान्क्रीट विधेयक सदन में लाया जाय। उसमें सभी बातें देख कर बाद में सदन में बिल लाया जाय ताकि वह उपयोगी रहे।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, मावली में गन्ने की खरीद नहीं होने के कारण वहां पर किसानों की भूख हड़ताल चल रही है।

श्री सभापति : आप किस प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, मावली में गन्ने के काश्तकारों से गन्ने की खरीद नहीं कर रहे हैं इस कारण काश्तकार बहुत परेशान हो रहे हैं। उसके बारे में मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर उनके विचार जानना चाहता हूं और जो भूख हड़ताल पर किसान बैठे हैं उनको मरने से बचाना चाहता हूं। मन्त्री महोदय, जवाब दें।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का संशोधन नहीं है लेकिन इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठाया है। सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार की एग्रीकल्चर प्राड्यूस प्राईसिंग पॉलिसी ठीक नहीं होने के कारण काश्तकार आज बहुत परेशान हो रहा है। गन्ने के पैसे काश्तकार को 5-6 रुपये क्विन्टल से ही मिल रहे हैं। कोई लेने को तैयार नहीं है। पहले तो उनको गन्ने का प्रोडक्शन करने के लिये कहा गया लेकिन अब जब प्रोडक्शन हो गया है तो लेने वाला नहीं है। काश्तकार को रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल रही है, यह इनका प्रस्ताव वजनी है कि इनको पूरे पैसे मिलने चाहिये। आपको अफीम और तम्बाकू के डोडे के पैसे अधिक मिल जायेंगे लेकिन बेचारे गन्ने के काश्तकारों को पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि काश्तकारों की जो फसल गन्ने की है उसको खरीदें और काश्तकारों को राहत दें नहीं तो मुझे ऐसा भय है कहीं काश्तकार अगले साल गन्ने की फसल ही नहीं बोयें।

श्री सभापति : माननीय राजस्व मन्त्रीजी।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, आज सदन में कई माननीय सदस्यों ने तरह तरह के प्रश्न उठाये हैं, कई माननीय सदस्यों ने आपत्तियां उठायीं और अपने अमूल्य सुझाव भी कई

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

माननीय सदस्यों ने दिये हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा, तो यह बात कहीं गयी कि पुराने जिन लोगों से पैसे ले लिये गये उन्हें माफ नहीं किया गया। इसमें जो 'बी' और 'सी' है उसमें तो कार्यवाही पहले से ही चल रही है। इसमें उनको सेव किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इसको माफ कर दिया जाय तो जिन लोगों ने पैसे दे दिये हैं जिनसे वसूली हो गई है उनके साथ में अन्याय होगा।

(व्यवधान)

आप सुन तो लीजिये पहले मुझे सुन लें, बाद में आप कहें।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों से वसूली हो गयी थी वह फिर कोर्ट में जाते और कहते कि साहब उनको माफ कर दिया है और हमसे सरकार ने वसूल कर लिया। तो यह दोहरी नीति नहीं अपनायी जा सकती है।

इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल माननीय सदस्यों ने उठाये जो कि मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। अब बेटरमेन्ट लेवी की जो बात कही गयी है वह तो सिंचाई मन्त्री जी के विभाग से संबंधित है। वह बात माननीय सदस्य उनसे करें। क्योंकि सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग अलग हैं।

एक सवाल यह उठाया गया कि अप्रेल से फसल की बीमा पॉलिसी होनी चाहिये। इसका कृषि मंत्रालय से ताल्लुक है, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। कृषि मंत्रालय ही नीति निर्धारित करता है।

विरोधी दल के नेता ने एक बात कही कि अफीम को, तम्बाकू को इसमें रखना चाहिये। पहले का जो कानून था उसमें 7 फसलों को रखा गया था। पहले उसमें इन दोनों को नहीं रखा था और बाद में इन दोनों को उसमें रखा गया था। फसलों के बारे में यदि कोई सरकार अपनी नीति निर्धारित करती है तो कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। यह सही है कि अफीम खाने की आदत लोगों को होती है, तम्बाकू भी खाने की आदत होती है, उससे भी स्वास्थ्य को हानि होती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि मैं भी तम्बाकू खाता हूं. विरोधी दल के माननीय नेता भी तम्बाकू खाते हैं और सदन के नेता भी खाते हैं। इसके साथ साथ मैं विरोधी दल के माननीय नेता का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अफीम और तम्बाकू विदेशी मुद्रा अर्जन करने का एक बड़ा साधन है। अफीम बाहर जाती है, दवाइयों में काम आती है और इन्जेक्शन बनाने के रूप में भी इसका उपयोग होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अफीम के रकबे में दो तीन साल में काफी बढ़ोतरी की है। भारत सरकार की पहले यह नीति थी कि इसके रकबे को कम किया जाय और अब यह नीति है कि इसको बढ़ाया जाय। तम्बाकू भी विदेशों में जाती है और उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बात उठायें यह तो ठीक है लेकिन जैसी भारत की अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
प्राप्त हो सके इसलिये इन दोनों चीजों को रखा गया है और मुस्तसना नहीं किया गया है।

तीसरी बात रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे कही गयी। विरोधी दल के नेता ने भी कहा और माननीय सदस्य, जो मावली से आये हैं, ने भी रेम्युनरेटिव प्राइस के सम्बन्ध में कहा। मैं इसके लिये निवेदन कर दूं कि इस सम्बन्ध में मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं। चूंकि यह एग्रीकल्चर पालिसी से सम्बन्धित है इसलिये मैं माननीय कृषि मंत्रीजी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने मुद्दे उठाये थे उनका मैंने समुचित उत्तर दे दिया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 को जनमत जानने के लिये परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2

इस पर कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक का खण्ड 2 स्वीकार किया गया ?

खण्ड 3

श्री रघुनन्दन व्यास !

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय सभापति जी, इसके बारे में दो तीन मिनट बोलूंगा। अंग्रेजी का हिन्दी अनुवाद मौलिक नहीं होने से मैं अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा।

खण्ड 2 का (ग) है:

"(c) proceedings for the levy, assessment, appeal, revision, review collection and recovery of the cess due up to the day immediately preceding the commencement of

(श्री रघुनन्दन व्यास)

this Act shall be commenced, continued and completed in accordance with the provisions of the repealed Act as if the said Act had not been repealed".

माननीय सभापति जी, निवेदन है कि इसको विलोपित किया जाय । अगर इस भाग की मशा को ध्यान में रखते हैं, किसान की जो मदद करने की भावना है, कर से मुक्त करने की इच्छा है वह सारी इच्छा ही लुप्त हो जाती है । प्रश्न यह उठता है कि कुछ किसानों से तो वसूल कर लिया है और कुछ लोग कोर्ट में चले गये हैं । कुछ से वसूल कर लिया है उस वसूली को रखना चाहते हैं और बाकी को माफ करना चाहते हैं । ऑर्डिनेन्स निकालते हैं तो नैतिक दायित्व हो जाता है कि या तो सबसे वसूल करें या नहीं करें और जिनसे वसूल किया है उनको वापस करें । यह एक नैतिक तकाजा है । यह विधेयक इस नैतिक तकाजे को रोकता है इसलिए इस एक्ट के इस भाग को विलोपित किया जाय । मेरा यह संशोधन है, जनता के हित में है । मैं यह संशोधन रखते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : पहले भी यह प्रश्न उठाया जा चुका है जिसका मैं उत्तर दे चुका हूं ।

यह दोहरा मापदण्ड होगा । कुछ ही लोगों ने मुकदमेबाजी की । यह प्रावधान नहीं रखा जाता है तो उनके साथ अन्याय होगा जिनसे वसूली की है ।

श्री सभापति : क्या इसको वापस लेंगे ?

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं इसको वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय श्री रघुनन्दन व्यास को संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं इसको वापस लेता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 1

श्री परसराम मदेरणा ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, मेरा संशोधन प्रस्ताव यह है कि "उप-खण्ड (2) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक 1 'जुलाई' के स्थान पर शब्द एवं "अंक" 1 'अप्रेल' स्थापित किया जाय । माननीय राजस्व मन्त्री जी अगर मेरे इस संशोधन को मान लेते हैं तो जो शंकायें, आशंकायें, सन्देह या भय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को क्लॉज 3 के सब-क्लॉज (सी में हुए हैं. वह स्वतः ही साफ हो जावेंगे । अप्रेल से पहले का जो पीरियड है सब ही तरह का सस्पेण्ड हो जाता है और जो प्रोसिडिंग कोर्ट्स में रहती है वे, मैं समझता हूं । अप्रेल के बाद की एडजस्टमेन्ट के बारे में हैं । यह सरकार

(श्री परसराम मदेरणा)

अभी जिद्द कर रही है। सितम्बर में इस सरकार से निवेदन किया और अपनी बात को रखा, विद प्रान फोर्स एट ग्रावर कमान्ड रखा लेकिन यह जानते हुए कि यह प्रस्ताव रीजनेबल है तो भी उसे टाला गया। टालने के बाद में उसको सदन से पास करवाया गया कि ग्राधा एकड़ होल्डिंग की वाणिज्यिक फसलों पर छूट दी जाय। तम्बाकू की एक होल्डिंग का भी नहीं किया। ग्रब किन्हीं कारणों से चाहते हैं। जैसा शुरू में ही कहा ग्रापने दलील दी तो ग्रापकी दलील तो मान लेते हैं लेकिन फोरिन एक्सचेन्ज की ग्रावश्यकता है, फोरिन एक्सचेन्ज लायबिलिटी बनता जा रहा है। शायद इस बात को जानते हुए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट कर रहे थे, चीनी थी, हैंड पिच्ड ग्राउन्ड नट ग्राइल था, उसको बन्द किया। इसलिये कि फोरिन एक्सचेन्ज का ज्यादा भण्डार हो जाना ग्रौर उसका उपयोग न होना, इन्वेस्टमेन्ट न होना भी इन्डियन इकोनोमी में इन्फलेशन पैदा करता है। फूड प्राब्लम ग्रौर फोरिन एक्सचेन्ज दोनों ही बातें हैं। मैं जानता हूं कि ग्राप मानेंगे नहीं लेकिन यदि कोई भी सरकार बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यवाही करती तो उसको सेप्टेम्बर में रिपीलिंग बिल ले ग्राना चाहिये था।

उस समय जिद पर रहे फिर गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स को इन्होंने इनवोक किया। उसके बाद में हम एक जुलाई को कर रहे हैं। 1 जुलाई करने में माननीय सभापति महोदय, यह क्लाज 3 की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कई जगह ग्रसेसमेंट नहीं होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सवाल इस बात का है कि बहुत सी जगह खामियां हैं। मौके पर जाकर गिरदावरी नहीं की ग्रौर ग्रन्ट-सन्ट लिख दिया। इससे काश्तकारों के साथ बहुत बड़ा ग्रन्याय होगा। विदेशी मुद्रा की दलील दी है तो ग्राप पोस्त के मामले में यह सेस लगाग्रो। हिन्दुस्तान की सरकार को फोरिन एक्सचेन्ज मिलेगा। इन्जेक्शन में ग्रौर दवाइयों में उपयोग ग्राप कह रहे हैं जो लोगों की ग्रादत पड़ गयी है, खराब लत पड़ गयी है यह लत विदेशों में भी लोगों को पड़े तो ऐसा फौरिन एक्सजेन्ज नहीं लेना चाहिए। वित्त मंत्री जी भी चाहते है कि इन तरीकों से हम कमाना नहीं चाहते। 20 करोड़ का घाटा हो रहा है शराब बंदी से। जब इस घाटे को राजस्थान सरकार बरदाश्त कर सकती है ग्रौर प्राहिबिशन लागू कर सकती है तो फोरिन एक्सचेन्ज के थोड़े लालच में इनका उत्पादन न बढ़ायें। स्टील की ज्यादा बढ़िया क्वालिटी बनाकर ज्यादा फोरिन एक्सचेन्ज कमाइये। एक ऐसा वक्त भी ग्रा जायेगा दो तीन साल के बाद कि केमिकल फर्टीलाइजर में भी देश सेल्फ सफीशियेन्ट हो जायेगा। ग्राप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ग्रापको फोरिन एक्सचेन्ज मिलेगा। यह स्थिति ग्रा गयी है। इसके ग्रन्दर ग्रापको कोई कारगुजारी नहीं है। श्री जगजीवन रामजी ने साफ कर दिया है कि फर्टीलाइजर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बिजली का उत्पादन बढ रहा है। यह सब पहले की योजनाग्रों का फल है। यदि इसको माइनस कर देते हैं तो जनता पार्टी का सिर्फ पालिटिकल एचीवमेन्ट ही है ग्रौर उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुग्रा है। ग्राप करने वाले नहीं हैं ग्रौर नहीं करने वाले हैं तो मुझे बाबू जय प्रकाश नारायण

(श्री परसराम मदेरणा)
जी का 26 तारीख का वाक्य याद आ गया है "विनाशकाले विपरीत बुद्धि"।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय सभापति महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने यह संशोधन रखा है कि 1 जुलाई के बजाय 1 अप्रैल कर दिया जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और जो कृषि का साल है वह 1 जुलाई से शुरू होता है। इसी दृष्टि से इसमें 1 जुलाई रखा गया है।

विरोधी दल के माननीय नेता का यह कहना है कि फोरिन एक्सचेंज बढ़ाया है तो फोरिन एक्सचेंज से मुद्रा स्फीति होती है, सिक्के का फैलाव बढ़ता है और इसकी वजह से कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। बम्बई से इकॉनामिक और पोलिटिकल वीकली पेपर निकलता है उसमें दो महीने पहले अर्थ शास्त्रियों की ओर से राय थी कि फोरिन एक्सचेन्ज हमारे पास इकट्ठा हुआ है और इकट्ठा होता जा रहा है, हर महीने 150 करोड़ और 200 करोड़ रुपये का और कभी 100 करोड़ भी आता है रेमिशन के जरिये और अनाज का भण्डार बढ़ा हुआ है तो इससे वह कहते हैं कि भावों पर असर नहीं पड़ेगा और न ही पड़ना चाहिये। तो इस बारे में अर्थ शास्त्रियों की दो राय हैं। इस विषय पर मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, विदेशी मुद्रा के अलावा भी दैनिक खपत की ऐसी चीजें हैं, जैसे टूथपेस्ट हर घर में काम में आता है। कोई भी टूथपेस्ट आता है तो उसके इनग्रेडियेन्ट्स में तम्बाकू जरूर आती है। कोई भी दन्त मन्जन बनेगा तो उसके इनग्रेडियेन्ट्स तम्बाकू के जरूर होंगे किसी में कम और किसी में ज्यादा मात्रा में होंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं इस देश की आबादी को देखते हुये कि अभी यह हालत है कि हमारे गांवों के निवासी टूथपेस्ट और मन्जन काम में नहीं लाते हैं। भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसका उत्पादन बढ़ाना चाहिये और इसलिए हम सेस से मुक्ति देना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो एडिक्ट करने के लिए है। 1952 में चाय वाले की दुकान पर मैं जाता था वह उसमें अफीम के डोडे मिलाकर पिलाता था। मुझे पता नहीं था। महीने दो महीने के बाद कहीं जाऊं तो मुझे दूसरी चाय पसन्द नहीं आये। तो किसी ने कहा कि यह अफीम के डोडे डालकर पिलाता है। इसलिए मुझे छोड़नी पड़ी। जो मेन्युफैक्चर कर रहे हैं यह टूथपेस्ट के अन्दर जान बूझकर डाल रहे हैं। इससे दांत मजबूत होते हैं या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता। इसलिए यह कोई दलील नहीं है।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय सभापति महोदय, विरोधी दल....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री माणकचन्द सुराणा : विरोधी दल के माननीय नेता की अफीम के खाने के लिए नाराजगी है तो चाय में डोड़े पिला दिए गए उसका असर तो नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य जानते हैं कि आपके क्षेत्र में भी और

(श्री परसराम मदेरणा)

मेरे क्षेत्र में भी कितने गावों के लोग अफीम के आदी होते चले जा रहे हैं। नोखा तहसील में लूणकरणसर, उससे आगे कोलायत और फिर गंगानगर तक इसके आदि हो गए हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री परसराम जी ने जो खण्ड 1 में संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नामें आदि स्वीकार किए गए।

विधेयक का पारण

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार, दिनांक 6 अप्रेल, 1978 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.58 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 6 अप्रेल 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट संख्या—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 725 की सूची)

क्र. सं. नाम	स्वयं के मकान का पता	सरकारी आवास का पता	व्यक्ति/संस्था जिसको निजी मकान किराये पर दे रखा है तथा मासिक किराये की राशि
		आई. ए. एस. अधिकारी	
1. श्री बी. के भनोत मुख्य सचिव, राजस्थान	ए-8 विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर।	ए-52, रामबाग रोड़, जयपुर।	श्री सी.के. सरावगी 1500/-रु. प्रति माह किराये पर।
2. श्री ए. एस. मेहता, सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।	सी-101, चौमू हाउस, जयपुर।	राज भवन के पास, सिविल लाइन्स, जयपुर।	मैसर्स मंगल चन्द ट्यूब्स, प्राइवेट लि. 1350/-रु. प्रति माह किराये पर।
		आई. पी. एस. अधिकारी	
1. श्री गणेशसिंह, महा निरीक्षक आरक्षी, राजस्थान, जयपुर।	बी-28, गोविन्द मार्ग, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर।	22-राम बाग रोड़, जयपुर।	भूमि व भवन कर निदेशालय, राजस्थान, जयपुर 925/-रु. प्रति माह किराये पर।

Page No. 200

(200)

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 726 का विवरण

यूनानी, तिब्बिया कॉलेज, जयपुर को दी गई अनुदान राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	दी गई राशि (रुपयों में)	विशेष विवरण
1.	1959–60	75·5–37	
2.	1960–61	7573–37	
3.	1961–62	6277–67	
4.	1962–63	6880 00	
5.	1963–64	7080–00	
6.	1964–65	7000–00	
7.	1965–66	4265–30	
8.	1966–67	9280–00	
9.	1967–68	9280–00	
10.	1968–69	9300–00	
11.	1969–70	8000–00	
12.	1973–74	10000–00	इस शर्त पर दिया गया कि
13.	1976–77	6000–00	कॉलेज 20000–00 रुपये खुद के पास से व्यय करेगा।

टिप्पणी:—

(1) वर्ष 69-70 में अनुदान देने हेतु संयुक्त निदेशक से निरीक्षण कराया जिसमें यह अंकित था कि "वर्तमान परिस्थिति में शिक्षार्थी राज्य सेवा योग्य अथवा सफल चिकित्सक बन सके इसकी कोई आशा नहीं है।" इस पर राज्य सरकार के निर्णय अनुसार संस्था को सूचित किया गया कि भविष्य में कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।

(2) 72–74 में पुनः अनुदान हेतु निवेदन किया जिसके निरीक्षण प्रतिवेदन में पुनः अनुदान राशि नहीं देने की सिफारिश प्राप्त हुई। इस कारण वर्ष 70–71, से 72–73 तक कोई अनुदान नहीं दिया गया।

(3) 73–74 में पुनः आवेदन करने पर संस्था को आर्थिक कठिनाई के कारण कार्य व्यवस्थित करने हेतु 2000/- रुपये अनुदान एवं 8000/- रुपये तदर्थ सहायता इस शर्त पर दी गई कि संस्था लगभग 20,000/- रुपये अपनी ओर से अतिरिक्त विकास में व्यय करेगी।

(4) 74-75 में संस्था के लिये 12,340/– रुपये स्वीकृत हुए किन्तु अपनी ओर से 20,000/– व्यय करने की शर्त पूर्ण न होने से 74-75 व 75-76 में नहीं दिया।

परिशिष्ट—3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जयराला बांध का कार्य

728. श्री अयूब खां (तिजारा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील तिजारा में जयरोली के बांध का कार्य क्यों रोका गया?

(2) इस पर दुबारा काम कब शुरू हो जाएगा?

(3) क्या राज्य सरकार इस बांध को अधूरा छोड़ना चाहती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) बांध की प्रशासनिक स्वीकृति व तकनीकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्य रोक देना पड़ा।

(2) प्रशासनिक स्वीकृति होने पर ही कार्य को हाथ में लेना सम्भव होगा।

(3) जी नहीं।

नेशनल हाई वे जयपुर पर होने वाली दुर्घटनाएं

729. श्री हरीकृष्ण (नदबई): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नेशनल हाई वे जयपुर पर ग्राम हतेरा से लूलहारा तक सन् 1971 से अब तक हर वर्ष वाहनों द्वारा कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं?

(2) इन दुर्घटनाओं के होने का कारण क्या है और यह किस प्रकार रोकी जा सकती हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 1971 से 1974 (फरवरी) तक नेशनल हाई वे, जयपुर पर ग्राम हतेरा से लूलहरा तक वाहनों द्वारा कुल 21 दुर्घटनाएं हुई हैं जिनकी वर्षवार सूची संलग्न है।

(2) इन दुर्घटनाओं के कारण मुख्यतः वाहन चालकों द्वारा बरती जाने वाली असावधानी रही है। इन पर नियन्त्रण रखने हेतु सम्बन्धित पुलिस थाने को आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं।

अपराध तालिका एक्सीडेन्टेट
हंतरास ।ललहारा थाना नदबई,

क्र. सं.	वर्ष	मु. नं. मय दिनांक		धारा	किस्म वाहन					अदम
					बस	ट्रक	जीप	कार	ट्रेक्टर	वकू
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	1971	29/	24-4-71	304ए आई.पी.सी.	–	आर.जे.एल. 3383	–	–	–	–
2.	,,	34	28-5-71	,,	–	–	--	एच. आर.ए. 343	– – –	– – –
3.	,,	60	17-8-71	279/ 304ए ता हि.	–	यू.पी.यू. 3174	–	–	–	–
4.	,,	61	21-8-71	279/ 337 ता. हि.	–	आर.जे.डी. 3167	–	–	–	1
1.	1972	46	25-5-72	,,		आर.जे.डी. 3126	–	–	–	–
2.	,,	54	1[illegible]-6-72	,,		यूएम.आर. 2141	–	–	–	–
1.	1973	40	21-[illegible]-73	279/ 429 ता. हि.	–	आर एस.एल. 6730	–	–	–	–
2.	,,	72	11-5-73	279/ 337 ता. हि.	–	–	आर.जे.डी. 2433	–	–	1
3.	,,	95	12-7-73	,,	–	यू.पी.टी. 837	–	–	–	–
4.	,,	99	22-[illegible]-73	279 ता. हि.	–	यू.एस.पी. 3493	–	–	–	–

वर्ष 1971 से 1978 तक ग्राम—
नेशनल हाई वे, जिला भरतपुर

अदम पता	अदम सबूत	जेर तफतीश	चालान	सजा	रिहा बरी	राजीनामा	पेंडिंग कोर्ट	घायल हुए	मारे गये	कारण दुघटना	विशेष विवरण
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	–	–	–	–	–	–	–	–	1	ट्रक की चपेट से मरा	ड्राईवर की लापरवाही से दुर्घटना हुई।
–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	पेड़ से टकरा कर	"
–	–	–	1	–	–	–	1	2	1	ट्रक पलट जाने से	"
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	"	"
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	पेड़ से टकराने से	"
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	"	"
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	भैंस को टक्कर मारी. जो मरी।	"
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	तेजी के कारण	"
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	"	"
–	–	–	1	–	–	[illegible]	1	–	–	"	"

Page No. 204

(204)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	1973 113	2-9-73	279/ 3·7	–	आर.एस.एम. 4445	–	–	–	–
6,	„ 145	25-10-73	„		आर.एस.एम. 7732	–	–	–	·
7.	„ 147	0-10-73	279 ता. हि.	– –	आर.जे.आर. 2317	– –	– –	– –	– –
1.	1974 60	22-5-74	279/ 337	– –	–	–	–	आर.जे. एल. 2513	– –
1.	1975 32	5-3-75	„		आर.आर.एल. 6644 –	–	–	–	–
2.	„ 51	4-4-75	279/ 304 ए	–	आर.जे.जी. 995	-	--	–	–
3.	„ 92	3-8-75	279/ 337		आर.जे.आर. 9347	–	–	–	–
1.	1976 86	6-7-76	„		आर.एस.जी. 429	--	–	–	--
2.	„ 125	9-1[illegible]-76	304ए	–	यू.एस.ए. 6738	–	–	–	·
1.	1977 106	23-8-77	279/337		आर.एस.जी. 3231 –	–	–	–	–
1.	1978 22	17-2-73	„		डी.एल.पी. 6063	–	–	–	–
	कुल योग:				12	1	1	1	3

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	तेजी के कारण	ड्राईवर की लापरवाही से दुर्घटना हुई।
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	,,	,,
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	,,	,,
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	,,	,,
–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	,,	,,
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	,,	,,
–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	,,	,,
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	,,	,,
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	,,	,,
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	ड्राईवर मरने के कारण	,, ,,
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	तेजी के कारण।	,,
1	1	–	16	–	–	1	15	9	68	–	

भीलवाड़ा के बिजली विभाग के स्टोर में पड़े ट्रान्सफार्मर

730. श्री डूंगरराम पंवार (टौंक) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) भीलवाड़ा के बिजली विभाग के स्टोर में कितने ट्रान्सफार्मर दुरुस्ती के लिए कितने समय से बेकार पड़े हैं ?

(2) क्या ये ट्रान्सफार्मर निर्माताओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अथवा तकनीकी अज्ञान के कारण बेकार पड़े हुये हैं ? ये ट्रान्सफार्मर किस कम्पनी से खरीदे गये थे ?

(3) क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि किन अयोग्य अधिकारियों से यह नुकसान हुआ है ?

(4) क्या कई वर्षों से नियुक्त सहायक इंजीनियर्स ट्रान्सफार्मर की चोरियों में सहायता कर रहे हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार इस नुकसान का अनुमान लगा कर ऐसे वर्षों से नियुक्त भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा बिजली घर में खराब ट्रान्सफार्मर का ठीक करने के लिए कोई विधिवत वर्कशाप स्थापित नहीं है। यद्यपि स्थानीय इंजीनियर्स व कामगारों द्वारा खराब ट्रान्सफार्मर्स ठीक करने के प्रयास किये जाते रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स खराब होकर समय-समय पर आते रहते हैं और उनमें से जो ठीक हो जाते हैं वे पुनः काम में लिये जाते हैं। इस समय विभिन्न केपेसिटी व वोल्टेज के 113 ट्रान्सफार्मर्स वहां पर ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो सके हैं। इनमें से कुछ वर्ष 1975-76 से पड़े हैं।

(2) जी नहीं। ये ट्रान्सफार्मर्स विभिन्न कम्पनियों द्वारा निर्मित हैं। विधिवत ट्रान्सफार्मर रिपेयर शॉप नहीं होने के कारण इनकी मरम्मत नहीं हो सकी है। निर्माताओं की सूची संलग्न है।

(3) ट्रान्सफार्मर्स साधारणतया ओवर लोडिंग, वोल्टेज सर्जेज, लाइटनिंग, तेल में नमी आदि कारणों से खराब होते हैं। भीलवाड़ा में किसी अधिकारी की गलती से ट्रांसफार्मर खराब होने की रिपोर्ट नहीं है।

(4) जी नहीं। ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

(5) यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हो तो उसकी जांच करवाई जावेगी तथा गलती प्रमाणित हो तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भीलवाड़ा जिले में जो ट्रांसफार्मर्स खराब पड़े हैं, उनके निर्माताओं के नामवार संख्या की सूची

1.	प्रदीप ट्रांसफार्मर्स	12
2.	क्राम्टन	18
3.	मारसन्स	17
4.	जी. ई. सी.	16
5.	एन. ई. आई.	11
6.	किर्लोस्कर	7
7.	रेडिया ऐसोसिरीज	10
8.	ट्रांसफार्मर्स एण्ड स्विच गियर्स, मद्रास	3

9.	इलेक्ट्रा	4
10.	ई. सी. ई.	14
11.	जी. ई. एफ.	10
12.	पावर ट्रांसफार्मर्स	2
13.	नाम पट्टिका खो गई	9
14.	एम. ई. आई	3
15.	स्टार डेल्टा इलेक्ट्रिकल्स	1
16.	वेस्टर्न ट्रांसफार्मर्स	1
17.	ईस्टर्न ट्रांसफार्मर	2
18.	ई. आई. ई.	4
19.	आर. ई. एल.	1
20.	मिर्जापुर	1
	कुल:	146

आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं के पुनर्वास की व्यवस्था

7·1. श्री रामजीलाल (बैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने डाकू गिरोह सक्रिय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ डाकुओं ने आत्म समर्पण भी किया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उनके साथ किसी प्रकार का समझौता किया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं ने जेल में भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक राज्य सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है।

उत्तर

(1) इस समय राज्य में कोई भी संगठित डाकू गिरोह नहीं है।

(2) जी हां। आत्म समर्पण राज्य सरकार से किसी समझौते के आधार पर न होकर चम्बल घाटी शान्ति मिशन के प्रयत्नों से हुआ है।

(3) दिनांक 25-8-77 को खाना, कपड़े आदि की अधिक सुविधायें प्राप्त करने के लिए हड़ताल प्रारम्भ की गई थी जो उसी दिन समाप्त कर दी गई।

(4) जी हां। की गई कार्यवाही की प्रति संलग्न है।

208

Facilities accorded to the surrendered dacoits who surrendered in 1972.

1. The surrendered dacoits have been offered facilities for scholarship for their children as under :—

	Day Scholars	Hostelers
Upto Higher Secondary Level	25/- p.m.	40/- p m.
Upto College Level	40/- p.m.	75/- p.m.

2. The families of dacoits have been sanctioned @ 400/- and as such 30 families have been facilitied.

3. All those dacoits, who surrendered in 1972, have been given facility that their cases should be taken at Gwalior Jail and in respect of those who are convicted in serious cases, challan in other cases shouldnot be put up.

4. An amount of Rs. 10,000/- has been sanctioned to engage defence lawyers for them.

5. The case of relatives of surrend rers pending in the court under section 216 (A) of Cr. P. C. have been withdrawn by the Government.

6. In order to change the livelihood and their scoio-economic life, the Government have sponsored a scheme costing of Rs. 13 65 crores to dovelop Chambal Ravines. This scheme is under consideration with the Government of India

7. The Government also revised diet and clothing pattern prescribing batter food and clothing for the surrenderers,

8. Subject to availability and willingness of surrenderers to accept land wherever it is available efforts will be made to allot land to them. District Magistrate, Bharatpur and Revenue Department of State Government are trying to make available suitable area for allotment of land to landless persons.

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

742. श्री माणक चन्द सुराणा (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:–

(1) दिनांक 22 जनवरी, 1951 के राज्य सरकार के उस नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें जिसके द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों की स्थायी प्रथम नियुक्ति की गई थी और जिसके द्वारा उनकी वरिष्ठता भी निर्धारित की गई थी।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक 2 सितम्बर, 53 को उस वरिष्ठता को इस प्रकार बदला कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को बहुत अधिक जूनियर कर दिया ?

(3) उन अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिन्हें 50 से भी अधिक अधिकारियों से वरिष्ठता में नीचे कर दिया।

(4) क्या यह सही है कि उन प्रभावित अधिकारियों के भविष्य पर इस प्रकार का असर पड़ा है कि उन्हें पदोन्नति 15-20 साल बाद मिली ?

(5) क्या राज्य सरकार इस प्रकार स्थायी वरिष्ठता व स्थायी नियुक्ति, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर की गई हो, को नेचरल जस्टिस के सिद्धांतों को पोलो किये बिना वैधानिक रूप से बदल सकती है ?

(6) क्या राज्य सरकार प्रभावित अधिकारियों को रिलीफ देने के लिये विचार करेगी ?

उत्तर

(1) वांछित नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही है कि राज्य सरकार ने आज्ञा संख्या प. 4 (23) नियुक्ति (ए) 53, दिनांक 2-9-53 द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता में परिवर्तन किए। इससे कुछ अधिकारी पहिले की अपेक्षा काफी जूनियर हो गए।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) यह सही है कि प्रभावित अधिकारियों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(5) जी नहीं।

(6) विवाद की जटिलता को देखते हुए वर्तमान में राज्य सरकार के लिए प्रभावित अधिकारियों को रिलीफ देना संभव प्रतीत नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आई. ए. एस. अधिकारियों के गुप्त प्रतिवेदन एवं उसकी प्रक्रिया

732. श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आई. ए. एस. अधिकारियों के गुप्त प्रतिवेदन की प्रक्रिया में कौन कौन अधिकारी माध्यम हैं तथा उनके रिव्यूइंग अधिकारी कौन कौन हैं ?

(श्री हरचन्दसिंह)

(2) आर. ए. एस. अधिकारी, जो उप शासन सचिव हैं, के गुप्त प्रतिवेदनों की प्रक्रिया में कौन कौन अधिकारी माध्यम हैं तथा रिव्यूइंग अधिकारी कौन कौन हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उपशासन सचिव के पदों पर आसीन आई. ए. एस. और आर. ए. एस. अधिकारियों के गुप्त प्रतिवेदनों में दोहरी प्रणाली अपनाई जाती है तथा आर. ए. एस. अधिकारियों के प्रतिवेदन मे मन्त्री माध्यम होता है तथा आई. ए. एस. के मामले में नहीं ?

(4) उपरोक्त मामले सम्बन्धी तमाम नियम, उपनियम व निर्देशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(5) क्या यह सही है कि आई.ए.एस. अधिकारियों के गुप्त प्रतिवेदन में मन्त्री के माध्यम न होने से आई. ए. एस अधिकारी प्रशासन पर मंत्रियों की बिना परवाह किये हावी हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रवृति पर रोक लगाने हेतु राज्य सरकार कोई कदम उठा रही है ? अगर हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) संलग्न सूची के क्रमांक 12 पर दर्शाए हुए हैं।

(3) जी नहीं।

(4) सम्बन्धित नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(5) यह सही नहीं है कि आई.ए.एस. अधिकारी मन्त्रियों की बिना परवाह किये हावी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों की संख्या निर्धारित करने का आधार

734. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों की संख्या निर्धारित करने का क्या आधार है ?

(2) क्या यह सही है कि कई राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बहुत ही अपर्याप्त बसें चलाई जाने से यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना और नुकसान उठाना पड़ता है ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर की रामगढ़ रोड पर निगम की बसें चल रही हैं और उक्त मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया हुआ है ?

(4) क्या सरकार उक्त मार्ग पर बसों की अपर्याप्त मात्रा होने के कारण यात्रियों की कठिनाई दूर करने के लिए बसों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा किसी मार्ग के राष्ट्रीयकरण की प्रारूप योजना प्रकाशित

(यातायात मन्त्री)

करने से पूर्व उस मार्ग का सर्वे करा कर ड्राफ्ट योजना में उस मार्ग पर संचालित की जाने वाली बसों व परिचक्रों का उल्लेख किया जाता है। इस योजना के विरुद्ध निजी वाहन मालिकों से प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के उपरान्त जब राज्य सरकार द्वारा योजना अनुमोदित कर अन्तिम रूप से प्रकाशित की जाती है तो उस अधिसूचना में मार्ग पर संचालित की जाने वाली बसों व परिचक्रों का निर्धारण किया जाता है। इस योजना के अनुसार ही निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बसें लगाई जाती हैं व परिचक्र संचालित किये जाते हैं। भविष्य में यात्री-भार बढ़ने पर निगम द्वारा बसों व परिचक्रों की संख्या में वृद्धि की जाती है।

(2) जी नहीं। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर पर्याप्त बसें संचालित की जाती हैं और यात्री उपलब्धता के आधार पर संचालित परिचक्रों की संख्या निर्धारित की जाती है। इस हेतु वर्ष में दो बार, शरदकालीन तथा ग्रीष्म-कालीन समय सारणी तैयार की जाती है।

(3) जी हां।

(4) जयपुर-जमुवा रामगढ़ दौसा मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों द्वारा केवल 44 एकल सेवायें संचालित का जाती थीं जिनकी तुलना में निगम 52 एकल सेवायें संचालित कर रहा है जिनमें यात्री-भार का औसत 60 से 65 प्रतिशत ही है। उपलब्ध यात्री-भार को देखते हुये वाहन सेवाओं में वृद्धि करने का अभी कोई औचित्य नहीं है।

जोधपुर-शेरगढ़ मार्ग पर चलने वाली बसें

735. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रोडवेज की कम बसें लगी होने से तहसील शेरगढ़ की जनता को भारी परेशानी होती है और आम तौर पर बसें ओवर लोड आती हैं? यदि हां, तो क्या जोधपुर शेरगढ़ सर्विस के लिए तथा जोधपुर सेतरावा शेरगढ़ के लिए राज्य सरकार द्वारा नई बसें लगाई जावेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) यदि अन्य कच्चे मार्गों पर कोई प्राइवेट बसें लगाना चाहे तो इसकी स्वीकृति देने में विभाग को क्या आपत्ति है?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील शेरगढ़ के जिन मार्गों पर वर्तमान में निगम की बसें चल रही हैं उनमें पहले ही यात्री-भार कम है अतः और वाहन लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) कोई आपत्ति नहीं है।

बून्दी नगर में पेय जल की व्यवस्था

736. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी नगर में वर्तमान में 12 लाख गैलन प्रति दिन पानी दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो इस क्षमता को कब तक पूरा करा लिया जायेगा?

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)'

(2) क्या यह सही है कि बूंदी में पानी की भंडारण क्षमता 3.25 लाख गैलन है तथा नियमानुसार इसकी 6 लाख गैलन की भण्डारण क्षमता होनी चाहिए ? यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि बूंदी में छोटी पाइप लाइन है, जिसको बदलने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इस योजना को कब तक पूरा करने की सरकार की योजना है ?

(4) क्या यह सही है कि बूंदी नगर समीपवर्ती गावों को पीने के पानी के लिए नल लाइन से जोड़ने का राज्य सरकार का इरादा है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बूंदी शहर में वर्तमान में 10.5 लाख गैलन पानी प्रति-दिन दिया जा रहा है। नये खोदे जाने वाले नलकूपों में पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाने पर इसी वर्ष 12 लाख गैलन पानी प्रति दिन दिया जा सकेगा।

(2) जी हां। पुनर्गठित योजना में पानी के भण्डार की क्षमता 5.25 लाख गैलन करने का प्रावधान है। 2.00 लाख गैलन अतिरिक्त भण्डार क्षमता के लिये प्राथमिक प्रक्रिया चालू की जा चुकी है।

(3) बूंदी पुनर्गठित योजना में छोटी पाइप लाइन को बदलना संभव नहीं है। जल वितरण व्यवस्था को अधिक सक्षम करने के लिये नयी पाइप लाइन डाली जायेगी। यह कार्य इस वर्ष पूर्ण होने की संभावना है।

(4) जी नहीं।

मेड़ता रोड पुलिस थाने में दर्ज मामला

737. श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत न इसर, पंचायत समिति भोपालगढ़ के 20 हरिजन मतदाताओं को गत पंचायत चुनाव में वोट डालने से रोकने के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा अपहरण करने, छुरा मारने व ट्रक से गिरा कर एक हरिजन स्त्री की टांग तोड़ देने बाबत मेड़ता रोड पुलिस थाने में कोई मुकदमा दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख को ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले में पुलिस ने मुल्जिमों से रिश्वत लेकर मामले को दबा दिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस मामले में पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ? और यदि नहीं, तो पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में नं. 8/78 दिनांक 6-2-78 धारा 365/370/342/34/279/338 आई.पी.सी. थाना मेड़ता रोड पर दर्ज हुआ है। मुकदमें का प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सलग्न है।

(2) जी हां। मुकदमे का अनुसंधान प्रगति पर है। अनुसंधान में देरी के कारणों की जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

राजस्थान पुलिस

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म से हस्तदफा 154 सी आर पी. सी. थाने पर चाक होती है)

थाना मेड़ता रोड, जिला नागौर, राजस्थान

जुर्म नं. सुर्खी में 8/3-2-78 तारीख और वक्त वकूआ 5-2-78

तारीख व वक्त जब इत्तला हुई मय रिपोर्ट नं. राजनामचा आम	जाय वकूआ और फासला और सिमत थाने से मय नाम हल्का अगर कोई दूसरा हो	तारीख व वक्त रवानगी थाने से
दिनांक 6-2-78 वक्त 6 पी. एम. आर. आर. नं.	सरहद हरसोलाव व फासला 13 मील बरुख पश्चिम कुटाऊ	6-2-78

नाम व नम्बर हल्का	हल्के में वकूआ अन्दर साल न. 74

नाम और सुकूनत इत्तला कुनिन्दा और मुस्तगीस (सूचना देने वाला और अभियोगी का नाम और निवास स्थान)	नाम और सुकूनत मुलजिमान निवास स्थान अपराधी)	मुख्तसिर हालात जुर्म मय दफा और माल अगर काइ गया हो ।	कारवाई तफतीश जो अमल में लाई गई वजह देरी जो इत्तला करने में हुई	नतीजा मुकदमा
श्री भीपरराम पुत्र शिम्भू राम नायक साकिन नाऊसर	—	मोजा गुड़साना से मजदूर मौजा नाऊसर वोट देने के लिए आ रहे थे जिनको ट्रक में बिठाकर मुलजिमान द्वारा वोट नहीं देने की नियत से ट्रक भगा कर ले गये जिसमें से कूदने से मजदूरों के चोटे आई। जुर्म धारा 375/365 334, 342, 249 और 338 आई. पी. सी.	इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच श्री भीपराम के बयान लिये गये जिस पर बिला नम्बरी एफ. आई. आर. एस. एच. ओ. भोपालगढ़ से प्राप्त होने पर मुकदमा पी. एस. मेड़ता रोड में कायम किया गया।	

एस. डी./हरीसिंह आहुग एस. एच. ओ. पी. एस., मेड़तारोड

रिपोर्ट जबानी या तहरीरी पुश्तपर।

मजमून रिपोर्ट

बयान श्री भीखरराम पुत्र श्री शिम्भूराम जाति नायक उम्र 21 साल पेशा मजदूरी साकिन नाऊसर ने बयान किया है कि आज से 7-8 रोज पहले मैं मेरे गांव नाऊसर आया था तब मुझे नहराराम चौधरी जो हमारे गांव के लिये सरपंच के लिए खड़ा हुआ है ने मुझे कहा कि तुम मऊ थाना जिला गंगानगर जाकर वहां पर अपने गांव के नायक जो मजदूरी करते हैं को वोट देने के लिये लेकर आ जाना। तब मैं तारीख 29-1-78 का मऊथाना गया। वहां से मेरे गांव के रेवतराम, रामपाल, कुशलाराम, धन्नाराम, सूरजाराम, भीकाराम, हेमाराम, रामप्यारी, रसाली धापू, बेदामी, मोहनी जो तमाम नायक जाति के तथा हाऊडी नेवरानी को रेल में बैठाकर तारीख 5-2-78 को सुबह 4 बजे गोठन रेल्वे स्टेशन पर लाया। सुबह बस स्टेण्ड पर हम सब अपने गांव नाहरसर आने के लिए गये। वहां पर हमारे गांव के अमराराम सरपंच का लड़का, भंवरलाल मिला। उसने हमें कहा कि क्यों आये हो। तब हमने कहा कि वोट देने आये हैं। व नाहरसर जायेंगे। इस पर उसने कहा कि ढुकलिया का ट्रेक्टर कर देता हूं। उसमें बैठकर चले जाना व 2-2 रुपये दे देना। तब ढुकलिया का एक जाट अपना ट्रेक्टर व ट्रोली लेकर बस स्टेण्ड पर आया व दो-दो रुपये किराये के तय करके हम सभी उसके ट्रेक्टर की ट्रोली में बैठ गये। थोड़ी देर बाद ट्रेक्टर हमको लेकर रेल्वे स्टेशन की ओर गया वहां पुलिस वालों ने कहा कि ट्रेक्टर का चौकी में लेकर चलो आर ट्रेक्टर को चौकी में खड़ा कर दिया। हमने हमारा सारा सामान उतार कर पैदल ही नाहरसर के लिये रवाना हो गये। गोठन रेल्वे स्टेशन से कुछ दूर ही थे कि पीछे से एक ट्रक आया जिसमें एक तो ट्रेक्टर वाला ढकलिया वाला जाट ट्रक का ड्राइवर जिनका मैं नाम नहीं जानता सकल से पहचान सकता हूं। तथा हमारे गांव के सरपंच उमराराम का लड़का भंवरलाल था। हमको कहा कि ट्रक में बठो अभी नाहरसर चलते हैं। हम सब ट्रक में बैठ गये व हमारा सामान भी ट्रक में रख दिया। मैं व रेवतराम दोनों ड्राईवर की सीट पर आगे बैठ गये। वहां पर भंवर लाल भी बैठा था। ट्रक गोठन से रवाना हो गया। जब ट्रक हरसोला की प्याऊ के फाटे से हरसोलाव की तरफ मुड़ा तब मैंने ड्राईवर को कहा कि हमें हरसोलाव क्यों ले चल रहे हो, तब ड्राईवर ने कहा, चुप रहो। हम तुम्हें इधर ही ले जावेंगे। तब भंवरलाल ने हमें चाकू दिखा कर कहा, चुपचाप बैठे रहो वरना चाकू मार दूंगा। ट्रक फाटे से काफी हरसोलाव की तरफ चली गई। जो ट्रक के पीछे डाले में बैठे व्यक्तियों ने ट्रक को जोर जोर से पीट कर हाका किया कि हमें यहीं उतार दो तब ट्रक के ड्राईवर ने थोड़ी धीमी की तो डाले में बैठे आदमी औरतें नीचे कूदने लगे। हम भी नीचे कूद गये। इस छीना झपटी में भंवरलाल ने रामपाल के जीवणे हाथ में चाकू की मारी जिससे खून बहने लग गया। ट्रक के पीछे बैठी हुई बदामी ट्रक के नीचे उतर रही थी कि ड्राईवर ने ट्रक को एकदम तेज कर दी जिस समय नीचे गिर पड़ी व पैर टूट गया। ट्रक में हम मजदूरों का सामान गुदड़े आटे के पीपे कामलिया का रंग नीला था। इन्जन का रंग फीका आसमानी था। ट्रक मसंडी

बोड़े डाले थे जो रह गये। वह ट्रक उन्हें लेकर हरसोलाव गांव की तरफ भाग गया। ट्रक के डालों की थी जिसके नम्बर मैंने नहीं देखे थे ना उस ट्रक को देखकर पहचान सकता हूं। ट्रक ड्राईवर हुकलिया वाला जाट और भंवरलाल ने इन लोगों को ट्रक में बैठाकर इनको भगा ले जाने की ठानी थी ताकि वोट देने का टाइम निकल जाय व हम वोट नहीं दे सकें। भंवरलाल का बाप अमराराम भी सरपच के लिए नाऊसर से खड़ा हुआ है और हमें महराराम ने वोट देने के लिए बुलाया। इसलिए उन्होंने वह कार्यवाही की है। बदामी का पैर टूट जाने से नई सड़क के किनारे पड़ी है, बाकी के मजदूर पैदल रजलानी की तरफ गये हैं। मैं इसकी रखवाली यहां पर कर रहा हूं। बयान हल्फन व हल्फ पढ़कर सुनाया गया। सुनकर समझकर सही होना स्वीकार कर दस्तखत किये।

एस. डी./भीपरराम

एस डी. (रामनाथ सारण) एस. एच. ओ. थाना
भोपालगढ़ कैम्प हरसोलाव की प्याऊ का
फाटा रातड़ी नाड़ी के पास।

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त बयानों के आधार पर जुर्म दफा 365, 342, 379 324, 279, 338 आई पी. सी. का वकूआ में आना पाया जाता है, क्योंकि यह अपराध थाना मेड़तारोड में घटित हुआ है। मन एस. आई. थाना पहुंचकर बिला नम्बरी एफ. आई. आर. उपरोक्त जुर्म में कता कर वास्ते कायमी मुकदमा व तफतीश श्रीमान एस. एच. ओ. साहब थाना मेड़तारोड के पास हमराह एफ. सी. बाबूलाल नं. 955 के भेजी जावेगी। मन एस. आई मजऊरा बिदामी को जीप में लेकर पी. एच. ओ. भोपालगढ़ को रवाना हुआ व माल मुलजिमान की पता रसी भी करता हुआ पी एच. सी. को रवाना हुआ।

एस. डी. (रामनाथसिंह)
एस एच. ओ. थाना भोपालगढ़ 5-2-78

आज ता: 6-2-78 को वक्त 6 पी. एम. यह रिपोर्ट हमदस्त कानि. बाबूलाल नं. 955 पी. एस. भोपालगढ़ जिला जोधपुर से प्राप्त हुई। रिपोर्ट से जुर्म दफा 365, 342, 379 324 279 338 आई. पी. सी. का वकुए में पाये जाने से मुकदमा नं. 8 तारीख 6-2-78 जुर्म सदर में जांच कर तफतीश बहवाले एच. सी. श्री संतानसिंह के की गई।

एस. डी. (हरीसिंह) एस. एच. ओ.
मेड़ता रोड

प्रशासक नगरपालिका आमेर के विरुद्ध शिकायतें

738. श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आमेर नगरपालिका के प्रशासक कौन हैं तथा किस तारीख से वर्तमान पद पर है? क्या इनके खिलाफ स्थानीय जनता द्वारा कुछ समय पहले तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री को गंभीर शिकायतें की थीं ? यदि हां, तो उनका क्या क्या निपटारा हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका में सेवारत कुछ कर्मचारियों को हटाया गया है ? यदि हां, तो किस किस को तथा किन कारणों से ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रशासक स्वयं ने तथा पालिका अधिकारी ने आमेर में काफी जगह पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है तथा उन पर निर्माण जारी है ? क्या राज्य सरकार अधिकारों के इस दुरुपयोग को रोकेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि प्रशासक, नगरपालिका के साधनों का दुरुपयोग करता है ?

उत्तर

(1) आमेर नगरपालिका के प्रशासक श्री संतकुमार शर्मा, तहसीलदार, आमेर हैं, जो अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त नगरपालिका, आमेर के प्रशासक का कार्य भी कर रहे हैं एवं दिनांक 5-10-77 से इस पद पर कार्यरत हैं। इनके खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) जी हां । सर्वश्री मूलचंद सैनी, लालूसिंह, छोटूराम सैनी. छाटेशाह व नन्दकिशोर सैनी को हटाया है । प्रथम चार को नियोजन कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति नहीं होने के कारण तथा अंतिम की नियुक्ति स्वीकृत पद के अभाव में अनियमित होने के कारण ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

पंचायत समिति फागी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

739. श्री शिवकरण (फागी) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उपभोक्ता को विद्युत मण्डल के वितरण नियमों के अनुसार 100 फीट तक सर्विस लाइन फ्री विद्युत विभाग देता है परन्तु विद्युत तकनीकी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता से सर्विस लाइन का खर्चा करवाते हैं और बचत का सारा माल सब मिल कर गोल-माल कर जाते हैं ?

(2) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति फागी की योजना पर विचार चल रहा है ?

(3) क्या पंचायत समिति फागी क्षेत्र के लिए उपखण्ड स्थापित करने की विद्युत विभाग की 1965 से अब तक कोई योजना है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) उपभोक्ता के प्रिमिसेज की सीमा से नजदीकी 'डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स' तक 100

(विद्युत् मन्त्री)
फीट तक की सर्विस लाइन फ्री देने का नियम है। इससे अधिक दूरी होने से खर्चा उपभोक्ता से लिया जाता है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

नगर सुधार न्यास, ब्यावर

740. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नगर सुधार न्यास, ब्यावर के प्रति वहां की जनता में व्याप्त असन्तोष से राज्य सरकार परिचित है ?

(2) क्या ब्यावर की जनता ने राज्य सरकार को ब्यावर नगर सुधार न्यास भंग करने बाबत ज्ञापन दिये ?

(3) क्या राज्य सरकार ब्यावर नगर सुधार न्यास भंग करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, ब्यावर के सम्बन्ध में जनता आम समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करती रही है।

(2) जी हां।

(3) सरकार के विचाराधीन है।

भूतपूर्व उप वन संरक्षक छतरगढ़ के विरुद्ध आरोपों की जांच

741. श्री श्योपतसिंह, मकासर (हनुमानगढ़), श्री गुरुशरण छाबड़ा (छाबड़ा): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1976-77 में छतरगढ़ वन मण्डल में उप वन संरक्षक के पद पर पदासीन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार माथुर, जो वर्तमान में उप वन संरक्षक "प्रभारी अधिकारी अभाव अभियोग प्रकोष्ठ" कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर में कार्यरत हैं, पर एक लाख रुपये प्रति माह के गबन के गम्भीर आरोप लगाए गये थे जिनमें उदाहरण स्वरूप 44 मजदूरों के लगभग 80 अंगूठों के निशान मय राशि 7,000 रु. के प्रमाण भी प्रस्तुत किये गये थे ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार ने विचार कर क्या निर्णय लिया ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रस्तुत आरोप पत्र में दो फोटो स्टेट प्रतियां भी प्रेषित की गई थीं, जिनमें एक फोटो प्रति में उप वन संरक्षक श्री एन. के. माथुर ने "यात्रा प्रमाणित की जाती है" प्रमाणित किया था ? यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह मामला 1975-76 का है। श्री नरेन्द्र कुमार माथुर तत्कालीन उप वन संरक्षक छतरगढ़ मण्डल के खिलाफ सरकारी राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इस

(वन मंत्री)

शिकायत की जांच तत्कालीन मुख्य वन जीव प्रतिपालक, राजस्थान, सचिव, जिला सतर्कता समिति, बीकानेर, एवम् निदेशक, सतर्कता (वन) द्वारा पृथक् पृथक् रूप से कराई गई। तीनों जांच स्रोतों द्वारा यह पाया गया है कि जिन मजदूरों के नाम उदाहरण स्वरूप अंकित किये गये हैं उनमें से प्रत्येक मजदूर ने अपनी मजदूरी का भुगतान का लेना स्वीकार किया है अतः कोई गबन होना जाहिर नहीं आया।

(2) जी हां, इस जांच में श्री माथुर को राज्य सरकार द्वारा चेतावनी दी जा चुकी है।

अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार

742. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण विभाग में आज तक कितने अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीयन किया गया और उनमें से कितने लोगों को विभाग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की बिना एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज के सीधी नियुक्तियां की जानी चाहिए, किन्तु अधिकारियों द्वारा नियोजन कार्यालय से ही आने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाता है और उनकी ही नियुक्तियां की जाती हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार सरकारी आदेश की अवहेलना क्यों की जा रही है ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग के नियोजन प्रकोष्ठ में अब तक अनुसूचित जाति के 7423 बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया जिनमें से 1212 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

(2) जी हां, कार्मिक विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि नियुक्ति अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति व जन जाति के केवल उन्हीं आशार्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाता है जिनके नाम नियोजन कार्यालय से ही आये हों।

लूणी विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पेय जल की व्यवस्था

743. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले में लूणी विधान सभा क्षेत्र में खेजडली कलां से भेटिन्डा वाया बिरामी, सजाडा, ग्रामीण पेयजल के अन्तर्गत नल योजना हेतु क्या सर्वे किया जा चुका है ? अगर हां, तो इस योजना पर अनुमानित कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

(2) क्या यह सही है कि अकाल के दिनों में इन गावों में पेय जल की व्यवस्था हेतु लाखों रुपयों का खर्चा राज्य सरकार

(श्री रामसिंह विश्नोई)

को करना पड़ता है ? यदि हां, तो इसके स्थाई समाधान हेतु राज्य सरकार कब तक व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि भेटिण्डा, सजाडा, मोडी, कोलावास, मोटूंगा बीरडावास, खारी, पालासनी आदि गांव लूणी नदी के किनारे व उसके आस पास में आये हुए हैं और इन तमाम गांवों में वर्षा के पानी के अलावा अन्य पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है ? क्या कुओं में पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है ? अगर हां, तो इस किल्लत को दूर करने हेतु राज्य सरकार कब तक इस नल योजना की स्वीकृति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) योजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर भूजल विभाग से योजना की जल स्रोत के सम्बन्ध में रिपार्ट प्राप्त होने के बाद ही कार्यवाही की जाती है। सम्बन्धित ग्रामों के नाम जिला आयोजना समिति से वर्ष 1977-78 के लिए प्राप्त प्रस्तावों में नहीं हैं।

(2) जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अकाल के दिनों में पेयजल व्यवस्था ट्रकों द्वारा की जाती है। व्यय के आंकडे इस विभाग में उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार आगामी दस वर्षों में इस समस्या का स्थायी हल करने का विचार रखती है।

(3) जी हां। इस क्षेत्र के कुओं का पानी खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। इन गांवों में आगामी दस वर्षों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है।

राज्य में आयुर्वेद एवं यूनानी अस्पताल खोलने का आधार

744. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने आयुर्वेद तथा कितने यूनानी अस्पताल कहां-कहां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) आयुर्वेद व यूनानी अस्पताल खोलने में राज्य सरकार क्या नीति अपनाती है ?

(3) इस समय कितने हकीम, वैद्य बेकार बैठे हैं तथा उन्हें कब तक स्थाई रोजगार दिलाने की योजना है ?

(4) क्या यह सही है कि मकराना की जनता ने मकराना में दवाखाना खोलने की राज्य सरकार से डिमांड की थी ? यदि हां, तो वहां यूनानी दवाखाना अब कब तक खोला जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में 2,286 आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के तथा 58 यूनानी चिकित्सा पद्धति के औषधालय व चिकित्सालय संचालित है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) आयुर्वेद व यूनानी अस्पताल खोलने में निम्नलिखित नीति अपनायी जाती है:—

(क) ग्राम की जनसंख्या कम से कम एक हजार हो तथा प्रभावित जनसंख्या दो हजार हो।

(आयुर्वेद मंत्री)

(ख) निःशुल्क भवन की व्यवस्था हो।

(ग) उस जगह व उसके आस पास के क्षेत्र में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो।

(3) विभाग की जानकारी में फरवरी, 78 के अन्त तक योग्यताधारी वैद्य व हकीम बेकार नहीं बैठे थे।

(4) जी हां। इस वर्ष नये औषधालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पत्ता तेन्दू राष्ट्रीयकरण से आय

745. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पत्ता तेन्दू राष्ट्रीयकरण के पश्चात् विभागीय शुद्ध आय 30 लाख रु. से घट कर 9 लाख रु. ही क्यों रह गई जब कि अब पंचायत क्षेत्रों का पृथक् ठेका नहीं होता है तथा पंचायत का मुआवजा नहीं दिया गया है?

उत्तर

जी नहीं, तेन्दू पत्ता के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पूर्व की तुलना में आय में निरन्तर वृद्धि हुई है। पंचायतों को मुआवजा देने के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है जिसकी क्रियान्विति की जा रही है।

गंगापुर-दौसा-जयपुर मार्ग पर चलने वाल बसें

746. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर-दौसा-जयपुर मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो चुका है?

(2) क्या यह सही है कि दौसा से गंगापुर चलने वाली बसों की अवधि कई महीनों पहले समाप्त हो चुकी है? यदि हां, तो पुनः उनकी अवधि बढ़ाने का क्या कारण है?

(3) क्या यह सही है कि गंगापुर से जयपुर सिर्फ 1 बस प्रातः आती है तथा एक बस शाम को 5 बजे जयपुर से गंगापुर जाती है? इस रूट पर अधिक बस न चलाने का क्या कारण है?

(4) क्या यह सही है कि दौसा से गंगापुर सीधी 15 से अधिक बसें चलती हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर से दौसा मार्ग राष्ट्रीयकृत है। दौसा से गंगापुर मार्ग का अभी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है।

(2) इस मार्ग के 33 परमिट निजी वाहन स्वामियों को दिये हुये हैं, जिनमें से 22 परमिटों की अवधि समाप्त हो चुकी है। इनके नवीनीकरण का मामला आर. टी. ए. के विचाराधीन है।

(3) जी हां। निगम को दौसा से गंगापुर मार्ग का केवल एक ही परमिट

(यातायात मंत्री)

मिला हुआ है, अतः निगम द्वारा एक ही रिटर्न सेवा उपलब्ध कराई जा रही है।

(4) जी हां।

भरतपुर व सवाई माधोपुर जिले के जंगल

747. श्री शिवचरणसिंह (बयाना): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर व सवाई माधोपुर जिले से हर वर्ष कितनी लकड़ी, कोयला व कत्थे का उत्पादन होता है?

(2) क्या यह सही है कि इन जिलों में जंगल प्रायः नष्ट हो गये हैं?

(3) जो जंगल काटे गये हैं उनके स्थान पर कितने जंगल लगाये गये हैं?

(4) क्या यह सही है कि जो जंगल लगाये जाते है वे प्रायः आंकड़ों के लिये हैं?

(5) आज तक कितने एकड़ में जंगल लगाये गये व कितने काटे गये?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) वनों की सघनता एवं विस्तार पर कालान्तर में विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(3) राज्य में जो पेड़ लकड़ी-कोयले के उत्पादन के लिए काटे जाते है वे प्रायः अच्छे कोपीसर (Coppicer) हैं यथा समुचित सुरक्षा प्रदान करने पर इनका पुनः फुटान हो जाता है। अतः काटे हुए जंगलों की तार बन्दी अथवा पत्थर की दीवार बना कर सुरक्षा की जाने पर यह वन स्वतः ही प्रजनित हो जाते हैं।

(4) जी नहीं।

(5) सुची संलग्न है।

 [redacted]

(222)

सवाई माधोपुर एवं भरतपुर जिले में लकड़ी/कोयला एवं कत्थे के उत्पादन की सूची

वर्ष	लकड़ी (क्वि. में)	कोयला (क्वि. में)	कत्था (क्वि. में)
सवाई माधोपुर			
1969-70	8509	—	—
70-71	83133	—	—
71-72	113038	—	—
72-73	202363	4630.80	—
73-74	82292	11917.60	213.47
74-75	53618	4313.00	33,75.700
75-76	69074	12847.00	149,63.750
76-77	133405	4632.00	89,40.000
भरतपुर			
73-74	2346.60	—	—
74-75	24539.00	985	103,54.200
75-76	—	—	224,63.750
76-77	15070.00	—	—

विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत अब तक काटे गये वन क्षेत्रों की सूची

जिला सवाई माधोपुरः— 4034 हैक्टेअर
जिला भरतपुरः— 1192 हैक्टेअर

विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत अब तक लगाये गये प्लान्टेशन/क्लोजर की सूची

जिला सवाई माधोपुरः— 2732 हैक्टेअर
जिला भरतपुरः— 2527 हैक्टेअर

भीनमाल-झाब मार्ग पर चलने वाली बसें

748. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालोर के भीनमाल सब डिवीजन में भीनमाल से झाब तक बस मार्ग पर निजी बसें वर्ष में केवल 6 माह चलती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार जिला परिवहन अधिकारी को हिदायत कर उचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भीनमाल से झाब कच्चा 'स' श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग के बीच नदी व नाले होने के कारण यह मार्ग वर्षा के समय बन्द रहता है और जब तक रास्ता मोटर चलने लायक नहीं हो जाता बसें नहीं चला करती हैं अर्थात् वर्षा ऋतु के दौरान बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती।

(2) इस विषय में पहले से ही आदेश हैं। मार्ग चलने लायक होने पर बस प्रारम्भ कर दी जाती है।

पंचायत समिति धोंद, लक्ष्मणगढ़ एवं फतेहपुर के गांवों का विद्युतीकरण

739. श्री रामदेव सिंह (मूण्डवा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले की पंचायत समिति धोंद, लक्ष्मणगढ़ व फतहपुर के गांवों, जिनमें बिजली नहीं हैं, का सर्वे कब हुआ था?

(2) क्या यह सही है कि तीनों पंचायत समिति के विद्युतीकरण की योजना डेजर्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन के तहत बनाई गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि अब राज्य सरकार उपरोक्त तीनों पंचायत समितियों का डवलपमेंट कार्पोरेशन की योजना की मार्फत विद्युतीकरण नहीं कर रही है? यदि हां, तो इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक कौनसी दूसरी योजना के तहत किया जायेगा ?

उत्तर

(1) सीकर जिले की पंचायत समिति धोंद, लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर के अविद्युतीकृत ग्रामों का सर्वे वर्ष 1972-73 से 1974-75 तक की अवधि में समय समय पर किया गया।

(2) जी हां। योजना डेजर्ट डवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत बनाई गई है।

(3) जी नहीं। योजना की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। यद्यपि डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सम्मिलित किया जाय यह केन्द्रीय सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

वक्फ बोर्ड की जमीन

750. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान वक्फ बोर्ड का गठन कब तक हो जायेगा ?

(श्री गुल मोहम्मद)

(2) क्या वक्फ बोर्ड ने राजस्थान कई जगह पर शहीद मस्जिदों की, कब्रिस्तान की भूमि को किराये पर पक्के मकान बनवा दिए ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) वक्फ बोर्ड की लाखों रुपये की जमीन कौड़ियों के भाव में चन्द प्रभावशाली व्यक्तियों को दी गई है उनके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) शीघ्र कर दिया जावेगा।

(2) व (3) राजस्थान वक्फ बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है। राज्य सरकार का इसके प्रशासन में कोई दखल नहीं है। यदि बोर्ड द्वारा ऐसे कार्य किये गये हैं तो नया बोर्ड बाद जांच इस पर उचित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये सक्षम होगा। इस विषय में यदि सरकार की कोई सहायता की आवश्यकता पड़ी तो राज्य सरकार बोर्ड की नियमों एवं कानून के अन्तर्गत सहायता करेगी।

बोर्डर होम गार्ड्स वालंटियर्स की नियुक्ति

751. श्री कानसिंह (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बोर्डर होम गार्ड्स वालन्टियर की जब सर्विस पांच साल की हो जाती है तब भी उनको होमगार्ड्स में सिपाही भर्ती नहीं करते हैं ? आर. ए. सी., बी. एस. एफ. व आर. पी. यानी राजस्थान पुलिस में पांचवी पास को सिपाही में भर्ती करते हैं जब कि होम गार्ड्स में आठवीं पास को भर्ती करते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि आर. ए. सी. व बी. एस. एफ. में आठवीं पास सिपाही को दो साल बाद हैड कांस्टेबल का मौका देते हैं और आठवीं पास हैड कांस्टेबल को दो साल बाद पी. सी. का मौका देते हैं जब कि होम गार्ड्स में ऐसा नहीं होता ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि बोर्डर होम गार्ड्स के वालन्टियर को 5 वर्ष पूरे होने पर सिपाही के पद पर भर्ती नहीं किया जाता है। होम गार्ड्स के स्वयं सेवकों को दो वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात् एवं मिडिल पास योग्यता रखने पर यदि कभी स्थान रिक्त हो तो सिपाही के पद पर भर्ती किया जाता है। बार्डर होम गार्ड्स की कम्पनी में 114 स्वयं सेवक अधिकृत हैं जब कि स्थाई कान्सटेबल (सिपाही) के केवल 4 पद ही अधिकृत हैं। इन पदों पर भूतपूर्व सैनिकों एवम् उपरोक्त अनुसार स्वयं सेवक रिक्त पदों पर समय समय पर भर्ती किये जाते हैं।

राजस्थान पुलिस में भी सिविल सेक्शन में आठवीं पास ही सिपाही भर्ती किया जाता है। केवल आर. ए. सी. एवं. आर्म्ड पुलिस सैक्शन में चौथी पास ही सिपाही भर्ती कर दिया जाता है। बा. एस. एफ. पर नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का है।

(2) यह सही नहीं है, पुलिस विभाग में साधारणतया हैड कान्सटेबल पद पर पदोन्नति के लिये पांच साल

(गृह मंत्री)

न्यूनतम सेवा वांछित है। हायर सैकन्डरी या समकक्ष योग्यता होने पर न्यूनतम अवधि 3 वर्ष है। यही स्थिति आर्म्ड पुलिस व आर. ए. सी की है। हैड कान्सटेबल से प्लाटून कमान्डर के पद पर पदोन्नति के लिए साधारणतया 7 वर्ष न्यूनतम सेवा वांछित है। हायर सैकन्डरी या समकक्ष योग्यता होने पर न्यूनतम अवधि 5 वर्ष है। एक स्नातक के लिये यह अवधि 4 वर्ष है।

होम गार्ड्स में विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर पदोन्नति के प्रावधान निम्नानुसार किये गये हैं:—

कान्सटेबल से हैड कान्सटेबल :—

ग्रेजुएट कान्सटेबल जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव, हाई स्कूल पास, जिनको पांच वर्ष का अनुभव तथा केवल पढ़े लिखे (Literate) कान्सटेबल जो 10 वर्ष का अनुभव रखते हों।

हैडकान्सटेबल (हवलदार) से प्लाटून कमान्डर:—

1. बोर्डर होम गार्ड्स में हवलदार जिन्हें 5 वर्ष का अनुभव हो।

2. अर्बन होम गार्ड्स में हैडकान्सटेबल जिन्हें 5 वर्ष का अनुभव हो।

चिकित्सा सामग्री की खरीद के लिये पर्चेज कमेटी का गठन

752. श्री लालशंकर डंगोर (सागवाड़ा): श्री नाथूराम ? क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1978-79 में राजस्थान के चिकित्सालयों में सरकार द्वारा रोगियों के लिये दवा एवम् अन्य चिकित्सा सामग्री रेट कान्ट्रेक्ट द्वारा खरीदने हेतु एक पर्चेज कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उनके पदाधिकारी एवम् सदस्य कौन कौन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (1) में वर्णित कमेटी ने रेट कान्ट्रेक्ट के तहत टेन्डर देने वाली फर्मों के लिये कुछ शर्तें निर्धारित कर एक फार्म (टर्म्स एवम् कन्डीशन्स का) प्रत्येक टेन्डर के साथ फार्म खरीदने वाली फर्मों को दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (2) में वर्णित फार्म के परिच्छेद 6 के अनुसार टेन्डर देने वालों के लिये 5 साल के अनुभव होने की शर्त रखी गई थी एवम् क्या परिच्छेद 6 की भाषा निम्न प्रकार थी ?

"Only regular manufacturers or their sole distributors or importers having at least 5 years experience need tender"

(4) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (3) में वर्णित शर्त के आधार पर कई फर्मों, जिनको पांच साल का अनुभव नहीं था, के टेन्डर अस्वीकार कर दिये गये ? यदि हां, तो ऐसी फर्मों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि मैसर्स बक्सी फार्मास्यूटीकल, जयपुर एवं माइक्रो लेबोरेट्रीज, बंगलोर इत्यादि के टेन्डर पांच वर्ष का अनुभव न होने के बावजूद भी स्वीकार कर लिये ? यदि हां, तो इस प्रकार की कुल कितनी फर्में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री लालशंकर डेंडोर, श्री नाथूराम)

(6) प्रश्न के भाग 5 में वर्णित अनियमितता के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और राज्य सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। पर्चेज कमेटी के पदाधिकारी एवं सदस्य निम्नलिखित अधिकारी हैं :—

1. डॉ. रूपराज पुरोहित, निदेशक, चि. एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान, जयपुर (अध्यक्ष)।

2. डा. डी. के. जगदेव, अतिरिक्त निदेशक चि. एवं स्वा. सेवायें, राज. जयपुर (सदस्य)

3. श्री एस. एन. टण्डन, उप सचिव (मेडिकल), राजस्थान सरकार, जयपुर (सदस्य)

4. श्री ए. के. पाण्डे, उप सचिव (वित्त सी.एस.पी.ओ.), राजस्थान सरकार, जयपुर (सदस्य)

5. डॉ. एन. के. शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर (सदस्य)

6. डॉ. बी. के. जाजू, मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी, भरतपुर (सदस्य)

7. डॉ. (सुश्री) हितेश भार्गव, रीडर इन गायनाकालोजी जे. एल. एन. होस्पिटल, अजमेर (सदस्य)

8. श्री पूरनसिंह, अतिरिक्त निदेशक उद्योग, राज. जयपुर, (सदस्य)

9. श्री के. के. खन्ना, वरिष्ठ लेखाधिकारी चि. एवं स्वा. सेवायें, राज., जयपुर (सदस्य सचिव)।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) स्टोर्स पर्चेज कमेटी के निर्णय दिनांक 27/28 सितम्बर, 1977 के अनुसार जिन फर्मों को अस्वीकार किया गया था उनकी सूची संलग्न है।

(5) जी हां। दिनांक 26-12-77 को स्टोर पर्चेज कमेटी की मीटिंग में यह तय किया गया था कि जो फर्म पांच वर्ष का अनुभव नहीं रखती हैं लेकिन वर्तमान समय में डी. जी. एस. एण्ड डी. में रेट कान्ट्रेक्ट पर हैं या पिछले दो सालों में रहीं ऐसी फर्म्स को स्वीकार किया जा सकता है। चाहे उन्हें पांच वर्ष का अनुभव न हो। इस निर्णय के तहत मैसर्स माइक्रोलेब को स्वीकार किया गया है। मैसर्स-बक्सी फार्मस्यूटिकल कास्मेटिक्स, जयपुर को 26-12-77 स्टोर पर्चेज कमेटी की मीटिंग में लिये गये निर्णय के अनुसार स्वीकार की गयी है। कमेटी के निर्णय में कहा गया है कि राजस्थान में यही एक स्माल स्केल यूनिट है जो डी.जी. एस. एण्ड जी. डी. डब्लू. जैसी लाइफ सेविंग दवा बनाती है, स्माल स्केल यूनिट को प्रोत्साहन देने हेतु तथा फर्म के विदेशी अनुभव को ध्यान में रखते हुए स्वीकार कर लिया जावे। ऐसी फर्म इस कार्यालय की जानकारी में नहीं है। यह फर्म पहले एप्रूव्ड रेट पर रह चुकी है।

(6) इस प्रकार के सभी निर्णय राज्य हित में स्टोर पर्चेज कमेटी द्वारा लिये गये हैं।

LIST OF THE FIRMS WHO WERE RECEIVED FOR HAVING LESS THAN FIVE YEARS EXPERIENCE

1. M/s Abhaiya Chemical and Pharm. (P) Ltd., Pune (Maharashtra)
2. M/s Alkon Lab. (P), Bombay.
3. M/s Apolo Pharm. Lab., Alwar.
4. M/s Alliences and Corp. and Pharm Industry, Ahamadabad.
5. M/s Alpine Industry, New Delhi.
6. M/s Arawali Chemical Labs., Jaipur.
7. M/s Bio/Ethical, Bombay.
8. M/s Cifer Chemicals and Pharma, Bombay.
9. M/s Cooper Pharma, Delhi.
10. M/s Chemical Associate Ltd., Delhi.
11. M/s Cos-Pharma (P) Ltd., Bombay.
12. Dental Manuf. Marketing Comp. Bombay.
13. M/s Elys Injakt (P) Ltd., Bombay.
14. M/s Everest Chemical Industry Vatava, Ahmadabad.
15. M/s Gland Chemical, Hyderabad.
16. M/s Goyal Enterprises, Jaipur.
17. M/s Caffie Labs, Bombay.
18. M/s Hindustan Tablets, Madras.
19. M/s Intra Drugs, Haryana,
20. M/s Indo German Alkaloids, Bombay.
21. M/s Indo Foreign Chemical Industries, Bhopal.
22. M/s Intrusin, Gujrat.
23. M/s Inga Lab., Bombay.
24. M/s Kiwi Pharma, Jaipur.
25. M/s Lyka Labs. Bombay.
26. M/s Lister Lab. Bombay.
27. Liberty Pharma. Bombay.

28. Mahendra Chemical Works, Calcutta.
29. M/s Medicare Lab. (P) Ltd., Merrut.
30. M/s Mahaveer Pharma Industries, Madras.
31. M/s Pharma Chem. Lab., Lucknow.
32. M/s Pharma Impex, Calcutta.
33. M/s Prakash Chemical, Beawar.
34. M/s Prem Pharma, Indore.
35. M/s Products, Bikaner.
36. Gyathoghex, Indore.
37. M/s Sunita Chemical, Ratlam.
38. M/s Tamil Nadu Dadha Pharma, Ltd., Madras.
39. M/s T. Walher's Pharmaceutical Lab., Pune.
40. M/s Torrent Lab. Ahmedabad.
41. M/s Trichem Lab., Bombay.
42. Triumpt Products, Bombay.
43. M/s Tuton Pharm, Ahmedabad.
44. M/s Vitro Pharma Products, Bombay.
45. M/s Mander Ltd., Bombay.
46. M/s Dalphin Lab., P. Ltd., Calcutta.
47. M/s Wado Pharma, Madras.
48. M/s Syrup Thin Kef Mfg. Comp. P. Ltd., Bombay.
49. M/s Cine Lab., Ahmedabad.
50. M/s Vashistha Pharm., Gurgaon.
51. M/s Wardon Chemical, Jaipur.

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र दांता में लेडी डाक्टर का रिक्त पद

753. श्री मदनसिंह दांता (दांता-रामगढ़) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र, दांता (सीकर) में लेडी डाक्टर तीन साल से नहीं है ? अगर हां, तो क्यों ? कब तक लेडी डाक्टर वहां लगा दी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि कई लेडी डाक्टर के आदेश भी हुये हैं परन्तु उन्होंने जोइन नहीं किया ? अगर हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही हैं कि जनता द्वारा बार बार लिखने पर भी पोस्टिंग नहीं किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र पर कई स्टाफ के कर्मचारी नहीं हैं ? अगर हां, तो कौन-कौन नहीं हैं ? उनको वहां कब तक लगा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता है। महिला चिकित्सक के अभाव में पद के विरुद्ध पुरुष चिकित्सक कार्यरत है। महिला चिकित्सक उपलब्ध होते ही लगा दी जावेगी।

(2) डा. (श्रीमती) सरोज मल्होत्रा का स्थानान्तरण माह अप्रेल, 77 में होने के पश्चात उक्त पद पर डा. (श्रीमती) शील महाजन को 27-4-77 को नई नियुक्ति दी गई थी किन्तु उक्त महिला चिकित्सक ने कार्यभार निर्धारित अवधि में नहीं सम्हाला व नियुक्ति आदेश रद्द माने गये। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जनता की मांग पर तथा महिला चिकित्सक के अभाव होने पर पुरुष चिकित्सक की नई नियुक्ति जनवरी, 78 में कर दी गई है तथा उक्त चिकित्सक वहां दिनांक 19-1-78 से कार्यरत हैं।

(4) केवल एक कम्पाउन्डर का पद रिक्त है जो दिनांक 14-1-78 से है जिस पर प्रशिक्षित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर लगा दिया जावेगा।

डाइरेक्टर का रिक्त पद

754. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ, राजस्थान जयपुर का पद गत दो वर्षों से भी अधिक समय से रिक्त पड़ा है और उस पद का कार्य अपने कार्य के साथ-साथ एडीशनल डाइरेक्टर (प्रशासन) कर रहा है ?

(2) अब तक प्रश्न (1) में वर्णित पद पर नियमित नियुक्ति न करने का क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार इस पद पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो इस पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी।

उत्तर

(1) जी हां।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) 1976 के माह सितम्बर में यह निर्णय लिया गया था कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पद को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा शीघ्र ही भरा जाये एवं समिति की बैठक बुलाने हेतु कार्यवाही भी की गई। किन्तु एक अन्य डाक्टर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण में एक अपील दायर करने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हो सकी। विद्वान अधिकरण के फैसले के अनुसार नियमों में कुछ विषमतायें पायी गई जिनको दूर करने के लिए संशोधन हेतु भी कार्यवाही चालू कर दी गयी एवं नियमों में संशोधन की कार्यवाही अंतिम स्तर तक पहुंच चुकी है। किन्तु नये मेरिट रूल प्रकाशित होने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अब शीघ्र ही बुला ली जायेगी।

बिजली घर कर्मचारी यूनियन जोधपुर द्वारा दिया गया ज्ञापन

755. श्री नूरा (मसूदा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2) क्या बिजली घर कर्मचारी यूनियन (एटक सम्बद्ध) जोधपुर द्वारा गत माह में मुख्य अभियन्ता (ओ. एण्ड एम.); राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर को विभागों का गलत वितरण एवं एटक के कर्मचारियों के साथ दोगली नीति अपना कर कार्य सहायकों के स्थानान्तरण संबंधी कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया ? यदि हां, तो उस ज्ञापन के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार ने ऐसा कोई परिपत्र प्रसारित किया है जिसके अन्तर्गत 180 रु. प्रति माह (बेसिक पे) पाने वाले कर्मचारियों को कोई भी अधिकारी उसके होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं भेज सकता ? यदि हां, तो उस परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता (निर्माण), राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जोधपुर के जोधपुर ने कार्यरत कार्य सहायकों का स्थानान्तरण पाली व जोधपुर कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य विद्युत मण्डल द्वारा इन अल्प वेतनभोगी कार्य सहायकों के लिए कोई नियम बनाए गये हैं ? यदि हां, तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या राज्य सरकार इन कार्य सहायकों का वेतन 180 रु. से बढ़ा कर 300 रु. रखने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर वृत्त के अधीन विभिन्न खण्डों व उप खण्डों के पुनर्गठन का प्रश्न इस ज्ञापन के मिलने से पूर्व से ही मण्डल के विचाराधीन है।

(2) मण्डल द्वारा प्रसारित आदेश दि. 30-4-1974 के अनुसार पदस्थापन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि जहां तक सम्भव हो, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अपने जिले से दूर-स्थापन न किया जावे। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विद्युत मन्त्री)

(3) जोधपुर से निर्माण उप खण्ड, पाली में कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया है। परन्तु निर्माण उपखण्ड प्रथम व द्वितीय जोधपुर से 12 श्रमिकों का स्थानान्तरण जालोर में निर्माण उपखण्ड में कार्य की अधिकता के कारण सितम्बर, 1977 में किया गया।

(4) आदेश की प्रति प्रश्न के भाग (2) के अधीन सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जहां तक स्थायी हेल्परों के वेतन का प्रश्न है, विद्युत मण्डल द्वारा 10 मार्च, 1978 को नये वेतनमान घोषित किये गये हैं, जिसमें इनका वेतनमान 240 से 420 रु. है। वर्कचार्ज हेल्परों के न्यूनतम वेतन में परिवर्तन का कोई प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है।

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No. RSEB/DDP/F. 11/JC-I/D.759
Jaipur 30-4-1974

ORDER

It has been brought to the notice of the undersigned that at times low paid employees are transferred and posted at places distant form their home towns which causes financial loss and hardship to them. It is. therefore. enjoined up on all the concerned Officers that while doing posting and transfers it may be kept in view that as far as possible no low paid employee is posted at a place distant from his home town.

By order,

Sd/-R.K. Agarwal
SECRETARY.

राज्य के जयन्ती ग्रामों में गृह निर्माण की प्रगति

756. श्री कुंजीलाल (वामनवास), श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के जयंती ग्रामों में गृह निर्माण की क्या प्रगति है ? अब तक लक्ष्य का कितना प्रतिशत कार्य हो गया है ?

(2) राज्य के किन किन जिलों के किन किन ऐसे ग्रामों में यह योजना चालू है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस योजना के कार्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जा रही कार्यवाही तथा प्रगति से सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के जयन्ती ग्रामों में गृह निर्माण हेतु 26 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया था जिसके अन्तर्गत 1300 मकानों के निर्माण करवाये जाने का लक्ष्य था। निर्धारित अवधि में 764 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हुआ तथा 16० मकान अधूरे रहे। 26 लाख रुपयों में से 17,97,600 रु. की राशि का उपयोग हुआ जो लक्ष्य का 69.1 प्रतिशत है।

(समाज कल्याण मन्त्री)

(2) राज्य के जिन जिन जिलों के जिन जिन ग्रामों में यह योजना आरम्भ की गई थी, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(सूची विस्तृत हाने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर में थड़ियों और पटरियों से उठाये गये दुकानदारों को व्यावसायिक स्थान का आवंटन और उसकी दर

757. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास अलवर द्वारा थड़ियों और पटरियों से उठाये गये दुकानदारों को 550 रु. प्रति वर्ग गज की दर से व्यावसायिक स्थान आवंटित किये गये हैं जब कि जयपुर नगर में थड़ियों से उठाये गये दुकानदारों को व्यावसायिक स्थान 120 रु. प्रति वर्ग गज़ की दर द्वारा आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों है ?

उत्तर

जी हां। जयपुर नगर में थड़ियों से उठाये गये दुकानदारों को व्यावसायिक स्थान 120) रुपये प्रति वर्ग गज नहीं बल्कि 100) रुपये प्रति वर्ग गज की दर द्वारा आवंटित किये गये हैं। दरों में अन्तर के कारण स्थान की उपयुक्तता, उसका व्यावसायिक महत्व, विकास का खर्चा आदि से संबंधित है।

अनुसूचित जाति/जन जाति निगम उदयपुर द्वारा सामान की खरीद

758. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति/जन जाति निगम, उदयपुर द्वारा कब कब कितना कितना क्या क्या माल किस किस भाव से खरीदा गया ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) जिस समय यह माल खरीदा गया उस समय बाजार में इनका क्या भाव था ?

(3) क्या यह सही है कि निगम ने बहुत कम मूल्य पर यह माल खरीदा था ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उन व्यक्तियों को उचित मूल्य दिलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अनसूचित जाति/जनजाति निगम, उदयपुर द्वारा अब तक लघु वन उपज का जितना माल जिस भाव से खरीदा है, उसकी सूची सलग्न कर दी गई है।

(2) माल खरीदने का भाव बाजार में बिकने की दर का 60 से 70 प्रतिशत रखा गया था।

(3) जी नहीं।

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम लि., उदयपुर क्षेत्रीय प्रबन्धकों से प्राप्त सूचना के आधार पर 15-2-78 तक संग्रहित लघु वन उपज की मात्रा

क्र.सं.	नाम उपज	मात्रा क्वि. में	वर्तमान क्रय दर	अनुमानित क्रय मूल्य रु. में
1.	गोंद धावड़ा	28.22	7 रु. प्रति किलो	14110.00
2.	गोंद कडाया	41.09	5 ,, ,,	20545.00
3.	गोंद धावड़ा (छोड़ी)	13.02	2 ,, ,,	2604.00
4.	गोंद खैर	0.49	7 ,, ,,	245.00
5.	गोंद गोंदल	21.15	— ,, ,,	10575.00
6.	शहद	38.76	5 ,, ,,	22380.00
7.	मोम	0.06	10 ,, ,,	60.00
8.	आंवला	222.56	0.60 ,, ,,	13353.60
9.	बहेड़ा	866.07	0.50 ,, ,,	43303.50
10.	घटबोर	71.75	0.20 ,, ,,	1435.00
11.	अरीठा	6.74	0.50 ,, ,,	337.00
12.	आंवलछाल	84.56	0.40 ,, ,,	3382.40
13.	पुवाड़	675.82	0.30 ,, ,,	20274.60
14.	करणज	33.22	1.00 ,, ,,	3322.00
15.	रतनजोत	58.10	0.80 ,, ,,	4648.00
16.	अरण्डी	1.11	—	111.00
17.	लाख	4.55	0.50 ,, ,,	227.50
18.	मरोडफली	384.67	1.00 ,, ,,	38467.00
19.	जंगली भिण्डी	0.7	0.50 ,, ,,	105.00
20.	बीला	13.16	0.75 ,, ,,	1305.00
21.	फली अमलतास	26.44	0.50 ,, ,,	528.80
		2591.31		201330.40

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 500 की सूचना

सूची 'ए'

काश्तकारों की नामवार सूची जिनके केपेसिटर के पैसे जमा हैं और अभी केपेसिटर लगाने हैं

क्र. स.	उपभोक्ता का नाम	गांव
1	2	3
1.	श्री देवप्रतापसिंह	रेण
2.	श्री रामदयाल	डाढासमी
3.	श्री अमानसिंह	,,
4.	श्री अमानसिंह	,,
5.	श्री नारायण	,,
6.	श्री समुन्द्रसिंह	,,
7.	श्रीमती मांगीदेवी	,,
8.	श्री मागू खां	,,
9.	श्री जालमसिंह	,,
10.	श्री धूलाराम	,,
11.	श्री पुसाराम	लाम्बा
12.	श्री देवीसिंह	,,
13.	श्री रामपाल	,,
14.	श्री मोयाराम	,,
15.	श्री मंगाराम	,,
16.	श्री गोगाराम	,,
17.	श्री मुगनाराम	,,
18.	श्री मिलाराम	,,
19.	श्री भियाराम	,,
20.	श्री जेठूदास	,,
21.	श्री हरीराम	,,
22.	श्री सिवाराम	,,
23.	श्री खेराजराम	,,
24.	श्री बोदूराम	,,
25.	श्री हनुमानसिंह	,,

Page No. 235

(235)

1	2	3
26.	श्री कंसाराम	काम्बा
27.	श्री पुनाराम	,,
28.	श्री छोटमल	,,
29.	श्री उदयसिंह	,,
30.	श्री किशोरदान	,,
31.	श्री बोदाराम	,,
32.	श्री मोडाराम	,,
33.	श्री भिकाराम	,,
34.	श्री मोडाराम	,,
35.	श्री रामदीन	,,
36.	श्री मदनलाल	,,
37.	श्री फकीरचन्द	,,
38.	श्री गोपालदास	मोकाला
39.	श्री शुभकरण	,,
40.	श्री लादूराम	,,
41.	श्री अस्साराम	,,
42.	श्री मंगलाराम	,,
43.	श्री उगराराम	,,
44.	श्री बक्साराम	छन्वावड़
45.	श्री रामनाथ	वेशवास
46.	श्री भोलाराम	ब्याम्माशा
47.	श्री शिवसिंह	मघयाडा
48.	श्री भूराराम	रियाश्यामदास
49.	श्री देवनाथ	भूनियास
50.	श्री बिरदाराम	,,
51.	श्री मंगाराम	,,
52.	श्री भंवरू तेली	,,
53.	श्री भंगारसिंह	सिंघ
54.	श्री हिंगलाजदान	,,
55.	श्रीमती उद्‌यवें कंवर	,,
56.	श्री संग्राम सिंह	,,
57.	श्री छोटूसिंह	,,
58.	श्रीमती हीरादेवी	हुरसोलाव

(236)

1	2	3
59.	श्री कुंवर दीपसिंह	हरसोलाव
60.	श्री थानाराम	हरसोलाव
61.	श्री ऊंकारराम	लाम्बा
62.	श्री गिगाराम	लाम्बा
63.	श्रीमती रामप्यारी	मोकाला
64.	श्री बालूराम	मोकाला
65.	श्री गजेसिंह	भागलियास
66.	श्री हनुमानसिंह	भागलियास
67.	श्रीमती भंवरीदेवी	,,
68.	श्री रूपा जाट	,,
69.	श्री सूरजभानसिंह	टालमपुर
70.	श्री बजरंगदास	गठिया
71.	श्री विकास अधिकारी	मेड़ता

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 307 की सूची

हटाये गये सिविल मिस्त्रीयों की सूची

1. श्री नन्द किशोर शर्मा
2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
3. श्री राधामोहन
4. श्री धनवीर
5. श्री गोपेश कुमार गौतम
6. श्री प्रहलादराय शर्मा
7. श्री कैलाशचन्द्र शर्मा
8. श्री गोविन्दराम

(238)

परिशिष्ट संख्या—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 509 का विवरण

प्रश्न 4 की सूची

योजनाओं पर साधारणतया किये जाने वाले कार्यों की सूची।

(1) योजनाओं के स्पेयर के सामान का इन्द्राज रजिस्टर में करना व सामान लेबर को इश्यू करना।

(2) योजनाओं पर घरेलू जल सम्बन्ध को बाइन्डर में हर माह इन्द्राज करना।

(3) घरेलू जल सम्बन्धों के बिल बनाना।

(4) घरेलू जल सम्बन्धों के बिल वितरित करना।

(5) हर माह जल शुल्क की राशि वसूल करना।

(6) जल सम्बन्धों के लेजर भरना व रसीदों का इन्द्राज करना।

(7) वर्कचार्ज कर्मचारियों के तनख्वाह के बिल बनना।

(8) राजस्व वसूली को जिला मुख्यालय पर बैंक में जमा कराना।

Copy of Order No. F. 1 (3) FD/Exp. III/74/1267, dated 21-10-75 issued by the Financial Commissioner and Secretary to Government, Finance (Exp. III) Department, Rajasthan, Jaipur copy endorsed to the Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Rajasthan Jaipur at Sl. No. 6 and others.

Powers delegated to the Officers in the Public Works Department, Building & Roads and Irrigation Branches and Public Health Engineering Department.

SECTION—V

(Temporary Establishment)

S.No.	Nature of power	To whom delegated	Extent and conditions		Amended vide Govt No. FD/Exp. III/74/108 dated 27-6-77 w. e. f. 1-9-76
65	To create non-Gazetted posts on W/C establishment and to make appointments thereto, subject to availability of funds in the sanctioned estimates of the works concerned to meet the outlay.	Chief Engineer	Full powers, provided the maximum of the pay scale of the posts does not exceed.	Rs. 650/- P.M.	1100/- P.M.
		Supdt. Engineer	—do—	Rs. 425/- P.M.	830/- P.M.
		E. E./Horticulturist	—do—	Rs. 330/- P.M.	770/- P.M.
		A.E./Supdt. of Gardens	—do—	Rs. 90/- P.M.	330/- P.M.

Note:—The delegation in Col. 4 are subject to the condition that appointments are made in accordence with prescribed rules and the period for which the posts are created does not exceed the period shown in the sanctioned estimate.

(240)

POSITION OF REVENUE REALISATION ON RURAL WATER SUPPLY SCHEME OF P.H.E.D. DN. NAGAUR.

S. No.	Name of R. W. S. S.	Revenue Realisation in year		No. of connection	
		1975–76	1976–77	76–77	77-78
1.	Mundwa	37803.75	40392.82	364	
2.	Kuchera	37771.46	41442.60	353	
3.	Basani	23491.50	24341.00	304	
4.	Khuinwsar	—	1621.00	50	
5.	Jayal	32457.3 ›	29038.34	270	350
6.	Deh	12401.84	13905.25	250	300
7.	Shribalaji	10770.42	12367.25	128	
8.	Alai	8575.20	7564.00	80	
9.	Tarnau	—	1770.00	100	
10.	Rol	—	80.00	8	
11.	Nimod	4875.00	5146.05	53	
12.	Daulatpura	9402.00	9764.55	99	
13.	Koliya	10729.60	8856.50	101	
14.	Khunkhuna	5404.70	5762.55	59	
15.	Toshina	1815.15	8252.85	97	
16.	Kerap	3199.40	3429.45	37	
17.	Chhoti Khatu	—	7356.86	140	
18.	Badi Khatu	—	2519.61	63	
19.	Nimbijodha	18262.87	16229.61	167	
20.	Jaswantgarh	44421.87	50123.11	421	
21.	Bankaliya	—	48.00	3	
22.	Kasumbi	—	96.00	5	
		261382·12	280106·60		

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 514 का विवरण

3

रेड क्रास, जयपुर के स्टाफ का विवरण व दिनांक 3-4-78 की स्थिति

क्र. सं.	नाम	पद	प्रथम नियुक्ति दिनांक	स्थाई	अस्थाई	वेतनमान	वेतन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री आर. एन. कौल	सचिव	(निलम्बित)			1900–2200	2706.00	
2.	श्री रावत सारस्वत	संगठन सचिव	11-4-55	स्थाई	--	1150–1650	1847.00	
3.	श्री सरदार मानसिंह	सेक्शन ऑफिसर	10-4-52	स्थाई व. लि.	—	750–1350	1037.63	वर्तमान पद पर अस्थाई
4.	श्रीमती पी. शर्मा	व. लि./सेक्शन आफिसर	1-6-64	--	अस्थाई	620–1100	820.00	वर्तमान पद पर अस्थाई
5.	श्री आर. सी. पारीक	व. लि./ए. ए. ओ.	23-6-71	स्थाई व. लि.	—	620–1100	812.00	—यथा—
6.	श्रीमती शीला जैन	व. लि./ओ. एस.	25-11-66	—	अस्थाई	550–890	660.00	
7.	श्रीमती के. भण्डारी	—यथा—	24-10-66	—	अस्थाई	550–890	625.00	
8.	श्रीमती के. सबरवाल	व. लि.	1-3-68	—	अस्थाई	385–650	466.00	वर्तमान पद पर 30-12-76 से नियमित।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	श्री टी. आर. ठक्कर	असिस्टेण्ट अकाउण्ट्स आफिसर	21-10-76	—	अस्थाई	निश्चित	540.00	
10.	श्री सीताराम	—यथा—	13-12-73	—	अस्थाई	385–650	611.87	1-1-77 से नियमित।
11.	श्री कोशी माथुर	टाईपिस्ट ट्रेनी	19-6-75	—	अस्थाई	निश्चित	330.00	नियमित नियुक्ति
12.	श्री टी. डी. मोनन पिलई	ट्रेनी आफिस असिस्टैण्ट	1-1-77	—	अस्थाई	निश्चित	340.00	—यथा—
13.	डॉ. पी. एल. ऋषि	व. सर्जन	11-11-75	—	अस्थाई	निश्चित	1260.00	—यथा—
14.	मिस मोना पारीक	रेडियोलोजिस्ट	28-5-76	—	अस्थाई	1150–1650	1530.00	—यथा—
15.	डॉ. (मिसेज) के. अरोरा	महिला चिकित्सक एम. सी. डब्ल्यू. सेन्टर	15-7-64	स्थाई	—	750–1350	1110.00	—यथा—
16.	डॉ. (मिस) सोलोमन	—यथा—	10-1-78	—	अस्थाई	निश्चित	750.00	—यथा—
17.	डॉ. एच. एस. राव	पार्ट टाइम मैडिकल आफिसर	27-9-75	—	अस्थाई	निश्चित	500.00	—यथा—
18.	डॉ. एम. सी. मेहता	पार्ट टाइम सर्जन मैडिकल आफिसर	9-12-76	—	अस्थाई	निश्चित	600.00	—यथा—
19.	डॉ. रमेश नामला	पार्ट टाइम फिजिशियन	10-1-76	—	अस्थाई	निश्चित	943.00	—यथा—
20.	डॉ. (मिस) निविता जयतायत	पार्ट टाइम महिला चिकित्सक	10-1-78	—	अस्थाई	निश्चित	500.00	—यथा—

21.	डॉ. मिस कुलश्रेष्ठ	पार्ट टाइम महिला चिकित्सक	8-3-78	—	अस्थाई	निश्चित	500.00	नियमितनियुक्ति
22.	डॉ. आर. सिंघल	पार्ट टाइम ऐनेस्थेटिस्ट	7-6-76	—	अस्थाई	निश्चित	250.00	—यथा—
23.	मिसेज राज अरोड़ा	सिस्टर	17-5-68	—	अस्थाई	440–770	600.00	स्टाफ नर्स के पद पर स्थाई होने के प्रमाण उपलब्ध नहीं
24.	मिसेज रंजनी के. विनोद	स्टाफ नर्स	2-1-72	—	अस्थाई	440–770	520.00	स्थाई के आदेश उपलब्ध नहीं
25.	श्रीमती सारलम्मा	स्टाफ नर्स	9-9-75	स्थाई	—	440–770	560.00	
26.	श्रीमती राजम्मा टी. के.	ए. एन. एम.	19-1-77	—	अस्थाई	355-570	425.00	
27.	मिस मरीअम्मा के. ओ.	ए. एन. एम.	4-6-77	—	अस्थाई	355-570	425.00	
28.	मिस मरीअम्मा जेकम	ए. एन. एम.	15-7-77	—	अस्थाई	355-570	425.00	
29.	श्री रमेश खन्ना	मेल नर्स ए. एन. एम. के पद पर	7-10-76	—	अस्थाई	440-770	510.00	
30.	श्री वर्गीज के. एस.	लेब टेक्नीशियन	15-9-72	—	अस्थाई	355-570	450.00	
31.	मिस पूवम्मा टी. जे.	—यथा—	30-12-77	—	अस्थाई	355-570	355.00	
32.	श्री प्रवीन मेहन्दीरत्ता	रेडियोग्राफर	16-6-76	—	अस्थाई	470–830	585.00	
33.	श्री आई. डी. कुरेशी	एक्स-रे टेक्नीशियन	3-7-72	—	अस्थाई	355-570	450.00	
34.	श्री एम. डी. वर्गीज	—यथा—	1-10-77	—	अस्थाई	निश्चित	250.00	

243

Page No. 244

(244)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	श्री छोटूलाल	एक्सरे टेक्निशियन	11-6-75	—	अस्थाई	निश्चित	200.00	
36.	श्री एच. सी. गुप्ता	पार्ट टाईम कम्पा.	13-4-77	—	अस्थाई	निश्चित	125.00	
37.	श्री जगन्नाथ	कम्पाउण्डर	11-75	—	अस्थाई	निश्चित	250.00	
38.	श्री मानसिंह	ई. सी. जी. टक्नी.	31-12-72	—	अस्थाई	355–570	425.00	
39.	श्री सी. सी. मलकानी	एक्सटेन्शन एज्यूकेटर	1972	—	अस्थाई	निश्चित	225.00	
40.	श्री जे. एस. माथुर	काउन्टर असिस्टेन्ट एफ. ए.	जून, 1975	—	अस्थाई	निश्चित	315.00	
41.	श्री गोविन्द सिंह	सिक्योरिटी असिस्टेन्ट	10-7-75	—	अस्थाई	निश्चित	350.00	
42.	श्री वी. वी. मोहन	पार्ट टाइम सिक्योरिटी असिस्टेन्ट	12-7-77	—	अस्थाई	निश्चित	215.00	
43.	श्री आर. के. पारीक	काउण्टर असिस्टेन्ट	11-10-77	—	अस्थाई	डेली वेजेज	10/- रुपये प्रतिदिन	
44.	श्री भंवरलाल	रेजीडेन्ट केअरटेकर	1-3-75	—	अस्थाई	निश्चित	295.00	
45.	श्री हरिनारायण	चौकीदार	14-9-76	—	अस्थाई	निश्चित	165.00	
46.	श्री नानगराम	चपरासी	1-1-52	स्थाई	—	240–290	365.25	
47.	श्री सूरजसिंह	चपरासी	24-11-52	स्थाई	—	240–290	364.25	
48	श्री मानसिंह	चपरासी	16-1-71	स्थाई	—	240–290	316.69	
49.	श्री प्रहलादसिंह	इलेक्ट्रिक कम एटेन्डेन्ट	1-8-73	स्थाई	अस्थाई	240–290	307.00	
50.	श्री प्रभूदयाल	अटेन्डेन्ट	19-11-76	—	अस्थाई	निश्चित	237.00	

51.	श्री प्रभूनारायण	अटेन्डेन्ट	17-6-77	—	अस्थाई	डेली वेजेज	6.25 पैसे प्रतिदिन
52.	श्री बिशनसिंह	अटेन्डेन्ट	3-9-77	—	अस्थाई	निश्चित	227.00
53.	श्री तुफानसिंह	अटेन्डेन्ट	20-10-76	—	अस्थाई	निश्चित	215.00
54.	श्रीमती सावित्री चटर्जी	वार्ड मेड	24-8-77	—	अस्थाई	निश्चित	150.00
55.	श्री केदार	स्वीपर	10-3-75	—	अस्थाई	निश्चित	150.00
56.	श्री ओमप्रकाश	स्वीपर	14-5-76	—	अस्थाई	निश्चित	150.00
57.	श्री कृष्णा	स्वीपर	14-5-76	—	अस्थाई	निश्चित	150.00
58.	श्री रामचरण	स्वीपर	9-4-77	—	अस्थाई	निश्चित	150.00
58.	श्रीमती छोटी	स्वीपर	1-5-77	—	अस्थाई	निश्चित	150.00
60.	श्रीमती केसर	स्वीपर	17-5-77	—	अस्थाई	निश्चित	150.00
61.	श्रीमती गुलाब	स्वीपर	23-5-77	—	अस्थाई	निश्चित	150.00
62.	श्रीमती गीता	स्वीपर	7-8-75	—	अस्थाई	निश्चित	150.00

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 515 का विवरण

परिशिष्ट 'अ'

राज्य में संचालित आयुर्वेद व यूनानी महाविद्यालयों के छात्रों की संख्या व अनुदान राशि का विवरण

महाविद्यालय का नाम	छात्रों की संख्या	अनुदान राशि	
		वर्ष 1976-77	1977-78
* 1. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जयपुर	422 (वर्ष-1977-78)	9.00 लाख	13.50 लाख
2. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर	253- (वर्ष 1976-77)	—	—
3. परशुराम पुरिया आयुर्वेद कालेज, सीकर	135 (वर्ष 1976-77)	1,06,990	81,400
** 4. राजपूताना आयुर्वेद व यूनानी तिब्बिया कालेज, जयपुर	37 (वर्ष 1977-78)	6,000	—

* राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के अधीन संचालित हैं। अनुदान राशि संस्था को दी गई है। संस्थान केन्द्रीय सरकार के अधीन है।

** संस्थान का कार्य सन्तोषजनक नहीं होने के कारण तथा विभागीय अनुदान नियम वर्ष 1972 के नियम 10 (1) के अनुसार 40 से कम छात्र संख्या होने के कारण इस संस्थान को वर्ष 1977-78 में अनुदान नहीं दिया गया।

SCHEDULE (B)

S. No.	Name of the Post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification & Experience for direct recruitment	Posts or Posts from which promotion is to be made	Minimum qualification & experience required for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
	CENTRAL-WING					
	Selection-Post					
1.	Director	100% by promotion	—	1. Principals of Ayurvedic colleges	3 year's experience on the post of Principal, or	
				2. Dy. Directors Ayurved 3. Manager, Pharmacies 4. Physician Specialists	6 year's experience on any of the posts in column 5.	
	Senior-Posts					

Page No. 248

1	2	3	4	5	6	7
2.	(a) Deputy Director	100% by promotion	—	Assistant. Director Disst. Ayu. Officer,	5 year's experience on the posts. mentioned in Column 5.	
	(b) Manager Pharmacies	100% by promotion	—	Distt. Unani Officer, and Officer Incharge, Pharmacies.		
3.	(1) Assistant Director	100% by promotion	—	Vaidya Gr. I and Hakim Gr. I	3 year's experience on the post mentioned in Column 5.	
	(2) District Ayurvadic Officer	100% by promotion	—	Vaidya Gr. I	3 year's experience on the post mentioned in Column 5.	
	(3) District Unani Officer	100% by promotion	—	Hakim Gr. I	3 year's experience on the post mentioned in Column 5.	
	(4) Officer Incharge Pharmacies	100% by promotion	—	Vaidya Gr. I	3 year's experience on the post of Vaidya Gr. I and having at least one year's experience of Govt. Pharmacies provided he has Bhishgacharya or its equivalent.	

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 516 का विवरण

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पेंसरी/एडपोस्ट खोलने की योजना।

(2) प्रति 10 हजार की ग्रामीण आबादी वाले पर एक उपकेन्द्र खोलना व भवन निर्माण कराना।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण।

(5) भ्रमणशील शल्य इकाई।

ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन डिस्पेंसरी व एडपोस्ट खोलने की योजना:— राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने व क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में कम से कम दो डिस्पेंसरी व एक एडपोस्ट अर्थात् एक पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अतिरिक्त तीन चिकित्सा संस्थाएं कम से कम उपलब्ध हों।

इस काम की पूर्ति के लिए वर्ष 1977-78 में 153 डिस्पेंसरी तथा 100 नये एडपोस्ट स्वीकृत किए गए हैं तथा क्षेत्र की पूर्ति वर्ष 1978-79 में करने का प्रावधान रखा है।

प्रति 10 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकेन्द्र खोलने की योजना:— पूर्व में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत सात उपकेन्द्र (तीन स्वास्थ्य तथा चार परिवार कल्याण) स्वीकृत थे। इस प्रकार कुल 1624 उप केन्द्र स्वीकृत है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 में प्रति 10 हजार की ग्रामीण की जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र खोलने की योजना के अन्तर्गत 298 उपकेन्द्र स्वीकृत किये गये जिनमें से 149 उपकेन्द्रों के लिए नये भवन निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की है। ये अतिरिक्त उपकेन्द्रों का राज्य के 8 जिलों क्रमशः भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, सुमेरपुर तथा टोंक में स्वीकृत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

शेष जिलों में वर्ष 1978-79 में 296 अतिरिक्त उपकेन्द्र स्वीकृत करने का प्रावधान है। इस प्रकार वर्ष 78-79 की समाप्ति तक राज्य की प्रति 10 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र के लक्ष्य की पूर्ति हो जावेगी।

पंचवर्षीय योजना में प्रति 5 हजार की जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर इसका क्रियान्वयन करना सम्भव हो सकेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता योजना:— वर्ष 1977-78 में केन्द्रीय सरकार के कोष से संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की योजना देश के अन्य भागों की तरह इस राज्य में भी चालू की गई हैं।

—

इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक जिले में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का चयन किया है (भरतपुर व धौलपुर को अलग इकाई माना गया है)। इस प्रकार 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रत्येक 1,000 की आबादी वाले ग्रामों या गांवों के समूह से एक स्थानीय स्वेच्छिक कार्यकर्त्ता को तीन माह का प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। प्रशिक्षण के पश्चात उक्त कार्यकर्त्ता अपने ग्राम में जाकर स्थानीय जनता को अपने दैनिक कार्य के अतिरिक्त 2-3 घण्टे रोजमर्रा की सामान्य चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को 600 रुपया वार्षिक भत्ता दिया जाता है तथा 600 रुपये की दवा तथा एक मेडिसन का किट उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत सभी 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक अतिरिक्त डाक्टर का प्रावधान किया है जो इनको प्रशिक्षण देते हैं तथा इनको आगे भी मार्गदर्शन देंगे।

इन 27 केन्द्रों से मार्च 78 तक 20-20 प्रशिक्षणार्थियों के दो बैच प्रशिक्षण प्राप्त कर जन सेवा में रत हैं। यह योजना 27 पंचायत समिति क्षेत्रों में ही लागू की है पर शनैः शनैः इसका विस्तार सारे राज्य में करने का प्रस्ताव है।

विशेषज्ञ सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना:—शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध विशेषज्ञों की सेवाएं ग्रामीण अंचल में पहुंचाने की दृष्टि से प्रत्येक मेडिकल कॉलिज से आसपास जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों की टोलियां प्रति माह जा रही हैं। चालू वर्ष में मेडिकल कॉलेजों द्वारा अपने निकटस्थ जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञों के साथ साथ चिकित्सा स्नातकों को भी भेजे जाने की योजना प्रारम्भ की जा रही है। इससे मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को ग्रामीण समस्याएं निकट से देखने का लाभ तो मिलेगा ही साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवाओं का भी सहज ही प्रचार हो सकेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण:—बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के आठ जिलों में से एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर रेफरल अस्पताल स्थापित किये जा चुके हैं।

चालू वर्ष में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण से वहां का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अलग नहीं स्थापित करना होगा।

भ्रमणशील शल्य इकाई:—ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में राज्य की भ्रमणशील शल्य इकाई 500 रोगी शैय्याओं की कार्यरत है। मेडिकल कॉलेज उदयपुर एवं जयपुर के अन्तर्गत 50-50 रोगियों की 2 इकाई कार्यरत है। इसके साथ साथ जिला स्तर के विशेषज्ञों द्वारा भी लघु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी वर्ष केन्द्रीय कोष से संचालित एक भ्रमणशील इकाई की स्थापना बीकानेर में नेत्र रोगों के उपचार हेतु की गई है।

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 517 की सूची

अभियोगों की सूची

तालिका वर्ष 1975, 1976, 1977 में ट्रकों द्वारा माल लादकर गायब हो जाने बाबत

वर्ष	मुकदमे दर्ज हुए	झूठे पाये	अदम पता	चालान	पेन्डिंग
1975	13	1	7	5	–

(कुल 12, 61, 972-28 रुपये का माल चोरी गया जिसमें से 11,13,798-06 रुपये का माल बरामद किया गया)

वर्ष	मुकदमे दर्ज हुए	झूठे पाये	अदम पता	चालान	पेन्डिंग
1976	6	2	–	3	1

(कुल 1,48,824-0) रुपये का माल चोरी गया जिसमें से 1,36, 356-00 रुपये का माल बरामद किया गया।)

वर्ष	मुकदमे दर्ज हुए	झूठे पाये	अदम पता	चालान	पेन्डिंग
1977	10	1	2	4	3

(कुल 4, 28, 286-00 रुपये का माल चोरी गया जिसमें से 2, 83,066-00 रुपये का माल बरामद किया गया)

परिशिष्ट संख्या-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 520 की सूची

पदोन्नति सूची।

क्रम स.	नाम मय पदस्थापन	जिला	जिले का परि. क्र.	पदोन्नति देने की तिथि
1.	श्री गुलाब चन्द, स. अ. उ.मा.वि. छीपा बड़ोद	कोटा	292	20-1-77
2.	श्री रामकृष्ण शर्मा स. अ. मा.वि. रामगंजमण्डी	कोटा	829	20-1-77
3.	श्री भैरूसिंह, स. अ. उ.मा.वि. कुराड़	कोटा	1510	28-9-77
4.	श्री रामप्रताप शर्मा स. अ. मा.वि. उपावर	कोटा	1604	28-9-77
5.	श्री मोहनलाल राठोड़, स. अ. उ.प्रा.वि. भीलवाड़ी	झालावाड़	288	21-4-75
6.	श्री भंवरलाल जैन, स. अ. उ.मा.वि. करावन	झालावाड़	521	21-4-75
7.	श्री सैयद कनरथन सैना, स. अ. मा.वि. झालरापाटन	झालावाड़	71	21-4-75
8.	श्री मदामीलाल शाह, स. भ. पंचायत समिति, बांसवाड़ा।	बांसवाड़	260	2-11-75

परिशिष्ट–12

असतारांकित प्रश्न संख्या 528 का प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक/स.क.वि./77/3037 उदयपुर, दिनांक 30-11-77

श्रीयुत जिलाधीश महोदय,
उदयपुर ।

विषय:— श्री सोहनलाल त्रिवेदी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उदयपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराने एवं श्री त्रिवेदी को पदावनत कराने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग: - आपका अ. शा. पत्र क्रमांक/डीईबी/बीए/एम.आईएससी/77/दिनांक 30-11-77

महोदय,

1. श्री सोहनलाल त्रिवेदी ने स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत सेनिटरी इन्सपेक्टर पेरामेडिट असिस्टेन्ट के पद पर दिनांक 31-7-54 से 12-9-72 तक कार्य किया, उस समय ये निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/ई 3 /एच वी/पीएमए/विविध/70/253, दिनांक 22-7-70 के अनुसार वेतन श्रृंखला 150-8-190-10-210-1 -330 में कार्य कर रहे थे और इसी ग्रेड में श्री त्रिवेदी को समाज कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/53449, दिनांक 2-8-72 द्वारा पोषाहार निरीक्षक के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानान्तर किया गया ।

2. श्री सोहनलाल त्रिवेदी को समाज कल्याण विभाग के क्रमांक 28002, दिनांक 14-3-73 के अनुसार पूर्ण तथा अस्थाई तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता (सोशियल केस वर्कर) राजकीय सेवा सदन, उदयपुर के नव सृजित पद पर वेतन श्रृंखला 180-10-220-15-385-20-425 में अस्थाई रूप से पदोन्नत किया गया । पत्रावली के निदेशालय में होने के कारण यह नहीं निवेदन किया जा सकता कि श्री त्रिवेदी को इस नव सृजित पद पर क्यों पदोन्नत किया गया और उस समय कोई और इसी योग्यता का कर्मचारी उपलब्ध था या नहीं । श्री त्रिवेदी ग्रामीण समाज शास्त्र में प्रथम श्रेणी के एवं विश्वविद्यालय के दूसरी पोजीशन के एम. ए. हैं और एल. एल. बी. पास हैं । कतिपय मेरी जानकारी के अनुसार उस समय विभाग का कोई कर्मचारी समाज शास्त्र में प्रथम श्रेणी का पास शुदा नहीं था । ख्याल है कि शायद इसी कारण-वश श्री त्रिवेदी को सोशियल केस वर्कर के नव सृजित पद पर लगाया गया ।

3. कि समाज कल्याण विभाग के नये सृजित छात्रावास अधीक्षक. ग्रेड प्रथम (225-525) रिक्त पद पर श्री सोहनलाल त्रिवेदी, श्यामलाल मेनारिया एवं श्री रामस्वरूप पाण्डे को कार्यालय आदेश क्रमांक/एफ 1(11)(18) सक/72/64843, दिनांक 4-9-73 द्वारा 225-525 का ग्रेड में पद स्थापित किया गया, उस समय से सोहनलाल त्रिवेदी 180-425 की वेतन शृंखला में थे जब कि श्री श्यामलाल मेनारिया लेखालिपिक व श्री रामस्वरूप पाण्डे और भी कम ग्रेड में थे। छात्रावास ग्रेड प्रथम श्रेणी का समानान्तर पद होने के कारण एवं उसकी योग्यता के आधार पर श्री सोहनलाल त्रिवेदी को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1(18)सक/70/103674 दिनांक 13-11-77 द्वारा परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के पद पर लगाया गया। इसके उपरान्त श्री त्रिवेदी को भीलवाडा स्थानान्तर होने के बाद चार माह तक जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद कार्यवाहक का रूप कार्य किया।

4. श्री चौबीसा, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के अप्रेल 77 में सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने पर श्री त्रिवेदी जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर अतिरिक्त कार्य कर रहे है, क्योंकि अभी तक विभाग ने इस ग्रेड के कई अन्य रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की हैं। श्री त्रिवेदी पूर्ण रूप से अस्थाई तौर पर कार्यवाहक जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं. इससे इनकी वरीयता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. उप निदेशक, उदयपुर के पद पर मैंने 11-4-77 को ज्वोइन किया तब से अब तक मेरे पास श्री त्रिवेदी के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण, भाई-भतीजावाद, सरकारी सामग्री एवं वाहनों के दुरुपयोग तथा महिलाओं सम्बन्धी दुराचरण की कोई शिकायत नहीं आई, बल्कि इनकी कार्यकुशलता की 'केयर' के अधिकारियों व अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने सराहना की है। मेरा स्वयं का इनके बारे में यह विचार है कि श्री त्रिवेदी निहायत ईमानदार व कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं। मैंने इन्हें 18-18 घन्टे कार्य करते देखा है।

6. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से इनके विरुद्ध दर्ज मसले की प्रगति हेतु जानकारी मांगी जा रही है. लेकिन जो केस सन् 74 में दर्ज हुआ है और उस पर इतने वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है इससे श्रीमान् स्वयं अन्दाजा लगा लें कि कितना कमजोर हो सकता है। आज के युग में एक्जीक्यूटिव लाइन में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए कोई भी शिकायत करके मामला दर्ज कराया जा सकता है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

वि. एन. गुप्ता
उप-निदेशक,
समाज कल्याण विभाग
उदयपुर।

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 162 की सूची

LIST OF RAJASTHAN STATE SERVICE RULES

S. No.	Name of Service Rules
1	2
1.	The Rajasthan Administrative Service Rules, 1954.
2.	The Rajasthan Police Service Rules, 1954.
3.	The Rajasthan Accounts Service Rules, 1954.
4.	The Rajasthan Secretariat Service Rules; 1954.
5.	The Rajasthan Inspectors of Registration and Stamp Service Rules, 1954.
6.	The Rajasthan Service of Engineers (B & R) Branch Rules, 1954.
7.	The Rajasthan Service of Engineers (Electrical & Mechanical Branch) Rules, 1954.
8.	The Rajasthan Service of Engineers (Irrigation Branch) Rules, 1954.
9.	The Rajasthan Co-operative Service Rules, 1954.
10.	The Rajasthan Labour Welfare Service Rules, 1958.
11.	The Rajasthan Economics and Statistical Service Rules 1958.
12.	The Rajasthan Service of Inspectors of Factories and Boilers Rules, 1958.
13.	The Rajasthan Jail Service Rules, 1959.
14.	The Rajasthan State Insurance Service Rules, 1959.
15.	The Rajasthan Circiut House Service Rules, 1959.
16.	The Rajasthan Government Presses Service Rules, 1960.
17.	The Rajasthan Employment Exchange, Service Rules, 1960.
18.	The Rajasthan Mines and Geological Service Rules, 196..
19.	The Rajasthan Agriculture Service Rules, 1960.
20.	The Rajasthan Industries Service Rules, 1960.
21.	The Rajasthan Horticulture Service Rules, 1962.
22.	The Rajasthan Archaelogical & Museums Service Rules, 1966.

(28)

1	2
23.	The Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962
24.	The Rajasthan Forest Service Rules, 1962.
25.	The Rajasthan Animal Husbandry Service Rules, 1969.
26.	The Rajasthan Social Welfare Service Rules, 1963.
27.	The Rajasthan Medical & Health Service Rules, 1963.
28.	The Rajasthan Public Relations Service Rules, 1966.
29.	The Rajasthan Town Planning Service Rules, 1966.
30.	The Rajasthan Oriental and Research Institute Service Rules, 1977.
31.	The Rajasthan Excise (Preventive Officers) Service Rules, 1967
32.	The Rajasthan Service of Engineers (Public Health Branch) Rules, 1968.
33.	The Rajasthan Under Ground Water Service Rules, 1969.
34.	The Rajasthan Educational Service Rules, 1970.
35.	The Rajasthan Commercial Taxes Service Rules, 1971.
36.	The Rajasthan Educational Service (Collegiate Branch) Rules, 1971.
37.	The Rajasthan Technical Educational Service Rules, 1973.
38.	The Rajasthan Architectural (P. W. D., B & R Branch) Service Rules, 1973.
39.	The Rajasthan Ayurvedic Service Rules, 1973.
40.	The Rajasthan Excise Service (General Branch) Rules, 1974.
41.	The Rajasthan Technical Training Service Rules, 1975.
42.	The Rajasthan Archives Service Rules, 1975.
43.	The Jaipur Milk Supply Service Rules, 1975.
44.	The Rajasthan Sheep and Wool Service Rules, 1975.
45.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Service Rules, 1976.
46.	The Rajasthan Tourism Service Rules, 1976.
47.	The Rajasthan Home Guards and Civil Defence Service Rules 1976.
48.	The Rajasthan Sanskrit Education Service Rules, 1977.
49.	The Rajasthan Higher Judicial Service Rules, 1969.
50.	The Rajasthan Judicial Service Rules, 1955.

257

1	2
51.	The Rajasthan Panchayat Service Rules, 1955.
52.	The Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishad Service Rules, 1959.
53.	The Rajasthan Civil Services (Selection of Vikas Adhikaries) Rules, 1968.
54.	The Rajasthan Civil Services (Special Selection and special conditions of Project Directors and Project Officers) Rules, 1975.
55.	The Rajasthan Tehsildar Service Rules, 1956.
56.	The Rajasthan Engineering Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 1975.
57.	The Rajasthan Motor Garrage Service Rules, 1958.

THE LIST OF RAJASTHAN MINISTERIAL SERVICE RULES

1. The Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Staff Rules, 1957.
2. The Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1970.

---

1. The Rajasthan Class Fouth Service Rules, 1963.

LIST OF SUBORDINATE SERVICE RULES

S. No.	Name of Rule
1	2
1.	The Rajasthan Subordinate Devasthan Service (Class-I) Rules. 1954.
2.	The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-I) Rules, 1955.
3.	The Rajasthan Subordinate Service (Recruitment and other service conditions) Rules, 1960.
4.	The Rajasthan Mines and Geological Subordinate Service Rules, 1960.
5.	The Rajasthan Subordinate Accounts Service Rules, 1963.
6.	The Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 1963.
7.	The Rajasthan Social Welfare Subordinate Service Rules, 1963.
8.	The Rajasthan Transport Subordinate Service Rules, 1963.
9.	The Rajasthan Horticulture Subordinate Service Rules, 1965.
10.	The Rajasthan Medical and Health Subordinate Service Rules, 1965.
11.	The Rajasthan Industries Subordinate Service Rules, 1966.
12.	The Rajasthan Ayurvedic Subordinate Service Rules, 1966.
13.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967.
14.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) Rules, 1967.
15.	The Rajasthan Archives Subordinate Service Rules, 1968.
16.	The Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971.
17.	The Rajasthan Statistical Subordinate Service Rules, 1971.
18.	The Rajasthan Government Presses Subordinate Service Rules, 1973.
19.	The Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973.
20.	The Rajasthan Subordinate Engineering (B & R) Branch Service Rules, 1973.
21.	The Rajasthan Ground Water Subordinate Service Rules, 1973.

1	2
22.	The Rajasthan Town Planning Subordinate Service Rules, 1974.
23.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Subordinate Service Rules, 1974.
24.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (General Branch) Rules, 1974.
25.	The Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975.
26.	The Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Service (General Branch) Rules, 1975.
27.	The Rajasthan Sheep and Wool Subordinate Service Rules, 1975.
28.	The Rajasthan Public Relations Subordinate Service Rules, 1975.
29.	The Rajasthan Revenue Accounts Subordinate Service Rules, 1975.
30.	The Rajasthan Legal Subordinate Service Rules, 1976.
31.	The Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1976.
32.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (Preventive Branch) Rules, 1976.
33.	The Rajasthan State Enterprises Subordinate Service Rules, 1976,
34.	The Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service Rules, 1977.
35.	The Rajasthan Sanskrit Education Subordinate Service Rules, 1978.
36.	The Rajasthan Panchayat Subordinate Service Rules, 1973.
37.	The Rajasthan Subordinate Devasthan Service Rules, (Class-II) 1954.
38.	The Rajasthan Subordinate Co-operative Service (Class-II) Rules, 1955.

(260)

सेवा नियम

1. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड नियमित कर्मचारी सेवा अधिनियम, 1970 जो 1-1-1971 से लागू है।

2. राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन सर्विसेज (रेगुलेशन एण्ड सलेक्शन) रूल्स, 1974।

3. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एम्पलाइज कन्डीशन ऑफ रिक्रुटमेन्ट एण्ड प्रमोशन रेगुलेशन, 1976।

4. राजस्थान स्टेट होटल कोर्पोरेशन एम्पलाइज स्टेण्डिंग ऑर्डर्स।

5. राजस्थान स्टेट वेयरहाऊसिंग कोरपोरेशन (स्टाफ) रेगूलेशन, 1974।

6. राजस्थान लघु उद्योग निगम सेवा नियम।

7. (क) यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर टीचर्स (कन्डीशन ऑफ सर्विस) रूल्स, 1976

(ख) यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर सर्विसेज कन्डीशन फार एम्पलाइज (अदर देन टीचर एण्ड ऑफिसर्स)

(ग) यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर ऑफिसर्स (कन्डीशन ऑफ सर्विस) रूल्स, 1976

8. राजस्थान जन जाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम लिमिटेड उदयपुर में नियुक्ति सेवा नियम बन गये हैं परन्तु संचालक मण्डल और सहकारिता विभाग से अनुमोदन प्राप्त करना है।